कारोबार
₹ 43337 करोड़

कर–पश्चात लाभ
₹ 6011 करोड़

प्राप्त आर्डर
₹ 60507 करोड़

वार्षिक रिपोर्ट
2010-11

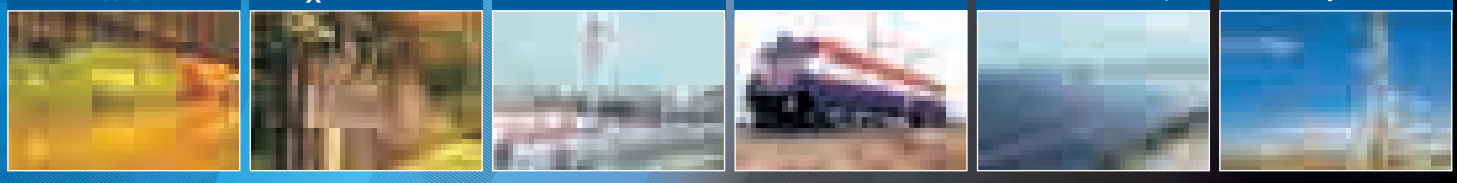

समयानुकूल परिवर्तन पर दृष्टि...
सतत विकास की सृष्टि...

बी एच ई एल
BHEL

विज़न

पणधारी मूल्यवृद्धि के लिए प्रतिबद्ध विश्वस्तरीय इंजीनियरी उपक्रम

मिशन

ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, आधारभूत एवं अन्य संभावित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं द्वारा समग्र व्यापारिक समाधान प्रदान करने वाला भारतीय बहुराष्ट्रीय इंजीनियरी उपक्रम बनना

मूल्य

श्रेष्ठ बनने की उमंग तथा परिवर्तन के प्रति उत्साह सभी मामलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और क्षमता का सम्मान, प्रतिबद्धताओं का कड़ाई से पालन, अनुक्रिया की गति सुनिश्चित करना, शिक्षा, रचनात्मकता एवं टीम कार्य को प्रोत्साहन देना। कम्पनी के प्रति निष्ठा एवं आत्मगौरव

विषय सूची

1. शेयरधारकों को पत्र 2
2. निदेशक मंडल 3
3. प्रबंध समिति 4
4. कॉर्पोरेट कार्यात्मक संरचना 6
5. कॉर्पोरेट रूपरेखा 8
6. वर्ष एक नजर में 16
7. पुरस्कार 19
8. निदेशकों की रिपोर्ट 20
   - प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण 25
   - निदेशकों का संक्षिप्त परिचय 56
   - कॉर्पोरेट अभिशासन 60
   - ऊर्जा का संरक्षण 87
   - कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 212 के अनुसरण में विवरण 90
   - लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 91
   - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 95
9. वार्षिक लेखे (स्टैण्डएलोन) 97
   - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 99
   - नकद प्रवाह विवरण और अुनसूचियों के साथ लेखापरीक्षित लेखे 103
10. सहायक कंपनी 145
    - निदेशकों की रिपोर्ट 147
    - प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण 151
    - कॉर्पोरेट अभिशासन 156
    - कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 158
    - लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 161
    - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 163
    - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 164
    - नकद प्रवाह विवरण और अनुसूचियों के साथ लेखापरीक्षित लेखे 168
11. समेकित वित्तीय विवरण 189
    - समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 191
    - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 193
    - नकद प्रवाह विवरण और अनुसूचियों के साथ लेखापरीक्षित लेखे 197
12. पणधारकों के लिए अतिरिक्त सूचना 225
    - दस वर्षों का सार 227
    - अमरीकी जीएएपी के अधीन निवल आय 229
    - आर्थिक मूल्य वर्धन (ईवीए) 231
    - मूल्य वर्धन विवरण 232
    - वार्षिक योजना की तुलना में कार्यनिष्पादन 233
    - राजकोष को अंशदान 233
    - उत्पाद रूपरेखा 234
    - भारत में बीएचईएल 241
    - वैश्विक व्यापार 242
13. सूचना 244
14. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 255

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने बीएचईएल की शानदार विकास गाथा का एक और सफल वर्ष पूरा कर लिया है। वर्ष 2010–11 एक शानदार वर्ष रहा, जिसके दौरान निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की यूटीलिटीज तथा अन्य ग्राहकों ने कंपनी के सामर्थ्य में अनन्य विश्वास व्यक्त किया। आपकी कंपनी ने शानदार वित्तीय निष्पादन किया। आपकी कंपनी ने अपनी लीडरशिप को बनाए रखा और वह गतिशील विकास के नए चरण पर पहुंचने के लिए तत्पर है।

मैं बीते वर्ष की कुछ मुख्य उपलब्धियों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं।

व्यावसायिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

पिछले छह वर्षों में आपकी कंपनी का कारोबार चार गुना और लाभ छह गुना हुआ है। 27 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के साथ कंपनी का कुल कारोबार ₹ 43,337 करोड़ और कर पूर्व लाभ ₹ 9006 करोड़ और कर पश्चात लाभ ₹ 6011 करोड़ रहा है। वर्ष के दौरान लाभ में क्रमशः 37 प्रतिशत एवं 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में बीएचईएल की कई उपलब्धियां रहीं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :–

- बाजार में कठिन स्थितियों के बावजूद, बीएचईएल द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की यूटीलिटीज से सुपर क्रिटीकल पैरामीटरों वाले 07 बॉयलर एवं 09 टरबो जनरेटरों के आर्डर बुक किए गए।
- बीएचईएल ने हाल ही में पावर सेक्टर में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए वर्ष के दौरान ₹ 60,507 करोड़ के आर्डर प्राप्त किए। वर्ष के अंत में 201–12 एवं उसके बाद निष्पादित किए जाने के लिए लगभग ₹ 1,64,145 करोड़ के आर्डर हाथ में हैं।
- एल्सटॉम के साथ मिलकर एनपीसीआईएल से केएपीपी 3, 4 के लिए 700 मेगावाट न्यूक्लियर टीजी (2 सैटों) का पहला आर्डर मिला है जो नई रेटिंग का है।
- आपकी कंपनी में पुनः विश्वास व्यक्त करते हुए इंडिया बुल्स समूह से 270 मेगावाट के 10 सैटों का रिपीट आर्डर मिला।
- पांच महाद्वीपों में फैले 24 देशों से निर्यात आर्डरों की प्राप्ति।
- आपकी कंपनी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा अपने इंजीनियरी विशेषताओं को सशक्त करने हेतु क्षमता एवं सामर्थ्य निर्माण में भारी निवेश कर रही है। इसलिए वर्ष के दौरान पूंजी निवेश पर ₹ 1,655 करोड़ तथा अनुसंधान एवं विकास पर ₹ 982 करोड़ खर्च किए गए।
- पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत वृद्धि के साथ आर्थिक मूल्य वर्धन ₹ 3,793 करोड़ हो गया।
- बोनस इक्विटी पश्चात प्रति शेयर अर्जन पिछले वर्ष के ₹ 88.06 की तुलना में बढ़कर ₹ 122.80 हो गया।
- वर्ष के लिए 132.5 प्रतिशत आंतरिक लाभांश के अलावा बोर्ड ने 179 प्रतिशत के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार वर्ष के लिए कुल लाभांश 311.50 प्रतिशत है।

गतिशील विकास के लिए नया चरण

बीएचईएल ऐसे समय में विकास के नए चरण की शुरूआत के लिए प्रतिबद्ध है जब भारत सरकार बुनियादी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दे रही है।

ऐसे वातावरण में आपकी कंपनी ने पिछले कई वर्षों से मजबूत निर्माण आधार, विश्वस्तरीय उपस्कर निष्पादन, आधुनिक प्रौद्योगिकी, विविध व्यवसाय पोर्टफोलियो, देशव्यापी कुशल विक्रयोपरांत सेवा नेटवर्क, एक सशक्त तुलन–पत्र सहित कई विशिष्ट प्रतिस्पर्धी गुणों का विकास किया है जो कंपनी की विकासपरख अभिलाषाओं तथा एक मजबूत मानव पूंजी आधर को सहयोग देने में समर्थ है।

इन सभी बातों के आधार पर आपकी कंपनी वर्तमान व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी लीडरशिप बनाए रखने तथ उभरते हुए विकास क्षेत्रों में अवसरों से लाभ उठाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति अपना रही है।

1. क्षमता वृद्धि :

निर्माण क्षमता 15000 मेगावाट से बढ़ाकर 20000 मेगावाट करने का कार्य मार्च, 2012 तक पूरा होने की राह पर है। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमनें वीएचपीवी, विजाग का अधिग्रहण 2008 में किया था। हमारी अर्जित विकास रणनीति के हिस्से के कारण यह 2010–11 में लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई है। इसके अलावा आपकी कंपनी ने केईएल, केरल की कसारगोड इकाई में 51 प्रतिशत हिस्सा अर्जित कर लिया है, जिससे रोटेटिंग विद्युत मशीनों के लिए क्षमता वृद्धि में तेजी आएगी। हम आंतरिक तथा अर्जित क्षमता में वृद्धि करते रहेंगे।

2. शीघ्र परियोजना निष्पादन :

आपकी कंपनी निरंतर निष्पादन सामर्थ्य में सुधार कर रही है। हमारी रणनीति के मुख्य बिंदु हैं – विक्रेता आधार में विस्तार, उन्नत निर्माण कदम, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग, दर संविदाएं, अधिक आउटसोर्सिंग, अतिरिक्त टूल्स एवं प्लांट्स उपलब्ध कराना, अवे सेंटर फेब्रिकेशन और परियोजना प्रबंधकों का अधिक सशक्तीकरण। इसके अलावा पावर सेक्टर में कौशल की कमी को दूर करने के लिए आपकी कंपनी ने आईटीआई को अपनाने तथा इस सेक्टर में कौशल वर्धन के लिए आंतरिक अवसंरचना से लाभ उठाने जैसी विभिन्न पहलें की हैं। इन पहलों के आधार पर हम वर्ष के दौरान अब तक के सबसे अधिक 9442 मेगावाट के विद्युत संयंत्र सिंक्रोनाइज/कमीशन करने में सफल रहे हैं।

3. प्रतिस्पर्धी उत्पाद लागत एवं गुणता

लागत कम करने के लिए सतत् प्रयास किए जाते हैं। बल दिए जाने वाले बिंदुओं में वैश्विक सोर्सिंग, शीघ्र स्वदेशीकरण तथा डिजाइन टू–कास्ट (डीटसी), क्रय एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (पीएसएम) एवं लीन निर्माण पहल जैसी विभिन्न प्रचालन पहलें शामिल हैं। ये पहल तथा अन्य प्रयास गुणत्ता बनाए रखते हुए लागत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगी, जिसके लिए आपकी कंपनी विख्यात है।

4. वैविध्यकरण

आपकी कंपनी शेयरधारकों के मूल्य वर्धन के लिए वैविध्यकरण की रणनीति बनाए रखने की मजबूत स्थिति में है, क्योंकि हम सोलर, न्यूक्लियर, परिवहन, ट्रांसमिशन एवं वितरण तथा जल जैसे नए क्षेत्रों में उपस्करों की आपूर्ति में विस्तार कर रहे हैं। हम इस बात के प्रति सकारात्मक रहे हैं कि हमारी वैविध्यकरण रणनीति से आने वाले समय में आपकी कंपनी के लिए अधिक वित्त स्रोत पैदा हो सकेंगे।

5. इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी

अपने समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने और इन आवश्यकताओं को नवीन प्रौद्योगिकी में रूपांतरित करने की सचेत प्रतिबद्धता के फलस्वरूप आपकी कंपनी अधिक मात्रा में अनुसंधान एवं विकास में लगातार निवेश कर रही है। कंपनी ने आई पी आर पूंजी में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है जिससे यह 1438 पेटेंटों/कापीराइट की हो गई है। यह अत्यंत प्रोत्साहन की बात है कि आज आपकी कंपनी की नवीनता युक्त व्यवसाय की रणनीति को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है।

6. कर्मचारी विकास

हम इस पर अधिक विश्वास करते हैं कि हमारी विकास की अभिलाषाओं के लिए हमारी सभी प्रतिभाओं का योगदान अनिवार्य है। तदनुसार, हम अपने मानव संसाधन का विकास करने के लिए पुनः प्रवृत्त हो रहे हैं ताकि हमारी वर्तमान व्यवसायिक चुनौतियों के अनुरूप प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता में विकास होने के साथ–साथ उनके निष्पादन और उनके सामर्थ्य का भी विकास हो सके।

निष्कर्ष

मैं निदेशक मंडल में अपने सहयोगी निदेशकों तथा प्रबंध समिति के सदस्यों के प्रति उनकी बुद्धिमत्ता तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय विशेषकर भारी उद्योग विभाग हमारे प्रयासों में अपना अमूल्य मार्गदर्शन एवं समर्थन देते रहे हैं। ग्राहकों, शेयरधारकों और हमारे व्यवसाय साझीदारों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपका विश्वास प्राप्त करने के लिए आपने हमें अवसर प्रदान किए। आपकी कंपनी दूरदर्शी लीडरों और समर्पित कर्मचारियों का साथ पाकर अत्यंत सौभाग्यशाली है, जो सफलता के चालक हैं।

मैं भविष्य में बीएचईएल की चुनौतीपूर्ण एवं रोमांचक यात्रा में अपने सभी स्टेकहोल्डरों के सतत् समर्थन की आशा करता हूं।

नई दिल्ली
12 अगस्त 2011

बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल दिनांक 31.07.2011 की यथास्थिति

बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री सौरभ चन्द्र
अपर सचिव एवं
वित्तीय सलाहकार

श्री अम्बुज षर्मा
संयुक्त सचिव

श्री अषोक कुमार बसु
निदेशक

श्री एम ए पठान
निदेशक

श्रीमति रेवा नैय्यर
निदेशक

श्री वी.के. जयरथ
निदेशक

श्री त्रिम्बकदास एस. जंवर
निदेशक

श्री एस रवि
निदेशक

श्री अनिल सचदेव
निदेशक(मा.सं.)

श्री अतुल सराया
निदेशक (पावर)

श्री ओ.पी. भुटानी
निदेशक (ई,आरएंडडी)

श्री एम के दुबे
निदेशक (आईएसएंडपी)

श्री पी.के. बाजपेयी
निदेशक (वित्त)

श्री आई.पी. सिंह
कंपनी सचिव

प्रबंध समिति

दिनांक 19.07.2011 की यथास्थिति

खड़े हुए (बांए से दाएं) : एन. खंडेलवाल, ए.के.दवे, उमेश माथुर, राजीव हजेला, विजय कुमार, एस.एम. तालुकदार, एस.एस.गुप्ता, ए.दासगुप्ता डब्लु.वी.के.कृष्ण शंकर, बी. शंकर, सुबोध गुप्ता, जितेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, डी. अशोक, डा. एच.एस. जैन, टी.एन.वीरराघवन

बैठे हुए दूसरी पंक्ति में (बांए से दाएं) : आर. कृष्णन, पी.के. उप्पल, एम.राजीव कुमार, आर.के.वांचू, यू.के.दास, एस.गोपालाकृष्णन, जी.गणपतिरमण, रंजन साही, पी.आर.श्रीराम, ए.वी.कृष्णन, वी.पांधी, ए.औरंगाबादकर, जी.एस.बिन्द्रा

बैठे हुए पहली पंक्ति में (बांए से दाएं) : डी.के. मोदी, पी.के. बाजपेयी, ओ.पी. भुटानी, अतुल सराया, बी.प्रसाद राव, अनिल सचदेव, एम.के.दुबे, पी.के. अग्रवाल, ए.चन्द्रबाबू

बी. प्रसाद राव	– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
अनिल सचदेव	– मानव संसाधन – संचार – प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी – सीएसआर, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण
अतुल सराया	– पावर सेक्टर व्यवसाय (मार्केटिंग, परियोजना इंजीनियरी, ईएंडसी, परियोजना प्रबंधन, स्पेयर्स एवं सेवाएं)
ओ. पी. भुटानी	– इंजीनियरी अनुसंधान एवं विकास – कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास – उन्नत अनुसंधान परियोजनाएं – प्रचालन मॉनीटरिंग, निवेश योजना, सामग्री प्रबंधन – प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग एवं संयुक्त उद्यम तथा एम एंड ए – केंद्रीय स्टैपिंग इकाई
एम. के. दुबे	– औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद व्यवसाय (कैप्टिव विद्युत संयंत्र, ट्रांसमिशन, परिवहन, रक्षा, मकैनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, परियोजना प्रबंधन) – सेरामिक व्यवसाय – कम्पोनेंट फेब्रीकेशन संयंत्र – परियोजना इंजिनियरी एवं प्रणाली विभाग
पी. के. वाजपेयी	– कॉर्पोरेट वित्त – बजटिंग एवं नियंत्रण – लागत प्रबंधन – कोष प्रबंधन – लेखन एवं लेखापरीक्षा – कराधान – विदेशी मुद्रा प्रबंधन – आंतरिक लेखा परीक्षा – वित्तीय सेवाएं
डी. के. मोदी	– विशेष कार्य अधिकारी – कॉर्पो. कार्यालय
पी. आर. श्रीराम	– पावर सेक्टर – दक्षिण क्षेत्र
ए. औरंगाबादकर	– पावर सेक्टर – पश्चिम क्षेत्र
जी. गणपतिरमण	– इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन – इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिविजन – औद्योगिक प्रणाली समूह
वी. पांधी	– हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट संयंत्र – प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान
ए. वी. कृष्णन	– हाई प्रेशर बॉयलर संयंत्र – सीमलैस स्टील ट्यूब संयंत्र – औद्योगिक वाल्व संयंत्र – पाइपिंग सेंटर – वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान
ए. चन्द्रबाबू	– बॉयलर अग्ज़िलरीज़ प्लांट
जी. एस. बिन्द्रा	– परियोजना इंजीनियरी प्रबंधन
रंजन साही	– कॉर्पोरेट विनिर्माण प्रौद्योगिकी एवं निवेश योजना – कॉर्पोरेट मॉनीटरिंग – कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन
डॉ. एच. एस. जैन	– कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास
एस. गोपालाकृष्णन	– पावर सेक्टर मार्केटिंग – थर्मल एवं गैस
यू. के. दास	– स्पेयर्स एवं सेवाएं व्यवसाय
आर. के. वांचू	– परियोजना इंजीनियरी एवं प्रणाली
एम. राजीव कुमार	– पावर सेक्टर – पूर्वी क्षेत्र
पी. के. उप्पल	– अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन
आर. कृष्णन	– हेवी पावर इक्विपमेंट संयंत्र
पी. के. अग्रवाल	– पावर सेक्टर मार्केटिंग – न्यूक्लियर एवं हाइड्रो
जितेन्द्र कुमार	– पावर सेक्टर – उत्तर क्षेत्र
डी. अशोक	– सेरामिक व्यवसाय
सुबोध गुप्ता	– कैप्टिव विद्युत संयंत्र व्यवसाय – उद्योग क्षेत्र परियोजना प्रबंधन – रक्षा व्यवसाय
जैनेन्द्र कुमार	– पावर सेक्टर – परियोजना प्रबंधन
बी. शंकर	– मानव संसाधन एवं कॉर्पोरेट संचार
टी. एन. वीरराघवन	– ट्रांसमिशन व्यवसाय
डब्ल्यू. वी. के. कृष्णाशंकर	– कॉर्पोरेट योजना एवं विकास – सदस्य सचिव, प्रबंध समिति
ए. दास गुप्ता	– कॉर्पोरेट प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी
एस. एस. गुप्ता	– हेवी इलेक्ट्रिकल संयंत्र – इलेक्ट्रिकल मशीन्स मरम्मत संयंत्र
एस. एम. ताल्लुकदार	– केंद्रीय स्टैपिंग इकाई – फैब्रिकेशन संयंत्र
विजय कुमार	– कॉर्पोरेट गुणता – संविदा समाप्ति – केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
राजीव हजेला	– प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग एवं संयुक्त उद्यम – अधिग्रहण एवं विलयन

<u>स्थायी आमंत्रिती</u>

उमेश माथुर	– क्षेत्रीय प्रचालन
ए. के. दवे	– ट्रांसफार्मर संयंत्र
एन. खंडेलवाल	– केंद्रीय फाउंड्री फोर्ज संयंत्र

कॉर्पोरेट संगठनात्मक संरचना

(02.07.2011 की यथास्थिति)

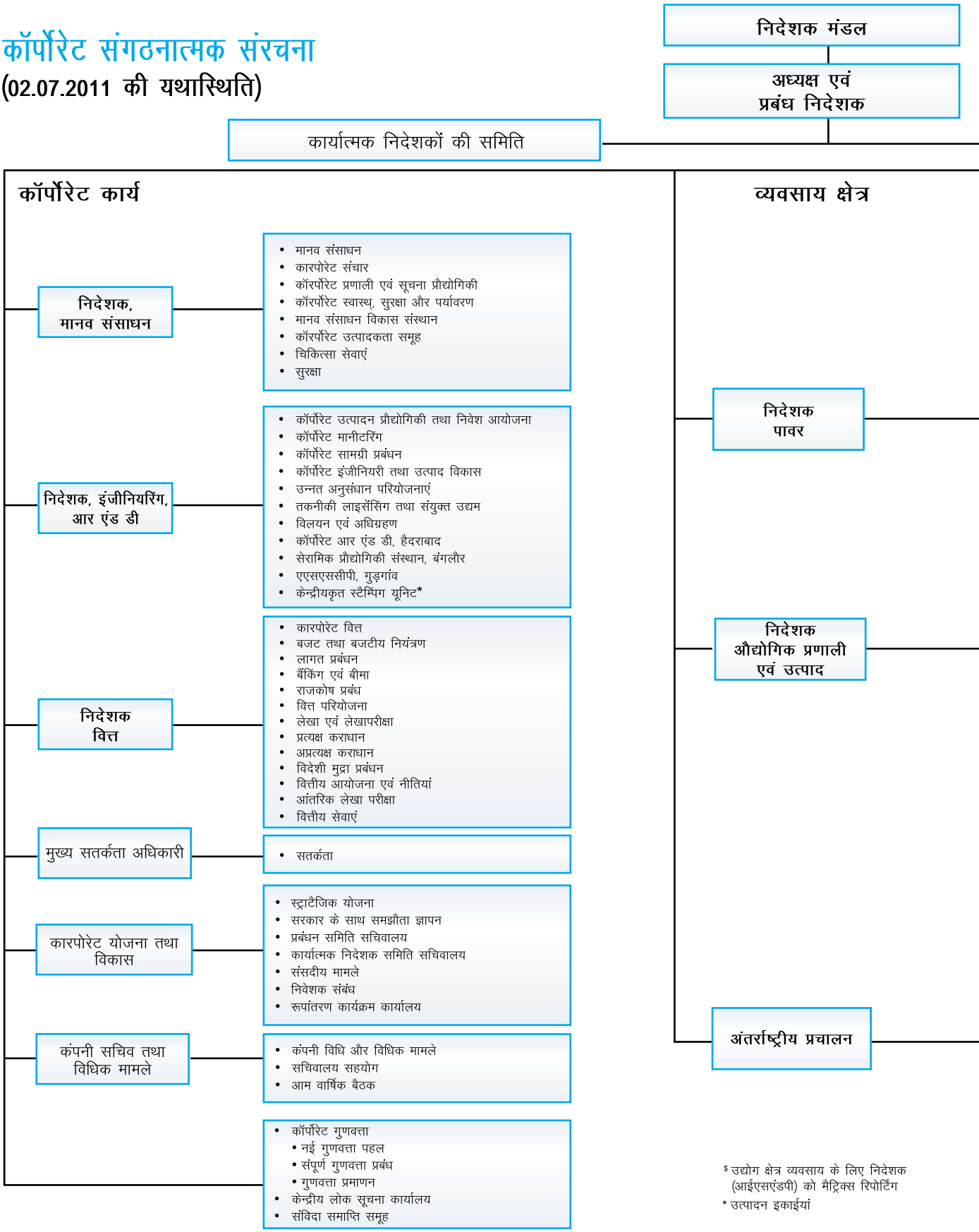

$ उद्योग क्षेत्र व्यवसाय के लिए निदेशक (आईएसएंडपी) को मैट्रिक्स रिपोर्टिंग

* उत्पादन इकाईयां

प्रबन्ध समिति

- पावर सेक्टर – मार्केटिंग
- पावर सेक्टर – क्षेत्र (उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र)
- परियोजना/प्रणाली इंजीनियरी प्रबंध
- परियोजना प्रबंधन
- तकनीकी सेवाएं
- अतिरिक्त पुर्जे और सेवा व्यवसाय समूह[$]
- हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट, वाराणसी
- प्रबंध सेवाएं एवं मानव संसाधन

- कैप्टिव विद्युत संयंत्र व्यवसाय
- औद्योगिक उत्पाद व्यवसाय (विद्युत एवं यांत्रिक)
- ट्रांसमिशन व्यवसाय समूह
- परिवहन व्यवसाय
- रक्षा व्यवसाय
- एनसीईएस के लिए केन्द्रीय विपणन समूह
- सेरामिक व्यवसाय यूनिट, बेंगलूर
  - इलेक्ट्रो पोर्सिलेंस डिवीजन, बैंगलूर*
  - इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर*
- कंपोनेंट फेब्रिकेशन संयंत्र, रुद्रपुर*
- क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग
- परियोजना प्रबंधन समूह
- परियोजना इंजीनियरी और प्रणाली प्रभाग, हैदराबाद

- विदेशी व्यवसाय

प्रचालन

- हेवी इलेक्ट्रिकल संयंत्र, भोपाल*
- सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, भोपाल

- ईएमआरपी, मुंबई

- ट्रांसफार्मर संयंत्र, झांसी*

- हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट संयंत्र, हरिद्वार*
- प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार

- केन्द्रीय फाउंड्री फोर्ज संयंत्र, हरिद्वार*

- हेवी पावर इक्विपमेंट संयंत्र, हैदराबाद*

- इंडस्ट्रियल वाल्व संयंत्र, गोइंदवाल*

- हाई प्रेशर बॉयलर प्संयंत्र, तिरुचि*
- सीमलेस स्टील ट्यूब संयंत्र, तिरुचि*
- वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान, तिरुचि

- पाइपिंग सेंटर, चेन्नई

- बॉयलर ऑग्जिलियरी संयंत्र, रानीपेट*

- इलेक्ट्रानिक्स डिवीजन, बेंगलूर*
- इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिवीजन, बैंगलूर*
- इंडस्ट्रियल सिस्टम ग्रुप, बैंगलूर

कारपोरेट रूपरेखा

40 वर्षों से अधिक पहले स्थापित बीएचईएल ऊर्जा तथा अवसंरचना संबंधी सेक्टर में भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरी एवं निर्माणकारी उद्यम है। बीएचईएल विश्व की गिनी–चुनी कंपनियों में से एक है जिसके पास विद्युत संयंत्र उपस्करों की पूरी श्रृंखला का निर्माण करने की क्षमता है। अपनी स्थापना के समय से बीएचईएल विकास, निष्पादन एवं लाभप्रदता का सतत् शानदार रिकार्ड रहा है।

कंपनी ने आर्डर प्राप्ति निर्माण कौशल प्रौद्योगिकी पर निरंतर बल देने विकास की स्थिति प्राप्त कर ली है, जिससे विद्युत संयंत्र उपस्करों के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कर ली है, साथ ही औद्योगिक सेक्टर तथा रेलवे में उत्पादों के चयनित खंड में महत्वपूर्ण पैंठ बना ली है। कंपनी ने प्रतिवर्ष 15,000 मेगावाट के विद्युत उपस्कर सुपुर्द करने की क्षमता प्राप्त कर ली है और 2012 तक प्रतिवर्ष 20,000 मेगावाट तक पहुंचने के लिए प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

बीएचईएल भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे विद्युत उत्पादन एवं ट्रांसमिशन, उद्योग, परिवहन, अक्षय ऊर्जा, रक्षा आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। बीएचईएल के 15 निर्माणकारी प्रभागों, 02 मरम्मत इकाइयों, 4 पावर क्षेत्रों, 8 सेवा केंद्रों, 15 क्षेत्रीय कार्यालयों, 2 सहायक कंपनियों तथा भारत एवं विदेश में फैली अनेकों परियोजना स्थलों के व्यापक नेटवर्क से कंपनी सबसे अधिक उपयुक्त उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं को कुशलतापूर्वक एवं प्रतिस्पर्धी लागत पर देने में समर्थ है। कंपनी ने सुपर क्रिटिकल कोयला विद्युत संयंत्रों में कई रणनीतिक संयुक्त उद्यम के लिए करार किया है, ताकि उपस्करों की बिक्री से लाभ उठाने के साथ–साथ हरित ऊर्जा पहल हेतु प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

आईएसओ 9000 के अनुरूप गुणवत्ता प्रणाली ने गहरी जड़ें जमा ली हैं; जिसके कारण बीएचईएल की सीआईआई एक्जिम बिजनेस एक्सीलेंस स्कीम 2010–11 में 5 में से चार इकाईयों द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करके व्यवसाय श्रेष्ठता में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने की अपनी परम्परा को जारी रखते हुए कंपनी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें लगातार 20वें वर्ष परियोजना निर्माता के उत्पाद समूह में ''ईईपीसी स्टार परफार्मर अवार्ड; सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ योगदान के लिए स्कोप पुरस्कार; भारी उद्योग वर्ग में दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड पुरस्कार–2010; लगातार 15वें वर्ष सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में लागत प्रबंधन उत्कृष्टता के लिए 2009 का आई सी डब्ल्यू ए आई राष्ट्रीय पुरस्कार; काउंसिल ऑफ पावर यूटिलिटीज के उपकरण निर्माण एवं लक्षद्वीप को सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने के लिए इंडिया पावर अवार्ड; एक 'श्रम भूषण' तथा तीन 'विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार' सहित छह प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार; इंडियन इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) से संपूर्ण व्यवसाय उत्कृष्टता एवं उद्योग प्रैक्टिस हेतु 'आई ई आई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2010' तथा 'एनडीटीवी प्रोफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2010' शामिल हैं।

बीएचईएल संयंत्र में 500 मेगावाट टरबाइन एलपी रोटर असेम्बली के अधीन

विद्युत उत्पादन

विद्युत उत्पादन खंड में बीएचईएल थर्मल, गैस एवं हाइड्रो आधारित यूटिलिटी तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों हेतु उत्पादों एवं प्रणालियों की व्यापक श्रृंखला की आपूर्ति में भारत का सबसे बड़ा निर्माता है।

बीएचईएल के पास संकल्पना से कमीशनिंग तक विद्युत परियोजनाओं को निष्पादित करने की सिद्ध टर्नकी क्षमताएं हैं। बीएचईएल द्वारा सप्लाई किए गए विद्युत उत्पादन सेटों ने 1,00,000 मेगावाट आंकड़ा पार कर लिया है और कुल स्थापित क्षमता का लगभग दो तिहाई तथा भारत में विद्युत उत्पादन के तीन–चौथाई के रिकार्ड को बनाए रखा है। बीएचईएल 800 मेगावाट तक की स्टील टरबाइनों, जनरेटरों, बॉयलरों और उसके अनुरूप आग्जिलिमरों के साथ–साथ सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 660/700/800 मेगावाट के सेटों की भी आपूर्ति करता है। बीएचईएल के पास 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक जाने की सुविधा है। भारत में उपलब्ध उच्च राख तत्व वाले कोयले का कुशल उपयोग करने के लिए बीएचईएल थर्मल संयंत्रों के लिए सर्कुलेटिंग फ्ल्युडाइल्ड बैड कम्ब्युशंस (सीएफबीसी) बॉयलरों की भी आपूर्ति करता है। बीएचईएल अकेली भारतीय कंपनी है जो बड़े आकार के गैस आधारित संयंत्र बनाती है, जिसमें ओपन एवं कंबाइंड प्रचालनों के लिए 289 मेगावाट (आईएसओ) तक की उन्नत श्रेणी की गैस टरबाइनें शामिल हैं। बीएचईएल कस्टम–निर्मित हाइड्रो विद्युत उपस्करों की इंजीनियरी और उनका निर्माण करते हैं। इसकी श्रृंखला में फ्रांसिस, पेल्टन और कप्लान रनर्स टरबाइनें, पंच टरबाइनें, बल्ब टरबाइनें तथा मिनी–माइक्रो हाइड्रो संयंत्र तथा विभिन्न हैड–डिस्चार्ज मिश्रणों के लिए इसके अनुरूप जनरेटर शामिल है।

बीएचईएल विश्व की कुछेक कंपनियों में से एक है जो इंटिग्रेटिड गैसीफिकेशन कंबाइंड साइकिल (आईजीसीसी) प्रौद्योगिकी के विकास में लगी हुई है, इससे स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का विकास होगा।

उद्योग

बीएचईएल कैप्टिव/औद्योगिक विद्युत यूटिलिटीज के अलावा धातुकर्मीय, खान, सीमेंट, कागज, उर्वरक, रिफाइनरी एवं पेट्रो–रसायन आदि कई उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए विविध औद्योगिक प्रणालियों एवं उत्पादों का अग्रणी निर्माता है। बीएचईएल विद्युत यूटिलिटीज को छोड़कर कई उद्योगों को प्रणालियां एवं उत्पाद सहित सेंट्रीफ्यूगल कम्प्रैसर, ड्राइव टरबाइन, औद्योगिक बॉयलर एवं आक्जलरी, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, गैस टरबाइन, पंप, हीट एक्सचेंजर, विद्युत मशीनें, वाल्व, हेवी कास्टिंग एवं फोर्सिंग, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपीटेटर, आईडी, एफडी फैन सीमलैस स्टील ट्यूबों आदि की आपूर्ति की है। बीएचईएल

2010–11 में कमीशन की गई दादरी 490 मेगावाट द्वितीय इकाई

जोजोबेरा, झारखंड में 4x120 मेगावाट एवं 1x67 मेगावाट एटन कैप्टिव विद्युत संयंत्र

कंट्रोल्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन प्रणाली विशेषकर विभिन्न विद्युत संयंत्रों एवं उद्योगों के लिए वितरित डिजीटल कंट्रोल प्रणाली के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभरा है। कंपनी का उद्योग व्यवयाय संकल्पना से कमीशनिंग तक कैप्टिव विद्युत संयंत्रों हेतु ईपीसी संविदाओं को निष्पादित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

परिवहन

भारतीय रेलवे की अधिकतम रेलों में, चाहे इलेक्ट्रिक या डीजल पावर से चलती हों, बीएचईएल की ट्रेक्शन प्रोपल्शन प्रणाली एवं कंट्रोल्स लगे हुए हैं। सप्लाई की गई प्रणालियों में पारंपरिक डीजी तथा आधुनिकतम एसी ड्राइव्स शामिल हैं। भारत की पहली भूमिगत मेट्रो कोलकाता में बीएचईएल द्वारा सप्लाई किए गए ड्राइव्स और कंट्रोल्स पर चलती है।

लगभग सभी ईएमयू में बीएचईएल द्वारा निर्मित एवं सप्लाई किए गए इलेक्ट्रिकल्स लगे हुए हैं। बीएचईएल ने एसी ड्राइव्स के लिए ऊर्जा कुशल आईजीबीटी आधारित प्रोपल्शन प्रणाली का घरेलू उत्पादन के रूप में स्वयं को सफलतापूर्वक स्थापित करके फिर से अपनी क्षमता और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता को साबित किया है, जो परिवहन सेक्टर में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

भारतीय रेलवे की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए झांसी में लोको निर्माण क्षमता में विस्तार प्रगति पर है। बीएचईएल ने इंडियन रेलवे हेतु ट्रैक रखरखाव मशीनों तथा कोच निर्माण में भी वैविध्यकरण किया है और यह रोलिंग स्टॉक की रेट्रोफिटिंग एवं ओवरहालिंग का भी काम करता है।

अक्षय ऊर्जा

पर्यावरण हेतु अपने सरोकार के अनुरूप बीएचईएल संधारणीय आधार पर अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादों के विकास एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय प्रयास में योगदान कर रहा है। सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइटिंग, ग्रामीण जल पंपिंग प्रणाली, रेलवे सिग्नलिंग, ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफार्म जैसे छोटे उपभोग से लेकर बीएचईएल ने बड़े आकार के स्टैंड एलोन तथा ग्रिड इंटरएक्टिव सौर विद्युत संयंत्र देश के कई शहरों एवं दूरस्थ इलाकों में कमीशन किए हैं। ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत राष्ट्रीय और मिशन के प्रस्तावित 20,000 मेगावाट लक्ष्य के एक अहम् भूमिका निभाने के लिए बीएचईएल ने सघनीकृत सौर थर्मल विद्युत (सीएसपी) क्षेत्रों में, ईपीसी समाधान प्रदान करने में सौर परियोजनाओं मं अग्रणी एबेनगोआ, स्पेन के साथ एक करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

तेल एंव गैस

बीएचईएल के पास भारतीय स्थितियों के अनुकूल विभिन्न प्रकार की ऑनशोर रिगों के डिजाइन, निर्माण एवं सेवा की विशेषता उपलब्ध है। उपस्कारों की श्रृंखला में ऑनशोर डील ड्रिलिंग रिग,

इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (25 केवीएसी टाइप डब्ल्यू एजी)

एसपीवी विद्युत संयंत्र

सुपर डीप ड्रिलिंग रिग, हेली रिग, वर्क ओवर रिग, मोबाइल रिग और डेजर्स रिग तथा इसके अनुरूप ड्रा वर्क्स एवं हायस्टिंग उपस्कर शामिल है। बीएचईएल के पास अब 9,000 मीटर तक की गहराई की ऑनशोर डीप ड्रिलिंग, 3,000 मीटर की गहराई की मोबाइल रिग तथा 6100 मीटर तक के गहरे कुंओं के लिए वेल सर्विसिंग रिग बनाने की क्षमता है। कंपनी ऑनशोर उपयोग के लिए पर्यावरणनुकूल एसी प्रौद्योगिकी आधारित ऑयल रिगों का निर्माण करने की प्रक्रिया में है।

बीएचईएल ऑनशोर ड्रिलिंग रिग उपस्कर जैसे ड्रा वर्क्स, रेटेरी–टेबल, ट्रेवलिंग ब्लॉक स्विवेल, मास्ट एवं सब स्ट्रक्चर, मड सिस्टम, एवं रिग इलेक्ट्रिक्स, ऑनशोर तथा ऑफशोर उपयोग के लिए 10,000 पीएसआई रेटिंग के वेल हेड्स एवं एक्स–मैस ट्री की आपूर्ति ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लि. और निजी ड्रिलिंग कंपनियों को कर रही है।

ट्रांसमिशन

बीएचईएल की भारत में विद्युत ट्रांसमिशन के क्षेत्र में ट्रांसमिशन प्रणाली एवं उत्पादों की व्यापक श्रृंखला के साथ एक मजबूत स्थिति है। बीएचईएल द्वारा निर्मित उत्पादों में पावर ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर वैक्यूम एवं एसएफ 6 स्विचगीयर, गैस इंसुलेटिड स्विचगीयर, सेरामिक इंसुलेटर आदि शामिल हैं। प्रमुख महत्वपूर्ण हार्डवेयर जैसे कैपीसिटर बैंक, सर्किट ब्रेकर, कंट्रोल एवं रक्षात्मक उपस्कर तथा थाईरिस्टर वाल्व इसकी निर्माण श्रृंखला में है।

पीजीसीआईएफ के लिए बीएचईएल द्वारा निष्पादित 400 केवी सबस्टेशन

बीएचईएल भारत में 333 एमवीए, 1200 केवी ट्रांसफार्मर का स्वदेश में ही विकसित एवं निर्माण करने वाली पहली कंपनी के रूप में उभरी है। बीएचईएल ने बीना स्थित पीजीसीआईएल के ट्रांसमिशन परीक्षण स्टेशन के लिए 1200 केवी सीवीटी तथा 1200 केवी यूएचवीएसी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 530 केएन डिस्क इंसुलेटरों का भी निर्माण किया है। उल्लेखनीय रूप से बीएचईएल को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से उत्तर–पूर्वी तथा आगरा के बीच विश्व की प्रथम + /–800 केवी 6,000 मेगावाट अल्ट्रा वोल्टेज मल्टी–टर्मिनल डीसी ट्रांसमिशन लिंक के लिए पहला आर्डर मिला है।

बीएचईएल ने 36 केवी तथा 145 केवी गैस इंसुलेटिड सबस्टेशन (जीएआईएस) का घरेलू विकास करके उसको कमीशन किया है। अब कंपनी ट्रांसमिशन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 33 केवी डबल बस का विकास कर रही है। कंपनी सबसे बड़ी रेटिंग (5 एमवीए) के ड्राई टाइप ट्रांसफार्मरों का स्वदेशी निर्माण करने वाली अकेली कंपनी के रूप में उभरी है।

कंपनी फिक्स्ड सीरीज कंपसेशन/कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर स्कीमों की संभाव्यता/सिस्टम अध्ययन, निष्पादन एवं कमीशनिंग की पूरी परियोजना की जिम्मेदारी लेती है। बीएचईएल के पास पावर सिस्टम स्टडीज एवं संभाव्यता अध्ययन अवधि के संबंधित डिजाइन एवं उपयोग हेतु विशेषज्ञता तथा व्यापक ऑन–दी–जॉब एक्सपोजर है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अरब देशों में राजनीतिक अस्थिरता से हुई अत्यंत खराब स्थितियों के वातावरण के कारण बीएचईएल के पारंपरिक बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति के बावजूद भी बीएचईएल ने अपने निर्यात की गति बनाए रखी है

और नए बाजारों में भी प्रवेश किया है। कंपनी विदेशी बाजारों में अपने उत्पादों एवं सेवाओं की पूर्ण श्रृंखला की आपूर्ति को बनाए रखा है, जिसमें थर्मल, हाइड्रो एवं गैस आधारित टर्नकी पावर परियोजनाएं, सबस्टेशन परियोजनाएं, पुनरूद्धार परियोजनाओं के अलावा ट्रांसफार्मरों, मोटरों, कम्प्रैसरों, वाल्वों, इलेक्ट्रोस्टेटिक, प्रीसीपेटरों, फोटोवोल्टेइक उपस्करों, इंसुलेटरों, हीट एक्सचेंजरों, स्विचगीयरों आदि जैसे विविध उत्पाद शामिल हैं।

कंपनी कार्य, प्रौद्योगिकी गुणवत्ता और अन्य अपेक्षाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा में सफल रही है। बीएचईएल ने फास्ट ट्रैक आधार पर परियोजनाएं लेने में अपनी क्षमता सिद्ध की है। विक्रयोपरांत सेवाओं पर बल देने से यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस, श्रीलंका, कजाकिस्तान, इराक, न्यूजीलैंड, माल्टा, थाईलैंड, यमन और लीबिया से स्पेयर्स एवं सेवाओं के आर्डर मिले हैं। बीएचईएल के पास बड़ी परियोजनाओं के लिए अन्य कंपनियों के साथ इंटरफेस एवं सहायता के लिए अपेक्षित लचीलापन भी है, साथ ही इसने इंटरमीडिएट उत्पादों के निर्माण एवं आपूर्ति में अनुकूलता भी दर्शाई है।

कंपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक व्यावसायिक पहल कर रही है, जिनसे विदेशी बाजारों में सौर तथा संबद्ध परियोजनाओं एवं उपस्करों तथा ट्रांसमिशन एवं वितरण के क्षेत्र में अवसरों की खोज करना शामिल है।

प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन, अनुसंधान एवं विकास

बीएचईएल के उत्पाद एवं प्रणालियां तीव्र प्रौद्योगिकी परक हैं और आर एंड डी/प्रौद्योगिकी विकास का एक समावेशी इंजीनियरी उद्यम बनाने के अपने प्रयास में एक रणनीतिक महत्व है। वर्ष के दौरान बीएचईएल ने आर एंड डी प्रयासों पर ₹ 982 करोड़ खर्च किए हैं जो पिछले वर्ष से 18 प्रतिशत अधिक है। आंतरिक रूप से विकसित उत्पादों एवं प्रणालियों से ₹ 7809 करोड़ का कारोबार किया गया जो पिछले वर्ष से 23 प्रतिशत अधिक है। वर्ष के दौरान कुल 91 पेटेंट एवं कॉपीराइट मिले, जिससे बौद्धिक पूंजी 1,438 पेटेंटों एवं कॉपीराइट की हो गई है।

महत्वपूर्ण रूप से इकॉनामिक टाइम्स इंटेलीजेंस ग्रुप ने बीएचईएल को पेटेंट फाइल करने में नंबर एक तथा आर एंड डी में द्वितीय उच्च निवेशक कंपनी का दर्जा दिया है। कंपनी ने भारत में अपने उन्नयन एवं उद्यमशीलता के लिए 'हाई टेक कॉर्पोरेट' वर्ग में प्रतिष्ठित सीआईआई थाम्पसन रियूटर्स इन्नोवेशन अवार्ड–2010 जीता है।

इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी उद्देश्य के अनुरूप हैदराबाद स्थित

जीईसीओएल, लीबिया के लिए 300 मेगावाट की वेस्टर्न माउंटेन एक्सटेंशन परियोजना

श्री प्रफुल पटेल, माननीय केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री बीएचईएल, भोपाल में नई आधुनिक विद्युत मशीन शॉप का उद्घाटन करते हुए।

कॉर्पोरेट आर एंड डी प्रभाग विकसित होती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आधुनिक इंजीनियरी संसाधनों को प्रस्तुत करने में बीएचईएल के अनुसंधान प्रयासों का अग्रणी है। हर निर्माणकारी प्रभाग में कार्यरत अनुसंधान एवं उत्पाद विकास केंद्र एक अनुपूरक भूमिका निभा रहा हैं। सिमुलेटरों, कम्प्यूटेशनल फ्ल्युड, डायनामिक्स, परमानेंट मैग्नेट मशीनों, सर्फेस इंजीनियरी इंटेलीजेंस मशीनों एवं रोबोटिक्स तथा मशीन डायनामिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। 7वीं श्रृंखला के रूप में बीएचईएल ने कम्प्रैसर एवं पंप डायनामिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। हैदराबाद में नैनो टेक्नालॉजी के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रख्यात वैज्ञानिकों तथा भारत सरकार के विशिष्ट अधिकारियों को मिलाकर एक 'आर एंड डी सलाहकार परिषद्' का भी गठन किया गया है जो विकास के लिए आर एंड डी रणनीतियों पर बीएचईएल को सलाह देगी जिससे कि बाजार में नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बना जा सके।

कॉर्पोरेट आर एंड डी प्रभाग के अलावा, बीएचईएल में चार विशिष्ट संस्थान यथा–तिरूचि में वेल्डिंग अनुसंधान केंद्र, बेंगलूर में सेरामिक प्रौद्योगिकी सेंस्थान, भोपाल में इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन एवं हाइड्रो लैब केंद्र तथा हरिद्वार में प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान भी हैं।

यूएचपी लैब, भोपाल में 180 एमवीए, 1200 केवी परीक्षण ट्रांसफार्मर तथा 80 एमवीए और 765 केवी सिंगल फेस शंट रिएक्टर

मानव संसाधन विकास संस्थान

एच आर मिशन अभिकथन ''बीएचईएल मिशन को प्राप्त करने हेतु मानव संसाधन के संपूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करते हुए मूल्य–आधारित संस्कृति का संवर्धन एवं विकास करना'' द्वारा निदेशित, मा. सं.वि.सं. विस्तृत संगठनात्मक अनुसंधान पर आधारित दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्रक्रिया तथा आवश्यकता पर आधारित कई अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन को उनके सामर्थ्य को बाहर निकालने और उसे निखारने में समर्थ बनाता है।

एक प्रमुख उन्नत रूम में 2010–11 में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर आंतरिक स्टेक होल्डरों तक पहुंचना तथा प्रक्रिया मानकीकरण, इष्टतमीकरण एवं अखंड उद्यम एकीकरण के माध्यम से व्यवसाय में रणनीतिक साझेदार के रूप में मानव संसाधन की भूमिका को पुनः परिभाषित करना है।

प्रमुख कार्यक्रमों में रणनीतिक आधारित कार्यक्रम, क्षमता आधारित कार्यक्रम तथा उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, रणनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम, वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रम, मध्यम प्रबंधन कार्यक्रम, युवा प्रबंधन कार्यक्रम और नए प्रबंधकों के लिए सेल्फ स्टार्टर कार्यक्रम जैसे कार्यपरक कार्यक्रम शामिल हैं।

इसके अलावा, मानव संसाधन विकास संस्थान कॉर्पोरेट मानव संसाधन को तथा इकाइयों/प्रभागों को मा. सं. वि. केंद्रों को प्रोफेशनल सहयोग भी देता है। मा. सं. वि. सं. चयनित रूप में अन्य संगठनों से परामर्शी कार्य भी स्वीकार करता है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंध

बीएचईएल सभी पणधारियों को सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद कार्य वातावरण प्रदान करते हुए अपने सभी कार्यकलापों. उत्पादों और

सेवाओं के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल कंपनी होने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण के प्रति अपने सरोकार के अनुरूप कंपनी ने कई पर्यावरण सुधार परियोजनाएं (ईआईपी) शुरू की हैं। जिनमें बीएचईएल निर्माण इकाईयों में व आस–पास 31 लाख वृक्षों को लगाने, 47 लाख वर्ग मीटर की हरित कवरेज और 110 वर्षा जल संचयन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण को अच्छा बनाने, जल, ऊर्जा, ईंधन, तेल आदि जैसे कीमती संसाधनों का संरक्षण करना है।

विद्युत उत्पादन के लिए बीएचईएल सक्रिय रूप से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विकास एवं अधिग्रहण कर रहा है ताकि ग्राहकों को विद्युत उत्पादन से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को कम से कम करने में समर्थ हो सकें। प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपभोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तथा पर्यावरण हेतु अपने सरोकार पर पुनः बल देने के लिए बीएचईएल ने बॉयलर की कम्ब्यूशन की कुशलता में सुधार लाने और छव्ग उत्सर्जन में कमी लाने के लिए डॉयनामिक क्लासीफायर–प्रणाली का विकास किया है। कंपनी ने अधिक केंद्रित एवं सशक्त रूप में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) शुरू किया है। आंतरिक कार्यान्वयन तथा ग्राहकों के साथ संयुक्त दावा परियोजनाओं में सीडीएम गतिविधि परियोजनाओं की एक व्यापक संदर्भ सूची तैयार की गई है। सीडीएम प्रत्येक इकाई के लिए एक नियोजित गतिविधि है और कार्बन क्रेडिट बजटीय गतिविधि का हिस्सा है।

बीएचईएल ने इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 210 वर्ग मीटर स्पेस ग्रेड सोलर पैनलों तथा 28 स्पेस क्वालिटी बैटरियों की आपूर्ति की है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में बीएचईएल लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में एसपीवी संयंत्रों (कुल 2,15 एम डब्ल्यू ई) के नवीनीकरण एवं प्रचालन तथा अनुरक्षण के आर्डरों को पूरा करेगा। हरित ऊर्जा पहल के अनुरूप, वेस्ट हीट के उपभोग के लिए 100–140 मेगावाट की ऊर्जा कुशल सबसे बड़ी सिंगल सिलिंडर नॉन–रिहीट स्टील टरबाइन का विकास पहले ही कर लिया गया है।

कंपनी ने व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स से व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 2010 हेतु प्रतिष्ठित **स्वर्ण मयूर पुरस्कार** जीता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बीएचईएल ने एक सीएसआर योजना तैयार की है जिसका मिशन है– "प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट नागरिक बनो और अपना हर कदम कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए उठाओ"।

अनेकों कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के (सीएसआर) पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के कल्याण में सक्रिय प्रतिभागिता से समाज के प्रति अपना योगदान करने की परम्परा को पोषित करते हुए बीएचईएल देश में फैले अपने विनिर्माण संयंत्रों और परियोजना स्थलों के निकट स्थित गांवों और समुदायों में रहन–सहन दशाओं तथा स्वच्छता में सुधार लाने तथा शिक्षा को संवर्धित हेतु सामाजिक–आर्थिक तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाता है। आठ क्षेत्रों में स्व–रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास, शिक्षा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा चिकित्सा सहायता, अनाथालय एवं वृद्धाश्रमों, अवसंरचना विकास तथा आपदा/विपदा प्रबंधन में विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अलावा बीएचईएल देशभर में सामाजिक गतिविधियों में स्व कार्यरत विभिन्न एन जी ओ/ट्रस्टों/सामाजिक कल्याण सोसाइटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बीएचईएल ने 2010–11 से सीएसआर नीति अपनाई है। वोकाहर्ड फाउंडेशन द्वारा आयोजित ''सीएसआर थॉट लीडरशिप कॉन्क्लेव'' में कंपनी के प्रयासों की प्रशंसा की गई एवं मान्यता दी गई, और पूंजीगत माल सेक्टर में सीएसआर–क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बीएचईएल को ''इंडिया शाइनिंग स्टार सीएसआर अवार्ड'' प्रदान किया गया। कॉर्पोरेट अभिशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के उत्कृष्ट योगदान के लिए बीएचईएल के सीएमडी को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ''डिस्टिंग्विश्ड फेलो अवार्ड'' प्रदान किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल काम्पैक्ट कार्यक्रम में भागीदारी

विश्व के सबसे बड़े कॉर्पोरेट नागरिक के पहल के रूप में, ग्लोबल कॉम्पैक्ट कार्यक्रम सबसे पहला सरोकार है जो व्यवसाय और बाज़ार की सामाजिक वैधता हो दर्शाता और बनाता है। मानव अधिकारों, श्रम मानदंड, पर्यावरण और भ्रष्टाचार रोधी के प्रमुख मूल्यों को बढ़ावा देने के माध्यम से बीएचईएल सीएसआर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्लोबल कॉम्पैक्ट कार्यक्रम में एक भुमिका निभा रहा है और इन्हें अपनी कार्यनीति एवं संस्कृति का हिस्सा बना लिया है। बीएचईएल ने यूएनजीसी की वेबसाइट पर नियमित प्रगति के सम्प्रेषण (सीओपी) के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है।

कंपनी सार्वजनिक रूप से अपने कर्मचारियों तथा अन्य सहयोगियों का समर्थन करती है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस कांफ्रेंस तथा अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों के माध्यम से ग्लोबल कम्पैक्ट कार्यक्रम में नियमित रूप से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है।

बीएचईएल, तिरूचिपल्ली द्वारा संचालित विशेष बच्चों के लिए स्कूल अरिवलयम को दान में दी बस।

बीएचईएल, भोपाल में वृक्षारोपण अभियान–स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में एक कदम

वर्ष एक नजर में

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2009-10	परिवर्तन (%)
बकाया आर्डर	164145	144300	13.75
प्राप्त आर्डर	60507	59037	2.49
कुल कारोबार	43337	34154	26.89
मूल्य वर्धन	18476	13171	40.28
कर पूर्व लाभ	9006	6591	36.64
कर पश्चात लाभ	6011	4311	39.43
लाभांश	1525	1141	33.65
कॉर्पोरेट लाभांश कर	249	191	30.37
प्रतिधारित अर्जन	4237	2979	42.23
कुल परिसंपत्तियां	57097	46960	21.59
निवल मूल्य	20154	15917	26.62
कुल उधार	163	128	27.34
ऋण : इक्विटी	0.01	0.01	-
प्रति शेयर (रुपयों में) :			
- निवल मूल्य	411.71	325.16	26.62
- अर्जन	122.80	88.06	39.45
आर्थिक मूल्य वर्धन	3793	2670	42.06
कर्मचारी (संख्या)	46748	46274	1.02

कुल कारोबार (₹ करोड़ में)

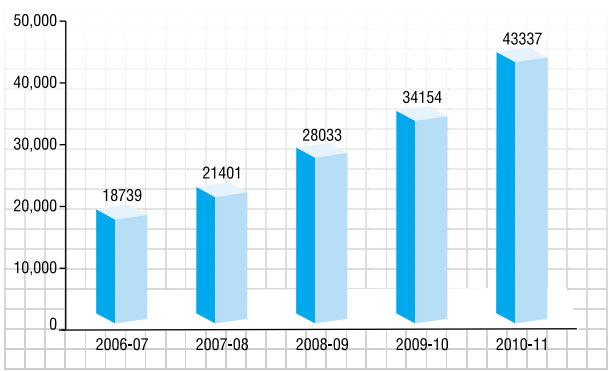

कर–पूर्व लाभ/कर–पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)

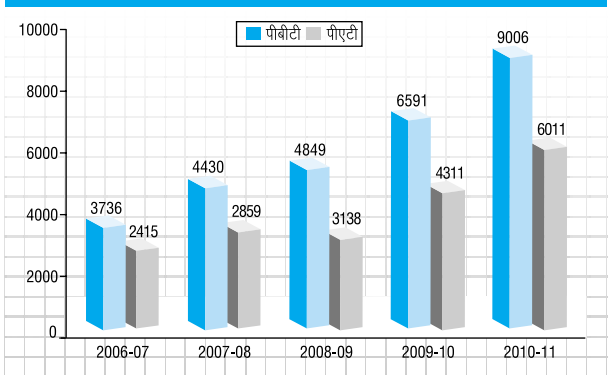

वित्तीय चार्ट

प्राप्त आर्डर (₹ करोड़ में)

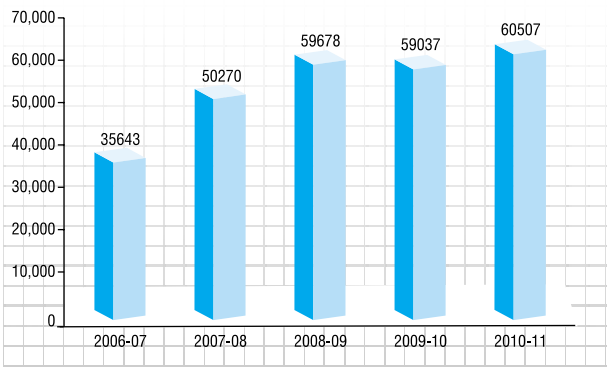

प्रति शेयर निवल मूल्य (₹ में)

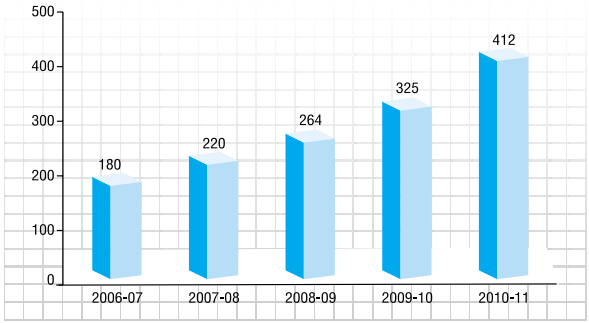

2007–08 में 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए 2006–07 के आंकड़े (चार्ट) बेहतर तुलना के लिए वृद्धित शेयर पूंजी पर आधारित पुनः दिए गए है।

लाभांश अनुपात

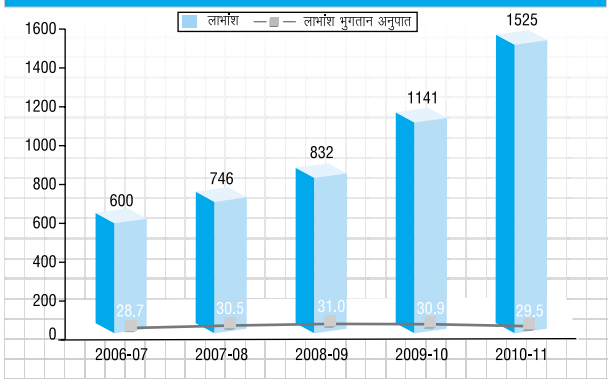

प्रति शेयर अर्जन (₹ में)

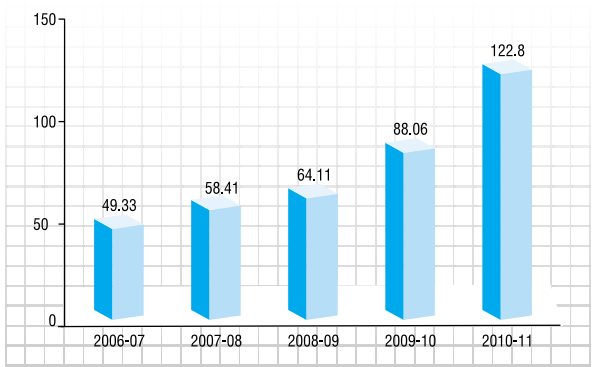

2007–08 में 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए 2006–07 के आंकड़े (चार्ट) बेहतर तुलना के लिए वृद्धित शेयर पूंजी पर आधारित पुनः दिए गए है।

मानव शक्ति (संख्या में)

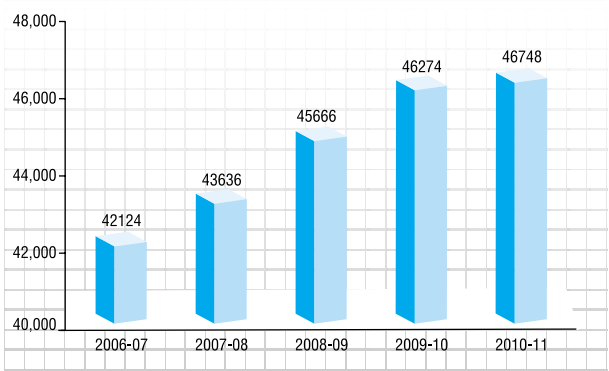

प्रति कर्मचारी कुल कारोबार (₹ करोड़ में)

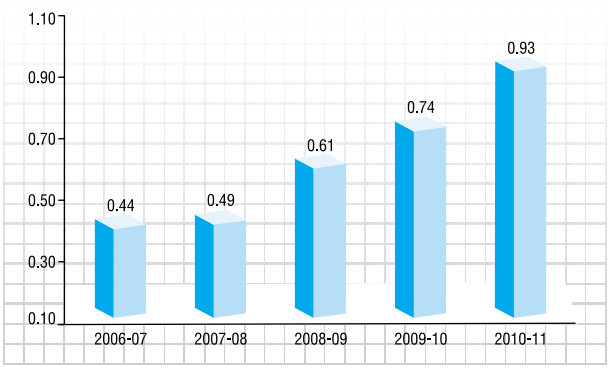

वित्तीय चार्ट

खण्ड–वार राजस्व और परिणाम (₹ करोड़ में)

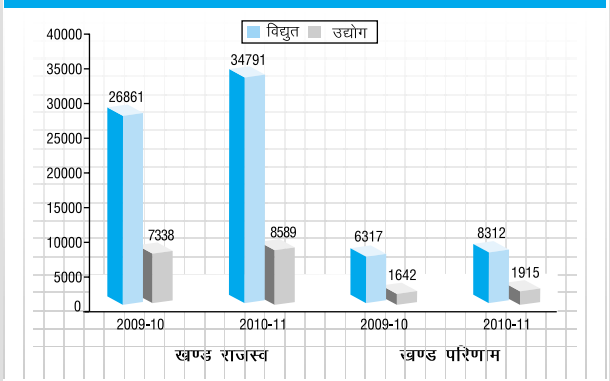

समेकित वित्तीय विवरण कर–पूर्व लाभ/कर–पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)

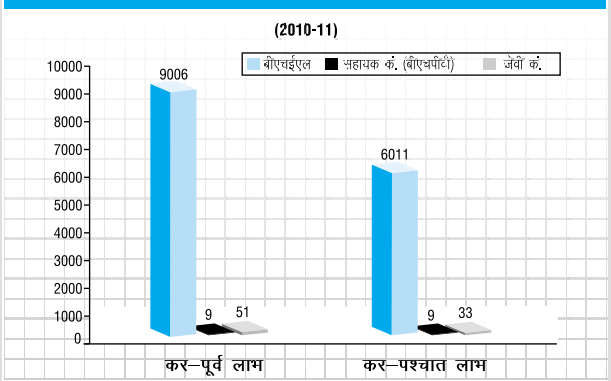

31 मार्च, 2011 को बकाया क्षेत्र–वार आर्डर बुक

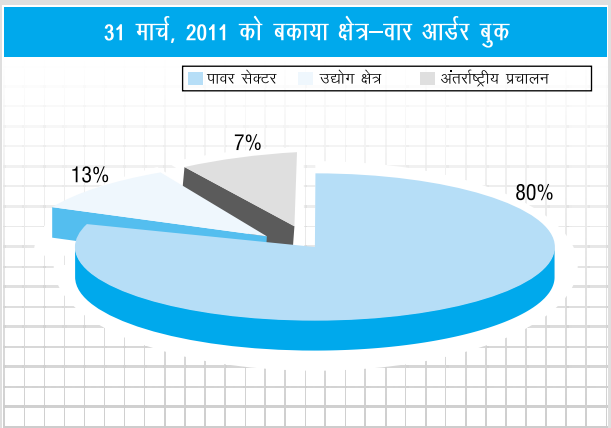

क्षेत्र–वार आर्डर बुक 2010–11

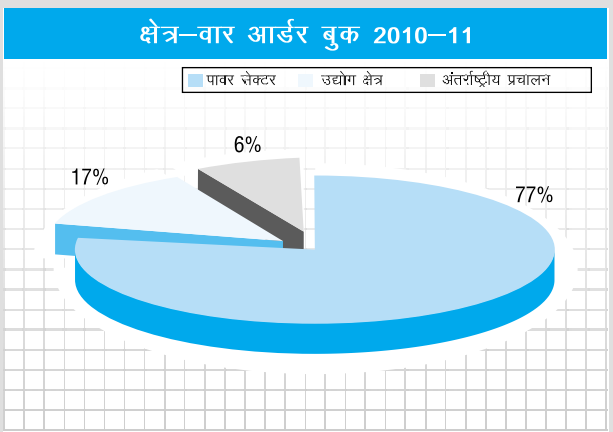

समेकित वित्तीय निष्पादन (₹ करोड़ में)

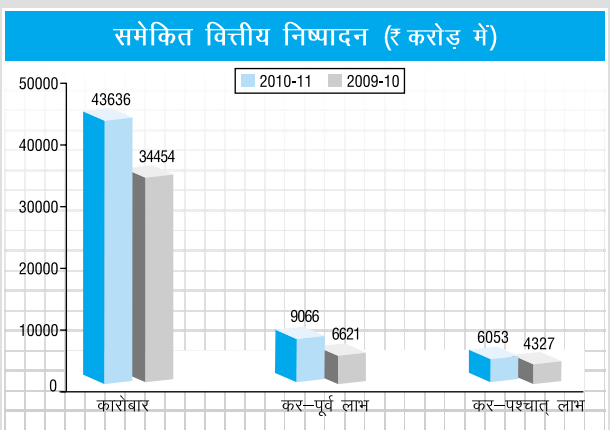

पुरस्कार

बीएचईएल के सीएमडी "सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम योगदान हेतु स्कोप पुरस्कार" भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से प्राप्त करते हुए

बीएचईएल के सीएमडी एवं निदेशक (वित्त) भूतपूर्व केन्द्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्री वीरप्पा मोईली से आई सी डब्ल्यू ए आई पुरस्कार प्राप्त करते हुए

बीएचईएल के निदेशक (ई, आर एंड डी) डा. सैम पित्रोदा, अध्यक्ष राष्ट्रीय उन्नयम परिषद से सी आई आई– थाम्पसन रियूटर्स इन्नोवेशन अवार्ड प्राप्त करते हुए

बीएचईएल के सीएमडी श्री प्रणब मुखर्जी, केन्द्रीय वित्त मंत्री से एनडीटीवी बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2010 प्राप्त करते हुए

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और परिचालन पर 47वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हम अत्यंत प्रसन्न हैं।

वित्तीय निष्पादन

	वित्तीय वर्ष	
(रुपये करोड़ में) सिवाय प्रति शेयर आँकड़ों में	**2010-11**	**2009-10**
क) कुल कारोबार	43337	34154
(ख) मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	9605	7083
((ग) घटाएं : मूल्यह्रास	544	458
(घ) घटाएं : ब्याज और वित्त प्रभार	55	34
(ङ) कर पूर्व लाभ	9006	6591
(च) घटाएं : कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	2995	2280
छ) कर पश्चात लाभ	6011	4311
(ज) जोडें / (घटाएं) : सांविधिक विनियोजन	-	1
(झ) वितरणीय लाभ	6011	4312
(ञ) जोड़ें : विगत वर्ष से अग्रेनीत शेष अग्रेनीत शेष	575	595
(ट) विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष	6586	4907
(i) लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	1525	1141
(ii) कारपोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश में शामिल)	249	191
(iii) सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित	4000	3000
(ठ) लाभ–हानि खाते में शेष राशि, जिसे अग्रेनीत किया जाना है	812	575
(ड) प्रति शेयर अर्जन (₹)	122.80	88.06
(ढ) प्रति शेयर एनएवी (₹)	411.71	325.16
(ण) आर्थिक मूल्यवर्धन (₹ करोड़ में)	3793	2670

महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धियां

वर्ष के दौरान कुल कारोबार 26.89 प्रतिशत बढ़कर पिछले वर्ष के ₹ 34154 करोड़ की तुलना में ₹ 43337 करोड़ हो गया। कुल कारोबार (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) 26.49 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2009–'10 में ₹ 32861 करोड़ के मुकाबले 2010–11 में ₹ 41566 करोड़ हो गया। कर पूर्व लाभ वर्ष 2010–11 में 9006 करोड़ रहा जबकि वर्ष 2009–10 में यह ₹ 6591 करोड़ था। अतः लाभ में गत वर्ष की तुलना में 36.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर पश्चात लाभ ₹ 6011 करोड़ रहा है जबकि वर्ष 2009–10 के दौरान यह ₹ 4311 करोड़ था। इसमें गत वर्ष की तुलना में 39.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में कारोबार में वृद्धि तथा सामग्री लागत में बचत के कारण वर्ष के दौरान बेहतर वित्तीय निष्पादन हुआ है।

कम्पनी का निवल मूल्य ₹ 15917 करोड़ से बढ़कर ₹ 20154 करोड़ हो गया, इस प्रकार इसमें 26.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। प्रति शेयर निवल परिसम्पत्ति मूल्य (एनएवी) 2009–10 में ₹ 325.16 से बढ़कर 2010–11 में ₹ 411.71 करोड़ हो गया है।

लाभांश

निदेशक मंडल ने वर्ष 2010–'11 के लिए 179 प्रतिशत (₹ 17.90 प्रति शेयर) अर्थात ₹ 876.24 करोड़ के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष 2010–11 के लिए ₹ 489.92 करोड की शेयर पूंजी पर 132.50 प्रतिशत (13.25 रुपये प्रति शेयर) अर्थात ₹ 648.61 करोड़ का अंतरिम लाभांश अदा किया जा चुका है। अतः वर्ष 2010–11 के लिए लाभांश का कुल भुगतान पिछले वर्ष में अदा किए गए ₹ 1140.58 करोड़ की तुलना में ₹ 1524.85 करोड़ (लाभांश कर रहित) था।

प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कारपोरेट लाभांश कर के लिए ₹ 142.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अंतरिम लाभांश पर ₹ 107.73 करोड़ का कॉर्पोरेट लाभांश कर पहले से ही अदा किया जा चुका है।

प्राप्त आर्डर

वर्ष के दौरान ₹ 60507 करोड़ मूल्य के आर्डर प्राप्त हुए जबकि वर्ष वर्ष 2009–10 में ₹ 59037 करोड़ के आर्डर प्राप्त हुए थे। क्षेत्र–वार बुक किए गए आर्डर नियुक्तियाँ हैं:

(₹ करोड़ मे)	**2010-11**	**2009-10**
पावर सेक्टर*	46393	41982
उद्योग क्षेत्र*	10375	13484
अंतर्राष्ट्रीय परिचालन	3739	3571
बुक किए गए कुल आर्डर	60507	59037
वर्ष के अंत में शेष आर्डर बुक	164145	144300

*अंतः क्षेत्रीय ऑर्डरों को घटाकर

समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों की तुलना में बीएचईएल का दर्जा निर्धारण

वर्ष 2009–10 के लिए बीएचईएल के कार्यनिष्पादन को भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार 'उत्कृष्ट' का दर्जा दिया गया है। बीएचईएल की समझौता ज्ञापन का मिश्रित अंक '1.17' प्रदान किया गया है।

2010–11 के लिए एमओयू रेटिंग के भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, कम्पनी के स्वंय के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए कम्पनी का निष्पादन को 'उत्कृष्ट' के रूप में है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंध चर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट अनुबंध 1 में दी गई है।

निदेशक मंडल

नियुक्ति

श्री. त्रिम्बकदास एव. जँवर को 12.11.2010 में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री. एस. रवि को 10.03.2011 से अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

श्री. अम्बुज शर्मा, आईएएस, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मन्त्रालय को 15.03.2011 अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्री. एम. के. दुबे को निदेशक (आईएसएंडपी) का कार्यग्रहण करने के लिए 25.06.2011 से अपर निदेशक नियुक्त किया गया।

श्री पी. के . बाजपेयी को निदेशक (वित्त) का कार्यग्रहण करने के लिए 01.07.2011 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (*IV*) के अनुसार सर्वश्री त्रिम्बकदास एव. जँवर, एस. रवि, अम्बुज शर्मा, एम. के. दुबे और पी. के. बाजपेयी कम्पनी की 47वीं वार्षिक आम बैठक तक अपने निदेशक पद पर बने रहेंगे और बैठक में निदेशकों के रूप में निदेशक की नियुक्ति हेतु पात्र हैं।

सेवा समाप्ति

श्री एस. रवि को 29.11.2007 को अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और 28.11.2010 को अपनी अवधि पूरी कर लेने पर वे कम्पनी के निदेशक नहीं हैं।

श्री. राजीव बंसल, आईएएस, संयुक्त सचिव भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय 15.3.2011 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं रहे।

निदेशक मंडल ने श्री. रवि तथा राजीव बंसल को उनके कार्यकाल के दौरान की गई महत्वपूर्ण सेवाओं तथा दिए गए सलाह, मार्ग निर्देशन की प्रशंसा को अपने रिकार्ड में रखा है।

इसके अलावा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 255 व 256 तथा कम्पनी की अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद 67*(i)* के अनुसार में श्रीमती रेवा नैयर, अनिल सचदेव, अतुल सराया वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम में सेवानिवृत होंगे और पात्र होने पर स्वंय की पुनर्नियुक्ति हेतु पेशकश करेंगे।

सूचीकरण करार के खंड 49 *IV (G) (i)* के अनुपालन में, नियुक्त और पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति और उन कंपनियों, जिनमें वे निदेशक और निदेशक मंडल की समितियों में सदस्य रहे हैं, के नाम निदेशकों की रिर्पोट का भाग होकर **अनुबंध–2** में दिए गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

कम्पनी ने भारत सरकार की नीतियों के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन पर जोर देना जारी रखा। वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

1. कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की सुविधा प्रदान करने तथा हिन्दी में काम करने के लिए आवश्यक जानकारी देने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय सहित सभी इकाइयों/प्रभागों में निर्धारित संख्या में हिंदी कार्यशालाएं एवं हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

निदेशक (मा. सं) राजभाषा दिवस पर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री लीलाधर मंडलोई का अभिनंदन करते हुए।

2. कंपनी में हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किए जाने की दिशा में कॉरपोरेट कार्यालय सहित सभी यूनिटों/प्रभागों ने 14.9.2010 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया और सिंतबर, 2010 में हिंदी सप्ताह माह के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

3. कॉर्पोरेट कार्यालय और कम्पनी को प्रमुख इकाइयों/प्रभागों में आयोजित किए गए राष्ट्रीय स्तर के सभी समारोह – जैसे गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि का संचालन हिन्दी में किया गया।

4. कम्पनी की प्रमुख इकाइयों तथा प्रभागों ने वर्ष के दौरान 11 वार्षिक हिन्दी पत्रिकाओं यथा ईडीएन ने भेल चन्दन, ईपीडी ने भेल दर्पण, तिरुचि ने भेल किरण, आईएसजी ने सूर्य किरण आरसीपुरम, हैदराबाद ने भेल यशस्वी, भोपाल ने भेल भारती (छमाही), हरिद्वार ने भेल गंगा, झाँसी ने सृजन, पावर सेक्टर मुख्यालय, नई दिल्ली ने शक्ति पुँज, पावर सेक्टर – उत्तरी क्षेत्र, नोएडा ने अभिव्यक्ति, पावर सेक्टर – पूर्वी क्षेत्र ने पूर्वाभा का प्रकाशन किया। कॉर्पोरेट कार्यालय ने भी वर्ष के दौरान अपनी त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका 'अरुणिमा' के चार अंक प्रकाशित किए।

5. राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली इकाइयों/प्रमाणों को पुरस्कृत करने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने की दिशा में 06 इकाइयों यथा पावर सेक्टर – उत्तरी क्षेत्र, नोएडा, झाँसी, भोपाल, ईडीएन, आईएसजी एवं ईपीडी को अपनी इकाइयों में राजभाषा नीति का उत्कृष्ट अनुपालन करने के लिए राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।

6. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में प्रमुख इकाइयों/प्रभागों तथा कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों ने कई पुरस्कार जीते।

7. संसदीय राजभाषा समिति ने पावर सेक्टर – मुख्यालय समिति ने पावर सेक्टर – मुख्यालय, आरओडी – मुम्बई, पावर सेक्टर – पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता और पावर सेक्टर – उत्तरी क्षेत्र, नोएडा इकाइयों का निरीक्षण किया और सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की और कार्यालयी कार्य में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में हमसे कुछ आश्वासन भी लिए।

8. कॉर्पोरेट राजभाषा कार्यान्वयन विभाग द्वारा सरकार की नीति के अनुसार हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने में मार्गदर्शन करने की दृष्टि बीएचईएल की 14 इकाइयों/प्रभागों का निरीक्षण किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक समझौते में भागीदारी

बीएचईएल संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता (यूएनजीसी) कार्यक्रम तथा मानवाधिकार, श्रम मानक, पर्यावरण और भ्रष्टाचार रोध पर इसके दस सिद्धांतों में शामिल मुख्य मूल्यों के समूह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।

कंपनी एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में वैश्विक समझौता (जीसी) के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का आशय रखती है। बीएचईएल ने शीर्षस्थ भारतीय संगठनों द्वारा गठित एक शीर्ष स्तरीय नोडल एजेंसी वैश्विक समझौता सोसायटी (जीसीएन) के माध्यम से अन्य भारतीय संगठनों में वैश्विक समझौता के सिद्धांतों के संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभाई है। सचिव, वैश्विक समझौता सोसायटी बीएचईएल के नामिती होने के कारण बीएचईएल सोसायटी के सभी कार्यकलापों में अग्रणी बना हुआ है। वर्ष के उल्लेखनीय कार्यकलापों में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तथा भारतीय संदर्भ में मामला अध्ययनों/संगठनात्मक अनुभवों के आदान–प्रदान, वैश्विक कम्पैक्ट सिद्धांतों का अनुपालन के समाधान करना शामिल हैं।

वैश्विक समझौता कार्यक्रम के समर्थन में बीएचईएल के योगदान और प्रगति पर उल्लेखनीय संप्रेषण के मान्यतास्वरूप संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता ने बीएचईएल को 'उल्लेखनीय सीओपी' में रखा है।

बीएचईएल अपने सभी पणधारियों को सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद कार्य वातावरण प्रदान करने के अतिरिक्त, अपने सभी कार्यकलापों, उत्पादों और सेवाओं में एक पर्यावरण अनुकूल कंपनी है और इसने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता कार्यक्रम को कंपनी की कार्यनीति, संस्कृति और दिन–प्रतिदिन के परिचालनों का हिस्सा बनाया है।

सतर्कता

बीएचईएल के सतर्कता संगठन का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी है। बीएचईएल की प्रत्येक इकाई क्षेत्र में वरिष्ठ सतर्कता कार्यपालक के नेतृत्वाधीन एक सतर्कता ढांचा है, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं।

पूर्ववर्ती वर्षों की तरह, 2010–11 के दौरान बीएचईएल सतर्कता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक निवारक सतर्कता रही। सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सतर्कता प्रशासन में सुधार करने के लिए निवारक सतर्कता को प्राथमिकता को प्रोएक्टिव तथा भविष्यवाची सतर्कता पर शिफ़्ट करने के प्रयास किए गए।

कम्पनी की नीतियों, नियमों और प्रतिक्रियाओं की जानकारी न होने या उनकी गलत व्याख्या खामियों/अनियमितताओं को बढ़ावा मिलता है। संगठन के कर्मचारियों के बीच इस जागरूकता का सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके किया जाता है। वर्ष 2010–11 के दौरान बीएचईएल की विभिन्न यूनिटों, क्षेत्रों तथा

कार्यालयों में ऐसे 67 कार्यक्रम आयोजित किए गए। कम्पनी के नियमों, कार्यविधियों तथा नीतियों के बारे में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लाइन कार्यपालकों के साथ विचार–विमर्श सत्र आयोजित किए गए। प्रणाली को अधिक प्रभावी और मारदर्शी बनाने के लिए सतर्कता विभाग ने 2010–11 के दौरान प्रणाली अध्ययन किया। प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए। सुधार के लिए दिए गए प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं:

- विक्रेता पंजीकरण कार्य विधि में संशोधन
- क्रय नीति
- रिवर्स नीलामी दिशानिर्देश
- टेंडर किए गए कार्यक्षेत्र/विशिष्टताओं में स्वीकृत वियलनों के कारण प्रस्तावों की वित्तीय लोडिंग के मापदंड

सीवीसी निर्देशों के अनुसार, कम्पनी ने वास्तविक समय के आधार पर वेब पर सभी संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की हैं। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक जाँच की जाती हैं:

- क्रय आदेशों की स्थिति, हर महीने पूरे किए कार्य संविदाओं की स्थिति, सीवीसी फ़ॉर्मेट में सभी इकाइयों द्वारा डाउनलोड की जाती हैं।
- विक्रय पंजीकरण के सम्बन्धित कार्यविधि एवं फ़ॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- विक्रेता पंजीकरण की स्थिति को वेब पर डाला जाता है और विक्रेता इसे देख सकते हैं।
- पूरे संगठन में विक्रय बिलों का ई–भुगतान किया जाता है विक्रेता बिलों के भुगतान में नियमतःपहले आओ पहले पाओ सिद्धान्त का पालन किया जा रहा है।
- विक्रेता बिलों के भुगतान की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
- इन्डेट ऑनलाइन किए जाते हैं।
- विक्रेता पंजीकरण, बिलों को पास करने आदि की सूचना से सम्बन्धी नियम/कार्यविधि बीएचईएल/इकाइयों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सुरक्षा

कम्पनी का सुरक्षा तंत्र पर्याप्त है और प्रत्येक संयंत्र/इकाई को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि कम्पनी के अधिकांश संयत्रो की सुरक्षा सीआईएसएफ द्वारा की जाती है फिर भी कम्पनी की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। अन्य संयंत्रों, कॉर्पोरेट कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख पुनर्वास महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मैसर्स ईएटीएस अथवा एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन जैसी निजी एजेंसियों द्वारा की जाती है।

कम्प्यूटरों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय किए गए हैं। इलैक्ट्रानिक विभाग, भारत सरकार (एसआरएसी) ने की हमारे साफ्टवेयर सुरक्षा तंत्र का निरिक्षण कराया है और उनके सुझाव क्रियान्वित किए गए हैं।

प्रमुख संयंत्रों की सुरक्षा लेखापरीक्षा अधिकारिक रूप में आसूचना ब्यूरो द्वारा की जाती है और उनके द्वारा इंगित किए जाने पर अतिरिक्त अपेक्षाएँ संबंधित यूनिटों द्वारा तत्काल पूरी की जाती है। सुरक्षा की समीक्षा समय–समय पर आंतरिक रूप में भी की जाती है। प्रबंधन, सुरक्षा स्टॉफ तथा कम्पनी के कर्मचारियों को कम्पनी की सुरक्षा जरूरतों से सचेत किया जाता है।

सन्धारणीयता

सन्धारणीयता कम्पनी की रणनीति का एक अभिन्न भाग है। बीएचईएल अपने सभी क्रियाकलाप क्षेत्रों, उत्पादों और सेवाओं में पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाने, सुरक्षित तथा स्वस्थ कामकाजी माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कम्पनी की कार्यनीति के अनुरूप पर्यावरण सुधार परियोजनाओं और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाता है। विगत में बीएचईएल संयंत्रों तथा टाउनशिप में पूरी की गई पर्यावरण सुधार परियोजनाओं में वृक्षारोपण अभियान, वर्षा जल सन्चयन संयन्त्र, कुशल जल एवं ऊर्जा प्रबन्धन, ध्वनि स्तर में कमी, रसायन भंडारण में सुधार और उसकी हैंडलिंग प्रणाली अवधि शामिल हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी बीएचईएल स्कीम पिछले वर्षों में विकसित की गई है और सर्वोच्च प्रबंधन द्वारा इसे एक नीतिगत विवरण के रूप में इस सिद्धांत पर पृष्ठांकित किया गया है कि बीएचईएल एक प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट नागरिक है और इसका कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व केवल व्यवसाय और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के बीच सहक्रिया बनाना ही नहीं है बल्कि व्यवसाय रणनीति का एक अभिन्न भाग बनाना है।

कम्पनी की सभी विनिर्माण इकाइयाँ/क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय मानक तथा आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबन्धन प्रमाणन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबन्ध हेतु प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं।

निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में एतद्द्वारा यर पुष्टि की जाती है कि :

(i) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय महत्वपूर्ण वियलक के संबंध में समुचित व्याख्या के साथ –साथ लागू लेखाकरण मानकों' का अनुपालन किया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के अंत में कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ–हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखा का समुचित रिकार्ड रखे जाने पर उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया।

(iv) निदेशकों ने 'गोइंग कंसर्न' आधार पर 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किया है।

कॉरपोरेट अभिशासन

सूचीकरण करार के खंड 49 की अपेक्षा अनुसार निम्नलिखित के साथ कॉरपोरेट अभिशासन की विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध 3 में दी गई है।

(i) सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र (खंड 49 (ट) के अनुसार), और

(ii) कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र (खंड 49 (vii) के अनुसार

अन्य प्रकटन

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय से संबंधित कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटन) नियम, 1998 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) (ड) के उपबंधों के अनुसार सूचना अनुबंध–iv में दी गई है।

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अधीन किसी भी कर्मचारी ने वर्ष के दौरान विहित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक नहीं किया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 212 के अनुपालनार्थ सहायक कंपनी का विवरण अनुबंध–v में दिया गया है।

लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। वर्ष 2010–11 के लिए नियुक्त लेखापरीक्षकों के नाम वार्षिक रिपोर्ट के अलग से मुद्रित है।

2010–11 के लिए नियुक्त किए गए लागत लेखापरीक्षकों का विवरण तथा लागत लेखापरीक्षा विवरण का मुद्रण वार्षिक रिपोर्ट में अलग से किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित बिंदुओं के उत्तर तथा भारत के नियंत्रण एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणीयों के उत्तर अनुबंध–vi में दिए गए है।

आभार

निदेशक मंडल कंपनी के भारत और विदेश में महत्वपूर्ण ग्राहकों के प्रति संगठन में उनके द्वारा व्यक्त विश्वास और प्रदान किए गए सहयोग के लिए हार्दिक सराहना करता है और भविष्य में आपस में सहयोगपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की आशा करता है।

निदेशक मंडल कंपनी के परिचालन और विकास संबंधी योजनाओं में भारत सरकारके विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर भारी उद्योग विभाग से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, सांविधिक लेखापरीक्षकों, शाखा लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों का भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कंपनी सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निरंतर सहयोग और वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकरों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त करती है। निदेशक मंडल बीएचईएल परिवार के सभी सदस्यों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता है, जिनके उत्साह, समर्पण और सहयोग से उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन संभव हो सका।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2011

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–1

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

क. वित्तीय परिचालन

कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का विश्लेषण

(1) वित्तीय परिणाम

तुलनपत्र

1. शेयर पूंजी

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वष 2009-10
प्राधिकृत शेयर पूंजी	2000	2000
जारी अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी	490	490

वर्ष 2010–11 के दौरान शेयर पूंजी में कोई परिर्वतन नही हुआ ।

2. प्रारक्षित निधि और अधिशेष

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
प्रारक्षित पून्जी	3	3
सामान्य प्रारक्षित निधि	18850	14850
लाभ और हानि खाते	812	575
	19665	**15428**

प्रारक्षित निधि और अधिशेष लाभांश वितरण पश्चात लाभ जोड़ने के बाद वर्ष 2010–'11 में 4237 करोड़ रुपये बढ़ गया।

3. ऋण निधियां

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वष 2010-11	वित्तीय वष 2009-10
रक्षित ऋण -	-	
अरक्षित ऋण	163	128

आरक्षित ऋण पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां दर्शाता है।

ऋण इक्विटी अनुपात

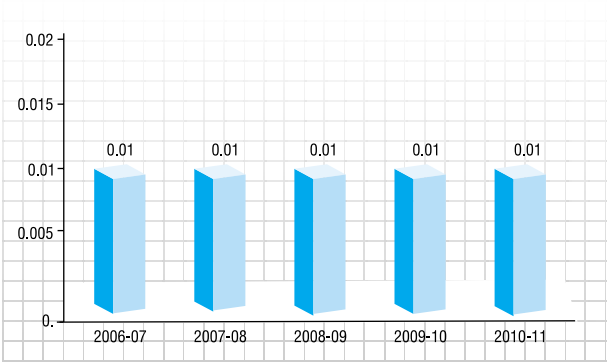

4. स्कायी परिसंपत्तियां

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
सकल ब्लॉक	8050	6580
घटाएं– मूल्यह्रास/परिशोधन	4649	4151
घटाएं– पट्टा समायोजन लेखा	-	14
निवल ब्लॉक	3401	2415
चालू पूंजीगत कार्य	1762	1550

वर्ष के दौरान विभिन्न उत्पादन यूनिटों तथा परियोजना स्थलों पर सुविधाओं की स्थापना और इन्हें चालू करने पर किए गए पूंजीगत व्यय के कारण सकल ब्लॉक और चालू पूंजीगत निर्माण कार्य मे क्रमशः 1470 करोड़ रुपये और 212 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

5. निवेश

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
दीर्घावधि व्यापार निवेश	439	80

मुख्य रूप से संयुक्त उपक्रम कंपनियों में 359 करोड़ रुपये के इक्विटी के कारण दीर्घावधि भागीदारी व्यापार निवेश में वृद्धि हुई है।

6. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	2164	1527

मुख्य रूप से प्रावधानों में वृद्धि के कारण आस्थगित कर आस्तियों में 637 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

7. मालसूची

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
मालसूची	10963	9235

परिचालनों की मात्रा में वृद्धि के अनुरूप मालसूची पिछले वर्ष की तुलना में 1728 करोड़ रुपये बढ़ गई। कुल कारोबार के दिनों के रूप में यह वर्ष 2009–10 में 99 दिनों से घटकर वर्ष 2010–11 में 93 दिन रह गई।

8. विविध देनदार (निवल)

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
विविध देनदार (सकल)	27355	20689

कुल कारोबार के दिन के रूप में यह वर्ष 2009–10 में 221 दिनों से बढ़कर 2010–11 में 230 दिन हो गई। मुख्य रूप से जो आस्थगित ऋणों में वृद्धि के कारण हैं।

9. नकद और बैंक अधिशेष

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
नकद और बैंक शेष	9630	9790

नकद और नकद समतुल्य वर्ष 2009–10 में 9790 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2010–11 में 9630 करोड़ रुपये थे।

10. ऋण और अग्रिम तथा अन्य चालू परिसंपत्तियां

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
ऋण तथा अग्रिम	3237	2793
अन्य चालू परिसंपत्तियां	310	407

परिचालन के स्तर में वृद्धि के अनुरूप और अग्रिमों 444 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है। अन्य चालू परिसंपत्तियां बैंक जमाओं और निवेशों पर उपार्जित ब्याज प्रदर्शित करती हैं।

कुल कारोबार के दिनों की संख्या में मालसूची/देनदार

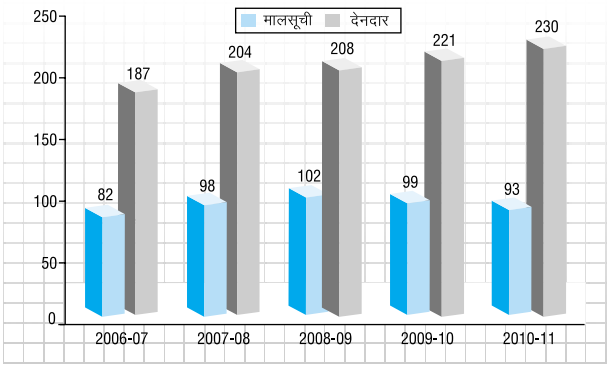

11. चालू देयताएं और प्रावधान

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
चालू देयताएं	31347	28024
प्रावधान	7597	4418

चालू देयताओं में वृद्धि मुख्यतः ग्राहकों से अग्रिमों में 1200 करोड़ रुपये तथा विविध लेनदारों और देयताओं में 2123 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण है। प्रावधान में मुख्य रूप से वृद्धि वारंटी प्रावधानों पर संशोधित नीति के अनुसार संविदागत देयताओं हेतु प्रावधानों में वृद्धि के कारण है।

लाभ–हानि खाता

12. कुल कारोबार

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
सकल कुल कारोबार	43337	34154
घटाएं– उत्पाद कर तथा सेवा कर	1771	1292
निवल कारोबार	41566	32862

वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क को छोड़कर कुल कारोबार में 26.49 प्रतिशत वृद्धि हुई। कंपनी के कुल राजस्व में पावर खंड और उद्योग खंड ने क्रमशः 79 प्रतिशत और 21 प्रतिशत का योगदान दिया।

13. अन्य आय

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
अन्य परिचालन आय	680	493
अन्य आय	394	347
ब्याज आय	627	808
	1701	1648

वर्ष के दौरान अन्य आय में 53 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। प्रचालन की मात्रा में वृद्धि के अनुरूप है और हमारा आय में कमी घटी ब्याज दरों और अन्य अल्प–अवधि निवेश में कमी के कारण हैं।

14. सामग्री की खपत, स्थापना और इंजीरियरी व्यय

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
सामग्री की खपत, स्थापना और इंजीनियरी व्यय	23209	20672

कुल कारोबार /प्रचालन में 26.89 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण समाग्री की खपत, इरेक्शन एवं इंजीनियरिंग व्यय में ₹ 2537 करोड़ या 12.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण कुल कारोबार/प्रचालन मात्रा में 26.89 प्रतिशत की वृद्धि है। निवल कारोबार प्रतिदान के रूप में 2009–10 के 62.91 प्रतिशत से घटकर 2010–11 में 55.84 प्रतिशत रह गया। (59.83 प्रतिशत नीति में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त कारोबार के प्रभाव को हिसाब में न लेने पर) (अनुसूची 19 की टिप्पणी 13 देखें)

15. कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा लाभ	5397	6993
वापस लिया गया प्रावधान प्रावधान	-	1749
निवल कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	5397	5244

कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ 2009–10 के ₹ 5244 करोड़ से बढ़कर 2010–11 में ₹ 5397 करोड़ हो गया है। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ में पेशंन योजना प्रावधान भी शामिल है।

16. विनिर्माण, प्रषासन बिक्री और वितरण के अन्य व्यय

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण के अन्य व्यय	2536	2065

कंपनी के परिचालन स्तर में वृद्धि के कारण वर्ष 2009–10 की तुलना में उत्पादन, प्रशासन, बिक्री और वितरण के अन्य व्ययों में 471 करोड़ रुपये अथवा 22.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

17. प्रावधान (निवल)

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
प्रावधान (निवल)	2715	(-) 934
घटाएँ : वेतन संशोधन के लिए वापस किए गए प्रावधान	-	1749
	2715	815

प्रावधान (निवल) में वृद्धि मुख्य रूप से वारंटी प्रावधानों की संशोधित नीति में संविदागत देयताओं हेतु प्रावधानों में वृद्धि के कारण हैं।

18. ब्याज तथा अन्य उधार लेने की लागत

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
ब्याज और अन्य उधार लेने की लागत	55	34

ब्याज लागत वर्ष के दौरान वित्तीय पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों पर पट्टा किराये को ब्याज संघटक और अन्य अवधि के ऋण पर ब्याज दर्शाता है।

19. मूल्यह्रास

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
मूल्यह्रास	544	458

मूल्यह्रास में ₹ 86 करोड़ की वृद्धि परिसंपत्तियों के कमीशनिंग पर सकल ब्लॉक में वृद्धि के कारण है।

20. कराधान हेतु प्रावधान

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
आय कर – चालू	3712	2006
– पिछले वर्ष	(-) 81	(-) 34
आस्थगित कर	(-) 636	313
अनुंषगी कर लाभ – चालू	-	(-) 5
	2995	2280

वर्ष में लाभ में वृद्धि के अनुरूप कराधान के प्रवधान में वृद्धि हुई

21. कर पष्चात् लाभ

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
कर पश्चात् लाभ	6011	4311

वर्ष के लिए निवल लाभ में ₹ 1700 करोड़ अथवा 39.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

22. लाभांष

कंपनी ने वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 489.52 करोड़ की शेयर पूंजी पर 132.50 प्रतिशत (₹ 13.25 प्रति शेयर) अर्थात ₹ 648.61 करोड़ का अंतरिम लाभांश अदा किया है। निदेशक मंडल ने 179 प्रतिशत (₹ 17.90 प्रति शेयर) अर्थात ₹ 876.24 करोड़ के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है।

वर्ष 2010–11 के लिए लाभांश का कुल भुगतान पिछले वर्ष में ₹ 1140.58 करोड़ की तुलना में ₹ 1524.85 करोड़ (लाभांश कर रहित) है।

प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर के लिए ₹ 142.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अंतरिम लाभांश पर ₹ 107.73 करोड़ का कॉर्पोरेट लाभांश कर अदा किया जा चुका है।

23. सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरण

गत वर्ष में ₹ 3000 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010–11 के लिए ₹ 4000 करोड़ की राशि सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है।

(ii) सहायक कंपनी की वित्तीय पुनरीक्षा

क) भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड

कंपनी ने 100 प्रतिशत सहायक कंपनी के रूप में दिनांक 10.05.2008 से भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) का अधिग्रहण कर लिया है। बीएचईएल पर्याप्त प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता से कम्पनी के पुर्नजीवत करने की प्रक्रिया में हैं। 2010–11 में बीएचईएल ने ₹ 136.98 करोड़ के कारोबार पर ₹ 8.78 करोड़ का लाभ कमाया।

बीएचपीवी की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है–

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010 -11	वित्तीय वर्ष 2009-10
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	₹ 1 पर	₹ 1 पर
शेयरों को जारी करने के लि अग्रिम	34.00	34.00
कुल कारोबार	136.98	104.31
कर पश्चात् लाभ	8.78	(-) 8.60

ख) बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड

19 जनवरी, 2011 को बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड के नाम से एक सहायक कम्पनी का निगमन किया गया जिसने बीएचईएल के पास 51% का मुख्य अंश है और केन्द्र सरकार के पास 49% है। बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लि. एल्टर्नेटरों तथा अन्य रोटेटिंग विद्युत मशीनों का निर्माण करेगी।

(iii) संयुक्त उपक्रम कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

क) बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)

बीजीजीटीएस, बीएचईएल तथा जीई, यूएसए के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। इसका गठन जीई द्वारा डिजाइन की गई गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विस के लिए किया गया है। कंपनी वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है–

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	2.38	2.38
कुल कारोबार	418.52	434.54
कर पश्चात् लाभ	57.36	50.42
निवल मूल्य	91.34	70.58

पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में कमी आई है, जिसमें आरजीपीपीएल से हुई 23 करोड़ रुपए की बिक्री शामिल है। जबकि इस दिशा में चालू वर्ष में कोई बिक्री नहीं हुई।

ख) एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीपीएल)

विद्युत क्षेत्र में ईपीसी कार्यों के निष्पादन के लिए 28 अप्रैल, 2008 को बीएचईएल तथा एनटीपीसी के बीच संयुक्त उपक्रम शुरू किया गया। इसकी वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैः–

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	25.00	25.00
कुल कारोबार	106.49	2.30
कर उपरांत लाभ	9.26	(-) 0.76

ग) उड़नगुड़ी पावर कार्पोरेषन लिमिटेड

उडनगुडी में 1600 मेगावाट (2x800 मेगावाट) सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट निर्मित, प्रापण एवं परिचालन के लिए बीएचईएल तथा टीएनईबी में दिनांक 26 दिसंबर, 2008 को एक संयुक्त उपक्रम शुरू किया गया है। यह निगम तमिलनाडु में उडनगुडी, तूतीकोरिन जिले में 2x800 मेगावाट क्षमता का एक थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया में ही कम्पनी ने अपेक्षित पर विकास कार्य जारी है।

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010-11*	वित्तीय वर्ष 2009-10
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	32.50	5.00
निवल ब्लॉक	29.14	0.37
प्रगति में पून्जीगत कार्य	32.51	4.55

*अंनतिम आंकड़ों के आधार पर

घ) रायचुर पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

बीएचईएल के बनाने, अपनाने और परिचालित करने के आधार पर कर्नाटक में सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के हेतु कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कम्पनी प्रवर्तित किया है। इस संयुक्त उद्यम को ''रायचुर पावर कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से 15 अप्रैल, 2009 को निगमित किया गया।

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010-11*	वित्तीय वर्ष 2009-10
इक्विटी बीएचईएल का निवेश	331.52	5.00
निवल ब्लॉक	0.04	0.02
प्रगति में पून्जीगत कार्य	843.13	-

*अंनतिम आंकड़ों के आधार पर

ड) दादा धुनीवाले खांडवा पावर लिमिटेड

बीएचईएल ने बनाने अपनाने और परिचालित करने के आधार पर खाण्डवा, मध्यप्रदेश में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम प्रवर्तित किया है। यह संयुक्त उद्यम ''दादा धुनीवाले खाण्डवा पावर लिमिटेड'' के नाम 25 फरवरी, 2010 को निगमित किया गया था। बीएचईएल संयुक्त उद्यम की इक्विटी ₹ 2.50 करोड़ निवेश किए है।

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010-11*	वित्तीय वर्ष 2009-10
इक्विटी बीएचईएल का निवेश	2.50	2.50
निवल ब्लॉक	0.02	-

*अंनतिम आंकड़ों के आधार पर

च) बराक पावर प्राइवेट लिमिटेड

बीएचईएल तथा पीटीसी के बीच दिनांक 1 सितंबर, 2008 को संयुक्त उपक्रम शुरू किया गया। बीएचईएल ने इक्विटी भागीदारी के लिए ₹ 5 लाख का योगदान किया है। यह संयुक्त उद्यम परिसमापन के अधीन है।

छ) पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड

बीएचईएल तथा सीमेन्स के बीच संयुक्त उपक्रम अभी परिसमापन अधीन है।

(iv) समेकित वित्तीय विवरण (सीएफ़एस)

''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर'' समेकित वित्तीय विवरण तथा लेखांकन मानक – 27 पर लेखांकन मा. क्र. 21 के अनुसार समेकित वित्तीय तैयार किए गए हैं।

उक्त लेखांकन मानदंड के अनुसार इंट्रा ग्रुप लेन–देन को समाप्त करने के बाद वित्तीय कार्यनिष्पादन के परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है :–

आंकड़े ₹ करोड़ में

	2010-11	2009-10	2009–2010 की तुलना में प्रतिषत की वृद्वि
लाभ व हानि खाता			
कुल कारोबार	43636	34454	26.65
कर पूर्व लाभ	9066	6621	36.93
कर पश्चात लाभ	6053	4327	39.89
तुलन पत्र			
निधियों के स्त्रोत			
शेयरधारक निधि	20155	15896	26.79
ऋण निधियाँ	270	148	82.43
कुल	20425	16044	27.31
निधियों का उपयोग			
निवल ब्लॉक (सीडब्ल्यूआईपी)	5813	4161	39.70
निवेश	11	6	83.33
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	2165	1529	41.60
निवल चालू परिसम्पत्तियाँ	12432	10346	20.16
अन्य	4	2	
कुल	20425	16044	27.31

विद्युत क्षेत्र

ईपीएस आधार बीएचईएल द्वारा कमीशन किया गया 2x600 मेगावाट उत्तरी चेन्नई टीपीएस जिसमें देश की पहली अधिक क्षमता की नई सीरीज का टरबो जेनरेटर लगा हुआ है।

ख. व्यवसाय खण्ड का कार्यनिष्पादन

पावर सेक्टर

आर्डर बुक

वर्ष 2010–11 के दौरान पावर सेक्टर मार्केटिंग ने प्रत्यक्ष रूप से 15,071 मेगावॉट के अनुरूप ₹ 44,341 करोड़ के मूल्य के ऑर्डर प्राप्त किए।

वर्ष के मुख्य उपलब्धियाँ:

सार्वजनिक तथानिजी क्षेत्र की यूटिलिटी से 660/700/800 मेगावॉट की रेटिंग के सुपर क्रिटिकल पैरामीटर के साथ मुख्य संयन्त्र उपकरण के रिकॉर्ड ऑर्डर प्राप्त किए।

- सुपर क्रिटिकल पैरामीटर के साथ 660/700/800 मेगावॉट रेटिंग की यूनिटों (09 टर्बाइन जेनरेटर सेटों और 7 स्टीम जेनरेटर सेटों) के रिकॉर्ड ऑर्डर जिसमें शामिल हैं:
- कड़ी प्रतिस्पर्धा में केपीसीएल के बेल्लारी–3 (1x700 मेगावॉट) के लिए नई 700 मेगावॉट रेटिंग का पहला ऑर्डर।
- बीएचईएल एवं राज्य सरकार की यूटिलिटी के संयुक्त उद्यम रायचूर पावर कम्पनी लिमिटेड से 2x800 मेगावॉट येरामारूस टीपीएस के लिए सुपर क्रिटिकल सेटों के लिए पहला ऑर्डर तथा इसके बाद इदलापुर टीपीएस के लिए 1x800 मेगावॉट का ऑर्डर।
- एनटीपीसी से 2x660 मेगावाट मौदा टर्बाइन जेनरेटर पैकेज के लिए बल्क टेन्डर के प्रति ऑर्डर।
- इंडिया बुल्स ग्रुप से 270 मेगावॉट के 10 सेटों का रिपीट ऑर्डर (5x270 मेगावॉट नासिक फ़ेज़–II एवं 5x270 मेगावॉट अमरावती फ़ेज़–II)।
- डब्ल्यूबीपीडीसीएल से सागरदीघी टीपीईपी स्टेज–II (2x500 मेगावॉट) का ऑर्डर, जिन्होंने परियोजना (2x300 मेगावॉट) से स्टेज–I (कमीशन किया जा चुका है) का ऑर्डर चीनी आपूर्तिकर्ता को दिया था।
- नए ग्राहकों में शामिल हैं:
  - वीज़ा पावर लिमिटेड
  - दैनिक भास्कर पावर लिमिटेड (डीबीपीएल)
  - बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड
  - रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)

पावर सेक्टर में प्राप्त महत्वपूर्ण ऑर्डरों में शामिल हैं –

सुपर क्रिटिकल थर्मल सेट (6400 मेगावॉट):

- **कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) में प्राप्त आर्डर।**
  - केपीसीएल के 1x700 मेगावॉट बेल्लारी सीपीएस
  - बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड के 3x660 मेगावॉट ललितपुर टीपीएस
  - एनटीपीसी से बल्क टेन्डर में 2x660 मेगावॉट मौदा टीजी पैकेज
  - जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड से नीगरी एसटीपीपी (2x660 मेगावॉट) के लिए तथा प्रयागराज पावर जेनरेशन कम्पनी लि. (जेपी ग्रुप) से बाड़ा एसटीपी हेड (3x660 मेगावॉट) का पैकेज ऑर्डर।
- **सौदेबाज़ी के आधार पर प्राप्त ऑर्डर:**
  - बीएचईएल एवं केपीसीएल (कर्नाटक राज्य सरकार की यूटिलिटी) के संयुक्त उद्यम – रायचूर पावर कम्पनी लिमिटेड से 2x800 मेगावॉट येरामारुस टीपीएस सुपरक्रिटिकल विद्युत परियोजना।
  - बीएचईएल एवं केपीसीएल (कर्नाटक राज्य सरकार की यूटिलिटी) के संयुक्त उद्यम – रायचूर पावर कम्पनी लिमिटेड से 1x800 मेगावॉट इदलापुर टीपीएस सुपरक्रिटिकल विद्युत परियोजना।

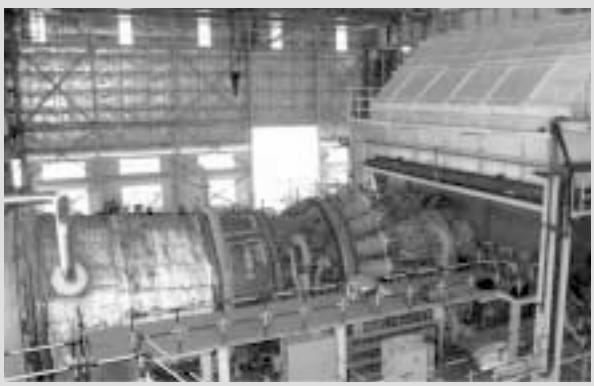

बीएचईएल द्वारा निर्मित भारत का प्रथम स्वदेश में निर्मित 9एफ ए (250 मेगावाट आईएसओ) गैस टरबाईन सेट

2X600 *मेगावाट डीबीपीएल टीपीएस के लिए डीबीपीएल एवं बीएचईएल के बीच संविदा पर हस्ताक्षर करते हुए*

सबक्रिटिकल थर्मल सेट (7,800 मेगावॉट):

- **कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) में प्राप्त ऑर्डर**
  - ❒ इंडिया बुल्स ग्रुप से अमरावती फ़ेज़–II के लिए 270 मेगावॉट के 5 सेट पिछले वर्ष फ़ेज़–I के लिए 270 मेगावॉट के 5 सेटों का ऑर्डर किया था।
  - ❒ दैनिक भास्कर पावर लिमिटेड, वीज़ा पावर लिमिटेड तथा कोरबा वेस्ट पावर कम्पनी लिमिटेड से 600 मेगावॉट के 5 सेट।
  - ❒ पश्चिमी बंगाल विद्युत विकास कॉर्पोरेशन लि. से सागरदीघी टीपीईपी स्टेज–II के लिए 500 मेगावॉट के 2 सेट।
- **सौदेबाज़ी के आधार पर प्राप्त ऑर्डर**
  - ❒ इंडिया बुल्स ग्रुप से नासिक फ़ेज़–II के लिए 270 मेगावॉट के 5 सेट – पिछले वर्ष फ़ेज़–II के लिए 270 मेगावॉट से 5 सेटों का ऑर्डर।
  - ❒ एपीजेनको से रायलसीमा #6 के लिए 600 मेगावॉट का 1 सेट।
  - ❒ राज्य विद्युत बोर्ड को बरौनी टीपीएस के लिए 250 मेगावॉट के 2 सेट।

गैस टर्बाइन (871 मेगावॉट):

- **सौदेबाज़ी के आधार पर प्राप्त ऑर्डर**
  - ❒ प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 750 मेगावॉट बामनौली सीसीपीपी (750 मेगावॉट)
  - ❒ उत्तर–पूर्व बिजली विद्युत निगम (नीपको) से मोनारचक (100 मेगावॉट) तथा त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लि. से रोखिया (21 मेगावॉट) के लिए जीटीजी का ऑर्डर।

न्यूक्लियर व्यवसाय:

- **सौदेबाज़ी के आधार पर प्राप्त ऑर्डर**
  - ❒ केएपीपी 3 एवं 4 के लिए एनपीसीआईएल के 2x700 एमडब्ल्यूई टीजी पैकेज – न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रथम 700 एगडब्ल्यूई टीजी ऑर्डर।

स्पेयर्स एवं सेवाएँ व्यवसाय समूह (एसएसबीजी)

एसएसबीजी ने स्पेयर्स के लिए ₹ 1651 करोड़ सेवाओं के लिए ₹ 471 करोड़ और आर एंड एम उपस्करों की आपूर्ति एवं ई एंड सी के लिए ₹ 25 करोड़ के ऑर्डर बुक करके वर्ष 2010–11 में कुल ₹ 2147 करोड़ के ऑर्डर बुक किए हैं। एसएसबीजी ने 2010–11 में नई प्रणालियों एवं उत्पादों के लिए ₹ 131 करोड़ के ऑर्डर बुक किए हैं। इसमें एनपीसीआईएल/कुदानकुलम से 1000 एमडब्ल्यूई एलएमज़ेड मेक की न्यूक्लियर स्टील टर्बाइन की पूरी ओवरहॉलिंग का ₹ 4.96 करोड़ तथा यूपीआरवीयूएनएल/अनपारा टीपीएस यूनिट 4 एवं 5 की गैर–बीएचईएल (मित्सुबिशी मेक) बॉयलर (2x500 मेगावॉट) के लिए स्पेयरों की आपूर्ति एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए ₹ 30.52 करोड़ का ऑर्डर शामिल है। एसएसबीजी ने वर्ष 2010–11 में 14 नए ग्राहक भी जोड़े हैं और उनसे ₹ 22.40 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए थे। एसएसबीजी को बीएचईएल/एसएसबीजी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए 13 ग्राहकों से प्रशंसा भी मिली है।

कमीशनिंग

बीएचईएल ने देश के भीतर और विदेश में वर्ष के दौरान कुल 7666.5 मेगावाट के 52 सेटों की कमीशनिंग की। पावर सेक्टर ने वर्ष के दौरान कुल 7073.5 मेगावाट के 30 सेटों की कमीशनिंग की। उसमें कुल 6333 मेगावाट के बीएचईएल के 27 यूटीलिटी सेट तथा 452.5 मेगावाट के 9 औद्योगिक सेट तथा विदेशों में 288 मेगावॉट के 3 सेट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल के एमयू ने 59 मेगावाट (विदेश) के 3 सेटों और देश में 534 मेगावाट के 10 औद्योगिक सेटों की कमीशनिंग की है।

बाढ़ के समय कोटेश्वरी ईकाई

क्षमता में वृद्धि के बाद कोटेश्वरी ईकाई

2x 525 मेगावाट मेथान टीपीएस, झारखंड में स्थापित 2x 525 मेगावाट इकाई रेटिंग का भारत का प्रथम थर्मल सेट

असेम्बली के अंतर्गत देश का प्रथम वृहत क्षमता नई सीरीज 600 मेगावाट टर्बोजनरेटर सेट

पीएलएफ के 96.4 प्रतिशत के साथ 2 x2 50 मेगावाट कोरबा पूर्व टीपीएस

इन परियोजनाओं के अलावा बीएचईएल ने देश की विद्युत उत्पादन क्षमता में और वृद्धि करने के लिए 1775 मेगावाट के 4 सेट को सिंक्रोनाइज भी किया है।

वर्ष के दौरान कमीशनिंग किए गए थर्मल यूटीलिटी सेट थे – काकातिया–1 (500 मेगावाट) आन्ध्र प्रदेश में, रायलसीमा 5 (210 मेगावाट) और सिम्हाद्री 3 (500 मेगावाट) छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, कोरबा एसटीपीपी 7 (500 मेगावाट), दिल्ली में प्रगति जीटी 1, 2 (2x250 मेगावाट), गुजरात में सूरत लिग्नाइट 3, 4 (2x125 मेगावाट), हरियाणा में झज्जर 1 (500 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश में एलैन दुहानगन एचईपी 1, 2 (2x96 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर में सेवा एचईपी 1, 2, 3 (3x40 मेगावाट), कर्नाटक में रायचूर – 8, (250 मेगावाट), केरल में कुट्टियडी एचईपी 1, 2 (2x250 मेगावाट), राजस्थान में बरसिंगसर 1, 2 (2x125 मेगावाट), एवं छाबड़ा 2 (250 मेगावाट), त्रिपुरा में बारामुरा जीटी (21 मेगावाट), उत्तर प्रदेश में दादरी 6 (490 मेगावाट), उत्तराखंड में कोटेश्वर एचईपी 1, 2 (2x100 मेगावाट), पश्चिम बंगाल में फरक्का 6 (500 मेगावाट), मेजिया 7, 8 (500 मेगावाट),

वर्ष के दौरान विदेशों में कमीशन किए गए सेटों में देवीघाट 3 (5 मेगावाट), हीको 1, 2 (2x26 मेगावाट), पामीर (7 मेगावाट), सिद्धीरगंज 2 (126 मेगावाट), और डब्ल्यूएम एक्सटेन्शन 6 (157 मेगावाट) शामिल हैं।

बीएचईएल यूटीलिटी सेटों का कार्य निष्पादन

बीएचईएल के कोयला आधारित सेटों ने 7.51प्रतिशत की अधिक राष्ट्रीय औसत 75.7प्रतिशत का संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) प्राप्त किया।

- वर्ष के दौरान, बीएचईएल द्वारा आपूरित 195/200/210/250/500 मेगावाट कोयला–आधारित सेट, जो देश के विद्युत उत्पादन का 60 प्रतिशत है, से होने वाला उत्पादन 78.9 प्रतिशत के पीएलएफ तथा 88.8 प्रतिशत ओए सहित 401709 मिलियन तक पहुंच गया।
- बीएचईएल के उपस्करों से युक्त सत्रह स्टेशनों ने 90 प्रतिशत से अधिक पीएलएफ प्राप्त किया, यथा दहानु (100.5), रिहन्द (97.8), रायगढ़ (97.7), सिंगरौली (96.6), सीपत (96.5), कोरबा पूर्व (96.4), सिम्हाद्री (96.1), विन्ध्याचल (95), ऊँचाहार (93.3), कोरबा एनटीपीसी (93.1), टांडा (92.8), सीईएससी (92.0), भिलाई (91.4), कोरबा पश्चिम (91.0), कोटा (90.8), रामगुन्डम (90.7), साबरमती (90.4),।
- बीएचईएल द्वारा आपूरित 178 कोयला–आधारित सेटों ने 70 प्रतिशत से अधिक का पीएलएफ प्राप्त किया। इनमें से 61 सेटों ने 90 प्रतिशत से अधिक और 73 सेटों ने 80 प्रतिशत–90 प्रतिशत के बीच पीएलएफ प्राप्त किया।
- बीएचईएल के कोयला सेटों ने 86.1 प्रतिशत की प्रचालन उपलब्धता दर्ज की।
- बीएचईएल के 139 थर्मल सेटों ने 90 प्रतिशत से अधिक अथवा उसके बराबर प्रचालन उपलब्धता प्राप्त की।
- बीएचईएल द्वारा आपूरित 171 कोयला–आधारित सेटों ने वर्ष के दौरान 90 दिनों से अधिक के लिए अबाधित प्रचालन दर्ज किया, जिनमें से:
  - ❐ 65 सेटों ने 90 दिनों से अधिक के लिए निरंतर रूप से दोबारा चालन किया।
  - ❐ 28 सेटों ने निरंतर रूप से 200 दिनों से अधिक चालन किया।

बीएचईएल ने अबाधित विद्युत आपूर्ति सुविधाजनक बनाने और विद्युत संयंत्रों को अच्छी चालन दशा में रखने के लिए लक्षित सक्षम ग्राहक सेवा प्रदान करने का अपना प्रयास जारी रखा।

राष्ट्रीय राजधानी टीपीपी (चरण–II)का नियंत्रण कक्ष जिसमें 2x490 मेगावाट अधिक कुशल विद्युत जेनरेटिंग सेट लगा हुआ है

वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र ने 120 थर्मल सेटों (गैर–बीएचईएल सेटों सहित) की पूर्ण मरम्मत की।

बीएचईएल की टीम ने बाढ़ से खराब हुए टीएचडीसी के कोटेश्वर एचईपी को पाँच महीने के रिकॉर्ड समय में ठीक करके तथा अतिरिक्त दो इकाइयों (200 मेगावॉट) को लगाकर एक अहम कार्य किया। टीएचडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने आभार व्यक्त करते हुए बीएचईएल को बधाई दी।

बीएचईएल द्वारा उत्कृष्ट सहयोग/सेवाएँ प्रदान करने पर एनटीपीसी, एमएसपीजीसीएल, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एपीजेनको तथा डब्ल्यूबीपीडीसीएल आदि जैसे ग्राहकों से प्रशंसा प्राप्त हुई।

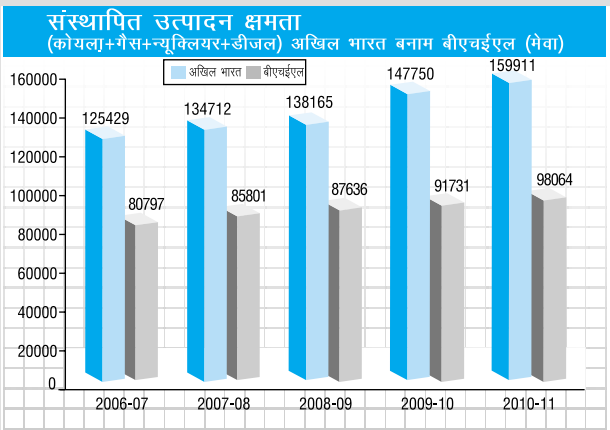

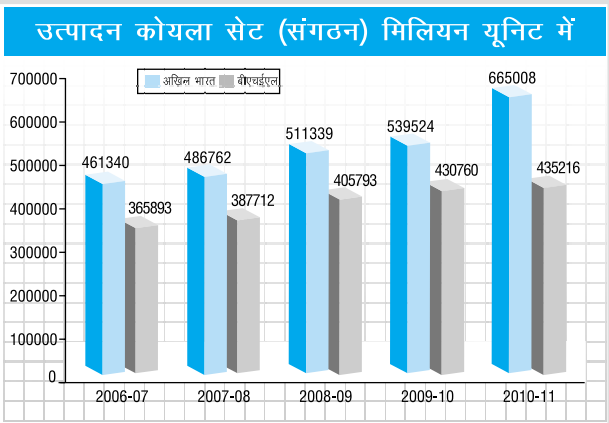

*बीएचईएल ने 30 मेगावाट की रेटिंग वाले सेट और 3 निजी संगठन (तोरनगल्लू, टाटा जोजाबेरा और सूरत लिग्नाइट) शामिल नही है।

उद्योग क्षेत्र

बीएचईएल निर्मित केप्टिव विद्युत संयंत्र युक्त हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

उद्योग क्षेत्र

उद्योग क्षेत्र में बीएचईएल ने कैप्टिव पावर, रेल परिवहन, विद्युत ट्रांसमिशन, तेल एवं गैस तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में ₹ 11405 करोड़ के आर्डर प्राप्त किए।

वर्ष के दौरान उद्योग खंडवार प्राप्त मुख्य आर्डर/अन्य व्यावसायिक उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:–

कैप्टिव विद्युत संयंत्र

- मैसर्स इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया, पश्चिम बंगाल से सिंगल रिहीट मशीन के साथ 3x150 मेगावॉट बॉयलर, टर्बाइन एवं जेनरेटर पैकेज के लिए पहला ऑर्डर।
- तमिलनाडु न्यूसप्रिन्ट एंड पेपर लिमिटेड से 1x41 मेगावॉट एसटीजी सेट के लिए डबल कन्ट्रोल्ड एक्सट्रैक्शन एसटीजी सेट के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर।
- मैसर्स श्री मेटालिक्स तथा भुवनेश्वर पावर के 67.5 मेगावाट रेटिंग का ऑर्डर।
- मैसर्स सूर्यदेव अलॉय्स से एसीसी कन्फ़िगरेशन के साथ 80 मेगावॉट एसटीजी/का ऑर्डर।
- एक वर्ष में मारुति सुजुकी से कैप्टिव पावर उपस्कर के लिए लगातार चार ऑर्डर।

रेल परिवहन

- अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में भारतीय रेलवे से 6000 एचपी लोकोमोटिव्स तथा 1400 एचपी एसी ईएमयू के लिए आधुनिक प्रॉपल्शन उपस्कर का ऑर्डर।
- रेलवे बोर्ड तथा भारतीय रेलवे से आईसीएफ़ आरसीएफ़, डीएलडब्ल्यू स्थित विनिर्माण इकाइयों से पारम्परिक एसी ईएमयू/डीईएमयू के लिए इलेक्ट्रिक्स के 198 सेटों तथा 588 ट्रैक्शन मोटरों का ऑर्डर।
- जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड से 700 एचपी क्षमता के 11 डीज़ल इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव्स का ऑर्डर।

इस खंड में अन्य व्यावसायिक उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- बीएचईएल ने भारतीय रेलवे के लिए आईजीबीटी आधारित ट्रैक्शन प्रॉपल्शन उपस्करों का निर्माण करने के लिए स्वयं को स्थापित कर लिया है। आईजीबीटी आधारित उपस्करों के स्वदेशी विकास से भारतीय रेलवे को कीमती आयात पर कम निर्भर होने में सहायता मिलेगी।

भटिंडा, पंजाब में स्थित एचएमईएल गुरू गोबिंद सिह रिफाईनरी के लिए प्रेषण अधीन बायॅलर ड्रम (यूनिट–III)

- बीएचईएल ने इलेक्ट्रिक प्रॉपल्शन प्रणाली कोलकाता मेट्रो काचों के प्रोटोटाइप रेकों के लिए कन्ट्रोल तथा अन्य उपस्करों की आपूर्ति करके उसकी सफलतापूर्वक एवं कमीशनिंग की है और यह कमर्शियल प्रचालनों के अन्तर्गत सफलतापूर्वक चल रही है। शेष 11 रेकों के लिए उपस्करों के निर्माण एवं आपूर्ति का काम प्रगति पर है।
- बीएचईएल ने केईएल की कासरगोड इकाई का अधिग्रहण करने के लिए केरल सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम करार किया है। सावधानी से काम करने के बाद बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का पन्जीकरण कराया गया है। ऑल्टर्नेटरों के निर्माण की वर्तमान शृंखला के अतिरिक्त अन्य अनुपूरक उत्पाद जैसे एलटी मोटरें डब्ल्यूईजी के ऑल्टर्नेटरों तथा भारतीय रेलवे के लिए ट्रैक्शन उपस्करों के निर्माण संयुक्त उद्यम साझा प्रस्ताव है।
- बीएचईएल ने सीएलडब्ल्यू को इलेक्ट्रिक लोको उपकरणों का निर्माण एवं आपूर्ति करने के लिए पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर डानकुनी, पश्चिम बंगाल में एक फ़ैक्टरी लगाने के लिए आईआर टेन्डर में भाग लेने हेतु ऑल्स्टॉम, फ्रान्स के साथ एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- झाँसी इकाई में लोको निर्माण की क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इसके अलावा रेलवे की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसकी क्षमता को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिवर्ष करने का काम चल रहा है।

औद्योगिक उत्पाद (इलेक्ट्रिकल)

- देश में अभी तक का एचटी मोटरों के लिए सबसे बधिक मूल्य का सिंगल ऑर्डर को अन्तिम रूप दिया गया है। यह मैसर्स एनपीसीआईएल के आरएपीपी एवं केएपीपी 700 मेगावॉट सेटों के विशेष कूलेन्ट पम्प अप्लिकेशन हेतु 6 मेगावॉट 4पी की 20 एमसीआईएम के लिए है।
- मैसर्स आईओसीएल की परादीप रिफ़ाइनरी के लिए 124 मोटरों (180–2100 किलोवॉट) का ऑर्डर, जिसमें से 110 फ़्लेम–प्रूफ़ मोटरें हैं।

इस खंड में अन्य व्यावसायिक उपलब्धियों में शामिल हैं:

- बड़ी बीएफ़पी मोटरों का डिज़ाइन एवं विकास – एनटीपीसी बाढ़ 2x600 मेगावॉट के लिए 17500 किलोवॉट 11 केवी 4 पोल एससीआईएम। इस मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एनटीपीसी ने इसका अनुमोदन कर दिया है।
- वर्टिकल सिंक्रोनसमोटर का विकास किया गया – 4000 मेगावॉट 11 केवी 16 पोल, मैसर्स डब्ल्यूपीआईएल के माध्यम से एएमआर लिफ़्ट इरिगेशन स्कीम के लिए मोटर का निर्माण एवं परीक्षण किया गया।
- विकास की सम्भावनाओं के अनुसार बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोपाल में प्रति वर्ष 2250 इलेक्ट्रिकल मशीनें बनाने की क्षमता में विस्तार।

औद्योगिक उत्पाद (मेकेनिकल)

- सेल – भिलाई स्टील प्लान्ट से स्टील टर्बाइन ड्राइव के साथ 3 टर्बो ब्लोअर पैकेज का ऑर्डर।

- फ़र्टिलाइज़र सेक्टर (एनएफ़एल, भटिंडा, एनएफ़एल, बंगाल, एनएफ़एल, पानीपत और जीएनएफ़सी, भरूच), तथा रिकवरी सेक्टर (बीपीसीएल मुम्बई), से कम्प्रेसरों का ऑर्डर। इसके अलावा एनएफ़एल विजयपुर से Co_2 कम्प्रेसर रिवेम्प का ऑर्डर भी मिला।
- ओएनजीसी बेस्सिन एवं सैटिलाइट एसेट के डब्ल्यूएच एंड एक्सएमटी की आपूर्ति के लिए उच्चतम मूल्य का ऑर्डर।

इस खंड में अन्य व्यावसायिक उपलब्धियों में शामिल हैं:

- सेन्ट्रिफ़्यूगल कम्प्रेसरों के निर्माण के लिए मैसर्स जीईएनपी, इटली के साथ सहयोग करार। इससे रिकवरी, फ़र्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन एवं अन्य उपयोगों के लिए बड़े आकार के कम्प्रेसरों की बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने मे बीएचईएल की क्षमता में वृद्धि होगी।
- ऑइल रिग्स के लिए एसी हेतु मैसर्स एनओवी, अमेरिका के साथ समझौता, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

रक्षा व्यवसाय

- देश में पहली बार बनाए जा रहे प्रथम वायु सेना पोत (स्वदेशी एयरक्राफ़्ट कैरियर) के लिए एकीकृत प्लाटफ़ॉर्म प्रबन्धन प्रणाली हेतु प्रतिष्ठित ऑर्डर। यह ऑर्डर कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मिला है।

ट्रान्समिशन प्रणाली – सब–स्टेशन/स्विचयार्ड्स

- एबीबी स्वीडन के साथ मिलकर विश्व के प्रथम ±800 केवी, 6000 मेगावॉट अल्ट्रा हाई वोल्टेज मल्टी–टर्मिनल डीसी ट्रान्समिशन लिंक हेतु पीजीसीआईएल से प्रथम ऑर्डर। यह विश्व का प्रथम ±800 केवी, 6000 मेगावॉट अल्ट्रा हाई वोल्टेज मल्टी–टर्मिनल डीसी ट्रान्समिशन लिंक होगा। इस लिंक में तीन कन्वर्टर टर्मिनल और एक पावर ट्रान्समिशन सिस्टम होगा, जिसमें निर्मित क्षमता 8000 मेगावॉट होगी और यह अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा एचवीसी सिस्टम होगा। अल्ट्रा हाई वोल्टेज (±800 केवी) से ट्रान्समिशन हानि कम से कम होती है। वित्तीय रूप में यह विश्व में के टीएंडडी सेक्अर में निश्चित किया गया सबसे बड़ा ऑर्डर है।
- डीपीएल से 220 केवी सब–स्टेशन तथा एसोसिएटेड ट्रान्समिशन लाइन हेतु ऑर्डर।
- केपीसीसीएल के विभिन्न सब–स्टेशनों पर लगाने के लिए 63 एमवीआर 04 शन्ट रिएक्टरों का ऑर्डर।

खंड में अन्य व्यावसायिक उपलब्धियों में शामिल हैं :

- देश में ही 1200 केवी ट्रान्सफ़ॉर्मरों का विकास एवं निर्माण करने में बीएचईएल भारत की पहली कम्पनी बन गई है। भोपाल में नव–निर्मित ब्लॉक में बीएचईएल ने 1200 केवी 180 एबवीए टेस्ट ट्रान्सफ़ॉर्मर का निर्माण किया है, जिसका यूएचवी लैब में टेस्ट ट्रान्सफ़ॉर्मर के ... उपयोग किया जाएगा।
- बीएचईएल ने बीना स्टेशन के लिए अपेक्षित 1200 केवी सीबीटी का भी निर्माण किया है। इसमें पहले बीना के लिए 1200 केवी परीक्षण ट्रान्सफ़ॉर्मर लाइन हेतु 420 केएन डिस्क इन्सुलेटरों की आपूर्ति कर चुकी है।

ट्रान्समिशन उत्पाद

- इंडिया बुल्स से 36 ट्रान्सफ़ॉर्मरों का ऑर्डर से 4078 एमवीए

अरासूर, तमिलनाडु स्थित पीजीसीआईएल का 400/220 केवी सबस्टेशन

की उपलब्धि, जिसमें नासिक फ़ेज़–II तथा परियोजनाओं के लिए 300 एमवीए, 400 केवी के 10 जेनरेटर ट्रान्सफ़ॉर्मर भी शामिल हैं।

- देश में आधुनिकतम ड्राई टाइप ट्रान्सफ़ॉर्मरों की सबसे अधिक रेटिंग का ऑर्डर। यह ऑर्डर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में रिलायन्स सासन परियोजना के लिए ब्लूस्टार से 15 एमवीए क्षमता के 6 ड्राई टाइप ट्रान्सफ़ॉर्मरों के लिए मिला।

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा

- 8 एमवीए के लिए एसपीवी विद्युत उत्पादन संयन्त्रों हेतु 4 महत्वपूर्ण ऑर्डर : विभिन्न द्वीपों के लिए कुल 2.15 एमडब्ल्यूपी एसपीवी संयन्त्रों में वृद्धि, उन्नयन एवं प्रचालन तथा आरक्षण हेतु लक्षद्वीप संघ–शासित प्रदेश से तथा बरेली एवं नागपुर स्थित परियोजनाओ के लिए इंडिया बुल्स से 6 एमडब्ल्यूपी का ऑर्डर।

इस खंड में अन्य व्यावसायिक उपलब्धियों में शामिल हैं:

- बीएचईएल लगभग 240 मेगावॉट सोलर पीवी उत्पादों का निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ काम कर रही है। इससे भारत तथा विदेश में प्रतिस्पर्धी देशों पर सोलर पीवी उत्पादों एवं प्रणालियों को देने में कम लागत आएगी।
- बीएचईएल ने जीई इंडिया इन्डस्ट्रियल प्रा. लि. (जीईआईआईपीएल) के साथ निर्माण सहयोग करार किया है। दोनों साझेदार मिलकर विद्युत संयंत्रों, उद्योग तथा नगरपालिकाओं के लिए आधुनिकतम जल शोधन संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इस करार से बीएचईएल के रानीपेट संयन्त्र को ग्राहकों टर्नकी समाधान के रूप में बड़े आकार के जल–शोधन संयन्त्र देने में अपनी क्षमताओं का विकास करने में लाभ होगा।
- सघनीकृत सोलर थर्मल क्षेत्र ईपीसी समाधान देने के उद्देश्य से बीएचईएल ने मैसर्स एबेनगोआ, स्पेन के साथ एक करार किया है, जिसके माध्यम से पैराबोलिक तथा पावर टावर प्रौद्योगिकी पर आधारित ग्राहकों से ईपीसी समाधान दिए जाएंगे। बीएचईएल की तिरुचि, हैदराबाद, भोपाल, हरिद्वार और बेंगलूर इकाइयाँ मुख्य उपस्कर जैसे पावर ब्लॉक, हीट ट्रान्सफ़र उपस्कर, स्टीम जेनरेटर, पाइपिंग आदि डिलीवर करेंगी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय

ओमान में पीडीओ अमाल साईट पर निष्पादनाधीन 2x फ्रेम 9ई जीटीजी ऑर्डर

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय

- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वैश्विक मन्दी समाप्त होने के बाद भी वैश्विक दृष्टिकोण समाधानीपरक रहा और यह अवसंरचनात्मक निवेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने में असमर्थ रहा। विश्व स्तर पर ऊर्जा निवेश में काफ़ी कमी आई है जिससे परिणामस्वरूप वित्तीय कठिनाई से परियोजना स्थगित और रद्द हो गई हैं। मध्य–पूर्व तथा उत्तरी अफ़्रीका में हुई हाल की घटनाओं से बाज़ारों में व्यवसाय की संभावनाएं काफ़ी प्रतिकूल रूप से काफी प्रभावित हुई हैं और कई परियोजनाएँ रुक गई हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में, चुनौतीपूर्ण प्रवृत्तियों के बावजूद बीएचईएल ने वर्ष के दौरान पाँच महाद्वीपों में फैले 24 देशों से ₹ 3738 करोड़ के वास्तविक निर्यात आर्डर प्राप्त किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष में मौजूदा बाजारों और उत्पाद क्षेत्रों में कंपनी की उपस्थिति दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के अतिरिक्त, नए बाजारों और नए उत्पाद क्षेत्रों में सफल प्रवेश से वैश्वीकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया।

वर्ष 2010–11 के दौरान मुख्य उपलब्धियां:

वर्ष के दौरान बीएचईएल ने निम्नलिखित प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त किए हैं:

- गैस टर्बाइन आधारित विद्युत परियोजना के लिए सबसे सिंगल निर्यात ऑर्डर यमन में अपनी स्थिति और मजबूत करते हुए बीएचईएल ने 4x168 मेगावॉट बैस टर्बाइन आधारित मरीब–II विद्युत परियोजना का प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त किया है। यह गैस टर्बाइन आधारित विदेशी विद्युत परियोजना के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है।
- यमन – नए बाज़ार में प्रवेश बीएचईएल ने मोटरों की आपूर्ति का ऑर्डर प्राप्त करके भारत में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है।
- कीनिया से मोटरों का पहला ऑर्डर – बीएचईएल ने पहली बार मोम्बासा सीमेन्ट लिमिटेड, कीनिया से मोटरों की आपूर्ति का ऑर्डर प्राप्त किया है।
- हांग–कांग एवं तुर्की से सोलर सेलों का प्रथम ऑर्डर – नए बाज़ार में प्रवेश – बीएचईएल ने हॉग–कॉग और तुर्की से पहली बार सोलर सेलों की आपूर्ति का ऑर्डर प्राप्त किया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका को नियन्त्रण उपकरणों का ऑर्डर – बीएचईएल ने मेट्सो ऑटोमेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका से बस एक्सटेन्डर मॉड्यूल्स की आपूर्ति के लिए ऑर्डर प्राप्त किया है।
- विक्रयोपरान्त सेवाओं पर सतत ध्यान देने से यूएई, बांग्लादेश, भूटान, फ़्रान्स, इन्डोनेशिया, कज़ाक्स्तान, श्रीलंका, लीबिया, माल्टा, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड, ओमान, साउदी अरब, थाइलैंड और यमन से स्पेयर्स और सेवाओं के लिए ऑर्डर मिले हैं।

प्रमुख विदेशी ऑर्डरों का निष्पादन :

- वर्ष की मुख्य उपलब्धि में बांग्लादेश, लीबिया, ओमान और नेपाल में चार विद्युत संयन्त्रों की कमीशनिंग करनी रही।

400 मेगावाट मरीब चरण-II गैस टरबाईन विद्युत परियोजना की संविदा पर हस्ताक्षर करते हुए

बांग्ला देश में बीएचई एल द्वारा कमीशन किया गया 2x126 मेगावाट सिद्धिरगंज पीकिंग पावर प्लांट

वर्ष के दौरान मुख्य निष्पादित परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

- बांग्लादेश – सिद्धीरगंज गैस आधारित विद्युत संयंत्र की दूसरी इकाई (126 मेगावॉट गैस टर्बाइन सेट) कमीशन की गई।
- लीबिया – वेस्टर्न माउन्टेन पावर प्लान्ट एक्सटेन्शन प्रोजेक्ट, लीबिया की यूनिट 5 (157 मेगावॉट गैस टर्बाइन जेनरेटर सेट) स्थापित यह अभी तक का सबसे बड़ा पावर प्लान्ट बन गया है।
- ओमान – ओमान रिफ़ाइनरी कम्पनी के 2x26 मेगावॉट गैस टर्बाइन जेनरेटर सेटों को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया।
- नेपाल – देवीघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की 5 मेगावॉट यूनिट का उन्नयन, आधुनिकीकरण और अपरेटिंग करके सफलतापूर्वक कमीशन किया गया।
- ताझिकिस्तान – पामीर–I पावर प्लान्ट के लिए बीएचईएल द्वारा आपूर्त हाइड्रो जेनरेटर को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया।
- म्यान्मार – सप्लाई किए गए 16 ट्रान्सफ़ॉर्मरों को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया। साइक्लोन के दौरान क्षतिग्रस्त ट्रान्सफ़ॉर्मरों के स्थान पर इन नए ट्रान्सफ़ॉर्मरों को लगाया गया।
- इथियोपिया – सेमेरा स्थित 230 केवी सब–स्टेशनों को चार्ज किया गया। इसके साथ बीएचईएल एथियोपिया में चार सब–स्टेशनों को सफलतापूर्वक चार्ज कर चुका है।

कोस्ती, सूडान में 4x125 मेगावाट एसटीजी आधारित परियोजना में बॉयलर ड्रम को उठाते हुए

कोनियाम्बो, न्यू केलेडोनिया में निष्पादनाधीन 2x135 मेगावाट सीएफबीसी बायॅलर

पूंजी निवेश

आरसी पुरम, हैदराबाद में सीएनसी बोरर, 130एमएम

हरिद्वार में नई टरबाईन ब्लैड शॉप में लगाई गई सीएनसी 5 एक्सिस 2 स्पिनडल मशीनें

बीएचईएल, तिरुचिरापल्ली में बायॅलर ड्रम शॉप

बीएचईएल, तिरुचिरापल्ली में लगाई गई ड्रम यू शैल एज बनाने वाली मशीन

ग पूंजी निवेश

- बीएचईएल ने विनिर्माण यूनिटों और विद्युत परियोजना कार्यस्थलों में विनिर्माण क्षमता की वृद्धि और सुविधाओं के आधुनिकीकरण 2010–11 के दौरान ₹ 1655 करोड़ का पूंजी निवेश किया।
- मौजुदा पुरानी सुविधाओं की अवधि, विश्वसनीयता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ₹ 58 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के माध्यम से उनके पुनःनिर्माण तथा रिट्रोफिटिंग पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
- 12वीं योजना तथा बाद की विद्युत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम्पनी के क्षमता वृद्धि कार्यक्रम को मार्च, 2011 तक प्रति 20,000 मेगावाट तक बढ़ानें का कार्य चल रहा है।
- चार क्षमता वृद्धि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष के दौरान पूरी बीएचईएल यूनिटों में 120 मुख्य आधुनिक मशीनिंग सुविधाएँ/प्रॉसेस संयंत्र कमीशन किए गए हैं। आज बीएचईएल में 500 सीएनसी मशीनें हैं, जिनमें बड़े आकार की देथ समानान्तर बोरर्स, वर्टिकल बोरर्स, कमीशनिंग केन्द्र, फ़्लेम कटिंग मशीनें, 5 एक्सिस मशीनिंग केन्द्र, इंक्रिमेन्टल पाइप बेडिंग मशीनें, स्पेशल पर्पस मशीनें हैं।
- विद्युत संयन्त्रों के कमीशनिंग लोड को बढ़ाने के लिए बीएचईएल ने परियोजना स्थलों पर बाधाओं को दूर करने के लिए 17 हेवी लिफ़्ट और मीडियम रेन्ज की क्रेनें ख़रीदी हैं। इन्हें मिलाकर परियोजना स्थलों पर कार्य करने के लिए अब 125 क्रेनें उपलब्ध हैं।

घ संयुक्त उपक्रम

क बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)–

जीई द्वारा डिजाइन की गई गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए बीएचईएल और जीई, यूएस द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में संवर्धित बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड (बीजीजीटीएस) ने अपने परिचालन के तेरह पूर्ण वित्तीय वर्ष पूरे कर लिए हैं।

बीजीजीटीएस ने वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 57 करोड़ के कर उपरांत लाभ के साथ ₹ 418 करोड़ का कुल कारोबार किया। वर्ष के दौरान बीजीजीटीएस द्वारा विदेशों से निर्यात आर्डरों सहित ₹ 509 करोड़ के आर्डर प्राप्त किए गए। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के ग्राहकों को सफलतापूर्वक गैस टर्बाइन सर्विसिंग पूरी करने के साथ–साथ कुल–पुर्जे सप्लाई किए हैं। बीजीजीटीएस ने ₹ 32 करोड़ के निर्यात आर्डर भी पूरे किए हैं। वर्ष 2010–11 के लिए बीजीजीटीएस ने लगातार सुधरा हुआ रिकार्ड कार्यनिष्पादन दर्शाते हुए 660 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की।

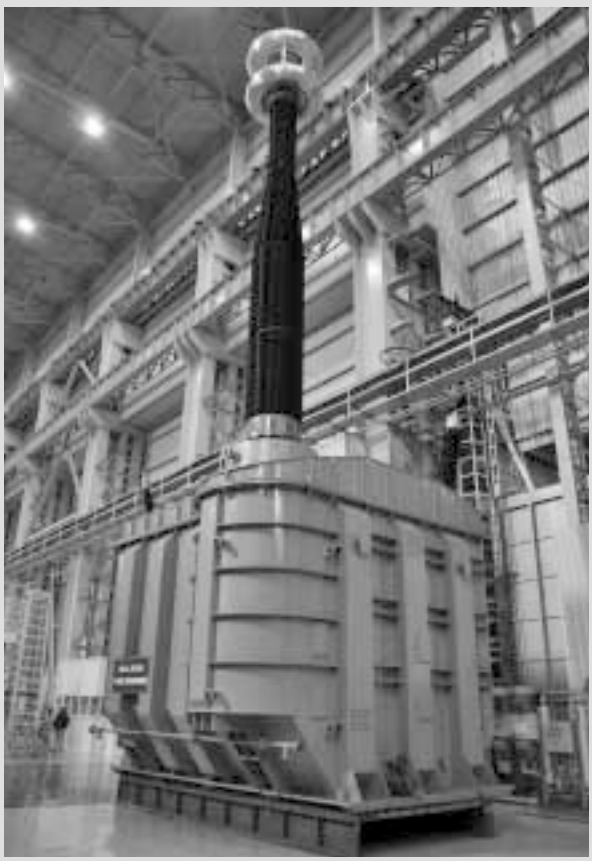

1200 केवी, 180 एमवीए, 1–फेज ट्रांसफार्मर

1200 केवी, 2000 पीएफ केपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर

ख पावर प्लांट परफार्मेंस इन्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल)–

पुराने जीवाश्म ईंधन चालित पावर प्लांटों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए बीएचईएल ने सीमेंस, जर्मनी के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी पावर प्लांट परफार्मेंस इन्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल) को संवर्धित किया गया है।

पीपीआईएल बकाया मामलों के समाधान तथा लंबित अनुबंधों के रुके हुए भुगतान की प्राप्ति के लिए प्रक्रियारत है। चूंकि, कंपनी की पर्याप्त व्यवसाय व्यवहार्यता दिखाई नहीं देती, इसलिए दोनों प्रवर्तक साझेदार पारस्परिक रूप से धीरे–धीरे कंपनी को बंद करने पर सहमत हो गए हैं।

ग एनटीपीसी, बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एनबीपीपीएल) –

बीएचईएल ने भारत और विदेश में विद्युत संयंत्रों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ईपीसी संविदा पूरी करने के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी "एनटीपीसी– बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड" को संवर्धित किया है। संयुक्त उपक्रम कंपनी विद्युत संयंत्रों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं, जो प्रवर्तक कंपनियों के किसी चालू सहयोग करार के अधीन किसी सीमाबद्धता अथवा प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं है, के लिए उपस्करों का विनिर्माण और आपूर्ति भी कर सकती है। संयुक्त उपक्रम कंपनी एनटीपीसी तथा बीएचईएल द्वारा समान रूप से ₹ 10 लाख की प्रारंभिक अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी के साथ 28 अप्रैल, 2008 को निगमित की गई थी। इसके अलावा, बोर्ड ने बीएचईएल के अंशदान को ₹ 5 लाख से बढ़ाकर ₹ 100 करोड़ करने का भी निर्णय लिया जिसे आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए किस्तों में किया जाएगा। बीएचईएल और एनटीपीसी प्रत्येक द्वारा ₹ 25 करोड़ का अभिदान करते हुए चुकता पूंजी ₹ 50 करोड़ है। जेवीसी ने मन्नवरम, आन्ध्र प्रदेश में भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया है और पहले से ही अनुमोदित निवेश के चरण – I का कार्यान्वयन प्रक्रिया में है। जेवीसी इसको दिए गए बैलेन्स ऑफ़ प्लान्ट्स के ऑर्डर भी निष्पादित कर रही है। एनबीपीपीएल ने कोयला हैंडलिंग संयन्त्रों की आपूर्ति के लिए मैसर्स डीएमडब्ल्यू अमेरिका क साथ सहयोग करार भी किया है।

घ बराक पावर प्राइवेट लिमिटेड –

बीएचईएल ने सिल्चर, असम में सीएफबीसी आधारित 2x125 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी संवर्धित की है। संयुक्त उपक्रम कंपनी 1 सितंबर, 2008 को बराक पावर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई। इसके लिए बीएचईएल तथा पीटीसी द्वारा समान रूप से ₹ 10 लाख की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी प्रदान की गई है। स्थानीय कोयला अनुपलब्ध होने के कारण यह विद्युत संयंत्र संभाव्य नहीं पाया गया। इसे जेवी को बन्द किया जा रहा है।

ड उडनगुडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल)

बीएचईएल ने उडनगुडी, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में बनाने, अपनाने और परिचालित करने के आधार पर 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटीकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी संवर्धित की है। संयुक्त उपक्रम कंपनी 26 दिसंबर, 2008 को 'उडनगुडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड' के नाम से निगमित की गई थी। संयुक्त उपक्रम में प्रारंभिक अधिकृत और प्रदत्त इक्विटी ₹ 10 करोड़ है जिसमें टीएनईबी और बीएचईएल ने समान रूप से अभिदान किया है। इक्विटी संरचना को बाद में वित्तीय संस्थान/बैंकों आदि को लाने के लिए कम किया जाएगा ताकि टीएनईबी और बीएचईएल समान रूप से 26 प्रतिशत की इक्विटी रख सकें। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी को भूमि आवंटित कर दी है। संयुक्त उपक्रम कंपनी भी कोयला लिंकेज, पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और बीएचईएल को मुख्य संयंत्र उपस्कर के आर्डर को अंतिम रूप दे रही है। वर्तमान में प्रदत्त इक्विटी पूंजी ₹ 65 करोड़ रही है और इसमें बीएचईएल तथा टीएनईबी का प्रत्येक का अंशदान ₹ 32.5 करोड़ है।

च रायचूर पावर कारपोरेशन लिमिटेड –

बीएचईएल ने येरामारुस, रायचूर, कर्नाटक में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट तथा एदलापुर, रायचूर, कर्नाटक में 1x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को बनाने, अपनाने और परिचालित करने के आधार पर स्थापित करने के लिए कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी संवर्धित की है। केपीसीएल के साथ संयुक्त उपक्रम करार पर 12 जनवरी, 2009 को हस्ताक्षर किया गया था और सं.उ.कं. को 15 अप्रैल, 2009 को 'रायचूर पावर कारपोरेशन लिमिटेड' के नाम से निगमित किया गया था। संयुक्त उपक्रम में प्रारंभिक अधिकृत तथा प्रदत्त इक्विटी ₹ 10 करोड़ है। इसमें केपीसीएल और बीएचईएल द्वारा समान रूप से अभिदान किया गया है। इक्विटी संरचना को बाद में वित्तीय संस्थान/बैंकों आदि को लाने के लिए कम किया जाएगा ताकि टीएनईबी और बीएचईएल समान रूप से 26 प्रतिशत की इक्विटी रख सके। संयुक्त उपक्रम कंपनी ने 2x800 मेगावाट की येरामारुस विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और 2x800 मेगावाट की येरामारुस परियोजना के लिए मुख्य संयंत्र उपस्कर की आपूर्ति और इएंडसी हेतु बीएचईएल को आर्डर दे दिया गया है जिसका मूल्य

₹ 6300 करोड़ है। ₹ 3100 करोड़ की 1x800 मेगावाट की इदलापुर परियोजना के लिए आर्डर को अंतिम रूप दिया जा चुका है और एमओईएफ की अनुमति के बाद एलओए भेजा जाएगा। इस समय प्रदत्त इक्विटी पूंजी ₹ 663 करोड़ है और इसमें बीएचईएल और केपीसीएल प्रत्येक ₹ 331.5 करोड़ का अंशदान है।

छ दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड

बीएचईएल ने बनाने, अपनाने और परिचालित करने के आधार पर खंडवा, मध्यप्रदेश में 2x800 मेगावाट के सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के साथ एक संयुक्त उपक्रम कंपनी संवर्धित की है। एमपीपीजीसीएल के साथ संयुक्त उपक्रम करार पर दिनांक 28 जनवरी, 2010 को हस्ताक्षर किया गया था और संयुक्त उपक्रम कंपनी "दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड" के नाम से दिनांक 25 फरवरी, 2010 को निगमित की गई थी। संयुक्त उपक्रम कंपनी की प्रारंभिक प्राधिकृत और चुकता इक्विटी ₹ 5 करोड़ है, जिसमें एमपीपीजीसीएल और बीएचईएल का बराबर का अभिदान होगा। इक्विटी संरचना परिवर्तन स्वीकृत हो गया है जिसमें बीएचईएल की 26 प्रतिशत एमपीपीजीसीएफ की 10 प्रतिशत पीएसयू/पीएसयूएफ़आई/पीएसयू बैंक की 16 प्रतिशत और शेष 48 प्रतिशत साझेदार की श्रेणी वर्तमान में प्रदत्त इक्विटी पूंजी को ₹ 5 करोड़ कर दिया है इसमें बीएचईएल एवं एमपीपीजीसीएल का प्रत्येक का अंशदान ₹ 22.5 करोड़ होगा ताकि जेवीसी भूमि अधिग्रहण खर्चों को पूरा कर सके।

ज) लातूर पावर कम्पनी लिमिटेड (एलपीसीएल)

बीएचईएल ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत जेनरेशन कम्पनी लि. (महाजेनको) के साथ मिलकर लातूर, महाराष्ट्र में 2×600 मेगावॉट थर्मल पावर प्लान्ट या 1500 मेगावॉट गैस आधारित कम्बाइन्ड साइकिल पावर प्लान्ट (सीसीपीपी) लगाने के लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाई है। महाजेनको के साथ संयुक्त उद्यम करार 11 नवम्बर, 2010 को हस्ताक्षर किए गए और "लातूर पावर कम्पनी लिमिटेड" के नाम से 6 अप्रैल, 2011 को जेवीसी का निगमन किया गया। इस जेवीसी की प्रारम्भिक अधिकृत पूंजी ₹ 5 करोड़ की हैं। इक्विटी संरचना को बाद में वित्तीय संस्थानों, बैंकों, आदि को भी दी जाएगी ताकि महाजेनको और बीएचईएल प्रत्येक 26 प्रतिशत की इक्विटी धारित कर सकें।

झ) बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

केरल सरकार के पूर्ण स्वामित्व उपक्रम केरल इलेक्ट्रिकल एवं अलॉइड इंजिनीयरिंग कम्पनी लिमिटेड (केईएल) की कासरगोड इकाई का अधिग्रहण करने के लिए केरल सरकार के साथ 8 सितम्बर, 2010 को एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस कम्पनी का निगमत "बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड" के नाम से 19 जनवरी, 2011 को किया गया जिसमें बीएचईएल की मुख्य स्टेक 51 प्रतिशत तथा केरल सरकार की 49 प्रतिशत है। यह कम्पनी ऑल्टर्नेटर तथा अन्य रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीनें बनाएगी।

ङ) अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

बीएचईएल उन्नयन एवं रचनात्मक विकास पर अधिक ज़ोर देता है, अतः कम्पनी के अनुसन्धान एवं विकास के प्रयासों का उद्देश्य विद्यमान उत्पादों के निष्पादन एवं कुशलता में सुधार करने के साथ–साथ आधुनिकतम प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए नए उत्पादों का विकास करना है, ताकि वे प्रौद्योगिकी एवं विशेषताओं के अलावा वैश्विक बैन्चमार्कों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। तदनुसार बीएचईएल दो तीखी

सर्फेस इंजीनियरिंग के लिए लेजर हार्डनिंग प्रणाली

देवीघाट एचईपी, नेपाल में लगाया गया बीएचईएल आरएंडडी केन्द्र द्वारा विकसित ब्रशलेस एक्साइटर

रणनीतियाँ यथा–आक्रामक आन्तरिक प्रयास और नवीनता को प्रेरित करना रहा है, जो भारत सरकार द्वारा घोषित ''नवीनता दशक (2010–2011)'' के अनुरूप हैं इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी ने आर एंड डी के खर्च में पिछले वित्तीय वर्ष (₹ 829 करोड़ के स्थान पर ₹ 98.86 करोड़) की तुलना में 18 प्रतिशत वृद्धि की है, और आन्तरिक रूप से विकसित उत्पादों एवं सेवाओं के कारोबार में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 7809 करोड़ का कारोबार हुआ है, तो कम्पनी के कुल कारोबार का लगभग 20 प्रतिशत है।

बीएचईएल की नवीनता की प्रेरणा में बीएचईएल की आईपीआर पूंजी 1438 आईपीआर की हो गई है और इस साल सबसे अधिक आईपीआर (303) फाइल किए गए हैं।

- ग्राहकों को समकालीन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदान करने के अपने प्रयास के रूप में बीएचईएल 1200 केवी ट्रान्सफ़ॉर्मरों का देश में विकसित कर और निर्माण करने वाली पहली कम्पनी बन गई है। बीएचईएल यूएचवी लैब में परीक्षण ट्रान्सफ़ॉर्मर के रूप में प्रयुक्त होने के लिए 1200 केवी टेस्ट ट्रान्समिशन लाइन, हेतु बीमा के लिए 1200 केवी कैपेसिटर वोल्टेज ट्रान्सफ़ॉर्मर (सीवीटी) का भी विकास एवं निर्माण किया है जो यूएचवीएसी ट्रान्सफमिशन प्रणाली में कम्पनी के लिए एक सोपान है। 1200 केवी यूएचवीएसी ट्रान्समिशन लाइनों के लिए भी देश में पहली बार 530 केएन डिस्क इन्सुलेटरों का भी विकास किया गया है। इसके अलावा कम्पनी ने 765 केवी 500 एमवीए ट्रान्सफ़ॉर्मर भी बनाया है जिसे पावर ग्रिड सब–स्टेशन वर्धा में फ़ील्ड ट्रायल के लिए भेजा जाएगा।
- हाइड्रो यूटिलिटीज के लिए कुशलता और राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से बीएचईएल ने हाइड्रो पावर प्लान्ट उपकरण रखरखाव प्रबन्ध प्रणाली/(एमएमएस) – प्रणाली विकसित की है। यह सॉफ़्टवेयर डाउनटाइम, मरम्मत और प्रतिस्थापन के कारण उपरी लागत में कमी करके सतत पावर जेनरेशन को सुनिश्चित करना है। एमएमएस प्रभावी एवं कुशल रखरखाव अनुसूची तथा अन्यु रिट्रिवल कार्यों के माध्यम से संयन्त्र की दीर्धकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति को भी सुनिश्चित करता है। प्रमुख यूटिलिटीस ने अपने सभी टेंडर दस्तावेज़ों में एमएमएस पेकेज को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रणाली की आपूर्ति एनएचपी को उसकी सेवा एचईपी में लगाने के लिए की जा रही है।
- अपने उत्पादों के लिए प्रभावी नियन्त्रण प्रणाली विकसित करके अपने ग्राहकों को लाभ पहुँचाने के लिए पावर ट्रान्सफ़ॉर्मरों के लिए एक कम लागत का डिजिटल ऑनलाइन मॉनीटरिंग एवं कन्ट्रोल सिस्टम (ओएलएमसीएस) विकसित करके उसका परीक्षण किया गया है। इसकी सहायता से इकाई बाइंडिंग तापमान, विद्युत पैरामीटरों, आर्द्रता एवं ऑइल इन गैस का मापन एवं मॉनीटरिंग करने के अलावा अलार्म संकेत भेजने के साथ–साथ प्रचालन स्थिति की सुपरविशन और ट्रान्सफ़ॉर्मर की शेष कार्य जीवन का अनुमान तथा ओवरलोड को कन्ट्रोल किया जा सकता है। इस प्रणाली से ऊर्जा में बचत होती है और वोल्टेज प्रोफ़ाइल बना रखा है तथा इसका टाइप टेस्ट अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर किया गया है।
- सोलर पीवी प्रणाली की लागत में सुधार करने के अपने सतत प्रयासों में बीएचईएल ने एक उच्च कुशल पैसिवेटेड इन्टरफ़ेस (पीआई) हेटेरो जंक्शन सोलर ऑन फुल साइज़ (125 मिमी स्यूडो–स्कवेर), मोनो क्रिस्टल्लाइन सिलिकॉन वेफ़र्स डिज़ाइन एवं विकास किया है। प्रॉसेस ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ 16.9 प्रतिशत की उच्च कुशलता प्राप्त की गई है। यह इस तरह के सेलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट की गई कुछ प्रथम कुशलताओं में से एक है। इस विकास के अनुरक्षण में सेलों एवं मॉड्यूलों के बैच उत्पादन के लिए कदम उठाए जाएंगे और वे मॉड्यूलों का अर्हता परीक्षण किया जाएगा।
- प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग की प्रतिबद्धता पर बल देने तथा पर्यावरण के प्रति सरोकार रखते हुए, बीएचईएल ने एक डायनामिक क्लासिफ़ायर प्रणाली बनाई है। यह प्रणाली पल्वराइज़र की वर्गीकृत कुशलता में सुधार लाती है और बर्नरों के लिए एक समान आकार का कोयला उपलब्ध कराने के लिए कणों के आकार पर बेहतर नियन्त्रण रखती है, जिससे बॉयलर की कम्बस्चन कुशलता में सुधार आता है और बॉयलर से NOx का कम उत्सर्जन होता है। इस डायनामिक क्लासिफ़ायर सिस्टम को डॉ. नरला टाटा राव थर्मल पावर प्लान्ट, विजयवाड़ा में लगाया गया है।
- ग्राहकों की आवश्यकतानुसार बनाए गए डिज़ाइनों को सतत रूप से प्रदान करते हुए बीएचईएल ने 16 मेगावॉट से 60 मेगावॉट की रेटिंग वाले हाइड्रो जेनरेटरों की रेन्ज के लिए अधिक विश्वसनीय 500 कि. वॉट, 300 आरपीएम ब्रशलैस एक्साइटर का विकास किया है। इससे हाइड्रो जेनरेटरों की शृंखला की ज़रूरत पूरी होगी और यह बीएचईएल निर्मित हाइड्रो जेनरेटरों की रेट्रोफिट जॉब के लिए भी उपयुक्त है। नेपाल के देवीघाट हाइड्रो पावर स्टेशन में फ़ील्ड ट्रायल शुरू हो गया है और अगले कदम में बीएचईएल की योग्यता 250 मेगावॉट तक के हाइड्रो जेनरेटरों के लिए ब्रशलैस एक्साइटर विकसित करने की है।

- ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों एवं डिज़ाइनों को सतत रूप से प्रदान करते हुए बीएचईएल ने भिलाई स्टील संयन्त्र में विद्युत गुणवत्ता नियन्त्रण तथा विद्युत आर्क फ़र्नेस (ईएएफ़) के प्रचालन के दौरान वोल्टेज में उतार–चढ़ाव में कमी लाने के लिए 2.5 एमवीएआर स्टेट काम का विकास करके उसे लगाना है। ईएएफ़ प्रचालन में वोल्टेज में भिन्नता तथा एक हार्मोनिक करन्ट से बस प्लान्ट के वितरण के जुड़े इलेक्ट्रॉनिक संवेदनशील उपस्करों और वितरण से जुड़े अन्य उपकरणों की कुशलता प्रभावित होती है। ईएएफ़ के लिए विकसित बीएचईएल का स्टेटकॉम इस्पात की उत्पादकता को बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉड की खपत तथा पीक डिमान्ड में कमी लाता है।
- हाई एवं अल्ट्रा हाई वोल्टेज गैस इन्सुलेटेड ट्रान्समिशन उपकरणों के लिए समर्तित अवसंरचना स्थापित करने के उद्देश्य से बीएचईएल अपनी हैदराबाद स्थित आर एंड डी डिविज़न में गैस इन्सुलेटेउ सब–स्टेशन (जीआईएस) के लिए अल्ट्रा हाई वोल्टेज (युएचवी) प्रयोगशाला स्थपित कर रहा है। इस सुविधा से गैस इन्सुलेटेड ट्रान्समिशन उपस्करों से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी और डिज़ाइन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में बीएचईएल कर्मचारियों के विकास एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसमें दो कार्यात्मक उपकरण शामिल होंगे तथा हाई वोल्टेज डि–इलेक्ट्रिक परीक्षण सुविधा और धूलरहित डिज़ाइन एवं एसेम्ब्ली स्थान।
- भावी क्षेत्रों में विकसपरक कार्यों के अनुरूप बीएचईएल हैदराबाद स्थित अपने कॉर्पोरेट आर एंड डी डिविज़न में जैसे औद्योगिकी केन्द्र (सीएससी) की स्थापना कर रहा है। इस सुविधा से बीएचईएल के संयन्त्र उत्पादों एवं प्रणाली में नैनो सामग्री के उपयोग की समस्याएँ तलाशी जाएंगी। विद्युत संयन्त्र उपकरण नैनो स्ट्रक्चर्स वीयर रेसिस्टेन्ट कोटिंग, विद्युत–रोधी सामग्री सोलर सेल, कार्बन नैनो ट्यूब उपयोग, नैनो फ़्लूइडिक्स, ईँधन सेल एवं सेन्सर्स जैसे सामानों के उपयोगों के लिए सामग्री के विकास का अध्ययन किया जाएगा। सर्वोत्तम आर एंड डी तथा अल्ट्रा हायर क्रिटिकल विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा में बीएचईएल को भावी तत्पर बनाने के लिए सीएनटी को स्थापित किया जा रहा है।
- बीएचईएल ने देश के अन्तरिक्ष कार्यक्रम में अपना योगदान करने की अपनी परम्परा को कायम रखा है। कम्पनी ने इसरो को उनके अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए अभी तक 210 वर्ग मीटर अन्तरिक्ष ग्रेड सोलर पैनल तथा 28 स्पेस गुणवत्ता बैटरियों की आपूर्ति की है। वर्ष के दौरान इसरो द्वारा छोड़े गए कार्टो2बी एवं जीएसएटी 4 सैटिलाइटों में क्रमशः बीएचईएल की 24एएच नि.–सीडी. बैटरियों तथा सोलर पेनल लगे हुए हैं।
- भारत सरकार के ''राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला (कार्बन) प्रौद्योगिकी मिशन'' के अनुसरण में भारत में उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत संयन्त्रों का विकास करने और स्थापित करने के लिए

पूर्व सचित (भारी उद्योग), भारत सरकार द्वारा हाई वोल्टेज लेबोरेट्री का शिलान्यास करते हुए

निदेशक (ई,आरएंडडी), बीएचईएल नैनो प्रोद्योगिकी केन्द्र शिलान्यास करते हुए

अगस्त, 10 में बीएचईएल, आईजीसीएआर एवं एनटीपीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बीएचईएल विकास में स्थापना तक पूरे परिदृश्य में एक अग्रणी भूमिका अदा करेगा।

च) मानव संसाधन प्रबंधन

1) औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान भागीदारिता की संस्कृति पर बल देना जारी रहा और कंपनी की विभिन्न यूनिटों और सेवा प्रभागों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे। अतः वर्ष 2010–11 के दौरान मानव दिवसों की हानि शून्य थी।

शीर्ष–स्तरीय द्विपक्षीय मंच नामतः "बीएचईएल की संयुक्त समिति" की वर्ष के दौरान 02 बैठकें हुईं। इसके अलावा वर्ष के दौरान असंगति समिति की 02 बैठकें हुई जिसमें 2007 के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर विचार करके सौहार्दपूर्ण रूप से उनका समाधान किया गया। लगभग 33 वर्षों के बाद भोपाल इकाई में प्रतिनिधि यूनियन का निर्णय करने के लिए 22 अप्रैल, 2010 को चुनाव किए गए। इसके अलावा संयुक्त समिति की उप–समिति की नवम्बर, 2010 में बैठक हुई, जिसमें अप्रैल, 2011 में संयुक्त समिति के पुनर्गठन के लिए चुनाव कराने का निर्णय किया गया। कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें हुईं जिनमें कार्य और हित से संबद्ध मुद्दों पर चर्चा हुई।

वर्ष के दौरान कम्पनी की विभिन्न इकाइयों में प्लान्ट काउन्सिल की 48 और शॉप काउंसिलों की 177 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें लागत में कमी, उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने तथा ग्राहक प्रतिबद्धता, क्रमिक डिलिवरी, उत्पाद गुणता आदि पर विस्तार से चर्चा हुई ताकि सम्पूर्ण निष्पादन में सुधार आ सके।

राष्ट्रीय आपदा तथा विपदाओं में पीड़ितों की सहायता करने में बीएचईएल सदैव आगे रहे हैं। इस परम्परा को निभाते हुए और एकता का परिचय देते हुए जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लेह क्षेत्र में बादल फ़टने से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए बीएचईएल कर्मचारियों ने ₹ 4.36 करोड़ (₹ चार करोड़ छत्तीस लाख) प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष से दान दिए।

2) बीएचईएल, यूनिटों तथा कर्मचारियों द्वारा जीते गए पुरस्कार

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार (श्रम मंत्रालय द्वारा को घोषित)

- प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार निजी तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन, अन्वेषणकारी क्षमताओं, उत्पादकता में उल्लेखनीय योगदान, असाधारण प्रतिभा प्रदर्शन एवं प्रखर बौद्धिकता का परिचय देने वाले कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है।
- **प्रधान मन्त्री श्रम पुरस्कार 2008** (15 अगस्त, 2010 को घोषित), श्रम भूषण पुरस्कार (एक पुरस्कार ईडीएन – बैंगलूर के कर्मचारी ने जीता); श्रम वीर पुरस्कार (एक पुरस्कार एचईपी भोपाल के कर्मचारी ने जीता); श्रम श्री पुरस्कार (दो पुरस्कार सीएफएफपी – हरिद्वार से कर्मचारियों ने और एक पुरस्कार एचपीईपी – हैदराबाद के कर्मचारी ने जीता)।
- **प्रधान मन्त्री श्रम पुरस्कार 2009** (21 फ़रवरी, 2011 को घोषित), श्रम वीर पुरस्कार (एक पुरस्कार सीएफ़एफ़पी – हरिद्वार के कर्मचारी ने जीता); श्रम श्री पुरस्कार (एक पुरस्कार एचपीईपी – हरिद्वार के कर्मचारियों ने जीता); श्रम श्री पुरस्कार एचपीईपी – हैदराबाद के कर्मचारी ने जीता)।
- **प्रधान मन्त्री श्रम पुरस्कार 2010** (05 जुलाई, 2011 को घोषित), श्रम भूषण पुरस्कार (एक पुरस्कार एचपीबीपी – तिरुचि के कर्मचारियों ने जीता); श्रम श्री अवार्ड (एक पुरस्कार बीएपी – रानीपेट कर्मचारी ने जीता)।

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2009 (श्रम मंत्रालय द्वारा घोषित)

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार औद्योगिक उपक्रम (फैक्टरी अधिनियम, 1986 के अधीन शामिल) की ओर से अच्छे सुरक्षा निष्पादन और दुर्घटना निवारण कार्यक्रम में प्रबंधन और कामगारों दोनों की दिलचस्पी बढ़ाने और बनाए रखने के मान्यता स्वरूप दिया जाता है। एसएसटीपी – तिरुचि यूनिट को विजेता घोषित किया गया।

एनर्जी स्मार्ट ऑर्गनाइज़ेशन 2008 (इन्स्टिट्यूशन ऑफ़ इन्जिनीयर्स (I) – आन्ध्र प्रदेश राज्य केन्द्र द्वारा घोषित)

24 – 25 नवम्बर, 2010 को आयोजित ''ऑल इंडिया सेमिनार ऑन एन्हान्स्ड एनर्जी एफ़िशिएन्सी'' के दौरान हैदराबाद इकाई को **''एनर्जी स्मार्ट ऑर्गनाइज़ेशन''** घोषित किया)

3) मानव संसाधन विकास

वर्ष 2010–'11 में कुल 31166 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 15.02 प्रशिक्षण श्रम दिवस के अनुसार विभिन्न किस्म के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया।

कर्मचारियों के अतिरिक्त, 6819 एक्ट एप्रेंटिसों को 1552577 प्रशिक्षण मानव दिवस देते हुए विभिन्न यूनिटों में प्रशिक्षित किया गया था।

बीएचईएल में ग्राहक प्रशिक्षण एक नियमित कार्यकलाप रहा है और वर्ष के दौरान 112612 श्रम दिवस देते हुए 1389 ग्राहकों को प्रशिक्षित किया गया था।

सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति सजग होकर विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों से 8878 व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थियों को भी प्रशिक्षित किया गया था।

मानव संसाधन विकास संस्थान, नोएडा

वर्ष 2010–11 के दौरान एचआरडीआई ने 252 दिनों तक विस्तारित 69 कार्यक्रम संचालित किए। कुल 7286 प्रशिक्षण श्रम दिवस देते हुए कुल 1544 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

मॉनीटरिंग पर बल

वर्ष 2008–09 से प्रत्येक इंजिनीयर प्रशिक्षार्थी/कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के लिए मॉनीटरिंग अनिवार्य कर दी गई है। वर्ष 2010–11 के दौरान एचआरडीआई तथा इकाइयों में 368 मेंटरों को 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

इंजीनियर/कार्यपालक प्रशिक्षणार्थी प्रवेश प्रशिक्षण

ईटी को बीएचईएल में दक्षता 2007 नियम पुस्तिका के अनुसार एक–वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया था और उसके बाद बीएचईएल में सफल आमेलन किया गया था।

- वर्ष के दौरान 634 ईटी (4 बैच) को सफलतापूर्वक आमेलित किया गया था तथा अतिरिक्त 1000 ईटी ने भी कॉमन इंडक्शन प्रोग्राम लर्निंग सफ़लतापूर्वक पूरा किया।
- इसके अतिरिक्त फरवरी 2011 में बीएचईएल की विभिन्न ईकाइयों में 900 ईटी ने कार्यग्रहण किया उनकी सीआईटी भी सफलता पूर्वक पूरी हो गई है।

4) मानवशक्ति संख्या

दिनांक 31.03.2011 की यथास्थिति कंपनी की मानवशक्ति संख्या 46,748 थी।

5) राष्ट्रपति के निर्देशों से संबंधित सूचना

निर्दिष्ट अभ्यर्थियों के आरक्षित कई अर्थात अजा, अजजा, ओबीसी और शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती तथा निर्दिष्ट पदों की पदोन्नति में निर्धारित आरक्षण के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति पर राष्ट्रपति आदेश हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के आदेशों में आवास में आरक्षण भी शामिल है। इस विषय पर समय–समय पर जारी राष्ट्रपति आदेशों का सख़्ती से पालन किया गया है और सरकार द्वारा निर्धारित पद आधारित रोष्टा प्रणाली के माध्यम से आरक्षण प्रतिशत को सुनिश्चित किया गया है। तथापि इन दिशानिर्देशों का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर कोई सीधा प्रभाव नहीं है।

i) **अजा और अजजा के कल्याण के लिए कम्पनी की गतिविधियाँ** कंपनी राष्ट्रपति के निर्देशों और भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ओबीसी एवं शा. वि. के आरक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कर रही है। वर्ष 2010–'11 के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर केन्द्रित विभिन्न समुदाय विकास गतिविधियों का बीएचईएल यूनिटों के भीतर और इसके आसपास के विभिन्न स्थानों जहां बीएचईएल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व स्कीम के अंतर्गत कंपनी विद्यमान हैं, में आयोजन किया गया।

ii) **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्वः**

कर्मचारियों की कुल संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का

प्रतिनिधित्व दिनांक 31.12.2010 को क्रमशः 19.59 प्रतिशत, 5.40 प्रतिशत तथा 18.28 प्रतिशत था।

तथापि वर्ष के दौरान सीधी भर्ती में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 16.86 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 8.00 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21.49 प्रतिशत था। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्होंने ऑफर जारी कर दिए गए थे लेकिन उन्होंने 31.12.2010 के बाद कार्यग्रहण किया। इस मामले में विशेषकर अनुसूचित जनजाति श्रेणी में अपेक्षित प्रतिशत आरक्षण का ध्यान रखा गया था।

दिनांक 01 जनवरी, 2010 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाते हुए संशोधित निर्धारित प्रपत्र में सरकार को प्रस्तुत वार्षिक विवरण **अनुबंध–क** में दिया गया है।

iii) 01 जनवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या

दिनांक 01.01.2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी में इस समय कुल 755 शारीरिक विकलांग कर्मचारी हैं। 01.01.2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी के शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की समूहवार संख्या **अनुबंध–ख** में दी गई है।

छ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- बीएचईएल सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 को अक्षरशः लागू करने में अग्रणी है। आरटीआई के भाग के रूप में अपीलीय प्राधिकरण के साथ कंपनी स्तर पर एक मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा एक केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) और प्रत्येक प्रशासनिक यूनिट के लिए 14 मुख्य लोक सूचना अधिकारी कार्यरत हैं।
- बीएचईएल की वेबसाइट के माध्यम से अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अनुरूप पूर्वक्रियात्मक प्रकटन किए गए थे। सूचना मांगने वाले आवेदकों की सुविधा के लिए बीएचईएल की वेबसाइट पर आरटीआई वेब पेज पर उचित दिशानिर्देश दिए गए हैं। अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक यूनिटों और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- वर्ष 2010–11 के दौरान बीएचईएल को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 1028 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 146 आवेदन अपीलें प्रथम अपील अधिकारी के पास फाईल की गई। इन सभी आवेदनों और अपीलों का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटान किया गया।
- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन पर और बल देते हुए कॉर्पोरेट कार्यालय में इस समूह में मानव सन्साधन को और मज़बूत किया गया है।
- बीएचईएल स्टैंडिंग कॉन्फ्रेन्स ऑफ़ पब्लिक एन्टरप्राइसेस (स्कोप) द्वारा गठित 'सन्चालक समिति' का सक्रिय सदस्य है। जिसमें विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के समान हित के आरटीआई मुद्दोंपर विचार–विमर्श किया जाता है ताकि स्कोप नीति स्तर पर उन्हें उपयुक्त रूप से बाहर कर सके।

ज आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- कंपनी की प्रमुख विनिर्माण यूनिटों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित हैं जो निदेशक (वित्त)/ बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षा करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न नीतियों तथा प्रक्रियाओं की नियमित लेखापरीक्षा प्रणाली पुनरीक्षा और अनुपालन की देखरेख के जरिये आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभाव की जांच करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा के कामकाज और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की पुनरीक्षा बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समितियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।
- कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय लागू किए हैं। यह उपाय सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों यथा बजट, क्रय, सामग्री, भंडार, निर्माण कार्य, वित्त, कार्मिक आदि को शामिल करते हुए प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न संहिताओं,

नियम पुस्तिकाओं और कार्यविधियों के रूप में हैं। इन संहिताओं, नियम पुस्तिकाओं और कार्यविधियों को समय–समय पर अद्यतन किया जाता है और उनका सख्ती से अनुपालन किया जाता है, जिनकी जांच आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है।

झ विलयन और अधिग्रहण

बीएचईएल ने निरवयव (इनआर्गेनिक) विकास के लिए अभिगत क्षेत्रों में विलयन और अधिग्रहण से संबद्ध अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। बीएचईएल नवीकरणीय ऊर्जा और परिवहन तथा पारेषण जैसे अन्य संभावित क्षेत्रों में यूरोप और सं.रा.अ. में अधिग्रहण अवसरों पर सक्रियता पूर्वक कार्रवाई करके इस प्रयास में बीएचईएल ने अपने सूचीबद्ध एमएंडए सलाहकारो के साथ बीएचईएल के लक्ष्य विषयों/क्षेत्रों पर चयन हेतु नवम्बर, 2010 को मुम्बई में ''एमएंडए सलाहकार सम्मेलन'' आयोजित किया। बीएचईएल ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी भारत हेवी प्लेट्स एवं वेसल्स, विशाखापट्नम (बीएचपीवी) जिसका अधिग्रहण मई, 2008 में किया गया था, उसका कायापलट करते हुए इसने वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹ 8.77 करोड़ कर पश्चात लाभ कमाया है।

ञ अवसर और खतरे

विश्व

वैश्विक आर्थिक मंदी का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा था। सौभाग्यवश 2010 में 4.9 प्रतिशत के विकास में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सरकारी सहयोग से उछाल आया और मालसूची की पुनःपूर्ति से विस्तार रुकी और उद्योग एवं व्यापार में नए विकास का अंकुरण हुआ। आर्थिक विकास का नेतृत्व गैर–ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं ने किया संकट के साथ प्रभावित हुई थी, हमेशा की तरह, आर्थिक विकास ऊर्जा मांग की प्रमुख निर्धारक है और ऊर्जा खपत सामान्यतया आर्थिक चक्र का दर्पण है। अतः वैश्विक अर्थव्यवस्था सुधार की गति अगले कई वर्षों के लिए ऊर्जा सम्भावनाओं की कुंजी है। लेकिन यह जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा सुरक्षा की दोहरी चुनौती पर सरकार का प्रत्युत्तर दीर्घ समय में ऊर्जा के भविष्य को तय करेगा। बीपी स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ़ वर्ल्ड एनर्जी 2011 के अनुसार वर्ष 2009 में जीडीपी से अधिक ऊर्जा मांग में कमी (जब 30 वर्षों में पहली बार गिरावट देखी गई) आई (जब लगभग 40 वर्षों में काफ़ी वृद्धि हुई)।

हाल ही के वर्षों में विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समुदाय द्वारा जलवायु परिवर्तन, अकुशल जीवाश्म ईंधन की सब्सिडी में सुधार, कम कार्बन गैस प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय करारों, जिसमें वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से नीति बनाने में उल्लेखनीय कदम को देखता है।

वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2010 उपर्युक्त नीति परिदृश्य में 2008 से 2035 के बीच विश्व की प्रकाशित ऊर्जा मांग में 35 प्रतिशत या प्रति वर्ष औसतन 1.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2035 में जीवाश्म ईंधन–तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस मुख्य ऊर्जा स्रोत बने रहेंगे तो कुल प्रारम्भिक ऊर्जा मांग के लगभग ½ हिस्सा होगी। 2035 तक चीन की वर्तमान वैश्विक मांग 17 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो जाएगी और भारत की मांग में 18 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

अगले 2½ दशकों में विश्व की ऊर्जा मांग को पूरा करने में प्राकृतिक गैस एक केन्द्रीय भूमिका निभाएगी। आर्थिक मन्दी के कारण 2009 में वैश्विक प्राकृतिक गैस की मांग में जो कमी आई थी उसमें 2010 से दीर्घकालीन वृद्धि होगी। यह अकेला जीवाश्म ईंधन है, जिसकी मांग 2035 में 2008 से अधिक होगी।

अक्षय ऊर्जा विश्व के एक सुरक्षित, विश्वस्तरीय और सन्धारणीय ऊर्जा पथ पर ले जाने के लिए एक केन्द्रीय भूमिका निभाएगी। इसकी सम्भावनाएँ काफ़ी अधिक हैं लेकिन विश्व की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में उनका योगदान प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों में की तुलना में अक्षय ऊर्जा को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने में सरकारी सहयोग पर निर्भर करता है।

भारत

2010–11 के दौरान जीडीपी में 8.6 प्रतिशत (एई) की विकास दर से अर्थव्यवस्था उच्च विकास की ओर मुड़ी है। वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण की पिछले दो वर्षों में विकास की दर मध्यम रही है। 2010–11 के

दौरान कृषि तथा उद्योग एवं सेवाओं में सतत गतिविधियों के स्तर से विकास में उछाल आया है।

सम्पूर्ण विकास के संकेतक मिले–जुले है। कृषि के विकास की सम्भावनाएँ हैं और आईएमडी के सामान्य मज़बूत एवं 2010–11 में रबी के अच्छे उत्पाद का अनुमान है। लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में औद्योगिक विकास के मध्यम रहने से मूल प्रभाव में गिरावट और पून्जीगत सामान उत्पादन में संकुचन दिखाई देता है। लेकिन कुछ मदों की अस्थिर उत्पादन से कमी बाधित हुई है। अन्य संकेतक जैसे पर्चेज़िंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआई), प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर वसूली, माल निर्मल तथा बैंक क्रेडिट यह बताते हैं कि विकास की गति बनी हुई है। सेवा क्षेत्र के संकेतक सरकारी खर्च सम्बन्धित सेवाओं में कुछ कमी के बाद भी मज़बूत बने रहे। लेकिन उच्च ऊर्जा और वस्तुओं की कीमतें उत्पादन और निवेश को प्रभावित कर सकती है और उच्च विकास को बनाए रखने में उस समय एक चुनौती दे सकती है, जब निवेश की गति धीमी हो जाए।

पावर सेक्टर

भारत सरकार बड़े स्तर पर निजी व विदेशी निवेश तथा आधारित प्रौद्योगिकी के साथ एक कुशल एवं तीव्र विकासशील बिजली सेक्टर बनाने के लिए मज़बूती से प्रतिबद्ध है। विभिन्न नीतियाँ एवं नियामक सुधार जैसे बिजली अधिनियम 2003 इसका उदाहरण है। इसके परिणामस्वरूप पिछले कई वर्षों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 11वीं योजना में देश में समग्र विस्तार में विशेषकर थर्मल में 2010–11 34.5 जीडब्ल्यू की वृद्धि हुई, जो किसी भी योजना से अधिक है। इस बात के संकेत हैं कि 2011–12 में इस सेक्टर में और अधिक अर्थात सपूर्ण XIवीं योजना अवधि (2011–12 में समाप्त) में लगभग 60जीडब्ल्यू अर्थात पिछली पंच–वर्षीय योजना से दोगुनी होगी। अभी देश का पावर सेक्टर, उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर तीव्र मांग–आपूर्ति के असन्तुलन, बार–बार पावर कट और अपर्याप्त कवरेज से आरोपित है। 2011–12 में पीक लोड कमी 10.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह माना जाता है कि बिजली की उपलब्धता में कमी अर्थव्यवस्था के सतत विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा है। इस सन्दर्भ में मांग एवं आपूर्ति में अन्तर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है और इसके परिणामस्वरूप इस सेक्टर के विभिन्न खंडों; उत्पादन, ट्रान्समिशन एवं वितरण में अधिक क्षमता विस्तार किया जा रहा है। 12वीं एवं 13वीं योजना अवधि में भारत सरकार की योजना प्रत्येक योजना में राष्ट्र की विद्युत क्षमता में 100 जीडब्ल्यू के विस्तार तथा इसके अनुरूप टीएंड डी में भी विस्तार करने की योजना ही सभी स्टेकहोल्डरों के लिए से अधिक अवसर उपलब्ध हैं। भारत, चीन और विकसित देशों की कम्पनियाँ भी भारत के बाज़ारों से इन अवसरों का ... करने के लिए प्रयास कर रही थी।

भारत का पावर सेक्टर भी ऊर्जा कुशल, पर्यावरणानुकूल प्रथा कम ईँधन खपत वाली प्रौद्योगिकियों जैसे सुपरक्रिटिकल पैरामीटर वाले उच्च रेटिंग के थर्मल सेट यूएचवी ट्रान्समिशन सेटों आदि के माध्यम से पर्यावरण बदलाव की चुनौतियों का उत्तर दे रहा है। आइजीसीसी और उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का भी तेज़ी से अनुसरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ क्षेत्र स्टेकहोल्डरों के लिए चिन्ता का विषय बने हुए हैं। बैलेन्स ऑफ़ प्लान्ट्स में क्षमता असन्तुलन तथा पावर वैल्यू चेन इस सेक्टर के क्षमता विस्तार लक्ष्यों को पूरा करने में मुख्य बाधाएँ हैं। भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयाँ, नियामक अनुमति में देरी, अनियमित ईँधन सप्लाई, पर्याप्त बुनियादी ढाँचे की कमी, और राज्य की यूटिलिटीज की खराब होती वित्तीय स्थिति इस सेक्टर की वर्तमान सतत गति बनाए रखने में जोखिम हैं।

उद्योग क्षेत्र

लगातार दो कम विकास के वर्षों के बाद 2010–11 में वास्तविक जीडीपी विकास ने विकास की निकट दर हासिल कर ली, लेकिन गैर–कृषि जीडीपी विकास दर प्रवृत्ति से नीचे रही। 2010–11 में मुख्य बल कृषि से आया जिसे सामान्य मानसून से लाभ हुआ जबकि उद्योग और सेवाओं में मामूली कमी आई।

2010–11 में औद्योगिकी क्षेत्र ने गिरावट दर्ज की क्यों कि आईआइपी की विकास अस्थिरता की बीच–बीच में होने वाली घटनाओं से मध्यम रही, जिसका मुख्य कारण उच्च मूल प्रभाव और पूंजी में तेज़ गिरावट तथा इन्टरमीडिएट माल था, जिससे 2010–11 की तीसरी तिमाही में निवेश मध्यम रहा।

पूंजीगत माल सेक्टर हेतु अग्रणी संकेतक (व्यवस्था विश्वास, पूंजी उपलब्धता, क्षमता उपयोग) हाल ही के महीनों में मध्यम रहे, क्यों कि विनिर्माण मूल्य वृद्धि उम्मीद से आगे रही। अधिक ब्याज दर

से पूंजी की बढ़ी हुई लागत से निर्माण एवं उद्योग को क्षमता विस्तार स्थगित करना होगा। यद्यपि पूंजीगत उद्योग में कार्यरत कम्पनियाँ से ऑर्डर इन्क्वायरी मिल रही है लकिन परियोजना को निश्चित करने में प्रतिकूल स्थितियाँ से इस क्षेत्र में ऑर्डरों के मिलने में कमी आ रही है। इसके अलावा बढ़ती ब्याज दर के कारण लघु अवधि में मांग मध्यम बनी रहेगी। लेकिन काफ़ी समय के बाद मांग बनेगी जिसके लिए अवसंरचना में खर्च करने की आवश्यकता है ताकि देश की आर्थिक स्थिति प्रगामी बनी रहे। शहरी तथा ग्रामीण खपत में खर्च होने वाली में आय से वृद्धि से मज़बूती आ सके।

सीएमआईआई (मई, 2011) के अवसर औद्योगिक उत्पादन में 2011–12 के दौरान 9–10 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है साथ ही विभिन्न उद्योगों में क्षमता विस्तार की मिलता है। पूंजीगत सामान के उत्पादन में भी तेज़ी से वृद्धि होगी।

ट भविष्य के लिए तैयारी

- कम्पनी ने विकास के जिस छह प्राथमिक क्षेत्रों यथा क्षमता वृद्धि, शीघ्र परियोजना निष्पादन, उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी, एवं गुणवत्ता, विविधिकरण, इंजिनीयरी एवं प्रौद्योगिकी तथा व्यक्ति विकास पर ज़ोर दे रही है ताकि पावर सेक्टर में अपनी लीडरशिप बनाई रखी जा सके और उभरते हुए क्षेत्रों में अवसरों से लाभ उठाया जा सके।
- निर्माण क्षमता में वृद्धि की दिशा में प्रति वर्ष 15000 मेगावॉट डिलीवर करने की क्षमता प्राप्त की जा चुकी हैं मार्च 2012 तक इसे 20000 मेगावॉट प्रति वर्ष बढ़ाने का काम प्रगति पर है। समयपरक, सुनियोजित एवं मापन योग्य निवेश को सुनिश्चित करने के माध्यम से कम्पनी घरेलू पावर सेक्टर में अवसरों के लाभ उठाने की तैयारी में है।
- बीएचईएल भावी विकास को बनाए रखने के लिए कई अवसर पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिनमें शामिल हैं:
  - भारत तथा अन्य परस्पर रूप से सहमत देशों में ट्रान्समिशन एवं वितरण (टीएंडडी) व्यवसाय करने के लिए तोशिबा, जापान के साथ एक जेवीसी बनाने हेतु रणनीतिक सहयोग। यह जेवीसी अन्य उत्पादों के अलावा 765 केवी ट्रांसफरों और रिएक्टरों एवं प्रणालियों एवं जीआईएस सहित ईएचवीएसी एवं यूएचवीएसी में उपकरण एवं परियोजनाएँ कवर करेगी।
  - परिवहन व्यवसाय, जिसमें बीएचईएल इलेक्टिक लोको उपकरणों हेतु फ़ैक्टरी एवं डीज़ल लोको फ़ैक्टरी लगाने के लिए टेंडर में भाग ले रहा है।
  - 700 एमडब्ल्यू हेतु न्यूक्लियर परियोजनाओं हेतु एनपीसी आईएल एवं एल्स्टॉम के साथ एक त्रिपक्षीय जेवी बनाकर न्यूक्लियर खंड व्यवसाय में सक्रिय भागीदारी।
  - सघनीकृत सोलर थर्मल पावर सयन्त्र (सीएसपी) के लिए एबेनगोआ, स्पेन के साथ संयुक्त कार्य व्यवस्था तथा सिलिकॉन वेफ़र्स, सोलर सेल तथा माड्यूलों के लिए निर्माण सुविधा (240 मेगावॉट) स्थापित करने हेतु एक जेवी बनाकर बीईएल के साथ रणनीतिक गठबन्धन।
  - जल व्यवसाय क्षेत्र में फ़ोकस करने के लिए जल–शोधन उपकरण हेतु सीई इंडिया इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड (जीईआईआईपीएल) के साथ निर्माण सहयोग करार।
- सप्लाई चेन को अधिक कुशल बनाने तकि परियोजना निष्पादन के शीघ्रता लाने के लिए कम्पनी विक्रेता आधार में विस्तार, आउटसोर्सिंग, उन्नत निर्माण कार्रवाई अतिरिक्त औज़ार एवं संयन्त्र उपलब्धता, वैश्विक सोर्सिंग तथा अवे सेन्टर फ़ेब्रिकेशन करने आदि जैसी पहल सतत रूप से की जा रही है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल एंड सीईओ जीई इंडिया जल शोधन उपस्कर एवं प्रणाली, के लिए अनुबंध प्रलेखों का आदान–प्रदान करते हुए

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, एबेनगोआ सोलर भारत में सघनीकृत सौर विद्युत परियोजना के विकास के लिए अनुबंध प्रलेखों का आदान –प्रदान करते हुए

- पूरी कम्पनी में चिह्नित उत्पादों में क्षमता निर्माण पहलों जैसे लीव मैन्यूफ़ैक्चरिंग (एलएम), डिज़ाइन टू कॉस्ट (डीटीसी) तथा क्रम आपूर्ति–प्रबन्धन (पीएसएम) से कम्पनी लागत में प्रतिस्पर्धी रहने में लगाई हो सकेगी।
- कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में 2007–11 के दौरान 15,606 व्यक्तियों की भर्ती की गई है। व्यवसाय अपेक्षाओं के अनुरूप मानव सन्साधन प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों को बनाना जारी रहेगा साथ ही सक्सेशन प्लानिंग के अलावा कर्मचारियों के काम कौशल में और क्षमता में भी वृद्धि की जाएगी।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धीमी प्रगति के बावजूद भी बीएचईएल वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आधी स्थिति मज़बूत बनाने तथा अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उपस्थिति को का विस्तार नए बाज़ारोंमें करने के लिए तैयार है। भौगोलिक वैविध्यकरण के लिए निर्माण बाज़ारों में निर्माण एवं सेवा के लिए संभावनाएँ तलाशी जाएंगी।
- संभावित अवसरों का लाभ उठाने के लिए बीएचईएल राज्य यूटिलिटीज के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम में रणनीतिक गठबन्धन करता रहेगा, ताकि थर्मल परियोजनाओं में उपकरणों की बिक्री लाभ लेने के अलावा अन्यों के साथ प्रौद्योगिकी की सोर्सिंग, महत्वपूर्ण इनपुट एवं उपकरणों से भी लाभ उठा सके।
- बीएचईएल देश भर में फ़ैले अपने विनिर्माण संयंत्रों के आस–पास के गाँवों में समान–आर्थिक तथा समुदाय विकास कार्यक्रमों की दिशा में अपनी ज़िम्मेदारी बढ़ाएगा।
- बीएचईएल उन्नयन व्यवसाय रणनीति में श्रेष्ठता प्राप्त कदम रहेगा ताकि यह संनिश्चित किया जा सके कि कम्पनी उद्योग विकास में सबसे आगे है और अपने उत्पादों और सेवाओं में सतत सुधार करेगी।
- ''राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला (कार्बन) प्रौद्योगिकी मिशन'' के भाग के रूप में कम्पनी इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसन्धानों केन्द्र (आईजीसीएआर) तथा एनटीपीसी के सहयोग से उन्नत अल्ट्रा सुपर–क्रिटिकल (एडीवी–एससी) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- कम्पनी स्ट्रैटेजिक प्लान 2012 के 2011–12 तक 10–11 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है।
- 1974 से अपनाई जा रही कॉर्पोरेट योजनाओं की शृंखला में सातवीं ''स्ट्रैटेजिक प्लान 2012–17'' बनाई जा रही है ताकि बाज़ार की चुनौतियों का सामना किया जा सके और कम्पनी विकास के अगले चरण में प्रवेश कर सके।

ठ जोखिम और चिंताएं

2008 में शुरू हुए तथा 2009 तक चली वैश्विक आर्थिक मन्दी सुधार की राह पर है। वैश्विक वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन यह असमान है और इसमें वस्तुओं की कीमतों में विशेष रूप से तेल की कीमतों में वृद्धि अधिक हो सकती है क्योंकि इसका मुख्य कारण तेल की सप्लाई में अनिश्चितता तथा भौगोलिक स्थितियां है। वैश्विक सन्दर्भ में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर काफ़ी चिन्ताएँ बनी

बीएचईएल हरिद्वार में नया 600–800 मेगावाट टीजी टेस्ट बैड

तिरूचिरापल्ली में कोयला अनुसंधान सुविधा

हुई हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में पर्यावरण प्रदूषण पर चिन्ता बढ़ रही है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर स्टेशनों से स्टेशनों से उत्पादित बिजली तथा उनके सुरक्षा पहलुओं को मज़बूत बनाने पर नई बहस शुरू हो गई है।

भारतीय पावर सेक्टर ने पिछले कई वर्षों से देश में नियोजित उच्च विद्युत क्षमता विस्तार कार्यक्रम के कारण विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। इसके परिणामस्वरूप विद्युत उपकरणों की कई अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ/अपूर्तिकर्त्ता देश की कम्पनियों के साथ मिलकर विकासशील भारतीय बाज़ार पर ध्यान केन्द्रित करके विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित कर रहे हैं या अपनी वर्तमान क्षमता बढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ टेक्नॉलोजी लीडर हैं और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए विदेशी क्षेत्रों में विभिन्न बाज़ार क्षेत्रों पर लाइसेन्सिंग रोक लगाने सहित अपनी शर्तों पर बल देते हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा घरेलू बाज़ार में खुली पहुँच से लाभ पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि नई कम्पनियों द्वारा उग्र रूप से बिडिंग के द्वारा बाज़ार शेयर प्राप्त करने की सम्भावनाएँ हैं। इससे दीर्घ समय में बीएचईएल के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाएगी। कच्चे माल की विशेषकर स्टील तथा ताम्बे की कीमतों में वृद्धि से लाभ पर भी प्रभाव पड़ेगा।

भारत में विद्युत उत्पाद में जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयले का प्रमुख उपयोग होता है इसलिए इस भारतीय विद्युत विकासकर्ताओं/यूटिलिटीज को इस प्राकृतिक संसाधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मांग के अनुरूप कोयले की खुदाई न होने के कारण कोयले की कम अपूर्ति होती है। इसके अलावा पर्यावरण अनुमति में देरी, भूमि अधिग्रहण तथा स्थानीय शान्ति एवं व्यवस्था समस्याएँ जैसी विभिन्न अन्य अवरोध पावर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं।

भारत के पास सतत ऊर्जा उपयोग के लक्ष्यों को सन्तुलित करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा ऊर्जा आपूर्ति के रख–रखाव के सम्पूर्ण रणनीतिक अनिवार्यताएँ हैं। भारतीय बाज़ार सुपर–क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्रारम्भिक तकनीकी बाधाएँ आ सकती हैं। घरेलू पावर सेक्टर की कुछ और अन्य चिन्ताएँ जैसे देश में बैलेन्स आफ़ प्लान्ट वेंडर्स के अलावा बड़े आकार की विद्युत परियोजनाओं एवं वृद्धित निर्माण लोड की हैंडलिंग काम करने हेतु योग्य एवं समर्थ और उप–ठेकदारों सहित कुशल कर्मचारियों की कमी, परियोजना प्राधिकारियों/विकासकर्ताओं, ठेकेदारों एवं उनके उप–ठेकेदारों के बीच संविदात्मक मुद्दे आदि हैं।

जिन व्यवसाय क्षेत्रों में बीएचईएल कार्य करता है, लगभग उन सभी में विकास की सम्भावनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्णयों और वर्तमान व्यवसाय प्रकृतियों पर निर्भर करती हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

बी. पी. राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2011

अनुबंध–क

दिनांक 01.01.2011 को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व तथा पिछले कैलेंडर वर्ष 2010 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

	अजा / अजजा / अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (दिनांक 01.01.2011 की यथास्थिति)				कैलेंडर वर्ष के 2010 दौरान की गई नियुक्तियों की सं.									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा**			अन्य विधियों द्वारा		
समूह	कर्मचारियों की कुल सं.	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अज	अजजा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क	13339	2023	787	1902	983	147	67	233						
समूह ख	11057	1862	251	681	11	1	0	0						
समूह ग	19591	4564	1376	5284	1833	329	163	361						
समूह घ सफाईकर्मी को छोड़कर समूह घ	1233	297	37	423	49	8	0	24						
सफाईकर्मी	154	145	1	3	0	0	0	0						
कुल	45374	8891	2452	8293	2876	485	230	618	0	0	0	0	0	0

** बीएचईएल में पदोन्नति द्वारा प्रवेश स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं होती है।

अनुबंध–ख

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या (प्रतिनिधित्व)				सीधी भर्ती (कैलेंडर वर्ष 2010 के दौरान)							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की सं.			भरी गई रिक्तियों की सं. (नियुक्ति)				आरक्षित रिक्तियों की सं.			भरी गई रिक्तियों की सं. (नियुक्ति)			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
समूह क	13339	3	13	132	0	1	0	983	0	3	15							
समूह ख	11057	4	12	133	0	0	0	11	0	0	0							
समूह ग	19591	31	33	378	8	15	6	1833	3	2	63							
समूह घ	1387	1	4	11	0	0	0	49	0	0	0							
कुल	45374	39	62	654	8	16	6	2876	3	5	78							

नोटः (i) वीएच का अभिप्रायः दृष्टि विकलांग है (इसके अंतर्गत नेत्रहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले लोग आते हैं)

(ii) एचएच का अभिप्रायः श्रवण विकलांग है (इसके अंतर्गत बहरे व्यक्ति आते हैं)

(iii) ओएच का अभिप्रायः अस्थि विकलांग है (इसके अंतर्गत लोकोमीटर अथवा प्रमस्तिष्क आघात से पीड़ित व्यक्ति आते हैं)

* समूह ख से क तथा समूह क में पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। बीएचईएल में समूह–ग और घ में कैरियर आधारित पदोन्नति का अनुसरण किया जात है, इसलिए ग्रेड मे निर्धारित पात्रता अवधि पूरी कर लेने पर सभी कर्मचारियों को उनके संतोषजनक कार्यनिष्पादन, व्यवहार के आधार पर अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है।

निदेषकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध–2

सूचीकरण करार [(खंड, 49 IV (छ) (i)] के अनुसार नियुक्ति और पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

अंषकालिक सरकारी निदेषक

श्री अम्बुज शर्मा

श्री अम्बुज शर्मा की आयु 52 वर्ष है और उन्हें बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में 15 मार्च, 2011 को शामिल किया गया है वे भूविज्ञान और व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर हैं। वे 1983 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं। उन्होंने तमिलनाडू सरकार तथा भारत सरकार के वरिष्ठ सरकारी पदों पर सेवा की है। उन्होंने उद्योग, राजस्व स्तर तथा शहरी विकास विभागों में क्रमशः नीति बनाने और वरिष्ट पदों पर कार्य किया हैं वर्तमान में वे भारत सरकार के उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं और ऑटो सेक्टर, भारी विद्युत उपस्कर सेक्टर, सतर्कता और बीएचईएल सहित कई सार्वजनिक उपक्रमों को देख रहे हैं जो माल और सेवाओं की व्यापक श्रृंखला का उत्पादन करते हैं। वे नेशनल ऑटो टेस्टिंग अनुसंधान एवं अवसंरचनात्मक परियोजना के कार्यान्वयन को देख रहे है, ₹ 2228 करोड़ के परिव्यय की कार्यान्वित की जा रही जिनका उद्देश्य भारत में 7 केन्द्रों में आधुनिक ऑटो टेस्टिंग, होमोग्लेशन और आर एंड डी सुविधाएँ स्थापित करना है।

श्री अम्बुज शर्मा के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है।

अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक

श्रीमती रेवा नैय्यर

श्रीमती रेवा नैय्यर की आयु 63 वर्ष है। इन्होंने बीएचईएल से गैर–सरकारी निदेशक मंडल में 22 जून, 2009 को कार्यभार ग्रहण किया था। वे हरियाणा कैडर की 1968 बैच की आईएएस अधिकारी (सेवानिवृत्त) हैं इनके पास राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है।

श्रीमती नैय्यरके पास लोक प्रशासन एवं मानव संसाधन प्रबन्धन में केन्द्र तथा राज्य स्तर के राज्य लोक सेवा उपक्रमों और संघ संसद के विभिन्न पदों पर कार्य करने का 30 वर्ष का लम्बा अनुभव हैं। 2004–'06 के दौरान ये महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय, भारत सरकार की सचिव भी रहीं। इन्होंने महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित मुख्य नीति और कानून, जैसे महिलाओं पर घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, 2005 के लिये संरक्षण आयोग, बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2005 बनाने में अपना महत्त्पूर्ण योगदान दिया है। जनवरी, 2004 से जून, 2004 तक इन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग, भारत सरकार में सचिव के पद पर कार्य किया। इस अवधि के दौरान इन्होंने उत्तर–पूर्व तथा सिक्किम में सभी सातों राज्यों के समग्र विकास की भी देखरेख की और योजना आयोग के परामर्श से इन राज्यों के लिये योजना बजट हेतु वार्षिक आबन्टन को अन्तिम रूप दिया। इन्होंने योजना आयोग में सलाहकार, राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य–सचिव, राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव, लोकसभा में संयुक्त सचिव, सचिव (सांस्कृतिक कार्य, हरियाणा सरकार) जैसे पदों पर कार्य किया।

श्रीमती रेवा नैय्यर ने भारत सरकार में मन्त्रालय स्तर पर 5000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक बजट का सफलतापूर्वक प्रबन्ध किया। इन्होंने भारत सरकार में विभिन्न विभागों में अनुसन्धान परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों की देखरेख तथा निदेशन किया।

इस समय, श्रीमती रेवा नैय्यर कम्युनिटी फ्रेन्ड्ली मूवमेन्ट एवं बाल सहयोग सोसाइटी, दिल्ली के बोर्ड की अध्यक्ष तथा एचएल सोशल वेल्फ़ेयर फ़ाउंडेशन की निदेशक हैं। वे माइक्रो न्यूट्रीएंट इनिशिएटिव्स इंडिया तथा दि कैथेड्रल विद्या ट्रस्ट की ट्रस्टी भी हैं।

श्री. त्रिम्बकदास एस जँवर

57 वर्षीय **श्री. जिम्बकदास एस जँवर** को बीएचईएल बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में 12 नवम्बर, 2010 को शामिल किया गया। श्री. जँवर विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। इन्हें सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों का अनुभव हैं वे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गठित कई समितियों के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में वे साक्षरता परिषद (राज्य साक्षरता परिषद, राज्य मन्त्री के स्तर के) अध्यक्ष हैं और मराठवाड़ा राज्य शिक्षा एवं कृषि अनुसन्धान परिषद, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, परभानी एवं लातूर जिला

योजना एवं विकास समिति के सदस्य हैं। वर्तमान में श्री. जँवर, श्री. साईबाबा शुगर्स लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में हैं।

श्री. जिम्बकदास एस. जँवर के पास बीएचईएल का कोई भी शेयर नहीं है।

श्री. एस रवि

श्री एस रवि की आयु 52 वर्ष है और उन्हे बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में 28 नवम्बर, 2010 को अपनी प्रारम्भिक अवधि पूरी करने के बाद दूसरी बार 10 मार्च, 2011 को शामिल किया गया है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं तथा वे वाणिज्य स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं।

उनके अनुभव में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग में शामिल कंपनी और प्राथमिक डीलर के रूप में प्रचालनरत कंपनी के निदेशक मंडल पर कई पद धारित करना शामिल है। रवि राजन एण्ड कंपनी के प्रवर्त्तक और प्रबंध निदेशक के रूप में वे फर्म के लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण कार्यकलायों को संपूर्ण सीमाक्षेत्र का पर्यवेक्षण करते हैं और व्यावसायिक मूल्यांकन ब्रांड मूल्यांकन, विलयन और अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्निर्माण तथा आमूल–चूल परिवर्तन कार्यनीतियों को शामिल करते हुए विशिष्ट क्षेत्रों में वित्तीय और प्रबंध परामर्श प्रदान करते हैं।

उन्हें बैंकिग क्षेत्र का समृद्ध अनुभव हैं, जिसमें यूको बैंक के निदेशक (भारत सरकार द्वारा नियुक्त) के रूप में कार्यकाल शामिल है। वर्ष 2000–02 के दौरान देना बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में वे लेखापरीक्षा समिति, परिसंपति–देयता और जोखिम प्रबंध समिति तथा एनपीए के अनुवीक्षण के लिए निदेशक मंडल की समिति के सदस्य थे। वे निदेशक मंडल की वित्तीय समीक्षा समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने कारपोरेशन बैंक के निदेशक मंडल में भी कार्य किया है और उसकी लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष थे। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में उनके अनुभव में आईएफसीआई, कैनबैंक फंड और प्रिंसिपल ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य करना भी शामिल है। वे पंजाब एंड सिंध बैंक की तकनीकी विशेषज्ञ समिति तथा सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2004 के ढांचे के भीतर प्रारूप सरकारी प्रतिभूति विनियन की तैयारी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य समूह के भी सदस्य थे। इस समय, वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में निदेशक हैं।

इस समय, श्री एस. रवि महेन्द्र उगीन स्टील लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्किट सर्विसेज लि., यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि., एलआईसी हांउसिंग फाइनेंस लि., महर्षि हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस लि., जीएमआर चेन्नै आउटर रिंग रोड प्रा. लि., एसएमई रेटिंग एजेन्सी ऑफ़ इंडिया, कैन बैंक वेन्चर्स कैप्टिव फ़ंड लि. और एस. रवि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड में मंडल में निदेशक हैं।

वे आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड, एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेन्स लिमिटेड और महिन्द्रा युगीन स्टील कम्पनी लि. की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं तथा यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, महर्षि हाउसिंग डेवलपमेंट फ़ाइनेन्स कॉर्पोरेशन लि. की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य हैं। वे महीन्द्रा युगीन स्टील कम्पनी लि. और एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेन्स लि. के निदेशक शिकायत समिति के अध्यक्ष भी हैं।

श्री. एस. रवि के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है।

कार्यात्मक निदेशक

श्री. अनिल सचदेव

श्री अनिल सचदेव की आयु 59 वर्ष है। इन्होंने निदेशक (एचआर) का पद 1 सितम्बर, 2007 को ग्रहण किया था। ये जबलपुर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक हैं। इसके अलावा, इन्होंने भोपाल विश्वविद्यालय से उत्पादन प्रबंधन में एमबीए किया है।

बीएचईएल में निदेशक (एचआर) का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री सचदेव को उत्पादन में 32 वर्ष कार्य करने का व्यापक अनुभव है। इसमें बीएचईएल, भोपाल में 27 वर्ष तथा बीएचईएल, हरिद्वार में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव शामिल है। भोपाल में 27 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान श्री सचदेव ट्रेक्शन मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग विभाग तथा टूल एंड गेज मैन्युफैक्चरिंग विभाग में प्रमुख थे। भोपाल में इतने लम्बे कैरियर के बाद सेंट्रल फाउंडरी फोर्ज प्लांट, हरिद्वार में प्रभारी का कार्यभार संभाला। सेंट्रल फाउंडरी फोर्ज प्लांट में अपने दो वर्ष के छोटे से कार्यकाल में श्री सचदेव ने इसका कायाकल्प कर दिया। कार्यकारी निदेशक के रूप में हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट, हरिद्वार में इनके कार्यकाल के दौरान 2006–07 में हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट, हरिद्वार ने तब तक का सबसे अधिक कुल कारोबार पिछले वर्ष के कुल कारोबार से 22 प्रतिशत अधिक किया था। 2006 में इनके कुशल मार्गदर्शन में एचईपी, हरिद्वार बीएचईएल की पहली यूनिट बनी जिसे भारतीय

उद्योग परिसंघ द्वारा श्रेष्ठ व्यवसाय के लिए आयात–निर्यात बैंक पुरस्कार प्रदान किया गया।

श्री सचदेव ने निदेशक (एचआर)/बीएचईएल का पद भार उस महत्वपूर्ण समय में संभाला जब कंपनी विद्युत क्षेत्र की भारी मांग को पूरा करने तथा देश एवं विदेश में नई कंपनियों के कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए अपने परिचालनों को बेहतर बनाने के प्रयास में जुटी हुई थी। उस अवस्था में जब उत्पादन क्षमता विभिन्न प्रकार से बढ़ाई जा रही थी तो इसके अनुसार उपयुक्त कौशल रखने वाली श्रमशक्ति की भी जरूरत थी। श्री सचदेव ने इस दौरान हर वर्ष 4000 नए कर्मचारियों को नियुक्त किया जिसमें इंजीनियर, सुपरवाइजर ट्रेनी तथा नए आईटीआई से उत्तीर्ण शामिल थे। इन्होंने पुनः रोजगार योजना की शुरूआत की जिससे बड़ी संख्या में हमारे एक्जीक्यूटिवों ने फिर से कंपनी में कार्यभार ग्रहण किया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हमारी अनिवार्य रोजगार स्कीम ने हमारे परियोजना स्थलों पर अनुभवी प्रोफेशनलों को तैनात करने में मदद प्रदान की। श्री सचदेव बड़ी कास्टिंग एवं फोर्जिंग्स, प्लांट आइटमों के बैलेंस, टर्बाइन ब्लेड आदि के विक्रेता विकास प्रयासों में भी गंभीरता से जुड़े हुए हैं।

श्री सचदेव इस समय रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

श्री सचदेव के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है।

कार्यकारी निदेशक

श्री. अतुल सराया

57 वर्षीय श्री. अतुल सराया को दिनांक 1 अक्तूबर, 2009 से निदेशक (विद्युत) के रूप में शामिल किया गया है। वे हारकोर्ट बटलर टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट कानपुर से इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयरी में स्नातक हैं और उनके पास व्यवसाय प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हैं श्री. सराया ने वर्ष 1976 में इंजीनियर प्रशिक्षणार्थी के रूप में बीएचईएल, हरिद्वार में कार्यग्रहण किया। बीएचईएल में 33 वर्षों से अधिक का विविध और समृद्ध व्यावसायिक अनुभव है। बीएचईएल के हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेन्ट प्लान्ट, हरिद्वार में विनिर्माण और वाणिज्यिक प्रचालन के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद उन्होंने बीएचईएल के नई दिल्ली स्थित पावर सेक्टर–विपणन प्रभाग में महाप्रबंधक के रूप में कार्य प्रभार ग्रहण किया। तत्पश्चात, वे कंपनी के पावर सेक्टर पूर्वी क्षेत्र निर्माण प्रभाग, कोलकाता में महाप्रबंधक (प्रभारी) बने। कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी पदोन्नति पर उन्होंने पावर सेक्टर विपणन और पावर सेक्टर–पूर्वी क्षेत्र का समवर्ती प्रभार धारित किया। कुछ अवधि के लिए उन्होंने पावर सेक्टर–उत्तरी क्षेत्र का प्रभार भी धारित किया।

बीएचईएल में पूर्वकालिक निदेशक (पावर) होने के अलावा वे बीएचईएल एवं तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के संयन्त्र उद्यम कम्पनी (जेवीसी), बीएचईएल एवं कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा बीएचईएल एवं मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड के बोड्र के सदस्य हैं; जिनका गठन क्रमशः तमिलनाडू में उडनगुडी, कर्नाटक में रयचूर तथा मध्यप्रदेश में खंडवा में पावर प्लान्ट लगाने के लिये किया गया है वे बीएचईएल–एनटीपीसी की एनटीपीसी–बीएचईएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एनबीपीपीएल), जेवीसी के बोर्ड के सदस्य भी हैं।

निदेशक (पावर) के रूप में वे बीएचईएल के पावर सेक्टर के प्रति उत्तरदायी हैं। यह संगठन का 75 प्रतिशत व्यवसाय करता है। आज संगठन का यह सेक्टर देश में नई घरेलू और बढ़ती अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही थी। श्री. सराया ने इन मुद्दों का मामला संगठन के विकास के लिये व्यवसाय बढ़ाने हेतु सफलतापूर्वक रणनीतियाँ बनाने तथा उपलब्ध परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि ग्राहक सन्तुष्टि को बढ़ावा मिल सके।

श्री. सराया ने कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी की दिशा में बच्चों तथा अन्य पिछले समुदायों को उनके कठिन समय में सहायता करके विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की हैं। श्री. सराया के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है।

श्री एम के. दुबे

श्री एम. के. दुबे की आयु 58 वर्ष है और उन्हें 25 जून, 2011 को निदेशक (औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद) बनाया गया। वे एमएसीटी (अब एमएएनआईटी) भोपाल से मैकेनिकल इन्जिनीयरिंग में स्नातक हैं। उन्होंने 1976 में बीएचईएल में इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यग्रहण किया था। श्री. दुबे के 35 वर्ष का विविध एक विभिन्न प्रोफ़ेशनल अनुभव है।

भोपाल में उत्पादन एवं प्रचालन प्रबन्धन में विभिन्न पदों पर काम करने के दौरान उन्होंने पम्प टर्बाइन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री. दुबे ने 2004 में कॉर्पोरेट कार्यालय में महाप्रबन्धक के पद का कार्यभार संभाला। उसके बाद महाप्रबन्धक (हाइड्रो) के रूप में उन्हें भोपाल में उत्पाद प्रबन्धक (हाइड्रो) की ज़िम्मेदारी दी गई। कार्यपालक निदेशक की पदोन्नति पर पावर

सेक्टर तकनीकी सेवाएँ का कार्यभार दिया गया। जनवरी, 2009 में उन्हें बीएचईएल भोपाल इकाई का प्रमुख बनाया गया।

महाप्रबन्धक (कॉर्पोरेट योजना) के दौरान वे भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने, रणनीति योग्यता को प्रचालन योग्यता में बदलने, प्रचालन योजना के अनुरूप बजट बनाने तथा नियमित समीक्षा एवं प्रचालनों की मानीटरिंग के माध्यम से बजटीय पैरामीटरों को पूरा करने के लिये उत्तरदायी थे। उन्होंने कम्पनी के समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप देने में भी प्रतिभागिता की।

उसके बाद भोपाल में महाप्रबन्धक (हाइड्रो) के रूप में श्री. दुबे ने विभिन्न रि रेटिंग की हाइड्रो टर्बाइन की संकल्पना से कमीशनिंग तक का कार्य देखा, जिससे ऑर्डर बुकिंग के ऑफ़र तैयार करना, सामग्री योजना डिज़ाइन, निर्माण, उपस्करों का परीक्षण नकदी वसूली और मूल्यवान ग्राहकों को विक्रयोपरान्त सेवा प्रदान करना शामिल था। श्री. दुबे ने हाइड्रो टर्बाइनों की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिये आधुनिकतम नए सीएनसी हाइड्रो ब्लॉक को स्थापित करने में क्षमता निर्माण पहल में अग्रणी भूमिका निभाई तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार को लिफ़्ट इरिगेशन के लिये अधिक रेटिंग के पम्प मोटर सेटों की आपूर्ति विकास में अग्रणी रहे।

कार्यपालक निदेशक (पावर सेक्टर तकनीकी सेवाएँ) बनने के बाद वे बीएचईएल आपूर्त उपस्करों की मॉनीटरिंग निष्पादन परीक्षण की प्रक्रिया को समर्थ बनाने और समस्या समाधान के अलावा विद्युत उत्पादन उपस्करों में मूल मुद्दों के समाधान खोजने के लिये उत्तरदायी थे।

जनवरी, 2009 में श्री. दुबे ने कार्यनिदेशक के रूप में भोपाल इकाई का कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व में भोपाल संयंत्र ने कई उपलब्धियाँ अर्जित की जिनमें भारत के प्रथम 1200 केवी 333 एमवीए ट्रान्सफ़ॉर्मर का सकल निर्माण एवं परीक्षण और ईएमयू खंड में 3 फ़ेज़ ड्राइव प्रौद्योगिकी के लिये आईजीबीटी आधारित ट्रैक्शन कन्वर्टर का विकास शामिल है। उनके नेतृत्व में ट्रान्सफ़ॉर्मरों के लिये 30000 एमवीए तक तथा मोटरों की 2250 संख्या तक क्षमता में वृद्धि करने के लिये क्षमता निर्माण की पहल की गई। हाइड्रो पावर में उनके योगदान के लिये श्री. दुबे को इनर्शिया अवॉर्ड 2010 प्रदान किया गया। श्री. दुबे के प्रयासों से इकाई ने 2010–11 में ₹ 4202 करोड़ का कुल कारोबार किया और ₹ 696 करोड़ का कर पूर्व लाभ कमाया।

श्री दुबे मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में गैर–कार्यकारी निदेशक है।

श्री दुबे के पास बीएचईएल के 20 शेयर है।

श्री. पी. के. बाजपेयी

श्री. पी. के. बाजपेयी 56 वर्ष के हैं और उन्हें 1 जुलाई, 2011 को निदेशक (वित्त) बनाया गया। वे आईआईटी, कानपुर से बी. टेक. (मेकेनिकल), लीड्स विश्वविद्यालय (यूके) से एमबीए और इन्स्टिट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एकाउन्टेन्ट्स ऑफ़ इंडिया से एआईसीडब्ल्यूए हैं।

श्री. बाजपेयी ने 1977 में बीएचईएल में कार्यग्रहण किया और उन्हें 34 वर्ष का विविध अनुभव है। उन्होंने लाभ केन्द्रों के वित्त प्रमुख की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें संगठन की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला यथा इन्जिनीयरी (परियोजना इन्जिनीयरिंग एवं प्रबन्धन), विनिर्माण एवं इरेक्शन, कमीशनिंग तथा सेवाएँ शामिल थी। श्री. बाजपेयी को भोपाल स्थित विनिर्माण इकाई का वित्त प्रमुख उस समय बनाया जब इकाई ने 1972–73 के बाद 2000–2001 में पहली बार हानि दिखाई। इस संकटमय स्थिति में उन्होंने स्थिति में बदलाव किया। 1996–2001 में पावर सेक्टर – उत्तर क्षेत्र की इरेक्शन एक कमीशनिंग इकाई के वित्त प्रमुख के रूप में उन्होंने इस क्षेत्र में कारोबार, मूल्य वर्धन एवं कर पूर्व लाभ में चहुँमुखी सुधार किया। परियोजना इन्जिनियरी एवं प्रबन्धन प्रभाग के वित्त प्रमुख के रूप में उन्होंने एकीकृत सॉफ़्टवेयर 'पल्स' के विकास में को शुरू करने, अधिप्राप्ति एवं तार्किकरण तथा प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिये साइज़िंग तथा पैकेजों के विशिष्टियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महाप्रबंधक (वित्त) आन्तरिक लेखापरीक्षा/प्रबन्धन सुधार सैल के रूप में श्री. बाजपेयी ने सिस्टम ऑडिट लागू किया। उन्होंने प्रभावी लेखापरीक्षा और अधिक परिपक्वता स्तर के लिए सुधार,, तुलन–पत्र में 'शून्य' टिप्पणी के लिये सीएजी के साथ बेहतर समन्वय के लिए प्रणाली का विकास किया।

महत्त्वपूर्ण एसबीयू के प्रमुख के रूप में काम करने के अलावा, श्री. बाजपेयी ने कॉर्पोरेट वित्तीय सेवा प्रभाग का भी कार्य देखा जो कोष प्रबन्धन, विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर प्रबंधन, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, प्रचालन अधिशेष/घाटा प्रबंधन, बैंकिंग सुविधाएँ – नकदी/गैर–नकदी सीमाओं को देखता है। उन्होंने पावर सेक्टर मुख्यालय में वित्त प्रमुख के अलावा मानव संसाधन, प्रबन्धन सेवाएँ, आईटी और एचआरडीडी का कार्य भी देखा। इसके अलावा वे इस समय जोखिम प्रबन्धन और नई एनबीएससी के गठन का कार्य भी देख रहे हैं।

श्री बाजपेयी वर्तमान में पावर प्लांट प्रफोर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड एवं लातूर पावर कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक है।

श्री बाजपेयी के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध–3

कॉर्पोरेट अभिशासन

1. कॉर्पोरेट अभिशासन पर हमारी विचारधारा

बीएचईएल ने कारपोरेट अभिशासन का एक सुदृढ़ ढांचा विकसित किया है जो अभिशासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रकटन, हितधारकों के महत्व के निरंतर विस्तार और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति वचनबद्धता के दर्शाता है। बीएचईएल शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और संपूर्ण समाज सहित अपने हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के महत्व पर सतत रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए कारपोरेटे अभिशासन के विनियामक ढांचे और बुनियादी अपेक्षाओं से बहुत अधिक आगे जाने का प्रयास करता है। कंपनी के सभी, विशेषकर अल्पसंख्यक शेयरधारकों को पारदर्शिता, प्रकटन और औचित्य सुनिश्चित करने के लिए ढांचा विकसित किया है।

बीएचईएल की कल्पनादृष्टि हितधारकों के महत्व में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एक विश्वस्तरीय इंजीनियरी उद्यम बनना है तथा इसका लक्ष्य ''ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, अवसंरचना और अन्य संभावित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं के माध्यम से संपूर्ण व्यावसायिक समाधान प्रदान करने वाला एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इंजीनियरी उद्यम बनना है।''

बीएचईएल की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटन, स्वतंत्र मानीटरिंग और सभी के लिए औचित्य के चार स्तंभों पर आश्रित है। इसे सुदृढ़ करने के लिए, बीएचईएल ने ''सत्यनिष्ठा करार'' अपनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हमारी कारपोरेट संरचना व्यावसायिक कार्यविधियों और प्रकटन पद्धतियों ने हमारी कारपोरेट अभिशासन नीति के साथ सुदृढ़ साम्यता प्राप्त कर ली है, जिससे लक्ष्यों तथा व्यावसायकि नैतिकता के उच्च स्तर की प्राप्ति हुई है। बीएचईएल की कारपोरेट अभिशासन नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

i) निदेशक मंडल की स्वतंत्रता और परिवर्तनीयता

ii) सभी कार्मिकों को सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार

iii) सभी हितधारकों–ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों , आपूर्तिकर्ताओं और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की पहचान

iv) प्रकटन और पारदर्शिता का उच्च स्तर

v) सभी क्षेत्रों जिसमें कंपनी प्रचालन करती है, में कानूनों का पूर्ण अनुपालन।

vi) लोगों और पर्यावरण के लिए सहानुभूति के साथ उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति।

कंपनी का विश्वास है कि कारपोरेट अभिशासन की कार्यविधियों तथा आचार संहिता का अनुपालन करते हुए व्यवसाय करना हमारे प्रत्येक प्रधान मूल्य का प्रतिपादन करता है, जो हमें अपने शेयरधारकों को दीर्घावधि प्रतिफल प्रदान करने मे समर्थ बनाता है, हमारे ग्राहकों को अनुकूल परिणाम तथा हमारे कर्मचारियों को अच्छे अवसर प्रदान करता है और आपूर्तिकर्ताओं को समाज की प्रगति और समृद्धि करने में भागीदार बनाता है।

2. निदेशक मंडल

i. संरचना और निदेशकों की श्रेणी:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसरण में बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है। क्योंकि कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 67.72 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है।

निदेशक मंडल में बोर्ड की स्वतंत्रता बनाए रखने और प्रबंधन के निदेशक मंडल के कार्यों और नियंत्रण को अलग करने के लिए अ. एवं प्र.नि. सहित कार्यात्मक निदेशकों के प्रतिनिधित्व में कार्यपालकों और सरकारी नामितियों द्वारा प्रतिनिधित्व में गैर–कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उपयुक्त संयोजन है। चूंकि अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक हैं इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की संख्या की आधी है।

निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है–

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1
पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय,	5
भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार के नामिती)	2
अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8
कुल	**16**

दिनांक 31.03.2011 की यथास्थिति कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (आईएसएंडपी) निदेशक (वित्त) के एक–एक पद की और स्वतंत्र निदेशकों की दो रिक्तियां मौजूद हैं। 31 मार्च, 2011 को बोर्ड के वास्तविक सदस्यों की संख्या (12) में 50 प्रतिशत, स्वतंत्र निदेशक (6) हैं। भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 से बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री बी.पी. राव को निदेशक (आईएसएंडपी) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार श्री बी. प्रसाद राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बीएचईएल को 10 जून, 2010 को सौंपा और बाद में 11 मार्च, 2011 से श्री ओ पी भुटानी, निदेशक (ई,आरएंडडी) को सौंपा । इन रिक्तियों को भरने का मामला भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

ii. 2010–11 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और पिछली आम वार्षिक बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम सर्व / श्री	निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या		पिछली आम वार्षिक बैठक (17.09.2010)
	आयोजित	भाग लिया	
कार्यकारी निदेशक			
बी. प्रसाद राव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (आईएसएंडपी)	9	9	हाँ
सी. एस. वर्मा* निदेशक (वित्त) (10.06.2010 तक)	3	3	—
अनिल सचदेव निदेशक (मा. सं.)	9	9	नहीं
अतुल सराया* निदेशक (पावर)	9	9	हाँ
ओ.पी. भूटानी* निदेशक (ई, आर एंड डी) एवं निदेशक (वित्त)	9	9	हाँ
अंशकालिक सरकारी निदेशक – सरकारी नामिती			
सौरभ चंद्रा अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	9	8	हाँ
राजीव बंसल संयुक्त सचिव – भारी उद्योग विभाग (15.03.2011 तक)	8	8	नही
अम्बुज शर्मा* भारी उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव (15.03.2011 से)	1	1	—
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक			
एस. रवि (28.11.2011 तक) (10.03.2011 से पुनः नियुक्त)	8	7	हाँ
अशोक कुमार बसु	9	9	हाँ
एम.ए. पठान	9	7	हाँ
श्रीमती रेवा नैय्यर	9	8	हाँ
शेखर दत्ता* (23.4.2010 तक)	2	1	—
वी. के. जयरथ	9	7	हाँ
त्रिम्बकदास एस. जँवर* (12.11.2010 तक) से	3	3	—

* यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति पिछली आम वार्षिक बैठक की तारीख को बीएचईएल के निदेशक नही थे।

iii. अन्य निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल समितियां, जिनमें दिनांक 31.03.2011 को बीएचईएल के निदेशक सदस्य अथवा अध्यक्ष हैं

निदेशक का नाम सर्वश्री	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का ब्यौरा	समिति की सदस्यता और समिति की अध्यक्षता का ब्यौरा
बी. प्रसाद राव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	भारत हेवी प्लेटस एंड वेसेल्स लिमिटेड	–शून्य–
अनिल सचदेव निदेशक (मा.सं.)	रायचूर पावर कारपोरेशन लिमिटेड	–शून्य–
अतुल सराया निदेशक (पावर)	1. एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राईवेट लि. 2. उडनगुडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड 3. रायचूर पावर कारपोरेशन लिमिटेड 4. दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड	–शून्य–
ओ.पी. भूटानी निदेशक (इंजी., आर एंड डी)	उडनगुडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड	**लेखा परीक्षा समिति** उड़नगुडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अध्यक्ष)
सौरभ चंद्रा अंशकालिक सरकारी निदेशक	1. एचएमटी लिमिटेड 2. हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) 3. नैशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लि. 4. दि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	–शून्य–
अम्बुज शर्मा अंशकालिक सरकारी निदेशक	1. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड 2. भारत हेवी प्लेट्स एवं वेसल्स लिमिटेड	**लेखा परीक्षा समिति** भारत हेवी प्लेट्स एवं वेसल्स लिमिटेड (अध्यक्ष)
अशोक कुमार बसु आंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक	1. वीजा कॉमट्रेड लिमिटेड 2. टाटा मेटालिक्स लिमिटेड 3. उषा मार्टिन लिमिटेड 4. जेएसडब्ल्यू बंगाल स्टील लिमिटेड 5. दि टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड. 6. वीजा पावर लिमिटेड 7. वेस्ट बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. 8. टाटा पावर कंपनी लिमिटेड 9. कार्टर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	**लेखा परीक्षा समिति** 1. टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सदस्य) 2. वीजा पावर लिमिटेड (सदस्य) 3. वेस्ट बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (सदस्य) 4. जेएसडब्लू बंगाल स्टील लि. (सदस्य) **शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति** 1. टाटा मेटालिक्स लिमिटेड (सदस्य) 2. दि टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सदस्य)

एम. ए. पठान **अंशकालिक गैर–सरकारी** निदेशक	1. टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड 2. आईओटी इंजिनीयरिंग एवं प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 3. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 4. नागार्जुन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	**लेखा परीक्षा समिति** टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड (सदस्य)
श्रीमती रेवा नैय्यर **अंशकालिक गैर–सरकारी** निदेशक	एसएलसोशल वेल्फेयर फाउन्डेशन	–शून्य–
वी.के. जयरथ **अंशकालिक गैर–सरकारी** निदेशक	1. टाटा मोटर्स लिमिटेड 2. अवंत पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	**लेखापरीक्षा समिति :** 1. टाटा मोटर्स लिमिटेड (सदस्रू) 2. अवंत पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड निदेशक (सदस्य) **शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति :** 1. टाटा मोटर्स लि. (सदस्य) 2. अवंत पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अध्यक्ष)
त्रिम्बकदास एस. जँवर **अंशकालिक गैर–सरकारी** निदेशक	श्री साई बाबा शुगर्स लिमिटेड	–शून्य–
एस. रवि **अंशकालिक गैर–सरकारी** निदेशक	1. महिन्द्र उगीन स्टील लिमिटेड 2. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स सार्विसेज लि. 3. यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 4. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 5. महर्षि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अध्यक्ष) 6. जीएमआर चेन्नै आउटर रिंग रोड प्रा. लि. 7. एसएमई रेटिंग एजेन्सी ऑफ़ इंडिया लि. 8. कैनबैंक वेन्चर्स कैपिटल फंड लि. 9. एस. रवि फाइनेंशियल मैंनजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 10. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**लेखापरीक्षा समिति :** 1. महिन्द्र उगीन स्टील कम्पनी लिमिटेड (सदस्य) 2. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स सर्विसेज लिमिटेड (अध्यक्ष) 3. यूटीआई ट्रस्टी फ़ाइनेन्स लि. (सदस्य) 4. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन (सदस्य) 5. महर्षि हाउसिंग डेवलपमेन्ट फ़ाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड **(सदस्य)** **शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति :** 1. महिन्द्रा उगीन स्टील लिमिटेड **(सदस्य)** 2. **एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेन्स लि. (सदस्य)**

* केवल लेखापरीक्षक समिति और शेयरधारक / निदेशक शिकायत समिति की अध्यक्षता / सदस्यता पर विचार किया गया है।

कंपनी का कोई निदेशक एक ही समय में पंद्रह (15) कंपनियों से अधिक में निदेशक का पद धारित नही करता है।

कंपनी का कोई निदेशक दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य अथवा सभी कंपनियों जिसमें वे निदेशक है, में पांच (5) समितियों से अधिक के अध्यक्ष नहीं है।

iv. निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की संख्या और तारीख

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और उन्हें बहुत पहले निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से कंपनी सचिव प्रत्येक निदेशक को लिखित में प्रत्येक बैठक का नोटिस भेजता है। निदेशक मंडल की कार्यसूची पहले से ही निदेशकों को परिचालित की जाती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की कंपनी की सभी सूचनाओं तक पहुंच होती है और वे चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी विषय को शामिल करने की सिफारिश के लिए स्वतंत्र होते हैं। आवश्यकता होने पर चर्चा की जा रही मदों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने और/अथवा निदेशक मंडल प्रस्तुतिकरण करने के लिए निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने हेतु वरिष्ठ प्रबंधन को आमंत्रित किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही परिणामों और कार्यसूची पर अन्य मदों की समीक्षा करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार अपनी बैठक करता है। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जाती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने निम्नलिखित तारीखों को 9 बैठकें की :

(i) 1 अप्रैल, 2010	(ii) 23 अप्रैल, 2010
(iii) 26 मई, 2010	(iv) 1 जुलाई, 2010
(v) 23 जुलाई, 2010	(vi) 29 अक्तूबर, 2010
(vii) 25 नवम्बर, 2010	(viii) 21 जनवरी, 2011
(ix) 15 मार्च, 2011	

v. निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वः

निदेशक मंडल के अधिधेश का उद्देश्य कंपनी का कार्यनीतिक दिशा पर निगरानी रखना, कारपोरेट कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मॉनीटरिंग करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और शेयरधारकों के हित की रक्षा करना है।

vi. स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में स्वतंत्र निदेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इंजीनियरी, वित्त, प्रबंधन विधि और सरकारी नीति के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता कंपनी को प्रदान करते हैं।

निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए लेखापरीक्षा समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति, शेयर अंतरण समिति, पारिश्रमिक समिति, परियोजना समीक्षा समिति, विलय और अधिग्रहण समिति, पीआरपी पर पारिश्रमिक समिति तथा मानव संसाधन नीतिगत समिति आदि जैसी विभिन्न समितियां स्थापित की हैं।

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और उक्त समिति के कार्य परिभाशित विचारार्थ विषय के भीतर हैं। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त परिचालित किया जाता है और निदेशक मंडल की बैठकों में उन पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा सीपीएमई के लिये कॉर्पोरेट अधिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी ने स्वतन्त्र निदेशक की अध्यक्षता में निष्पादन सम्बद्ध वेतन पर एक पारिश्रामिक समिति का गठन किया है। सीएसआर नीति के रूप में सीपीएसई के लिये सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसरण के दायित्व के हतु बोर्ड ने एक बोड स्तरीय उचच समिति का गठन किया है। समिति की बैठकों के मिनिट्स परिचालित किये जाते हैं और बोर्ड की बैठकों में विचार विमर्श किया जाता है।

vii. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत सूचना :

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत सूचना सामान्यतः बीएचईएल के निदेशक मंडल को कार्यसूची कागजातों के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है अथवा बोर्ड की बैठक के दौरान पेश/प्रस्तुत की जाती हैः

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं तथा बजट एवं कोई अद्यतन सूचना
- पूंजी बजट एवं कोई अद्यतन सूचना
- कंपनी तथा इसके कार्यात्मक प्रभागों अथवा व्यवसाय खंडों के तिमाही परिणाम
- लखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त
- गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी अर्थात भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) के निदेशक मंडल की बैठकों का कार्यवृत्त
- बीएचपीवी (गैर सूचीबद्ध सहायक कंपनी) द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेन–देनों और व्यवस्थाओं का विवरण
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती एवं पारिश्रमिक संबंधी सूचना

- निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ अपेक्षित किसी संयुक्त उद्यम अथवा अनुसंधान एवं विकास परियोजना अथवा तकनीकी सहयोग करार का विवरण
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं तथाउनके प्रस्तावित समाधान। वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि जैसी मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण घटना।
- महत्वपूर्ण प्रकृति के निवेशों, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की बिक्री, जो कि व्यवसाय की सामान्य क्रिया में नहीं है।
- सभी लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई।
- निदेशकों द्वारा उनकी निदेशक पदधारिता तथा उनकी रुचि की अन्य कंपनियों में से उनके द्वारा हासिल समिति पदों के बारे मे सूचना
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित सूचना
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति
- अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश
- कोई संविदा (संविदाएं) जिनमें निदेशक (निदेशकों) की रुचि मानी जाती है।
- शेयरधारकों की शिकायतों संबंधी त्रैमासिक स्थिति
- विद्युत तथा उद्योग क्षेत्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रभाग में त्रैमासिक आधार पर सूचना/स्थिति
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव
- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन और उसके कारण
- विभिन्न इकाइयों/कार्यों के निष्पादन संबंधी, विस्तृत विवरण
- अचसूचना तथा अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य कोई सूचना

viii. नए निदेशकों का चयन

बीएचईएल के अतर्नियमावली के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशकों और बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त करते हैं और बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक और गैर–सरकारी (स्वतंत्र निदेशकों) को भी नामित करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों का चयन भारी उद्योग विभाग द्वारा लोक उद्यम की खोज समिति, जो प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरी प्रशासन और उद्योग में व्यापाक अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों की सूची रखता है, के परामर्श से किया जाता है।

ix. सदस्यता अवधि और सेवानिवृत्ति नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति ऐसी शर्तों, पारिश्रमिक और कार्यकाल पर होती है जिसे राष्ट्रपति समय–समय पर निर्धारित करे।

दो अंशकालिक निदेशक अर्थात भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव/संयुक्त सचिव तथा वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बीएचईएल के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। वे भारत सरकार के विवेक पर बीएचईएल के निदेशक मंडल में बने रहते हैं।

अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के कार्यकाल का निर्णय भारी उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। सामान्यतः स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ऐसे सभी नियुक्त व्यक्ति बीएचईएल के अंतर्नियमावली के उपबंधों के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के योग्य होते हैं।

x. आचार संहिता

बीएचईएल के आचरण के उच्च मानक निर्धारित करने के सतत प्रयास के भाग के रूप में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों के लिए एक 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की संहिता' निर्धारित की गई है।

संहिता में निम्नलिखित बातें शामिल हैं–

- सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं,
- विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व, और
- निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिकों के लिए अतिरिक्त कर्तव्य/अनिवार्यताएं

उक्त संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट *www.bhel.com* पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त संहिता में सुधार करने के लिए अतिरिक्त सुझावों/विचारों को हर्षपूर्वक आमंत्रित किया जाता है।

xi. निदेशक बोर्ड का चार्टर

बोर्ड तथा प्रत्येक निदेशक की भूमिका एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप परिभाषित करने के लिए बोर्ड ने निदेशक बोर्ड का एक चार्टर

अनाया है। इस चार्टर में कॉर्पोरेट अधिशासन के उद्देश्यों एवं दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया गया है।

xii. सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सूचीकरण करार के खंड 49*(v)* के अनुसरण में सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण संलग्न हैं।

3. लेखापरीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण :

निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 तथा साथ ही कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ये निम्नानुसार हैं–

1. कंपनी कि वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं, इसकी वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना।
2. निदेशक मंडल को सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति और अगर अपेक्षित हो, उनके प्रतिस्थापन अथवा उन्हें हटाने तथा लेखापरीक्षा शुल्क के नियतन की सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. निम्नलिखित तके विशेष संदर्भ में निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना:
   - क. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2कक) के अनुसार निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित मामले।
   - ख. लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, अगर कोई हो और उसके लिए कारण
   - ग. प्रबंधन के निर्णय के आधार पर अनुमानों वाली मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां
   - घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन
   - ड. वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन
   - च. किसी संबद्ध पक्ष के साथ लेन–देन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना
   - छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं
5. प्रबंधन के साथ निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा करना
6. *(i)* प्रबंधन के साथ सांविधिक आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

   (ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की संख्या और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य करने की पर्याप्तता अगर कोई हो, की समीक्षा करना।
8. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श।
9. आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे विषयों की आंतरिक जांच, जिनमें धोखाधड़ी अथवा अनियमितता या वास्तविक रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता का संदेह हो, उनके निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को इस विषय में जानकारी देना।
10. *(i)* आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में आवधिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरिक लेखा– परीक्षकों के साथ विचार–विमर्श।

    (ii) लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व लेखापरीक्षकों के स्वरूप और कार्यक्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श करना तथा साथ ही लेखापरीक्षकों के अवलोकनों सहित चिंता के किसी सत्र को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा पश्चात विचार–विमर्श करना।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों और भुगतान (घोषित लाभांश का भुगतान नहीं करने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में पर्याप्त चूक करने के कारणों पर गौर करना।

12. व्हिसल ब्लोअर कार्यतंत्र, अगर मौजूद हो, तो उसकी कार्यशीलता की समीक्षा करना।

13. आंतरिक लेखापरीक्षा/बोर्ड और अथवा भारत सरकार द्वारा बीएलएसी में उल्लिखित लेखापरीक्षा पैरा की समीक्षा करना और उसमें उल्लिखित मुद्दों पर अपना सुझाव/मार्गदर्शन/टिप्पणियां प्रस्तुत करना।

14. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार यथाउल्लिखित, कोई अन्य कार्य करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम और उपस्थिति

जैसा कि सूचीकरण करार में अधिदेशित है, लेखापरीक्षा समिति में अधिकांशतः स्वतंत्र निदेशक शामिल होते हैं। सदस्य निदेशकों में वाणिज्य, वित्त, प्रशासन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों अधिशासन की पृष्ठभूमि वाले ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा समिति का पिछला गठन 15 मार्च, 2010 को हुआ था और इस समय इसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:–

निदेषक का नाम सर्व/श्री	पद	इनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या
एम. ए. पठान (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष (21.01.2011 से)	9	8
एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष (28.11.2010 तक)	7	7
	सदस्य (15.03.2011 से)	—	—
श्रीमती रेवा नैय्यर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	सदस्य	9	9
सौरभ चन्द्रा (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक))	सदस्य (23.07.2010 से)	5	2

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। निदेशक (वित्त) कॉर्पोरेट आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षक आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेते हैं।

iii. वर्ष 2010–11 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

लेखापरीक्षा समिति की बैठक वर्ष 2010–11 में 1 अप्रैल, 2010, 26 मई, 2010, 16 जुलाई, 2010, 23 जुलाई, 2010, 19 अक्तूबर, 2010, 29 अक्तूबर, 2010, 25 नवम्बर, 2010, 21 जनवरी, 2011 और 15 मार्च, 2011 को कुल 09 बार हुई।

4. पारिश्रमिक समिति

i. पारिश्रमिक नीति

सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के नियतन का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है जबकि अंशकालिक और गैर–कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मंडल अथवा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक फीस को छोड़कर कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें बीएचईएल के नियमानुसार पट्टा आवास, उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन, आदि जैसी परिलब्धियों और लाभों की व्यवस्था करती है। इसलिए सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुरूप निदेशक मंडल ने दिनांक 7 दिसंबर, 2005 को निम्नलिखित विचारार्थ विषय सहित एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया था।

ii. विचारार्थ विषय

क) पेंशन अधिकारों और कोई प्रतिपूर्ति भुगतान जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किया जाता है, सहित पूर्णकालिक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज परिलब्धियों पर कंपनी की नीति पर गौर करना।

ख) पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कतिपय परिलब्धियों को अनुमोदित करना, जो निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हों। मुख्य समूहों, जैसे प्रोत्साहन/लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि के अधीन सारांश दिए गए प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक पैकेज के अवयवों की समीक्षा की।

ग) अनुपलब्धियों और लाभों तथा अन्य संबद्ध मामले पर नीतियों को अंतिम रूप देना, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किए जाते परंतु निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हैं।

घ) कार्यनिष्पादन मानदंडों पर आधारित नियत संघटक और कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का अनुमोदन।

ङ) गैर–कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड को अंतिम रूप देना।

च) स्वतंत्र निदेशकों, निदेशक मंडल/शेयरधारकों सहित गैर–कार्यपालक निदेशकों को फीस/प्रतिपूर्ति/स्टॉक विकल्प, अगर कोई हो, का भुगतान/प्रदान करने की सिफारिश करना।

छ) पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों से संबद्ध अन्य कोई कार्य करना।

iii. संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम तथा उपस्थिति

पारिश्रमिक समिति का पिछली बार दिनांक 30 जून, 2009 को पुनर्गठन किया गया था। पारिश्रमिक समिति में सदस्यों और अध्यक्ष के नाम का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेषक का नाम सर्व/श्री	पद
अषोक कुमार बसू (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष
श्रीमती रेवा नैय्यर (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	सदस्य
एस. रवि अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (दिनांक 28.11.2010 तक)	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (मा.सं)	सदस्य

कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iv. वर्ष के दौरान बैठकें

वर्ष 2010–11 में पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

v. वर्ष 2010–11 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(₹ में)

क्रम सं.	निदेशक का नाम सर्व/श्री	वेतन	लाभ	बकाया यदि कोई हो	कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	कुल	सेवा संविदा/ नोटिस अवधि विच्छेदन शुल्क
1.	बी. प्रसाद राव	1960710	1023908	0	2568229	5552847	—
2.	सी. एस. वर्मा	294750	299573	0	2376602	2970925	10.06.2010 को कार्यमुक्त किया गया
3.	अनिल सचदेव	1679126	891512	0	2231407	4802045	चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने योग्य
4.	अतुल सराया	1578422	738996	0	1292642	3610060	चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने योग्य
5.	ओ. पी. भुटानी	1562472	688464	0	1105331	3356267	चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने योग्य

vi. वर्ष 2010–11 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(₹ में)

स्वतंत्र निदेशकों का नाम	बैठक फीस		कुल
सर्व/श्री	निदेशक मंडल की बैठक	समिति की बैठक	
एस. रवि	1,40,000/-	1,50,000/-	2,90,000/-
अशोक कुमार बसु	1,80,000/-	45,000/-	2,25,000/-
एम.ए. पठान	1,40,000/-	1,95,000/-	3,35,000/-
श्रीमती रेवा नैय्यर	1,60,000/-	2,55,000/-	4,15,000/-
शेखर दत्ता	20,000/-	0	20,000/-
वी.के. जयरथ	1,40,000/-	60,000/-	2,00,000/-
त्रिम्बकदास एव. जँवर	60,000/-	15,000/-	75,000/-

स्वतंत्र निदेशक उनके द्वारा भाग ली गई निदेशक मंडल/समिति की प्रत्येक बैठक ₹ 20,000/– की दर पर बैठक फीस के हकदार थे तथा निदेशक मंडल स्तर की प्रत्येक बैठक ₹ 15,000/– की दर पर बैठक फीस के हकदार थे।

vii. निदेषकों द्वारा धारित इक्विटी षेयर

यहां नीचे वर्णित को छोड़कर कोई भी निदेशक बीएचईएल में कोई इक्विटी शेयर धारित नहीं करता है (दिनांक 31 मार्च, 2011 को)

निदेशक का नाम	धारित शेयरो की संख्यां
श्री बी. प्रसाद राव	400
श्री अतुल सराया	200

वर्ष 2010–11 के दौरान कंपनी ने कोई स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किया है।

5. शेयरधारक समिति

5.1 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 25 मार्च, 1992 को एक शेयर अंतरण समिति गठित की थी, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (पावर) और निदेशक (वित्त) शामिल थे।

शेयर अंतरण समिति डीमैट मोड के अधीन लाभार्थी की स्थिति का ध्यान रखने के अतिरिक्त सभी शेयर संबद्ध मुद्दों, शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वास्तविक मोड में शेयर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने आदि पर विचार कर अनुमोदित करती है।

वर्ष 2010–11 के दौरान बैठकें

शेयर अंतरण समिति की वर्ष के दौरान 23 बार बैठक हुईं। शेयर अंतरण समिति की बैठकों का कार्यवृत्त आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

5.2 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति (एसआईजीसी)

i. विचारार्थ विषय

शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन विशेष रूप से शेयरों के अंतरण, तुलन–पत्र, लाभांश की अप्राप्ति जैसी शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों और शेयरधारकों की अन्य संगत शिकायतों से संबद्ध मामलों पर गौर करने के लिए दिनांक 26 जुलाई, 2001 को किया गया था।

ii. समिति की संरचना सदस्यों और अध्यक्ष का नाम एवं उपस्थिति

शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को 22 जुलाई, 2009 को पुनर्गठित किया गया था।

समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम	पद	इनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्रीमती रेवा नैय्यर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	अध्यक्षा	4	4
निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4
निदेशक (मा. सं.)	सदस्य	4	4

कंपनी सचिव स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 47 के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

iii. वर्ष 2010–11 के दौरान बैठकें

समिति ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 23 अप्रैल, 2010, 20 जुलाई, 2010, 25 नवम्बर, 2010 और 15 मार्च, 2011 को चार बैठकें आयोजित कीं। प्रत्येक सदस्य की कुल उपस्थिति विवरण उपर्युक्त टेबल में दिया गया है।

शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) द्वारा "सेबी" को जैसा सूचित किया गया है, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों की 811 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और दिनांक 31 मार्च, 2011 तक सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया था। रिपोर्ट की अवधि के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

6. मानव संसाधन समिति

निदेशक मंडल ने विशेषकर निम्नलिखित मामलों पर गौर करने के लिए दिनांक 31 मई, 2006 को मानव संसाधन समिति का गठन किया।

क. कार्यपालकों के पुरस्कार/प्रोत्साहन तथा पदोन्नति के संबंध में मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना।

ख. बीएचईएल को परिवर्तित/उभरते हुए वातावरण के लिए तैयार करने हेतु दीर्घावधि और अल्पकालिक नीतियां सुझाना।

संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

दिनांक 22.07.2009 को यथा पुनर्गठित मानव संसाधन समिति के सदस्यों और अध्यक्ष के नाम निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम सर्व/श्री	पद	इनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकें की संख्या
श्रीमती रेवा नैय्यर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	अध्यक्षा	1	1
राजीव बंसल अंशकालिक सरकारी निदेशक (15.03.2011 तक)	सदस्य	1	-
एम.ए. पठान (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	सदस्य	1	1
निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	1	1

कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान बैठक

वर्ष के दौरान मानव संसाधन समिति की 14 मार्च, 2011 को एक बैठक हुई।

7. आमेलन एवं अधिग्रहण समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल ने विशेषकर निम्नलिखित मामलों को देखने के लिए दिनांक 25 जनवरी, 2007 को आमेलन एवं अधिप्राप्ति समिति का गठन किया।

क. आमेलन, अधिग्रहण और नवरत्न पीएसयू के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में अधिकार प्राप्ति से संबंधित प्रस्तावों की व्यवहार्यता की जांच करना तथा निदेशक मंडल को आवश्यक सिफारिश करना।

ख. बीएचईएल और बैठकों एवं उपस्थिति अवसरों के बीच उचित सहक्रियात्मक एवं कार्यनीतिक निरीक्षण करना और विभिन्न उपयुक्त कार्यों से संबधित सिफारिशों पर निर्णय लेना।

ग. लक्ष्य, निविदा कार्यनीति, टर्मशीट, वित्तीय पद्धति के मूल्यांकन पर विचार करना और शेयर होल्डर तथा शेयर खरीद करार आदि जैसे आवश्यक जटिल दस्तावेजों के संबंध में सिफारिशों को अंतिम रूप देना।

घ. आमेलन एवं अधिग्रहण पश्चात प्रबंधन पुनःसंरचना के मुद्दों, मूल कंपनी के संबंधों तथा अन्य संबद्ध मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करना।

ii. संरचना, सदस्यों के नाम तथा अध्यक्ष

आमेंलन एवं अधिग्रहण समिति पिछली बार 26 मार्च, 2011 को पुर्नगठित की गई थी। आमेलन एवं अधिग्रहण समिति के सदस्यों और अध्यक्ष के नामों का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

निदेशक का नाम सर्व / श्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्री. अम्बुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष (26.03.2011) के	-	-
राजीव बंसल (अंशकालिक सरकारी निदेशक) (15.03.2011) तक	अध्यक्ष	2	2
एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	सदस्य (28.11.2010 तक) तथा (26.03.2011 से)	1	1
वी.के.जयरथ (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	सदस्य (23.07.2010 से)	1	-
निदेशक (आईएस एंड पी)	सदस्य	2	2
निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
निदेशक (पावर)	सदस्य	2	2
निदेशक (इंजी, आरएंडडी)	सदस्य	2	2

एम एंड ए के प्रमुख स्थायी रूप से आमन्त्रित होंगें और कम्पनी सचिव समिति को सचिवीय सहायता देंगे।

iii.बैठक और उपस्थिति

समिति ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 31 मई, 2010 और 21 फ़रवरी, 2011 को दो बार अपनी बैठकें आयोजित कीं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का ब्यौरा ऊपर तालिका में दिया गया है।

8. परियोजना समीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ 25 जनवरी, 2007 को परियोजना समीक्षा समिति का गठन किया है–

क. परियोजना समीक्षा समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होंगी।

ख. बैठक हेतु कोरम तीन सदस्यों का होगा।

ग. परियोजना समीक्षा समिति तिमाही आधार पर 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं की स्थिति, प्राप्त / अप्राप्त ऑर्डरों, ऊर्जा एवं उद्योग क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रभाग के संबंध में प्रमुख उपभोक्ता शिकायतों की समीक्षा करेगी।

घ. परियोजना समीक्षा समिति उन कार्यपालकों को समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकती है, जिनकी उपस्थिति को वह बैठक में उचित समझे।

ङ परियोजना समीक्षा समिति, जब कभी आवश्यक समझे, पावर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के संबंध में परियोजना हेतु एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर भी निदेशक मंडल को आवश्यक सिफारिश करेगी।

ii. संरचना तथा सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति को अन्तिम बार 23 जुलाई, 2010 को पुनर्गठित किया गया और समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:–

निदेशक का नाम सर्व / श्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
एम. ए. पठान (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष	4	4
अशोक कुमार बसु (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	सदस्य	4	3
वी. के. जयरथ (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	सदस्य (23.07.2010 से)	3	3
निदेशक (आईएसएंडपी)	सदस्य	4	–
निदेशक (पावर)	सदस्य	4	4

बीएचईएल के निदेशक मंडल पर भारी उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव / अपर सचिव स्थायी आमंत्रिती होंगे और बीएचईएल के अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रमुख को जब भी अपेक्षित हो, आमंत्रित किया जाएगा। कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

iii. बैठक और उपस्थिति

समिति ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 04 बार 25 मई, 2010, 17 सितम्बर, 2010 तथा 07 दिसम्बर, 2010 और 14 मार्च, 2011 को बैठक की। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का ब्यौरा संयुक्त तालिका में दिया गया है।

9. कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन पर पारिश्रमिक समिति

दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70) / 08–डीपीई (डब्ल्यूसी) द्वारा जारी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल ने कार्यपालकों और गैर–यूनियन वाले पर्यवेक्षकों में बोनस / परिवर्ती वेतन तथा उसके वितरण की नीति पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 23 अप्रैल, 2009 को कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन पर पारिश्रमिक समिति गठित किया।

i. बैठकें, उपस्थिति, संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन पर पारिश्रमिक समिति के सदस्यों, अध्यक्ष के नाम ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम सर्व / श्री	पद	इनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्रीमती रेवा नैय्यर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	अध्यक्षा	2	2
एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) (28.11.2010 तक)	सदस्य	2	2
वी. के. जयरथ (अंशकालीक गैर–सरकारी निदेशक)	सदस्य (23.07.2010 से)	1	-
निदेशक (वित्त)	सदस्य (23.07.2010 तक)	1	1
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य (23.07.2010 तक)	1	1

बोर्ड ने समिति का पुनर्गठन 23.07.2010 को किया। समिति के पुनर्गठन के अनुसरण में निदेशक (मा. सं.) समिति में स्थायी आमन्त्रिती होंगे।

ii. बैठक एवं उपस्थिति

समिति की बैठक वर्ष में दो बार 20 जुलाई, 2010 तथा 28 अक्तूबर, 2010 को बैठक हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में किया गया।

10. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर बोर्ड स्तरीय उच्च–समिति

सीपीएसई के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर डीपीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने सीएसआर गतिविधियों की उचित एक आवधिक मॉनीटरिंग के लिये 25 नवम्बर, 2010 को बोर्ड स्तरीय उच्च समिति का गठन किया है।

बैठक, उपस्थिति, संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष का नाम

समिति की वर्ष में 14 मार्च, 2011 को एक बार बैठक हुई। सीएसआर हेतु बोर्ड की उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:–

निदेशक का नाम सर्व / श्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्रीमती रेवा नैय्यर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष	1	1
एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) (28.11.2010 तक)	सदस्य	-	-
वी. के. जयरथ (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	सदस्य	1	1
त्रिम्बकदास एस. जँवर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	सदस्य	1	1
निदेशक (मा.स.)	सदस्य	1	1
निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1

कार्यपालक निदेशक (मा. सं. / सीसी / महाप्रबंधक प्रभारी (एचएसई एवं सीएसआर) स्थायी आमन्त्रिती होंगे। कम्पनी के कम्पनी सचिव समिति के सचिव होंगे।)

11. आम बैठकें

i. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का स्थान और समय

वर्ष	अवस्थान	तारीख	समय
वित्तीय वर्ष 2007–08 (44वीं वार्षिक आम बैठक)	फिक्की आडीटोरियम बाराखंबा रोड तानसेन मार्ग नई दिल्ली – 110001	17 सितम्बर, 2008	10.00 बजे पूर्वाह्न
वित्तीय वर्ष 2008–09 (45वीं वार्षिक आम बैठक)	–तदैव–	17 सितम्बर, 2009	10.00 बजे पूर्वाह्न
वित्तीय वर्ष 2009–10 (46वीं वार्षिक आम बैठक)	–तदैव–	17 सितम्बर, 2010	10.00 बजे पूर्वाह्न

ii. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों / कार्यपालक आम बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

iii. डाक मतपत्र

पिछले वर्ष कोई विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से पारित नहीं किया गया। वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से ऐसा कोई संकल्प प्रस्ताव नहीं है।

12. प्रकटीकरण

i. संबद्ध पक्ष के साथ वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण लेन–देन का प्रकटीकरण, जिसके लिए कंपनी के हित के विरुद्ध होने की संभावना हो।

कंपनी ने वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष के साथ कोई लेन–देन नहीं किया है, जिनका कंपनी के हित के विरुद्ध होने की संभावना हो। फिर भी द्वि–पक्षों के साथ लेन–देनों को वार्षिक रिपोर्ट में लेखे की अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 20 में प्रकट किया गया है।

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के संबंध में कंपनी पर लगाए गए गैर–अनुपालन/दंड और आलोचना

पिछले तीन वर्षों में कंपनी पर न तो कोई दंड लगाया गया है अथवा न तो आलोचना की गई और न ही ऐसी कोई गैर अनुपालन की घटना हुई है। कंपनी कानूनों के अनुपालन और अनुरूपता के संबंध में उच्चतम मानक निर्धारित किए हैं ओर संविधि द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के पूर्व सभी अनुपालन किए जाते हैं।

iii. व्हिसिल ब्लोअर नीति

बीएचईएल ने कर्मचारियों के लिए अभी तक व्हिसिल ब्लोअर नीति स्थापित नहीं की है। फिर भी, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच को नहीं नकारा गया है।

iv. खंड 49 की अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन और गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने सहित कॉर्पोरेट अभिशासन एवं अनुपालन पर डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन का ब्यौरा

कम्पनी ने सीपीएसई कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया हैं इस के अलावा सूचीकरण करार के खंड 49 में यथादर्शित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है। इसका ब्यौरा इस रिपोर्ट में उपयुक्त स्थानों में दिया गया है।

अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन करने के अलावा बीएचईएल खंड 49 में दी गई निम्नलिखित कुछ और अनिवार्य अपेक्षाओं का भी अनुकरण कर रही है। कम्पनी ने निदेशकों के पारिश्रमिक के विशिष्ट कक्षों को अनुमोदित करने के लिये पहले ही पारिश्रमिक समिति बना दी है। कम्पनी पहले से ही अन अहर्ता वित्तीय आधार पर कम्पनी द्वारा किया जायेगा। लेखा अहियों में कोई खर्च डेबिट नहीं किया गया, तो व्यवसाय के लिये नहीं है और किसी भी इस व्यक्तिगत खर्च को नहीं किया गया है, और हिसाब में नहीं लिया है, जिसे निदेशक मंडल और उच्च प्रबन्धन के लिये किया गया।

v. राष्ट्रपति निर्देश

कम्पनी के बीएचईएल की अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद 116 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति की ओर से 30/11/2009 को आर्यपालकों, और गैर–यूनियन सुपरवाइज़रों के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुआ है। इसका कार्यान्वयन किया जा चुका है।

खंड 49 में आगे वर्णन है कि गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को हमारे विवेकानुसार कार्यान्वित किया जाए। कंपनी निवेशकों के पारिश्रमिक के विशिष्ट पहलुओं को अनुमोदित करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति गठित कर चुकी है। अन्य गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं का इस कंपनी द्वारा आवश्यकता आधार पर धीरे–धीरे अनुपालन किया जाएगा।

vi. जोखिम प्रबंधन

जोखिम मूल्यांकन और इसे कम करने की प्रक्रिया के ढांचे की निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की गई है, जिसमें परामर्शदाता की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है। परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी गई है और उनके द्वारा 12 महीनों में परियोजना पूरी करना प्रत्याशित है।

vii. कारपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

कारपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न है।

13. वित्तीय और अन्य सूचना का संप्रेषण

खंड 41 के अधीन अपेक्षानुसार कंपनी निदेशक मंडल की उस बैठक जिसमें अलेखापरीक्षित/लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारार्थ होते हैं, के लिए स्टॉक एक्सचेंज को कम से कम 7 दिन पूर्व नोटिस जारी करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त परिणाम को तत्काल रिकार्ड पर रखने/अनुमोदित करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाते हैं। ये वित्तीय परिणाम सामान्यतः इकॉनामिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) तथा नवभारत टाइम्स और जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित किए जाते हैं और उक्त बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

दिनांक 31.03.2010 तक उक्त सूचना "सेबी" एडिफार (इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्फॉरमेशन फाइलिंग एंड रिट्रीवल) वेबसाइट "www.sebiedifar.nic.in" पर और दिनांक 01.04.2010 से सीएफडीएस (कारपोरेट फाइलिंग एंड डिस्सेमिनेशन सिस्टम) वेबसाइट "www.corpfiling.co.in"] जहां वे किसी व्यक्ति द्वारा मुक्त रूप से पहुंच योग्य हैं, पर भी दर्ज की जाती है।

बड़े ऑर्डरों की प्राप्ति तथा साथ ही निवेशकों की आवधिक बैठकों में निवेशकों और विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतिकरणों जैसे महत्वपूर्ण अवसरों सहित आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती हैं।

14. शेयरधारक के लिए सामान्य सूचना

i. वार्षिक आम बैठक (तारीख, समय और स्थान)

तारीख	समय	स्थान
20 सितंबर, 2011	प्रातः 10.00 बजे	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली – 110001.

ii.	**वित्तीय वर्ष**	–	1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक
iii.	**खाता बंदी की तारीख**	–	12 अगस्त, 2011 से 19 अगस्त, 2011 (दोनों दिन मिलाकर)
iv.	**लाभांश भुगतान की तारीख**	–	दिनांक 19 अक्तूबर, 2011 को अथवा इससे पूर्व

v. लाभांश का ब्यौरा

लाभांश भुगतान के संबंध में बीएचईएल **'स्थिरता एवं वृद्धि'** नीति अपनाता रहा है। विगत 10 वर्षों के दौरान बीएचईएल द्वारा भुगतान किए गए लाभांश और 31.03.2011 तक दावा न की गई लाभांश राशि का सारांश निम्नलिखित है–

वर्ष	लाभांश की दर	शेयरों की सं.	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹)	तारीख, जिसमें लाभांश की घोषणा की गई	31.03.2011 को अदावाकृत लाभांश (₹)
2001-2002	40 प्रतिशत	244,760,000	979,040,000	30.09.2002	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2002-2003	40 प्रतिशत	244,760,000	979,040,000	30.09.2003	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2003-2004 (अंतरिम)	30 प्रतिशत	244,760,000	734,280,000	01.03.2004*	243897#
2003-2004 (अंतिम)	30 प्रतिशत	244,760,000	734,280,000	28.09.2004	217203
2004-2005 (अंतरिम)	35 प्रतिशत	244,760,000	856,662,089	10.12.2004*	265240
2004-2005 (अंतिम)	45 प्रतिशत	244,760,000	1,101,423,062	29.09.2005	330497
2005- 2006 (अंतरिम)	40 प्रतिशत	244,760,000	979,040,000	07.12.2005*	263472
2005- 2006 (विशेष अंतरिम)	85 प्रतिशत	244,760,000	2,080,460,000	07.03.2006*	512720
2005-2006 (अंतिम)	20 प्रतिशत	244,760,000	489,520,000	15.09.2006	158958
2006-2007 (अंतरिम)	125 प्रतिशत	244,760,000	3,059,513,890	25.01.2007*	852828
2006-2007 (अंतिम)	60 प्रतिशत	489,520,000	2,937,120,000	17.09.2007	991914
2007-2008 (अंतरिम)	90 प्रतिशत	489,520,000	4,405,680,000	25.01.2008*	1647981
2007-2008 (अंतिम)	62.50 प्रतिशत	489,520,000	3,059,541,073	17.09.2008	1723822
2008-2009 (अंतरिम)	90 प्रतिशत	489,520,000	4,405,680,000	29.01.2009*	2462157
2008-2009 (अंतिम)	80 प्रतिशत	489,520,000	3,916,160,000	17.09.2009	1594888
2009-2010 (अंतरिम)	110 प्रतिशत	489,520,000	5,384,720,000	21.01.2010*	2776092
2009-2010 (अंतिम)	123 प्रतिशत	489,520,000	6,021,119,004	17.09.2010	2906833
2010-2011 (अंतरिम)	132.5 प्रतिशत	489,520,000	6,486,174,770	15.03.2011*	20437387

*निदेशक मंडल की बैठक की वह तारीख, जिसमें अंतरिम लाभांश घोषित किया गया।

#26.10.2011 को निदेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड (आईईपीएफ़) में अन्तरण के लिए प्रस्तावित है।

vi स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण और स्टॉक कोड

बीएचईएल के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, जिसके लिए वर्ष 2009–10 हेतु सूचीकरण फीस का भुगतान किया गया है।

	स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
1.	बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जिजीभाय, दलाल स्ट्रीट मुंबई – 400001	500103
2.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा" सी–1, ब्लॉक–जी, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई – 400 051	बीएचईएल

vii. इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना

बीएचईएल ने दिनांक 3 नवंबर, 2004 को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के पास आवश्यक आवेदन दाखिल किया था। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड से सूची से हटाने का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित है। तथापि, बीएचईएल के शेयरों को सीएस में सूचीगत सेक्यूरिटी की में नहीं दिखाया गया है।

viii. बीएसई सूचकांक, बीएसई, पीएसयू सूचकांक और एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक जैसे वृहद आधार वाले सूचकांकों की तुलना में बाजार मूल्य आंकड़ा और निष्पादन निम्नानुसार है–

बीएचईएल बनाम बीएसई संवेदी सूचकांक

बीएसई सेंसेक्स की तुलना में **बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)** में दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान बीएचईएल के उच्च और निम्न बाजार शेयर मूल्य, व्यापार में किए गए शेयरों की संख्या और निवल कुल कारोबार का सारांश निम्नानुसार है–

महीना	बीएचईएल में बीएसई का शेयर मूल्य (₹)			बीएसई सेंसेक्स			कारोबार किए गए शेयरों की संख्यां	निवल कारोबार (₹लाख में)
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद		
अप्रैल-10	2,585.00	2,382.30	2,492.10	18,047.86	17,276.80	17,558.71	1,397,668	34,900.00
मई-10	2,492.50	2,231.55	2,356.65	17,536.86	15,960.15	16,944.63	1,702,788	39,926.67
जून-10	2,484.00	2,251.00	2,460.70	17,919.62	16,318.39	17,700.90	1,317,550	31,310.62
जुलाई-10	2,495.00	2,352.00	2,438.90	18,237.56	17,395.58	17,868.29	1,079,266	26,179.49
अगस्त-10	2,546.80	2,400.00	2,408.20	18,475.27	17,819.99	17,971.12	895,098	22,300.71
सितंबर-10	2,523.50	2,382.00	2,483.60	20,267.98	18,027.12	20,069.12	1,020,122	25,143.84
अक्तूबर-10	2,695.00	2,433.00	2,445.70	20,854.55	19,768.96	20,032.34	1,845,559	47,315.37
नवंबर-10	2,551.00	2,060.00	2,205.75	21,108.64	18,954.82	19,521.25	1,433,929	33,261.20
दिसंबर-10	2,379.00	2,153.90	2,324.75	20,552.03	19,074.57	20,509.09	1,142,854	26,016.82
जनवरी-11	2,352.00	2,118.00	2,217.50	20,664.80	18,038.48	18,327.76	1,584,162	35,311.58
फरवरी-11	2,294.70	1,960.00	2,000.65	18,690.97	17,295.62	17,823.40	1,822,350	38,277.43
मार्च-11	2,150.00	1,905.00	2,060.85	19,575.16	17,792.17	19,445.22	2,016,970	40,559.78

स्रोत: www.bseindia.com

2010–11 के दौरान बीएचईएल के शेयर मूल्य (बंद) की तुलना में बीएसई सूचकांक (बंद) का निष्पादन

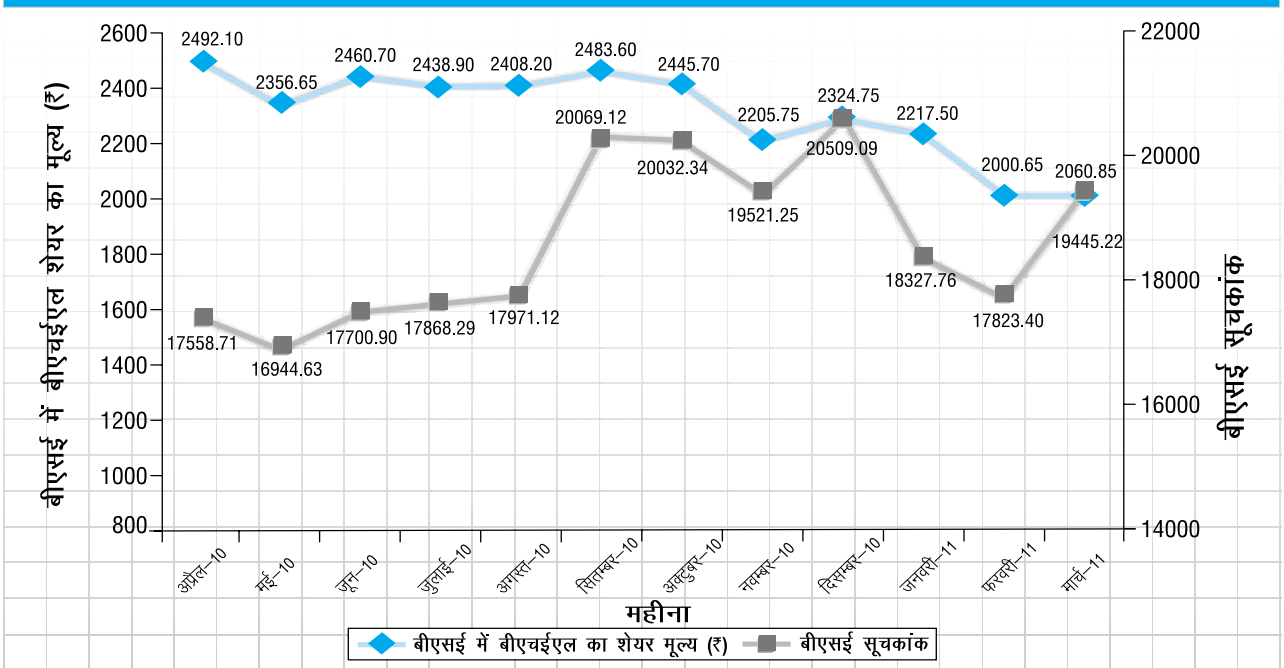

बीएचईएल की तुलना में बीएसई पीएसयू सूचकांक

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान बीएसई पीएसयू सूचकांक की तुलना में **बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)** पर बीएचईएल के उच्च और निम्न बाजार शेयर मूल्य का सारांश निम्नानुसार है–

महीना	बीएचईएल में बीएसई का शेयर मूल्य (₹)			बीएसई पीएसयू सूचकांक		
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल-10	2,585.00	2,382.30	2,492.10	9,288.02	8,761.12	9,113.05
मई-10	2,492.50	2,231.55	2,356.65	9,147.48	8,578.42	9,133.94
जून-10	2,484.00	2,251.00	2,460.70	9,557.80	8,896.07	9,508.65
जुलाई-10	2,495.00	2,352.00	2,438.90	9,677.44	9,360.86	9,576.60
अगस्त-10	2,546.80	2,400.00	2,408.20	9,858.39	9,470.55	9,641.33
सितंबर-10	2,523.50	2,382.00	2,483.60	10,473.17	9,672.72	10,279.56
अक्तूबर-10	2,695.00	2,433.00	2,445.70	10,708.33	10,070.63	10,139.97
नवंबर-10	2,551.00	2,060.00	2,205.75	10,611.38	8,821.00	9,291.00
दिसम्बर-10	2,379.00	2,153.90	2,324.75	9,783.60	9,025.08	9,460.63
जनवरी-11	2,352.00	2,118.00	2,217.50	9,562.52	8,530.89	8,706.88
फरवरी-11	2,294.70	1,960.00	2,000.65	8,849.30	8,132.15	8,380.61
मार्च-11	2,150.00	1,905.00	2,060.85	9,001.52	8,389.39	8,960.08

स्रोत: www.bseindia.com

2010–11 के दौरान बीएचईएल के शेयर मूल्य (बंद) की तुलना में बीएसई पीएसयू सूचकांक (बंद) का निष्पादन

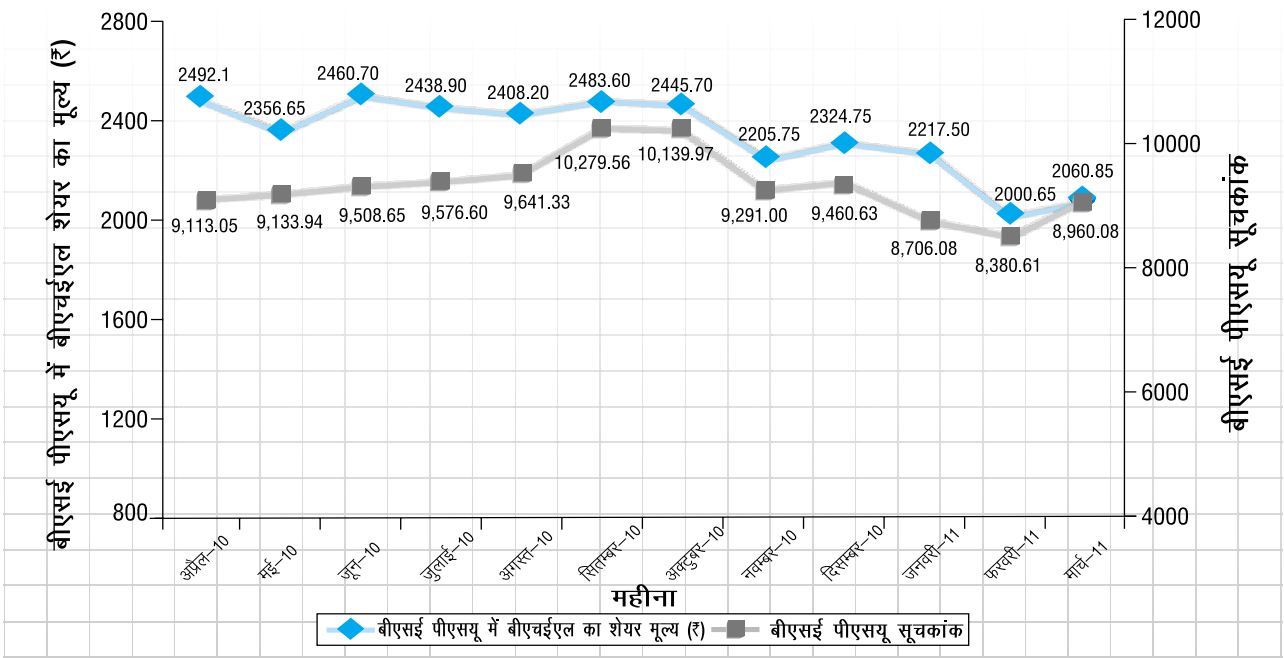

बीएचईएल बनाव एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी की तुलना में दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर बीएचईएल के शेयर के बाजार मूल्य का उच्च और निम्न, व्यापार किए गए शेयर और निवल कुल कारोबार का सारांश निम्नानुसार है–

महीना	बीएचईएल शेयर मूल्य – रा.सं.सू. में (₹)			एनएसई निफ्टी			कारोबार किए गए शेयरों की	निवल कारोबार
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद	संख्या	(₹ लाख में)
अप्रैल-10	2,585.00	2,380.00	2,492.25	5,399.65	5,160.90	5,278.00	10,121,507	252,829.63
मई-10	2,494.05	2,230.55	2,353.40	5,278.70	4,786.45	5,086.30	11,375,333	265,708.48
जून-10	2,487.00	2,247.05	2,459.70	5,366.75	4,961.05	5,312.50	11,033,058	262,555.82
जुलाई-10	2,520.00	2,350.00	2,437.90	5,477.50	5,225.60	5,367.60	9,924,774	241,087.90
अगस्त-10	2,545.00	2,392.95	2,406.60	5,549.80	5,348.90	5,402.40	8,764,254	217,718.69
सितम्बर-10	2,525.40	2,376.00	2,478.50	6,073.50	5,403.05	6,029.95	12,089,142	297,923.77
अक्टूबर-10	2,694.00	2,432.00	2,445.55	6,284.10	5,937.10	6,017.70	14,163,990	361,994.87
नवम्बर-10	2,554.00	2,055.00	2,204.00	6,338.50	5,690.35	5,862.70	13,872,656	321,121.15
दिसम्बर-10	2,364.85	2,155.60	2,323.70	6,147.30	5,721.15	6,134.50	9,437,660	214,534.40
जनवरी-11	2,353.40	2,116.55	2,218.55	6,181.05	5,416.65	5,505.90	12,915,959	288,301.68
फरवरी-11	2,238.00	1,961.00	2,001.10	5,599.25	5,177.70	5,333.25	13,053,467	272,940.12
मार्च-11	2,149.95	1,901.00	2,062.65	5,872.00	5,348.20	5,787.65	19,244,388	389,875.96

स्रोत: www.nseindia.com

2010–11 में बीएचईएल के शेयर मूल्य (बंद) का एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी (बंद) की तुलना में निष्पादन

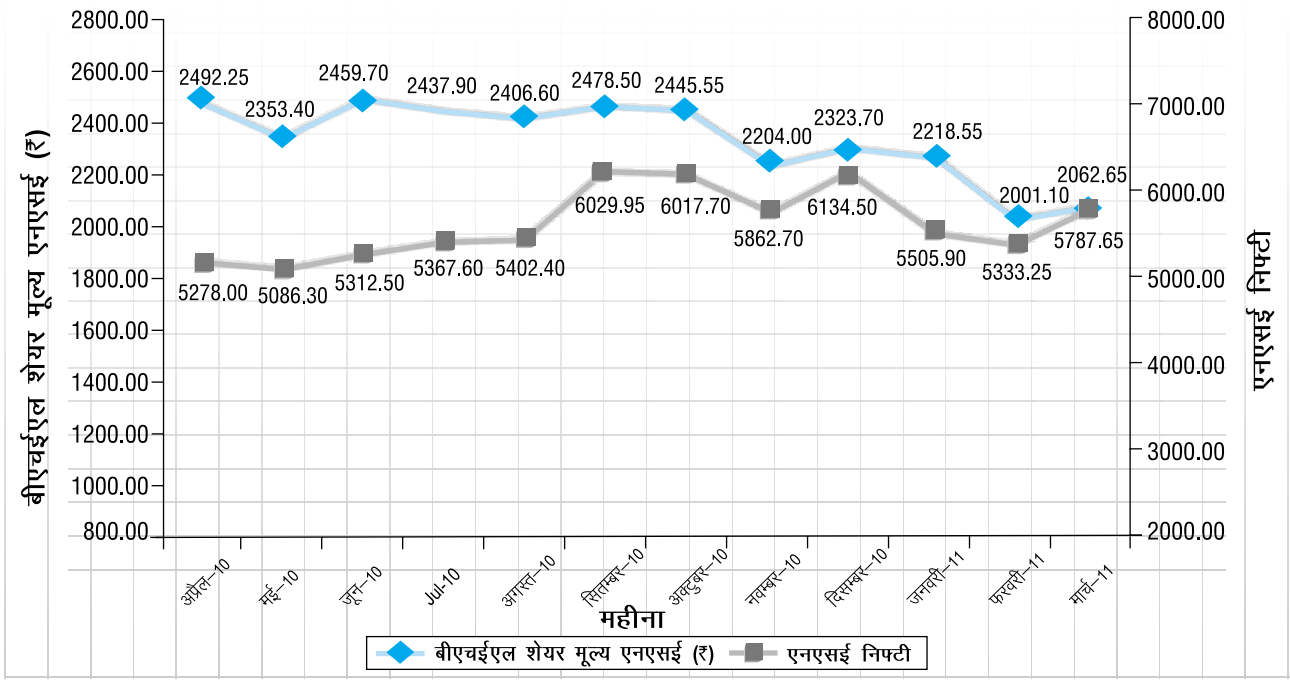

ix. आतंरिक व्यापार पर नीति

बीएचईएल का प्रयास है कि अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता को बनाए रखा जाए ताकि इस प्रकार की सूचना के दुरुपयोग की रोकथाम की जा सके। इस प्रयोजन के लिए तथा सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियमन, 1992 के अनुसार कंपनी ने 26 अगस्त, 2002 को ''आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' को अपनाया था।

नवंबर, 2008 को जारी सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) (संशोधन) विनियमन, 2008 के अनुपालनार्थ बीएचईएल ने अपनी ''आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' को संशोधित किया था। बीएचईएल की संशोधित ''आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' 29 जनवरी, 2009 को लागू की गई थी। इस संहिता का उद्देश्य अंतरंगों (निदेशक, पदनामित कर्मचारी और अन्य संबद्ध व्यक्ति) को विनिर्दिष्ट सीमाओं से बाहर कंपनी के शेयरों क्रय–विक्रय से रोकना है तथा संहिता में दी गई परिभाषा के अनुसार उनसे समय–समय पर संबंधित सूचना को प्रकट करना अपेक्षित है। निदेशक मंडल ने निदेशक (वित्त) को संहिता के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

x. रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)

मैसर्ज़ कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

दिल्ली का पताः
यूनिट : **बीएचईएल**
105–108, अरूणाचल बिल्डिंग,
19, बाराखंबा रोड,
नई दिल्ली – 110001
फोन : 011-23324401
43681700/01/02/21
फैक्स : 011-23730743
ई–मेलः ksbldelhi@karvy.com

हैदराबाद पताः
यूनिट :**बीएचईएल**
17–24, विट्ठल राव नगर, माधापुर,
हैदराबाद–500 081
फोन : 040-44655000
फोन : 040-44655024
ई–मेलः madhusudhan@karvy.com
einward.ris@karvy.com
Website : www.karvycomputershare.com

शेयरधारकों की सेवा के लिए आरटीए का निष्पादन संतोषजनक रहा है। निवेशकों की सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया है

xi. शेयर अंतरण पद्धति

प्रत्यक्ष खंड के अधीन संपूर्ण शेयर अंतरण संबंधी कार्यकलाप यथा दस्तावेजों की प्राप्ति/प्रॉक्स, उनका सत्यापन और अंतरण इस प्रकार कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्रा. लिमिटेड द्वारा किए जाते हैं। शेयर अंतरण प्रणाली के अंतरिती से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, उसका सत्यापन, अंतरण समित द्वारा उसके अनुमोदन और सूचीकरण करार के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर अंतरितियों को अंतरित प्रमाणपत्र भेजने जैसे कार्यकलाप शामिल हैं।

xii. शेयरधारिता का वितरण

(क) 31 मार्च, 2010 को धारिता के आकार के अनुसार शेयरों का वितरण

धारिता इक्विटी शेयरों की सं.	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1 - 500	229291	98.68%	7,629,444	1.56%
501 - 1000	1398	0.60%	1,056,912	0.22%
1001 - 2000	565	0.24%	844,988	0.17%
2001 - 3000	172	0.07%	435,671	0.09%
3001 - 4000	87	0.04%	310,785	0.06%
4001 - 5000	69	0.03%	319,405	0.07%
5001 - 10000	158	0.07%	1,130,907	0.23%
10001 एवं ऊपर	607	0.26%	477,791,888	97.60%
	232347	**100%**	**489,520,000**	**100%**

ख) 31 मार्च, 2011 के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	2011 मत सं. (प्रतिशत)	2011 धारिता शेयरों की सं.	2010 मत सं. (प्रतिशत)	2010 धारिता शेयरों की सं.
प्रवर्तकों की धारिता				
भारतीय प्रवर्तक -				
- भारत के राष्ट्रपति	67.72	331,510,000	67.72	331,510,000
- भारत के राष्ट्रपति के नामिती	0.00	400	0.00	400
कुल प्रवर्तक धारिता	**67.72**	**331,510,400**	**67.72**	**331,510,400**
गैर–प्रवर्तक निवेशक				
संस्थागत निवेशक				
म्युचुअल फंड तथा यूटाआइ	7.03	34,415,090	6.84	33,484,614
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां	5.68	27,806,836	4.21	20,618,943
विदेशी संस्थागत निवेशक	12.91	63,170,722	15.21	74,435,163
अन्य				
निवेशक तथा संबंधी	0.00	600	0.00	600
निजी कॉर्पोरेट निकाय	4.49	21,980,537	4.13	20,204,090
भारतीय जनता	1.87	9,152,130	1.68	8,250,713
विदेशी नागरिक	0.00	8	0.00	0
एनआरआई/ओबीसी	0.13	639,450	0.11	526,431
ट्रस्ट	0.03	149,967	0.02	88,785
ट्रांजिट में शेयर (एनएसडीएल/सीडीएसएल)	0.14	694,260	0.08	400,261
कुल गैर–प्रवर्तक धारिता	**32.28**	**158,009,600**	**32.28**	**158,009,600**
कुल जोड़	**100.00**	**489,520,000**	**100.00**	**489,520,000**

दिनांक 31 मार्च, 2011 को शेयरधारिता पैटर्न

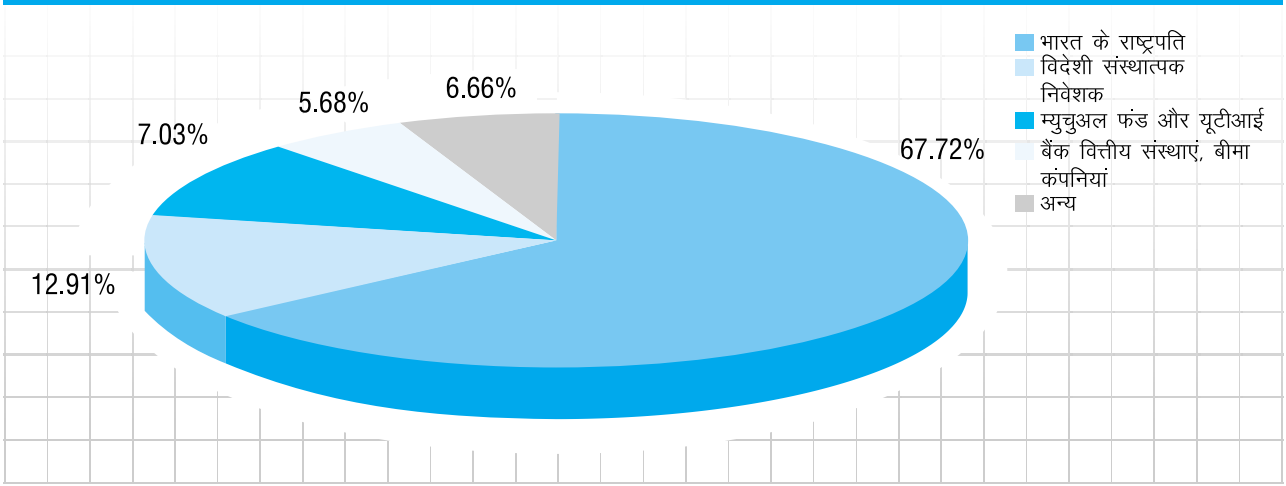

(ग) उन शेयरधारकों की सूची जो दिनांक 31 मार्च, 2011 को कंपनी के शेयरों का 1 प्रतिशत से अधिक धारित कर रहे हैं।

श्रेणी तथा शेयरधारकों के नाम	2011	
	मत सं. (प्रतिशत)	धारित शेयरों की सं.
प्रवर्तक		
1. भारत के राष्ट्रपति एवं नामिनी	67.72	331,510,400
गैर–प्रवर्तक		
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	4.42	21,613,684
2. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ	1.39	6,797,759
3. लाजार्ड एस्सेट मैनेजमेंट एलएलसी का खाता लाजार्ड एमर्जिंग मार्किट	1.03	5,017,779

xiii. शेयरों और नकदी निधि का अमूर्तकरण

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा, बीएचईएल के शेयरों का अमूर्त (डीमैट) रूप में व्यापार दिनांक 5 अप्रैल, 1999 से अनिवार्य कर दिया गया है। बीएचईएल ने देश के दोनों निक्षेपागारों अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ अपनी प्रतिभूतियों के डीमैट रूप में प्रवेश के लिए करार निष्पादित किया है। दिनांक 31 मार्च, 2011 को बीएचईएल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी 32.21 प्रतिशत को शेयरधारकों ने अमूर्त करा लिया है और एनएसडीएल/सीडीएसएल के नाम से धारित है। कंपनी को आबंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई 257ए01018 है।

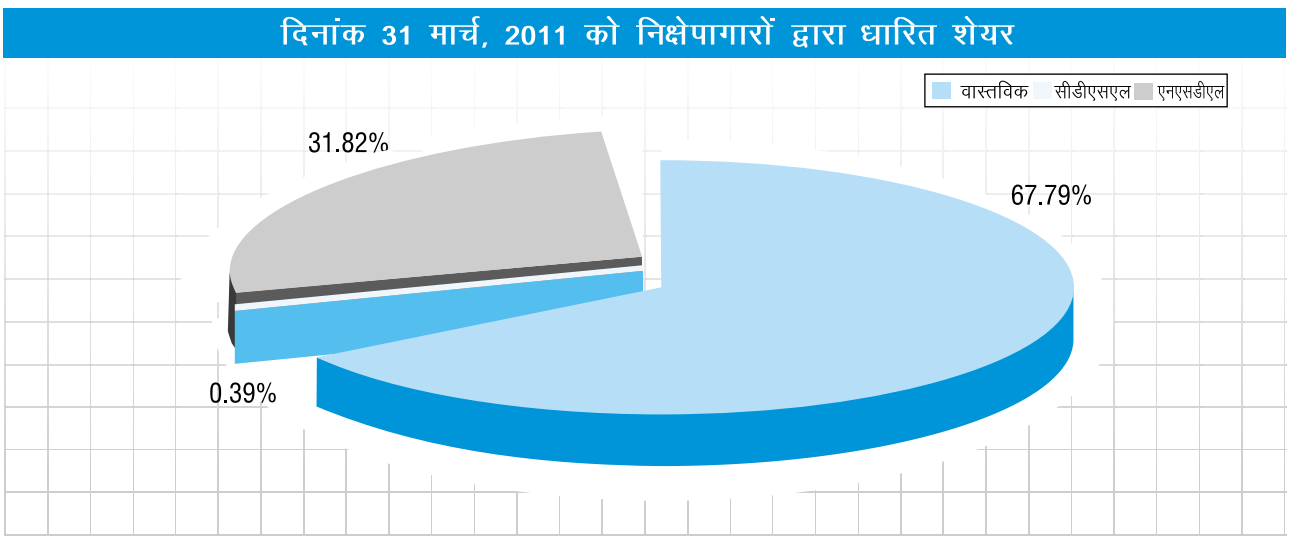

xiv. व्यय जीडीआर/एझीआर/वारंट अथवा अन्य कोई परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव।

शून्य

xv. प्लांट स्थल

बीएचईएल उत्पादन यूनिटें	बैंगलूर	1. इलेक्ट्रानिक्स डिवीजन
		2. इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिवीजन
		3. इलेक्ट्रो पोर्सलीन डिवीजन
	भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट
	गोइंदवाल	5. इंडस्ट्रियल वाल्व्स प्लांट
	हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट
		7. सेंट्रल फाउंडरी फोर्ड प्लांट
	हैदराबाद	8. हेवी पावर इक्विपमेट प्लांट
	जगदीशपुर	9. इंसुलेटर प्लांट
		10. सेन्ट्रल स्टैम्पिंग यूनिट
	झांसी	11. ट्रांसफार्मर प्लांट
	रूद्रपुर	12. कम्पोनेंट फैब्रीकेशन प्लांट
	रानीपेट	13. बॉयलर ऑग्लीलियरीज प्लांट
	त्रिरुचिरापल्ली	14. हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट
		15. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट
बीएचईएल रिपेयर यूनिटें	मुम्बई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट
	वाराणसी	2. हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट
बीएचईएल सहायक कंपनी	विशाखापट्टनम	1. भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड
	कासरगोड	2. बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

xvi. पत्राचार के लिए पता

शेयरधारक शेयरों के अंतरण/अमूर्तकरण, शेयरों पर लाभांश भुगतान, लाभांश वारंटी को पुनःवैधीकरण और कंपनी के शेयरों से संबंधित अन्य पूछताछ के लिए शेयरधारक अपने पत्र निम्नांकित में से किसी को भी प्रेषित कर सकते हैं –

श्री आई.पी. सिंह
कम्पनी सचिव
बीएचईएल
रजि. कार्यालय– बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट
नई दिल्ली–110 049

फोन : 011–66337501
फैक्स : 011–66337533
ई–मेल : shareholderquery@bhel.in

अथवा

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : **बीएचईएल**

दिल्ली :	105–108, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110 001	फोन	: 011–23324401 43681700/01/02/21
		फैक्स	: 011–23730743
		ई–मेल	: ksbldelhi@karvy.com
हैदराबाद :	17–24, विट्ठलराव नगर, माधापुर हैदराबाद–500 081	फोन	: 040–44655000
		फैक्स	: 040–44655024
		ई–मेल	: madhusudhan@karvy.com mailmanager@karvy.com

नोटः इलेक्ट्रानिक मोड में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों को सभी पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार के साथ करना चाहिए।

घोषणाः स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49(घ) के अनुसरण में एतदद्वारा यह घोषणा की जाती है कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 'वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए बीएचईएल की व्यवसाय' आचरण और नैतिकता की संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2011

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सीएफओ प्रमाणीकरण

सेवा में,

निदेशक मंडल,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
नई दिल्ली

(क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार–

(i) इन विवरणों में वास्तविक रूप से कोई असत्य विवरण नहीं है अथवा किसी वास्तविक तथ्य को नहीं हटाया गया है या ऐसा कोई विवरण निहित नहीं, जो भ्रामक हो।

(ii) ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्य का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये मौजूदा लेखाकरण मानक, लागू कानून और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2010–11 के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैर–कानूनी अथवा कंपनी की आचरण संहिता के उल्लंघन में हो।

(ग) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं कि हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन अथवा प्रचालन में कमियां,अगर कोई हों, जिससे हम अवगत हैं और इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए उपायों तथा किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों को बताया है।

(घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित दर्शाया है–

(i) वर्ष 2010–11 के दौरान आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(ii) वर्ष 2010–11 के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दर्शाया गया है, और

(iii) धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, जिनसे हम अवगत हैं और कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की उनमें भागीदारी।

हस्ता./–

ओ. पी. भुटानी
निदेशक (ईआरएंडडी) एवं निदेशक (वित्त)

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2011

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र (सूचीकरण करार के खंड 49 में यथा उल्लिखित)

सदस्यगण,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
'बीएचईएल हाउस', सीरी फोर्ट
नई दिल्ली

महोदय,

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण करार के खंड 49 में यथानिर्दिष्ट दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित के अधीन हम उल्लेख करते हैं कि: कंपनी ने 31 मार्च, 2011 के उपयुक्त लिखित सूचीकरण करार में उल्लिखित कॉर्पोरेट अभिशासन की सभी शर्तों के स्वंतत्र निदेशकों की संख्या के संदर्भ में सूचीकराण करार के खंड 49 (1) (ए) के संबंध में 10 मार्च, 2011 के स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करके अनुपालन सुनिश्चित किया है।

हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करार में यथानिर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का पालन किया है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्यकालीन व्यवहार्यता का और न ही कंपनी के कार्यों को संचालित करने में प्रबंधन की कुशलता अथवा प्रभावशीलता का आश्वासन है।

कृते एवं गांधी मिनोचा एंड कम्पनी की ओर से
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ़आरएन नं. : 000458एन

हस्ता/–
(मनोज भारद्वाज)
साझेदार
सदस्यता सं. 98606

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2011

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

(जैसा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में उल्लिखित है।)

सदस्यगण,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
''बीएचईएल हाउस'', सीरी फोर्ट,
नई दिल्ली

हमने मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों (मई, 2010 में जारी) तथा उसके अनुबंधों में वर्णित है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि और उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2011 तक कॉर्पोरेट अभिशासन पर उपर्युक्त लिखित डीपीई के दिशानिर्देशों में वर्णित कॉर्पोरेट अभिशासन की सभी शर्तों का अनुपालन किया है। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के संबंध में दिशानिर्देश के खंड 3.1.4 के संदर्भ में 10 मार्च, 2011 को स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करके इसका अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

हम आगे यह भी कहना चाहते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी संभाव्यता और न ही कुशलता या प्रभावनीयता के प्रति आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को पूरा किया है।

गांधी मिनोचा एंड कंपनी के
चार्टर्ड लेखाकारों के लिए एवं उनकी ओर से
एफआरएन : 000458 एन

हस्ता./–
(मनोज भारद्वाज)
साझेदार
सदस्यता संख्या 98606

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2011

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–4

ऊर्जा संरक्षण

बीएचईएल में ऊर्जा प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सकल कारोबार उत्पाद शुल्क के निवल के प्रतिशत लागत के रूप में ऊर्जा लागत पिछले वर्ष के 0.99 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010–11 में 0.92 प्रतिशत थी।

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां की गईं :

- ''एन कॉन (ऊर्जा संरक्षण) पर टिप्स'' प्रतिबिंब (कॉर्पोरेट कार्यालय का न्यूज लैटर) में अंग्रेजी में प्रकाशित की गई।

  ''एन कॉन पर टिप्स'' अरूणिमा (कॉर्पोरेट कार्यालय की राजभाषा पत्रिका) में हिंदी में प्रकाशित की गई। ये टिप्स (अंग्रेजी एवं हिंदी में) कॉर्पोरेट एनर्जी मैनेजमेंट वेबसाइट पर और इकाईयों की एनर्जी मैनेजमेंट वेबसाइट पर कर्मचारियों की सूचना के लिए डाली गई है।
- भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पूरी कंपनी में यह ऊर्जा सप्ताह (14–21 दिसंबर, 2010) मनाया गया और कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए एनकॉन गतिविधियां आयोजित की गईं।
- इनकैनडिसेंट लैम्प/बल्बों के स्थान पर ऊर्जा कुशल लैंप लगाए गए।
- ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए कम्प्यूटरों (पीसी/लैपटॉप) को ऊर्जा बचत मोड में सेट किया गया।
- हीप–हरिद्वार, सीएफएफपी–हरिद्वार, ईडीएन–बेंगलूर, हर्प–वाराणसी और एसएसटीपी–तिरुचि में ऊर्जा आडिट कराया गया। इकाईवार निम्नलिखित ओ एफ आई (सुधार के लिए अवसर) कार्यान्वित किए गए।

  <u>एचईईपी – हरिद्वार:</u>
  - पावर फ़ैक्टर में सुधार करने के लिये फ़िक्स्ड मोड रिएक्शन कम्पन्सेशन (11 केवी के दोनों इनकमर पर है एचटी केपेसिटर बैंक के रूप में) लगाये गये।
  - कॉम्प्रेसर नं. 3 को अनुशंसत प्रचालन दाब पर चलाया जा रहा है।
  - ब्लॉक–1 और ब्लॉक 3 में पाये गये बड़े लीकेज स्थानों की लीकेज के लिये नियमित मॉनीटरिंग हो रही है और लीकेज पॉइन्ट बन्द कर दिये गये थे।

  <u>सीएफएफपी – हरिद्वार:</u> पारम्परिक लाइसेन्स के स्थान पर ऊर्जा कुशल लगाई गई हैं।

  <u>एचईआरपी – वाराणसी:</u> वर्तमान 36 वाट की ट्यूब को बदलकर 28 वाट टी 5 इलेक्ट्रानिक चोक वाली ट्यूब लगाई गई है।

  <u>ईडीएन – बैंगलूर:</u>
  - पावर फ़ैक्टर के प्रबन्धन के लिये केपेसिटर बैंक लगाए गए हैं।
  - प्रचालित चौथे डीसी सेट को हटा लिया गया है और तीन डीजी सेटों में सिंक्रोनाइज़ेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रयोग में लाया गया।

एसएसटीपी – तिरुचि में मार्च, 2011 के अन्तिम सप्ताह में एनर्जी ऑडिट कराया गया। ओएफ़आई की शेष गतिविधियाँ अप्रूवल/टेंडरिंग/अधिप्राप्ति के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रौद्योगिकी आमेलन तथा अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया
2. उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए लाभ

} निदेशकों की रिपोर्ट में ''अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी'' के अंतर्गत दिया गया है।

3. भविष्य की कार्ययोजना

   अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी पर बल दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार हैं–
   - सुपरक्रिटिकल पैरामीटरों का प्रयोग करते हुए अत्यधिक सक्षम पारंपरिक ताप विद्युत संयंत्र

- अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल एंड एडवान्स्ड अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल पैरामीटरों का प्रयोग करते हुए अत्यधिक सक्षम पारम्परिक ताप विद्युत संयंत्र
- ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक उपयोग हेतु एडवांस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्लेटफॉर्म
- भारतीय कोयले की विशेषताओं का पता लगाने के लिए कोयला अनुसंधान
- इंटीग्रेटिड गैसीफिकेशन कम्बाइंड साइकल (आईजीसीसी) पावर प्लांट्स
- अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) प्रोजेक्ट्स आदि के उत्सर्जन में कमी के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी
- एटम्सफीयरिक एंड सर्कुलेटिंग फ्लूडाडइज्ड बेड कंल्युशन (सीएफबीसी) बॉयलर्स
- उच्च कार्यकुशलता तथा लम्बी आयु वाले हाइड्रो पावर प्लांट
- एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, 800 केवी एचवीडीसी, 765केवी, 1200केवी ट्रांसमिशन सिस्टम/उत्पाद
- फ्लेक्सीबल ए सी ट्रांसमीशन सिस्टम्स तथा अन्य उपकरण जैसे थाइरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कम्पनसेशन, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर, स्टेटिक सिंक्रोनाइज्ड कम्पनसेटर (स्टेटकॉम), कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर आदि
- कार्यकुशल, विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सहित आईजीबीटी – ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आधारित अनुप्रयोग जैसे डीजल इलेक्ट्रिक लोको के लिए थ्री फेज ए सी ड्राइव सिस्टम
- गैस इंसुलेटिड स्विचगीयर
- उच्चतम रेटिंग की इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन
- मौजूदा उत्पादों की क्षमता वृद्धि
- ग्रिड सम्बद्ध सोलर पीवी सोलर थर्मल, विंड आदि जैसी गैर–परंपरागत ऊर्जा प्रणालियां
- सिमुलेटर्स
- एडवांस्ड फेब्रिकेटर्स टेक्नोलॉजी
- सेरामिक उपयोग सहित सरफेस कोटिंग्स
- अवशेष आयु मूल्यांकन अध्ययन
- साइकल टाइम तथा लागत घटाने के लिए नई टेक्नोलॉजियों सहित इंटेलिजेन्ट मशीनें एवं रोबोटों का उपयोग
- विशिष्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग
- ज्ञान प्रबंधन
- ऑटोमेशन पर फोकस के साथ ईपीसी सहित सम्पूर्ण इंजिनीयरिंग समाधान
- कम्पन एवं शोर में कमी
- उच्च तापमान सुपरकंडक्टर्स पर आधारित अनुप्रयोग
- डिसेलिनेशन एवं जल–शोधन संयन्त्र
- नैनो टेक्टनोलॉजी अनुप्रयोग
- हाइड्रोजन एनर्जी तथा फ्यूल सैल्स

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

कुल	....	₹ 981.86 करोड़
क) आवर्ती	....	₹ 943.99 करोड़
ख) पूंजीगत	....	₹ 37.86 करोड़
कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में व्यय	....	2.27 प्रतिशत

प्रौद्योगिकी आमेलन एवं व्यय

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिक की विवरण :

प्रौद्योगिकी	आयात वर्ष	आमेलन स्थिति
वन्स थ्रू बॉयलर	2005	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर है।
उच्चतर रेटिंग वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पम्प	2007	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर है।
बड़े आकार की फोर्जिंग्स	2010	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर है।
सेन्ट्रिफ़्यूगल कम्प्रेसर	2010	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर है।
जलशोधन प्रणाली	2011	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर है।

विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

क) निर्यात सूचना से संबद्ध गतिविधियां निदेशकों की रिपोर्ट में ''अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय'' 'के अंतर्गत दी गई है।

ख) प्रयुक्त और अर्जित कुल विदेशी मुद्रा :

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2009-10
(i) प्रयुक्त विदेशी मुद्रा	**8389**	7587
(ii) अर्जित विदेशी मुद्रा	**9226**	8263

कृते निदेशक मंडल की ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई,2011

निदेशकों की रिपोर्ट हेतु अनंबन्ध–5

कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड 212 के अनुपालनार्थ सहायक कंपनी से संबंधित विवरण

	सहायक कंपनी का नाम	भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड	बीएचईएल इलैक्ट्रिकल मशीन लि.
1	सहायक कंपनी समाप्ति का वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2011	-
2	सहायक कंपनी बनने की तारीख	10 मई, 2008	19 जनवरी, 2011
3	31 मार्च, 2011 की यथा स्थिति कम्पनी द्वारा धारिता सहायक कम्पनी का शेयर		
	क) संख्या तथा अंकित मूल्य	1000/– रुपये प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 337978 इक्विटी शेयर	10/– रुपये प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 51000 इक्विटी शेयर
	ख) धारिता की मात्रा	100 प्रतिशत	51 प्रतिशत
4	धारिता कंपनी की सदस्य होने ते नाते सहायक कंपनी की कुल लाभ/हानि की राशि	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
	क) धारिता कंपनी के खातों से संबंधित नहीं		
	i) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	8.78	लागू नही
	ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष तक	(-) 52.60	लागू नही
	ख) धारिता कंपनी के खातों से संबंधित		
	i) 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	लागू नही
	ii) धारिता कंपनी की सहायक कंपनी बनने की तारीख से सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	लागू नही

नोट : 19 जनवरी, 2011 को ''बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड'' नामक सहायक कंपनी का निगमन किया गया है। इस कंपनी में बीएचईएल के पास 51 प्रतिशत इक्विटी तथा केरल सरकार के पास 49 प्रतिशत इक्विटी है। कंपनी का वित्तीय वर्ष 19.01.2011 से शुरू हुआ है और वह 31.03.2012 को समाप्त होगा।

कृते निदेशक मंडल की ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जुलाई, 2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड

1. हमने इसके साथ संलग्न भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का 31.03.2011 का तुलन पत्र, इसी तारीख को समाप्त लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रावधान की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानदंडों के आधार पर की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा से यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय लेखाविवरण किसी भी गलत विवरण से रहित हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में संलग्न प्रलेख और वित्तीय विवरण के प्रकटन शामिल रहते हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं महत्वपूर्ण आकलन तथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की धारा 4(क) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा संशोधित आदेश 2003 के अंतर्गत कंपनी द्वारा यथा अपेक्षित (लेखापरीक्षित रिपोर्ट) हम उक्त आदेश के पैरा 4 एवं 5 में निर्दिष्ट विषयों पर अभिकथन का अनुबंध संलग्न करते हैं।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अनुबंध में अपनी टिप्पणी के क्रम में हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

   (क) हमने सभी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में कंपनी में विधि द्वारा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियों को रखा है। जैसा कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में पर्याप्त लेखा बहियों और उचित विवरणियों की जांच से पता चलता है जो हमें उन शाखाओं से प्राप्त हुईं हैं जहां हम नहीं जा पाए थे।

   (ग) हमारे पास भेजी गई शाखाओं की लेखापरीक्षक रिपोर्टों को हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय ध्यान में रखा है।

   (घ) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण, शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों और लेखापरीक्षित विवरणियों के अनुसार हैं।

   (ड.) हमारी राय में हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार हैं।

   (च) भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

   (छ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों की टिप्पणियों के साथ पठित उपर्युक्त लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित रूप से अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक वास्तविक और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं:

      (i) तुलन पत्र की स्थिति में 31 मार्च, 2011 तक के कंपनी के कार्य

      (ii) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ के लाभ एवं हानि खाते के मामले में

      (iii) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के नकद प्रवाह विवरण के मामले में

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 000458 एन

हस्ता./–
(भूपिंदर सिंह)
सदस्यता नं. 092867

कृते एस.एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 000050 एन

हस्ता./–
(सुरेश सेठ)
सदस्यता नं. 010577

दिनांक : 23 मई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 31 मार्च, 2011 को समाप्त लेखों की समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के पैरा–3 में उल्लिखित)

i) (क) कंपनी ने सामान्यतः मात्रात्मक विवरण और अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन ने सामान्य तौर पर अपने वास्तवित सत्यापन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार स्थाई परिसंपत्तियों के एक मात्र वास्तवितक सत्यापन करना है, जो कम्पनी के आकार और व्यवसाय स्वरूप के दृष्टिगत समुचित समझा जाता है और वर्ष के दौरान कराए गए सत्यापन में कोई मूर्त विंसगति नही देखी गई। वास्तविक सत्यापन के बिना भारतीय रेलवे में पट्टे पर दिए 65 लोकोमोटिव के संबंध में इन लोकोमोटिव के वास्तविक अधिकार की पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र भारतीय रेलवे पट्टा करार के अनुसार प्राप्त किया गया है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने नियत परिसंपत्तियों के अधिकांश हिस्से का निपटान नहीं किया है, जिससे कि इसकी गोइंग कंसर्न की संकल्पना प्रभावित हो।

ii) (क) हमें जैसा स्पष्ट किया गया है, कुछ यूनिटों मे चालू कार्य के भंडार और तैयार माल, जहां ऐसी यूनिटों के उत्पादन योजना विभाग का नरीक्षभण तथा उत्पादन रिपोर्टों के संदर्भ में इनका वर्ष के अंत में सत्यापन किया जाता है, को छोड़कर वर्ष के दौरान नियमित अंतरालों पर स्थायी मालसूची कार्यक्रम के अधीन प्रबंधन द्वारा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। संविदाकारों/फैब्रिकेटरों और अन्य पक्षों के पास पड़े हुए स्टाक के संबंध में केवल कुछ मामलों में पुष्टियां प्राप्त हुई थीं। उपयुक्त के अधीन, हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ख) हमारी राय में प्रबंधन द्वारा मालसूची के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई कार्यविधि कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में सामान्यतः उचित और पर्याप्त है।

(ग) मालसूची के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी ने सामान्यतः मालसूची का समुचित रिकार्ड रखा हुआ है और मालसूची के सत्यापन में कंपनी के आकार और कार्य की प्रकृति के संदर्भ में दर्शाई गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं तथा इन्हें कंपनी की लेखा बही में समुचित स्थान दिया गया है।

iii) (क) हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा किसी अन्य पक्षों को रक्षित अथवा आरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार चालू वर्ष के लिए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश पैरा 4 के खंड (iii) (ख) से (iii) (घ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कम्पनियों अथवा आरक्षित ऋण नही लिया है। तदानुसार चालू वर्ष के लिए कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट), आदेश खण्ड (iii) (च) से (iii) (छ) कम्पनी पर लागू नही है।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय के अनुरूप माल की खरीद और अन्य परिसंपत्तियों तथा सामग्रियों की बिक्री के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि है। इसके अलावा, कंपनी की बहियों एवं रिकार्डों की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि में किसी बड़ी कमी के संकेत न तो हमें मिलें हैं और न ही किसी से जानकारी प्राप्त हुई है। लेखापरीक्षा के दौरान हमने ऐसा नहीं पाया कि आंतरिक नियंत्रण की किसी बड़ी कमी मे सुधार न किया जा रहा हो।

v) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 में किसी संविदा और प्रबंधन का उल्लेख नहीं है। कंपनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है, जिसे रजिस्टर में दर्ज किए जाने की आवश्यकता है। तदानुसार कंपनी पर आदेश पैराग्राफ–4 के खंड – (v) (ख) लागू नहीं हैं।

vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 58 क और 58कक अथवा अन्य संगत प्रावधान और उसके अधीन बनाए कंपनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 1975 के अनुसरण के वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और इकाइयों के विभिन्न विभागों में अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग भी है। हमारी राय में कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली व्यापक तौर पर कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।

viii) हमने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(I) (घ) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विद्युत मोटरों, सीमलेस इस्पात ट्यूबों, इलेक्ट्रिक जेनरेटर, पावर ट्रांसफार्मर, विद्युत चालित पम्पों, विंड मिल्स के द्वारा विद्युत उत्पादन, कंट्रोल इंस्ट्रुमेंटेशन और ऑटोमेशन उपस्कर के विनिर्माण के लिए लेखा बही और रिकार्ड की विस्तृत समीक्षा की है और हमारे विचार से प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखा और रिकार्ड तैयार किए गए हैं और उन्हें रखा गया है। लेकिन हमने इन रिकार्डों की इस दृष्टि से की जांच नहीं की है कि जो ठीक और पूरे हैं।

ix) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रस्तुत की गई तथा हमारे द्वारा जांची गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और उपयुक्त प्राधिका रियों पर यथा लागू कोई अन्य वास्तविक सांविधिक देयताएं सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को जमा कर रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भुगतान की तारीख से के 6 महीने से अधिक माह की अवधि हेतु 31 मार्च, 2011 को भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धनकर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य. सांविधिक देयता बकाया राशि विवादित नहीं थी। ***केवल लीबिया में एक मामले को छोड़कर, वहां पर करार के अनुसार आयकर देयताओं का उन्मोचन ग्राहक द्वारा सीधे लीबियाई सरकार के साथ किया जाना ही है। छह महीने से अधिक की बकाया राशि*** ₹ 15.55 **करोड़ है जो वित्तीय वर्ष 2008–09 से संबधित है।**

इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने आज के दिन तक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 के अधीन देय उपकर की राशि निर्धारित नहीं की है, इसलिए हम इस राशि को जमा कराने में क्षेत्रीय प्रचालन प्रभागों की नियमितता पर या अन्यथा रूप से टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जिस बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और उपकर को विवाद के कारण जमा नहीं किया है, वह निम्न प्रकार हैः

क्र. सं.	सांविधि का नाम	देयताओं की प्रकृति	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	राशि (₹ करोड़ में)	मंच, जिसके समक्ष विवाद लंबित है
1.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम,	बिक्री कर	23.67	1.79	आकलन अधिकारी/
	कार्य अनुबंध कर अधिनियम,	प्रवेश कर	76.25	11.08	संयुक्त आयुक्त/
	पट्टा कर, प्रवेश कर अधिनियम	तथा कार्य			आयुक्त अपील
	तथा विभिन्न राज्यों के बिक्री कर	अनुबंध	235.96	41.99	अपीलीय अधिकरण
	अधिनियम	कर	74.54	31.84	उच्च न्यायालय
			99.43	6.27	विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी
2	आयकर अधिनियम, 1961	आय कर	3.02	-	उच्च न्यायालय
			26.50	-	अपीलीय अधिकरण
			3.09	0.02	आयुक्त (अपील)
3	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	30.20	0.06	आकलन अधिकारी
	अधिनियम, 1944		1.28	0.40	आयुक्त (अपील)
			163.71	6.06	अपीलीय अधिकरण
			20.81	1.95	उच्च न्यायालय
			0.35	-	विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी
4	वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन	सेवा कर	1.92	-	आयुक्त (अपील)
	सेवा कर		212.21	0.22	अपीलीय अधिकरण

x) कंपनी को 31 मार्च, 2011 तक कोई संचित हानि नहीं थी और इसने उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष या उसके तत्काल बाद के वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं उठाई है।

xi) हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा डिबेंचरधारकों को बकाए की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की है।

xii) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरी तथ अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

xiii) हमारी राय में कंपनी चिट फंड या निधि/म्युचुअल लाभ फंड/सोसायटी नहीं है। अतः कंपनी पर आदेश के पैराग्राफ 4 के खंड (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xiv) हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में व्यवसाय अथवा व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, कंपनी पर ऑर्डर के पैरा 4 के खंड (xiv) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के असार कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

xvii) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट देते हैं कि अल्पावधि आधार पर ली गई निधि का दीर्घावधि निवेश हेत उपयोग नहीं किया गया है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रख रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

xix) हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी न कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। अतः कंपनी पर आदेश के पैरा 4 के खंड (xix) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xx) वर्ष के दौरान कंपनी ने पब्लिक इश्यु से कोई धन अर्जित नही किया है। अतः कंपनी पर आदेश के पैरा 4 के खंड (xx) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xxi) कंपनी कि बहियों और रिकार्डों की जांच की अवधि में जो कि सामान्यतः भारत में अपनाई जा रही लेखापरीक्षा प्रणालियों तथा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार है वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया और न ही इसके बारे मे सूचित किया गया।

कृते गांधी मिनोचा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 000458 एन

हस्ता./–
(भूपिंदर सिंह)
सदस्यता सं. 092867

कृते एस एन धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 000050 एन

हस्ता./–
(सुरेश सेठ)
सदस्यता सं. 010577

दिनांक : 23 मई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

बिंदु संख्या (ख) (ix) पर प्रबंधन का उत्तर : संविदा के अनुसार आयकर की देयता को ग्राहक (इको) द्वारा पूरी की जानी है। ग्राहक ने 2008–2009 के भुगतान हेतु पुनः अनुसूची के लिए लीबियाई सरकार से सीधे सम्पर्क किया है, और सहमति हो गई है। कुल 7.45 मिलियन एलवाईडी के प्रति ग्राहक ने 2010–11 में चार किस्तों में 3.30 मिलियन जमा कराएं है, जिसे लीबियाई कर प्राधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है।

गोपनीय

No आर.ए.पी./बी एच ई एल/अकाउंट्स/21-14/2010-11/Vol-II/ 461

सत्यमेव जयते

दिनांक/Dated 25/7/2011

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय: 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के संशोधित वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2010-11 की समाप्ति हेतु कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करता हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्न: यथोपरि।

एम. के. बिश्वास 25/7/2011

(एम. के. बिश्वास)
प्रधान निदेशक

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक 23 मई, 2011 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजातों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित होती है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने का कारण बनती है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए और उसकी ओर से

(एम.के. बिश्वास)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड–III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 जुलाई, 2011

वार्षिक लेखे

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्रोद्भवन विधि तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी द्वारा निरंतर किया जा रहा है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां (राज्य से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि से भिन्न) अधिग्रहण या निर्माण अथवा संग्रहित मूल्यह्रास को घटाकर बही मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं। लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या बाजार कीमत, जो भी कम हो, में लिए गए पूंजीगत कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/ऋणों के संबंध में अवमूल्यन/पुर्नमूल्यन जैसी असाधारण घटनाओं के प्रभाव को लागत में जोड़ा/घटाया जाता है। राज्य सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि का मूल्य 1 रुपये लगाया गया है, सिवाए इसके कि वह 16 जुलाई, 1969 के पश्चात् न अधिग्रहित की गई हो, क्योंकि उस मामले में यह भूमि संबद्ध राज्य सरकार से पूंजी प्रारक्षित निधि में समतुल्य जमा द्वारा अधिग्रहण मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

3. पट्टे

वित्तीय पट्टा

क) (1) 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां सामान्य विक्रय मूल्य/उचित मूल्य/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत की जाती हैं और उन्हें बिक्री के रूप में माना जाता है।

उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण नीति के अनुसार समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। पट्टा किराए पर समतुल्य प्रभार पट्टा समकरण लेखा द्वारा तैयार किया जाता है।

वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

(2) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को सामान्य विक्रय मूल्य/उचित मूल्य/एनपीवी पर बिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें पट्टा शुरू होने पर खर्च कर दी जाती है।

ख) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उचित मूल्य/एनपीवी/ संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण नीति के अनुसार समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। यदि पट्टा परिसंपत्तियां, पट्टा अवधि समाप्त होने पर पट्टादाता को वापस करनी है तो उनकी उपयोगी अवधि या पट्टा अवधि, जो भी अल्प हो, के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है।

किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों से संबद्ध वित्त प्रभारों एवं बकाया देयता की कमी, में विभाजित कर दिया जाता है।

प्रचालन पट्टा

क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां पूंजीकृत की जाती हैं। उनसे होने वाली पट्टा आय को पट्टा अवधि में हुई आय माना जाता है।

ख) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में हुआ व्यय माना जाता है।

4. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

क. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियो को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है, अगर

(क) यह संभाव्य हो कि भविष्य में परिसंपत्ति के कारण होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा, और

(ख) कंपनी का परिसंपत्तियों पर नियंत्रण होगा, और

(ग) इन परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है और 10,000 रुपये से अधिक है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि में सीधी रेखा यथानुपात मासिक आधार पर परिषोधित किया जाएगा, जो

सॉफ्टवेयर के मामले में तीन वर्षों और अन्य के मामले में दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

ख. (क) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को होने वाले वर्ष में लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक के अनुसार मानदंड पूरी करने वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास चरण के दौरान व्यय सहित विकास पर किए गए व्यय को अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

(ग) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागतें

उधार लागतें, जो अर्हक परिसंपत्तियों के विनिर्माण, अधिग्रहण या निर्माण पर व्यय की जाती हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में शामिल की जाती हैं।

अर्हक परिसंपत्ति वह होती है जो अभिप्रेत उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से बारह महीने से अधिक का समय लेती है।

अन्य उधार लागतों को उस अवधि का व्यय माना जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

6. मूल्यह्रास

(i) स्थायी परिसंपत्तियों (संविदा के अधीन विदेशों में प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यह्रास, उसे छोड़कर जहां मूल्यह्रास, तकनीकी रूप से आकलित अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाता है, कंपनी अधिनियम1956 की अनुसूची ग्प्ट में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी–रेखा विधि पर परिसंपत्तियों की कुल लागत तक प्रभारित किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है–

	एकल पाली	दोहरी पाली	तिहरी पाली
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	8%	12%	16%
स्वचालित/अर्ध–स्वाचालित मशीनें	10%	15%	20%
स्थापना उपकरण, पूंजीगत औजार तथा साज–सामान	20%		
टाउनशिप बिल्डिंगें			
– द्वितीय श्रेणी	2.5%		
– तृतीय श्रेणी	3.5%		
रेलवे साइडिंग	8%		
लोकोमोटिव तथा वैगन	8%		
विद्युतीय संस्थापनाएं	8%		
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	8%		
ड्रेनेज, सीवरेज तथा अन्य जल आपूर्ति	3.34%		
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	20%		

स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि/से कटौती के मामले में मूल्यह्रास प्रभार, यथानुपात मासिक आधार पर होता है.

(ii) दीर्घावधिक संविदाओं के अनुसरण में भारत से बाहर प्रयुक्त स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रारंभिक संविदा की अवधि के दौरान होता है।

(iii) 10,000 रुपये या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा उन परिसंपत्तियों, जिनका ह्रासित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 10,000 रुपये या कम है, का पूर्णतः मूल्यह्रास होता है। जहां तक, टाउनशिप भवनों का प्रश्न है, वहां प्रति मकान की लागत 10,000 रुपये की सीमा के लिए आधार है।

(iv) निर्माण/परियोजना स्थल पर सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत संविदा अवधि में पूर्णतः परिशोधित की जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंगें, विद्युतीय संस्थापनाओं और इस प्रकार के अन्य समर्थकारी कार्यों (पूर्णतः अस्थायी निर्माण, लकड़ी के कार्य को छोड़कर) पर अवशिष्ट मूल्य के रूप में 10 प्रतिशत प्रतिधारित करते हुए उन्हें मूल्यह्रासित किया जाता है।

(v) लकड़ी के ढांचों जैसे पूर्णतः अस्थायी निर्माण कार्यों पर निर्माण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

(vi) पट्टाधारित भूमि और भवनों को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्यह्रास उनकी उपयोगी अवधि अथवा पट्टे की अवधि जो भी कम हो, में होता है।

7. निवेश

(i) दीर्घावधि निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, ऐसे निवेशों में गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए व्यवस्था की जाती है।

(ii) चालू निवेश लागत या उद्धृत/उचित मूल्य, जो भी कम है, पर किए जाते हैं। अउद्धृत चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं।

(ii) निवेश की लागत में अधिग्रहण प्रभार जैसे, दलाली, शुल्क तथा ड्यूटी शामिल है।

मौजूदा राशि में यदि कोई कमी होती है या किसी की पूर्ति होती है तो उसे लाभ और हानि में लेखा प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

8. मालसूची मूल्यांकन

(i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(ii) गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑग्जिलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सैटों सहित

हाइड्रो और थर्मल सेटों के संयंत्रों में तैयार माल तथा जारी कार्यों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या वसूली योग्य मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(iii) संयंत्र में तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का अर्थ कारखाना लागत है, वास्तविक/ अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।

(iv) कच्चे माल, संघटकों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारांकित औसत लागत है।

(v) क) 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए–

जहां संविदा की लागत के वर्तमान अनुमान और विक्रय मूल्य हानि दर्शाते हैं, वहां ऐसी संविदा के लिए प्रत्याशित हानि को तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है, चाहे कार्य शुरू हो गया है या नहीं।

ख) अन्य सभी संविदाओं के लिए–

जहां किसी संविदा का भाग होने वाली पृथक रूप से अभिज्ञात परियोजना की लागत और विक्रय मूल्य संबंधी वर्तमान अनुमान हानि दर्शाता है, वहां ऐसी परियोजना के संबंध में, जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है, प्रत्याशित हानि को मान्यता दी जाती है।

(ग) प्रत्याशित हानि निर्धारण में प्राप्त कुल आय पर विचार किया जाता है, जिसमें निर्यातों/माने गए निर्यातों पर प्रोत्साहन भी शामिल होते हैं।

(vi) उत्पादन आर्डरों के लिए खरीद/विनिर्मित संघटकों और अन्य सामग्रियों, जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया हो, को तकनीकी अनुमानों के आधार पर अवशिष्ट मूल्य प्रतिधारित करते हुए राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

9. राजस्व मान्यता

ग्राहक के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर बिक्री को दर्ज किया जाता है। बिक्री के अंतर्गत आंशिक शिपमेंट द्वारा ग्राहक को प्रेषित किया गया माल आता है।

क. 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए :

राजस्व को संविदा की कुल अनुमानित लागत पर सूचना तिथि तक व्यय की गई वास्तविक लागत की प्रतिशतता पर आधारित प्रतिशतता समापन विधि से मान्यता दी जाती है।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिए:

(1) लम्बे उत्पादन चक्र वाली मदों (गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑग्जिलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेट) के संबंध में बिक्री राजस्व को मान्यता तकनीकी अनुमानों पर दी जाती है। जब शिपमेंट का कुल मूल्य प्रापणीय मूल्य का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो उन पर प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत या प्रापजीय मूल्य न होने पर, उद्धृत मूल्य पर विचार किया जाता है। अन्यथा, उन पर वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, विचार किया जाता है। शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा के अधीन आपूर्ति पूरी हो जाने पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

(2) निर्माण और परियोजना प्रबंध सेवाओं को निम्नलिखित आधार पर मान्यता दी जाती है–पूर्णता की प्रतिशतता, अथवा अंतर्भूत मूल्य की गणना संविदा मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा समाप्त होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(3) प्रदान की गई इंजीनियरिंग सेवाओं से प्राप्त आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर प्रापणीय मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(4) बीएचईएल में निर्माण न किए गए उपस्करों/प्रणालियों और सिविल कार्यों की आपूर्ति/निर्माण से प्राप्त आय की मान्यता ग्राहकों को किए गए प्रेषणों /परियोजना स्थल पर किए गए कार्यों पर आधारित होती है।

10. विदेशी मुद्रा लेन–देन के लिए लेखाकरण

विदेशी मुद्रा लेन–देनों को लेन–देनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है। लेन–देनों के निपटान और मौद्रिक मदों के रूपांतरण पर उत्पन्न हुए विनिमय अंतर को उस वर्ष

जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, में आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

11. अभिन्न विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का रूपांतरणः

(i) आय और व्यय की मदें, मूल्यह्रास, जिसे समतुल्य अचल परिसंपत्तियों के लिए अपनाई गई दरों पर परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर औसत दर पर रूपांतरित की जाती हैं।

(ii) मौद्रिक मदें इतिशेष दर पर रूपांतरित की जाती हैं, ऐतिहासिक लागत पर लाई गई गैर–मौद्रिक मदें रूपांतरण की तारीख को लागू दरों पर रूपांतरित की जाती हैं, उचित मूल्य पर लाई गई गैर–मौद्रिक मदें, उन विनिमय दरों, जो मूल्य निर्धारित करने के समय मौजूद थी, पर रूपांतरित की जाती हैं।

(iii) रूपांतरणों की सभी भिन्नताओं को लाभ और हानि लेखे में लाया जाता है।

12. कर्मचारी लाभ

अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंशदान को प्रोद्भवन आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावे और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है। बीमांकिक देयता कर्मचारियों के संदर्भ में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में निर्धारित की जाती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति होने वाले वर्ष में यथानुपात मासिक आधार पर प्रभारित की जाती है।

13. कंपनी द्वारा/के विरुद्ध दावे

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेन–देनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आकलन के आधार पर लेखे में माना जाता है।

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क की वापसी और बीमा के लिए दावे आदि प्राप्ति पर लेखे में लिए जाते हैं।

(iii) मूल्य वृद्धि दावे और/अथवा संविदा कार्य के परिवर्तनों के संबंध में देय राशियों को केवल तभी राजस्व के रूप में माना जाता है जब संविदाओं से ऐसे दावों अथवा भिन्नताओं की शर्तें हों और/अथवा ग्राहकों से उसकी स्वीकार्यता का साक्ष्य हो। तथापि वृद्धि आंतरिक मूल्य तक प्रतिबंधित होती है।

14. वारंटियों के प्रावधान

(i) 1.04.2003 को या उसके बाद किए गए निर्माण संविदाओं के लिए :

संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान परीक्षण प्रचालन समाप्त होने पर संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है।

(ii) अन्य सभी संविदाओं के लिएः वर्ष के अंत में वारंटी के अंतर्गत संविदाओं के लिए संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है। एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति वाली संविदाओं के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(iii) सुधार कार्य पर वारंटी के दावे/व्यय को जब भी व्यय किया जाता है, प्राथमिक शीर्ष के अधीन लेखांकन किया जाता है और वर्ष के अंत में प्रावधानों पर प्रभारित किया जाता है।

15. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब उनकी वसूली की उचित निश्चितता हो। अचल मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध अनुदानों को संगत परिसंपत्तियों की सकल लागत के अधीन समायोजित किया जाता है, जबकि गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध को पूंजी प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है। राजस्व सबद्ध अनुदान जब तक व्यय/हानियों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं किए जाते, तब तक उन्हें उस अवधि, जिससे वे राजस्व की समतुल्य लागत के सिद्धांत पर संबद्ध हैं, राजस्व के रूप में माना जाता है। गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में अनुदानों को अधिग्रहण की लागत पर अथवा नॉमिनल मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है, अगर वे निःशुल्क प्राप्त होते हैं।

तुलनपत्र
31 मार्च, 2011 की यथास्थिति

(₹ करोड़ में)

	अनुसूची	31.03.2011 की यथास्थिति		31.03.2010 की यथास्थिति	
निधियों के स्रोत					
शेयरधारकों की निधियां					
शेयर पूंजी	1	**489.52**		489.52	
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	2	**19664.32**	**20153.84**	15427.84	15917.36
ऋण निधियां					
रक्षित ऋण	3	**0.00**		0.00	
आरक्षित ऋण	4	**163.35**	**163.35**	127.75	127.75
			20317.19		16045.11
निधियों का उपयोग एवं अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां					
स्थायी परिसंपत्तियां					
सकल ब्लॉक	5	**8049.74**		6580.14	
घटाएं: अब तक का मूल्यह्रास/परिशोधन		**4648.64**		4150.52	
		3401.10		2429.62	
घटाएं: पट्टा समायोजन लेखा		**0.18**		14.22	
निवल ब्लॉक		**3400.92**		2415.40	
चालू पूंजीगत कार्य	6	**1762.18**	**5163.10**	1550.05	3965.45
निवेश	7		**439.17**		79.84
आस्थगित कर परिसंपत्तियां निवल (कृपया अनुसूची 19 की टिप्पणी सं.26 देखें)			**2163.55**		1527.23
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम					
चालू परिसंपत्तियां	8				
मालसूचियां		**10963.03**		9235.46	
विविध देनदार		**27354.62**		20688.75	
नकदी तथा बैंक शेष		**9630.15**		9790.08	
अन्य चालू परिसंपत्तियां		**309.63**		406.85	
ऋण तथा अग्रिम	9	**3237.31**		2793.17	
		51494.74		42914.31	
घटाएं :					
चालू देयताएं और प्रावधान					
वर्तमान देयताएं	10	**31346.57**		28023.74	
प्रावधान	11	**7596.80**		4417.98	
		38943.37		32441.72	
निवल चालू परिसंपत्तियां			**12551.37**		10472.59
			20317.19		16045.11
लेखों पर टिप्पणियां	19				

अनुसूची 1 से 11, 19 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां लेखे का अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(आई. पी. सिंह)
सचिव

हस्ता./–
(ओ.पी. भुटानी)
निदेशक (ई आर एंड डी तथा वित्त)

(बी. प्रसाद. राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन

हस्ता./–
(सुरेश सेठ)
साझेदार
सदस्यता सं. 10577

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000458एन

हस्ता./–
(भूपिन्दर सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 092867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2011

लाभ एवं हानि लेखा
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	अनुसूची सं.	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
अर्जन					
कारोबार (सकल)	12	**43337.00**		34153.43	
घटाएं : उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर		**1770.87**		1292.32	
कारोबार (निवल)			**41566.13**		32861.11
ब्याज एवं अन्य आय	12A		**1701.10**		1648.62
चल रहे कार्य और तैयार माल में वृद्धि/कमी	13		**127.35**		786.65
			43394.58		35296.38
व्यय					
सामग्री की खपत, उत्थापन और इंजीनियरी व्यय	14		**23209.07**		20672.32
कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा लाभ	15		**5396.71**		6539.54
उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण प्रावधानों संबंधी अन्य व्यय	16		**2535.88**		2064.64
प्रावधान (निवल)	17		**2715.12**		-934.15
ब्याज तथा अन्य उधार लागतें	18		**54.73**		33.50
मूल्यह्रास तथा परिशोधन	5		**544.12**		458.01
घटाएं: आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्यों की लागत			**68.51**		120.87
			34387.12		28713.00
पूर्वावधि मदों से पूर्व लाभ			**9007.46**		6583.38
जोड़ें/(घटाएं) : पूर्वावधि मदें (निवल)	18A		**-1.79**		7.27
कर पूर्व लाभ			**9005.67**		6590.65
घटाएं: कराधान का प्रावधान					
चालू वर्ष के लिए					
- वर्तमान कर		**3712.23**		2006.14	
(धन कर सहित ₹ 0.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.14 करोड़))					
- सीमांत लाभ कर		**-636.31**		313.07	
		3075.92		2319.21	
पिछले वर्ष के लिए					
- कर (विदेश में आयकर के ₹ 12.86 करोड़ सहित) (पिछले वर्ष ₹ 26.77 करोड़)		**-81.45**		-34.58	
- सीमांत लाभ कर				-4.62	
		-	**2994.47**		2280.01
कर पश्चात लाभ			**6011.20**		4310.64
जोड़ें: पिछले वर्ष से लाया गया लाभ शेष			**575.39**		595.46
पुरांकित विदेशी परियोजना प्रारक्षित निधि			**0.00**		1.38
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ			**6586.59**		4907.48
घटाएं: विनियोजन –					
— सामान्य प्रारक्षित निधि		**4000.00**		3000.00	
— लाभांश (अंतरिम लाभांश ₹ 648.61 करोड़ सहित, पिछले वर्ष ₹ 538.47 करोड़)		**1524.85**		1140.58	
— कार्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश पर ₹ 107.73 करोड़ सहित, पिछले वर्ष ₹ 91.51 करोड़)		**249.88**	**5774.73**	191.51	4332.09
तुलनपत्र में लाई गई शेष राशि			**811.86**		575.39
प्रति शेयर मूल तथा विलयित अर्जन (रुपयों में) (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 22 देखें)			**122.80**		88.06
प्रति शेयर शेयर अंकित मूल्य (₹ में)			**10.00**		10.00
लेखों की टिप्पणियां	19				

अनुसूची 5, 12 से 19 और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां लेखों का अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(आई. पी. सिंह)
सचिव

हस्ता./–
(ओ.पी. भुटानी)
निदेशक (ई आर एंड डी तथा वित्त)

(बी. प्रसाद. राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन

हस्ता./–
(सुरेश सेठ)
साझेदार
सदस्यता सं. 10577

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000458एन

हस्ता./–
(भूपिन्दर सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 092867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2011

नकद प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2009-10
क. प्रचालन कार्यों से नकद प्रवाह		
लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	**9005.67**	**6590.65**
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
मूल्यह्रास/परिशोधन	544.44	458.21
पट्टा समकरण	-14.05	-27.00
प्रावधान (निवल)	630.61	803.98
अशोध्य ऋण एवं बहे खाते डाली गई एलडी	40.97	139.91
निवेश में कमी के लिए प्रावधान	0.05	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-4.27	-0.30
अदा किया गया ब्याज	54.73	33.58
ब्याज/लाभांश आय	-641.82	-823.86
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**9616.33**	**7175.18**
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
व्यापार तथा अन्य प्राप्तियां	-7407.32	-5651.89
मालसूचियां	-1737.98	-1403.36
व्यापार देय तथा अग्रिम	6052.39	3368.57
प्रचालनों से प्राप्त नकद राशि	**6523.42**	**3488.51**
अदा किए गए प्रत्यक्ष कर (धन वापसी को छोड़कर)	-3864.80	-1903.45
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ अंतर्वाह	**2658.62**	**1585.06**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद राशि		
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	-1730.04	-1722.25
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री और निपटान	6.26	8.54
क्रय एवं सहायक कंपनी सहित निवेश	-359.38	-27.50
ब्याज तथा लाभांश प्राप्तियां	740.34	774.57
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद राशि	**1342.82**	**966.64**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
दीर्घावधि उधार	35.11	-21.47
अदा किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	-1456.32	-1087.85
अदा किया गया ब्याज	-54.51	-33.69
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त नकद राशि	**1475.72**	**1143.01**
घ. नकद तथा नकद के समतुल्यों में निवल वृद्धि	**-159.93**	**-524.59**
नकद तथा नकद समतुल्यों का अथशेष	9790.08	10314.67
नकद तथा नकद समतुल्यों का इतिशेष	9630.15	9790.08

नोटः 1. नकद तथा नकद के समतुल्यों में नकद तथा बैंक अधिशेष एवं बैंकों में अवधि जमा राशियां शामिल हैं।

2. पूर्व वर्ष के आकंड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित कर दिया है।

3. नकद तथा नकद समतुल्यों में मनोनीत बैंक खातों में पड़े दावे रहित ₹ 3.74 करोड़ (₹ 1.61 करोड़) का लाभांश शामिल है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(आई. पी. सिंह)
सचिव

हस्ता./–
(ओ.पी. भुटानी)
निदेशक (ई आर एंड डी तथा वित्त)

हस्ता./–
(बी. प्रसाद. राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन

हस्ता./–
(सुरेश सेठ)
साझेदार
सदस्यता सं. 10577

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000458एन

हस्ता./–
(भूपिन्दर सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 092867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 23 मई, 2011

अनुसूची 1
शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति	31.03.2010 की यथास्थिति
प्राधिकृत		
प्रत्येक ₹ 10 के 200,00,00,000 (पिछले वर्ष 200,00,00,000) इक्विटी शेयर	**2000.00**	2000.00
जारी की गयी, अभिदत्त और प्रदत्तपूंजी		
प्रत्येक ₹ 10 के 48,95,20,000 (पिछले वर्ष 48,95,20,000) पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर, जिनमें से नकद के अलावा प्रतिफल के लिए आबंटित 7,41,11,200 (पिछले वर्ष 7,41,11,200) शेयर और बोनस शेयर के रूप में आबंटित 24,47,60,000 शेयर (पिछले वर्ष 24,47,60,000 शेयर)	**489.52**	489.52
	489.52	489.52

अनुसूची 2
प्रारक्षित निधि और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति		31.03.2010 की यथास्थिति	
प्रारक्षित पूंजी				
अथशेष	**2.74**		2.74	
घटाएं: मूल्यह्रास/समायोजन	-	**2.74**	-	2.74
विदेशी परियोजना प्रारक्षित निधि				
अथशेष	**-**	**-**	1.38	
घटाएं: मूल्यह्रास/समायोजन	-	**-**	1.38	
सामान्य प्रारक्षित निधि				
अथशेष	**14849.72**		11849.72	
जोड़ें: लाभ एवं हानि लेखे से अंतरित	**4000.00**	**18849.71**	3000.00	14849.72
लाभ एवं हानि लेखा		**811.86**		575.39
		19664.32		15427.84

अनुसूची 3
रक्षित ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति	31.03.2010 की यथास्थिति
डिबेंचर्स / बांड्स	**0.00**	0.00
वित्तीय संस्थानों से	**0.00**	0.00
पैकिंग ऋण और अन्य	**0.00**	0.00
	0.00	0.00

अनुसूची 4
अरक्षित ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति	31.03.2010 की यथास्थिति
– पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए ऋण	**157.27**	122.16
(एक वर्ष के भीतर देय ₹ 53.39 करोड़		
(पिछले वर्ष ₹ 47.42 करोड़)		
प्रोद्भूत तथा देय ब्याज :		
– राज्य सरकार ऋण	**2.33**	2.33
– पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों पर ऋण	**3.75**	3.26
	163.35	127.75

अनुसूची 5
स्थायी परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास		निवल ब्लॉक		
	31.03.2010 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2011 को लागत	पट्टा समायोजन लेखा	31.03.2011 तक मूल्यह्रास/ परिशोधन	31.03.2011 की यथास्थिति	31.03.2010 की यथास्थिति	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
फैक्टरी/कार्यालय परिसर									
फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	4.37	11.37		15.74			15.74	4.37	
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	6.15		0.10	6.05		0.38	5.67	5.74	0.01
सड़के, पुल तथा पुलिया	12.82	2.33	0.06	15.09		3.38	11.71	9.59	0.22
भवन	863.49	219.57	12.22	1070.84		374.11	696.73	562.29	83.74
पट्टाधारित भवन	3.12			3.12		1.28	1.84	1.89	0.05
जल निकासी, जल–मल निकासी तथा जलापूर्ति	18.21	0.54		18.75		10.61	8.14	8.01	0.41
रेलवे साइडिंग	8.67	2.34		11.01		8.01	3.00	0.93	0.27
लोकोमोटिव तथा वैगन	27.60	0.13		27.73		18.04	9.69	10.77	1.22
संयंत्र तथा मशीनरी	3552.56	938.09	-367.55	4858.20		2848.12	2010.08	1177.39	307.74
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	120.63	15.15	2.25	133.53		126.63	6.90	9.00	3.65
विद्युत संस्थापन	143.17	54.54	0.25	197.46		85.57	111.89	65.84	8.35
निर्माण उपकरण	529.51	42.53	387.32	184.72		109.39	75.33	260.36	23.94
वाहन	18.65	0.42	0.26	18.81		16.06	2.75	2.77	0.44
वाहन	24.53	5.60	0.15	29.98		9.50	20.48	16.70	1.75
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	88.14	20.40	-1.65	110.19		65.42	44.77	28.06	4.84
₹ 10,000 तक की कीमत वाली स्थायी परिसंपत्तियां	71.04	7.23	0.89	77.38		77.38			7.22
पूंजीगत व्यय	0.44			0.44		0.44			
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां	497.15			497.15	-0.18	492.82	4.15	4.53	14.36
पट्टे पर लिए गए संयंत्र और मशीनरी									
पट्टे पर लिए गए ईडीपी उपकरण	227.07	73.11	12.57	287.61		149.49	138.12	105.12	53.32
कार्यालय तथा पट्टे पर लिए गए	1.49	1.00		2.49		0.26	2.23	0.83	0.10
अन्य उपकरण		1.19		1.19		0.91	0.28		0.43
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां									
- आंतरिक तौर पर विकसित									
अन्य	10.50	8.34	0.17	18.67		7.38	11.29	7.17	4.22
- अन्य									
सॉफ्टवेयर	106.55	8.88	0.51	114.92		98.52	16.40	23.48	16.01
पेटेंट और ट्रेडमार्क									
तकनीकी जानकारी	23.00	102.32		125.32		17.42	107.90	12.24	6.57
अन्य	8.80			8.80		8.80		0.04	
	6367.66	**1515.08**	**47.55**	**7835.19**	**-0.18**	**4529.92**	**3305.09**	**2317.12**	**538.86**
टाउनशिप/आवासीय									
फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	2.09			2.09			2.09	2.09	
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	1.99			1.99		0.56	1.43	1.45	0.02
सड़के, पुल और पुलिया	5.10	0.12	0.13	5.09		2.84	2.25	2.22	0.08
भवन	130.63	0.68	0.44	130.87		60.71	70.16	71.60	2.12
पट्टाधारित भवन	0.33		0.06	0.27		0.19	0.08	0.09	0.01
जल निकासी, जल–मल निकासी तथा जलापूर्ति	17.13	0.01		17.14		13.76	3.38	3.76	0.39
संयंत्र तथा मशीनरी	16.14	0.48	0.04	16.58		10.17	6.41	6.98	1.05
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण								0.01	
विद्युत संस्थापन	16.94	0.19		17.13		14.10	3.03	3.21	0.39
वाहन	1.08			1.08		1.00	0.08	0.09	0.01
फर्नीचर और जुड़नार	0.67	0.06		0.73		0.21	0.52	0.51	0.06
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	18.13	1.15	0.06	19.22		12.82	6.40	6.27	1.00
₹ 10,000 तक की स्थायी परिसंपत्तियां	2.25	0.13	0.02	2.36		2.36			0.13
	212.48	**2.82**	**0.75**	**214.55**		**118.72**	**95.83**	**98.28**	**5.26**
फैक्टरी तथा टाउनशिप का योग	**6580.14**	**1517.90**	**48.30**	**8049.74**	**-0.18**	**4648.64**	**3400.92**	**2415.40**	**544.12**
पिछले वर्ष	5224.87	1384.46	29.19	6580.14	-14.22	4150.52	2415.40	1470.40	458.01
उपर्युक्त में शामिल आर एंड डी पूंजी मदों का विवरण									
संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य उपस्कर	251.63	52.36	0.38	303.61		205.72	97.89	71.38	23.25
भूमि एवं भवन	23.68	2.12		25.80		14.71	11.09	9.83	0.66

दिनांक 31.03.2011 को सकल ब्लॉक में बेकार और सक्रिय प्रयोग से हटाई गई ₹ 49.99 करोड़ की परिसंपत्तियां शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 38.75 करोड़)
दिनांक 31.03.2011 को सकल ब्लॉक में बेकार और सक्रिय प्रयोग से हटाई गई ₹ 0.19 करोड़ की परिसंपत्तियां शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 0.13 करोड़)
सकल ब्लॉक में निष्पादक एजेंसी के रूप में अनुसंधान के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों की लागत शामिल नहीं है क्योंकि संपत्ति कंपनी के पास नहीं थी।

2010-11	2009-10
30.81	30.81

यूनिटों की अचल परिसंपत्तियों में वर्ष के दौरान किसी प्रकार की विशुद्ध हानि नहीं हुई है।

अनुसूची 6
चालू पूंजीगत कार्य (लागत पर)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति	31.03.2010 की यथास्थिति
चालू निर्माण कार्य–सिविल	**321.08**	237.18
निर्माण भंडार (मार्गस्थ सहित)	**13.13**	14.30
संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य उपस्कर		
- इरेक्शन/परिनिर्माण के अधीन/इरेक्शन की प्रतीक्षा में	**916.22**	870.91
- मार्गस्थ	**472.97**	400.95
विकास के अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	**10.36**	6.21
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	**28.42**	20.50
	1762.18	1550.05

अनुसूची 7
निवेश

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति		31.03.2010 की यथास्थिति	
दीर्घावधि निवेश (लागत पर)				
अनुद्धृत शेयर (पूर्णतः चुकता):				
व्यापार:				
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के प्रत्येक ₹ 10 के (पूर्ण वर्ष में ₹ 38.95) 1402 (पूर्व वर्ष में 360) इक्विटी शेयर	*		*	
एपी गैस पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रत्येक ₹ 10 के 728960 (पिछले वर्ष 728960) इक्विटी शेयर	**0.91**		0.91	
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में प्रत्येक ₹ 10 के 5000000 (पिछले वर्ष 5000000) इक्विटी शेयर (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 6 देखें)	**5.00**	**5.91**	5.00	5.91
सहायक कंपनियों में शेयर				
— भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड के प्रत्येक ₹ 1000 के 337976 (पिछले वर्ष 337978) इक्विटी शेयर ₹ 1 की मामूली दर पर प्राप्त	*		*	
भारत इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड के प्रत्येक ₹ 10 के 51000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	**0.05**	**0.05**	0.00	0.00
संयुक्त उद्यमों में शेयर				
— पॉवर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड में प्रत्येक ₹ 10 के 1999999 (पिछले वर्ष 1999999) इक्विटी शेयर	**2.00**		2.00	
घटाएं: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**2.00**		2.00	
— बराक पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रत्येक ₹ 10 के 50000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	**0.05**		0.05	
घटाएं: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**0.05**		0.00	
			0.05	
— एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रत्येक ₹ 10 के 25000000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	**25.00**		25.00	
— उडनगुडी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रत्येक ₹ 10 के 32500000 (पिछले वर्ष 5000000) इक्विटी शेयर	**32.50**		5.00	
— रायचूर पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रत्येक ₹ 10 के 5000000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	**331.52**		5.00	
— दादा धूनीवाले खंडवा प्रा. लि. के प्रत्येक ₹ 10 के 2500000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	**2.50**			
— बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रत्येक ₹ 10 के 2379999 (पिछले वर्ष 2379999) इक्विटी शेयर	**2.38**	**393.90**	2.38	37.43
शेयर जारी करने के लिए अग्रिम जमा				
भारत हेवी प्लेट एवं वैसल्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) को	**34.00**		34.00	
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लि. (सहायक कंपनी) को	**5.31**		0.00	
दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) को	**0.01**	**39.31**	2.50	36.50
व्यापार के अलावा:				
बीएचईएल हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, हैदराबाद के प्रत्येक ₹ 100 के 3 (पिछले वर्ष 3) शेयर		*		*
		439.17		79.84
* ₹ 1 लाख से कम मूल्य				
अनुद्धृत निवेशों का कुल मूल्य		**439.17**		79.84

अनुसूची 8
चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति		31.03.2010 की यथास्थिति	
मालसूचियां @				
(प्रबन्धन द्वारा यथाप्रमाणित)				
भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे				
- उत्पादन	**180.33**		141.21	
- ईंधन भंडार	**20.57**		11.90	
- विविध	**27.08**	**227.98**	28.09	181.20
कच्चा माल और संघटक		**3855.05**		2893.67
मार्गस्थ माल		**1445.99**		966.19
फैब्रिकेटरों/संविदाकारों के पास माल		**237.09**		144.11
खुले औजार		**31.44**		25.17
रद्दी माल (अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य पर)		**70.33**		40.20
तैयार माल	**858.65**		599.53	
अंतर प्रभागीय मार्गस्थ अंतरण	**177.74**		121.11	
शामिल हैं:				
-मार्गस्थ तैयार माल ₹ 4.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.74 करोड़)		**1036.39**		720.64
चालू कार्य (उप–ठेकेदारों के पास पड़ी मदों सहित)		**4126.60**		4321.40
		11030.86		9292.58
घटाएं : अचल भंडार के लिए प्रावधान		**67.83**		57.12
@ महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार मूल्यांकित		**10963.03**		9235.46
विविध देनदार*				
- 6 माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण		**11568.28**		11340.46
- अन्य ऋण		**17836.46**		10850.46
		29404.74		22190.92
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**1839.38**		1398.97
घटाएं : स्वतः मूल्य कमी समायोजन लेखा (एपीआर)		**210.74**		103.20
		27354.62		20688.75
विविध देनदारों का ब्यौरा :				
अच्छे रूप से जमा आरक्षिण ऋण		**27354.62**		20688.75
संदिग्ध समझे गए ऋण, जिनके लिए प्रावधान किया गया (एपीआर सहित)		**2050.12**		1502.17
		29404.74		22190.92
* इसमें आस्थगित ऋण शामिल हैं		**10901.47**		7784.97
* इसमें भेजा गया माल तथा लंबित बिल शामिल है		**1843.02**		1051.16

अनुसूची 8 (जारी)
चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति	31.03.2010 की यथास्थिति
नकद तथा बैंक शेष		
उपलब्ध नकद तथा स्टाम्प	**1.46**	1.30
उपलब्ध चैक, डिमांड ड्राफ्ट	**433.52**	226.88
मार्गस्थ प्रेषित धन	**8.64**	35.83
अनुसूचित बैंकों में शेष		
चालू खाता	**962.16**	595.31
जमा खाता	**8200.00**	8925.00
गैर अनुसूचित बैंको के पास शेष		
चालू खाता	**24.37**	5.76
	9630.15	9790.08
अन्य चालू परिसंपत्तियां		
बैंक जमा तथा निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	**309.63**	406.85
	309.63	406.85
चालू परिसंपत्तियों का सार		
मालसूचियां	**10963.03**	9235.46
विविध देनदार	**27354.62**	20688.75
नकद तथा बैंक शेष	**9630.15**	9790.08
अन्य चालू परिसंपत्तियां	**309.63**	406.85
	48257.43	40121.14

अनुसूची 9
ऋण तथा अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति		31.03.2010 की यथास्थिति	
ऋण				
सहायक कंपनियों को ऋण	**217.54**		217.54	
कर्मचारियों को ऋण	**0.04**		0.06	
ऋण पर जारी सामग्री	**10.05**		4.56	
अन्यों को ऋण	**0.03**		0.04	
ऋण पर प्रोद्भूत तथा या देय ब्याज	**3.46**	**231.12**	4.75	226.95
अग्रिम (नकद अथवा वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्यों पर वसूली योग्य)				
सहायक कंपनियों को	**1.76**			
कर्मचारियों को	**30.28**		24.69	
खरीद के लिए	**1506.05**		1148.02	
अन्यों को	**1051.32**	**2589.41**	896.42	2069.12
जमा				
सीमा शुल्क, पत्तन न्यास और अन्य सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष (जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास डाकघर पासबुक को गिरवी रखकर प्राप्त ₹ 0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.03 करोड़) शामिल हैं।	**277.62**		228.73	
अन्य	**232.54**	**510.16**	73.23	301.96
अग्रिम कर/टीडीएस (आय कर के लिए प्रावधान को घटाकर ₹ 4252.63 करोड़)		**-**		231.85
		3330.69		2829.88
घटाएं: संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान		**93.38**		36.72
		3237.31		2793.16
ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण –				
असंदिग्ध समझे गए ऋण एवं अग्रिम, जिनके बारे में कंपनी पूर्णतः रक्षित है		**12.01**		5.61
असंदिग्ध समझे गए ऋण एवं अग्रिम, जिनके बारे में कंपनी के पास देनदारों की निजी जमानत के अतिरिक्त कोई जमानत नहीं है		**3225.30**		2787.55
संदिग्ध समझे गए ऋण एवं अग्रिम, जिनके लिए प्रावधान किया गया		**93.38**		36.72
		3330.69		2829.88
इसमें शामिल हैं :				
कंपनी के निदेशकों द्वारा देय राशि		*		*
वर्ष के दौरान अधिकतम राशि		*		*
कंपनी के अधिकारियों द्वारा देय राशि		**0.12**		0.17
वर्ष के दौरान अधिकतम राशि		**0.21**		0.37
* ₹ 1 लाख से कम राशि				

अनुसूची 10
चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति		31.03.2010 की यथास्थिति	
स्वीकृतियां		**42.84**		42.30
विविध लेनदार				
- सूक्ष्म और लघु उद्योग उद्यमों की कुल बकाया राशि (ब्याज सहित)	**312.63**		222.80	
- अन्य विविध लेनदार	**9289.29**	**9601.92**	7357.00	7579.80
ग्राहकों तथा अन्यों से प्राप्त अग्रिम		**20390.60**		19190.55
ठेकेदारों तथा अन्यों से जमा		**492.97**		434.38
अदावाकृत लाभांश *		**3.74**		1.61
अन्य देयताएं		**814.25**		774.57
प्रोद्भूत लेकिन अदेय ब्याज		**0.25**		0.53
		31346.57		28023.74

*निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने हेतु तुलन–पत्र तिथि को कोई देय तथा राशि नहीं है।

अनुसूची 11
प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति	31.03.2010 की यथास्थिति
लाभांश	**876.24**	602.11
कॉर्पोरेट लाभांश कर	**142.15**	100.00
संविदात्मक दायित्व	**2982.16**	895.36
सेवानिवृत्ति लाभ	**2863.60**	2615.84
अन्य	**266.78**	204.67
कर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर/टीडीएस ₹ 7433.57 करोड़ घटाकर	**465.87**	-
	7596.80	4417.98

अनुसूची 12
कुल कारोबार (सकल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रतिफल रहित बिक्री	**38312.97**	30269.25
बाहरी उत्थापन और अन्य सेवाओं से लाभ और कार्य अनुबंध से प्राप्त राजस्व	**5024.03**	3884.18
	43337.00	34153.43

अनुसूची 12क

क. अन्य प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
निर्यात प्रोत्साहन		**42.89**		44.71
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर किराया आय	**0.93**		6.16	
घटाएं: पट्टा समकरण लेखा	**14.05**	**14.98**	27.00	33.16
रद्दी माल		**271.68**		186.73
अधिशेष स्टॉक की बिक्री/अंतरण से प्राप्ति		**0.05**		0.59
अन्य		**350.86**		228.23
कुल (क)		**680.46**		493.42

ख. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ (निवल जमा)	**4.27**	0.30
निवेश पर लाभांश (दीर्घावधि व्यापार)	**14.99**	15.83
विनिमय अंतर प्राप्ति (निवल)	**99.69**	87.21
अन्य (अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए भारत सरकार) से प्राप्त (₹ 0.33 करोड़ के अनुदान सहित) (पिछले वर्ष ₹ शून्य)	**274.86**	243.83
कुल (ख)	**393.82**	347.17

ग. ब्याज आय**

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहकों से	**0.01**	*
कर्मचारियों से	**0.01**	0.02
बैंकों से	**610.03**	774.95
अन्य {₹ . शून्य (पिछले वर्ष ₹ . (–) सहायक कंपनी से ₹ 5.58 करोड़ प्रतिवर्तित सहित)}	**16.77**	33.06
कुल (ग)	**626.82**	808.03
कुल अन्य आय **कुल (क+ख+ग)**	**1701.10**	1648.29
* ₹ 1 लाख से कम राशि		
** स्रोत पर की गई कर कटौती	56.96	98.55

अनुसूची 13
चालू कार्य तथा तैयार माल में वृद्धि/(कमी)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
अंत शेष				
तैयार माल	**858.65**		599.53	
चालू कार्य	**4126.60**	**4985.25**	4321.40	4920.93
घटाए : प्रारम्भिक शेष				
तैयार माल	**599.53**		519.00	
चालू कार्य	**4321.40**	**4920.93**	3612.59	4131.59
मार्गस्थ अंतर प्रभागीय अंतरण		**63.03**		-2.69
नोटः		**127.35**		786.65
तैयार माल में उत्पाद शुल्क का तत्व				
अंत शेष		**81.96**		53.06
प्रारम्भिक शेष		**53.06**		35.24

अनुसूची 14
सामग्री की खपत, उत्थापन और इंजीनियरी व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
कच्चे माल तथा संघटकों की खपत	**19417.59**	17295.34
भंडार तथा पूर्जों की खपत	**469.86**	457.40
उत्थापन और इंजीनियरी व्यय–उप ठेकेदारों को भुगतान	**3321.62**	2919.58
	23209.07	20672.32

अनुसूची 15
कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा लाभ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ	**4540.04**	4841.28
उपदान निधि में अंशदान	**216.92**	1019.83
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**269.38**	320.73
सामूहिक बीमा	**9.90**	10.23
कर्मचारी कल्याण व्यय	**360.47**	347.47
	5396.71	6539.54

अनुसूची 16
विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण संबंधी अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
रॉयलटी, तकनीकी प्रलेखीकरण आवासीय परामर्शदाता के प्रभार और अन्य परामर्श प्रभार	**133.22**	40.92
किराया	**79.99**	72.41
उत्पाद शुल्क (निवल)	**209.13**	94.86
विद्युत तथा ईंधन	**402.86**	337.99
दरें और कर	**38.29**	48.63
सेवा कर (निवल)	**12.21**	7.14
बीमा	**109.22**	84.74
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
भवन	**54.01**	50.73
संयंत्र तथा मशीनरी	**27.92**	19.75
अन्य	**119.31**	90.96
निर्यात से संबंधित अन्य व्यय	**33.14**	23.75
अशोध्य ऋण एवं बट्टाकृत राशि	**20.94**	37.02
बाह्य ढुलाई प्रभार	**358.00**	302.69
यात्रा एवं वाहन	**164.52**	145.87
विविध व्यय	**731.37**	599.98
प्रभारित किए गए निर्णीत हर्जाने	**20.03**	102.89
दान	**0.18**	0.30
कॉर्पोरेट सामाजिक व्यय	**21.55**	4.01
	2535.88	2064.64

अनुसूची 17
प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्जाने तथा ऋण एवं अग्रिम				
- वर्ष के दौरान सृजित	**729.77**		683.68	
- घटाएं वर्ष के दौरान पुरांकित	**240.70**	**489.06**	380.58	303.10
संविदात्मक दायित्व				
- र्ष के दौरान सृजित	**2687.58**		359.86	
- घटाएं वर्ष के दौरान पुरांकित	**603.07**	**2084.51**	348.65	11.21
अन्य				
- वर्ष के दौरान सृजित	**168.37**		599.84	
- घटाएं वर्ष के दौरान पुरांकित	**26.82**	**141.55**	1848.30	-1248.46
		2715.12		-934.15

अनुसूची 18
ब्याज तथा अन्य उधार लागतें

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित पर ब्याज :		
बैंक/वित्तीय संस्थानों से उधार	**30.67**	12.85
अन्य	**24.06**	20.65
घटाएं: पूंजीकृत उधार लागतें	**0.00**	0.00
	54.73	33.50

अनुसूची 18 ए
पूर्वावधि मदें

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय				
प्रतिफल रहित बिक्री	**-1.74**		7.12	
अन्य आय (अन्य)	0.00		1.29	
ब्याज आय (अन्य)	0.00	**-1.74**	**0.00**	8.41
व्यय				
कच्चे माल तथा संघटकों की खपत	**0.24**		0.34	
मूल्यह्रास	**0.32**		0.20	
विविध व्यय	**-0.51**	**0.05**	0.52	1.14
पूर्वावधि समायोजन (निवल)		**-1.79**		7.27

अनुसूची–19
लेखों पर समेकित टिप्पणियां

क्र सं.	विवरण		2010-11	2009-10
1	अग्रिम को छोड़कर संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजीगत खाते में निष्पादित किया जाता है और जिनके लिए	₹ करोड़	**1331.82**	1652.93
	प्रावधान नहीं किया जा सकता है	₹ करोड़	**4.68**	33.77
2	भूमि तथा भवन में शामिल हैं			
क)	(i) एकड़ भूमि जिसके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/ लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	एकड़	**8662.27**	8648.91
	(ii) फ़्लैटों की संख्या, जिनके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	संख्या	**12**	36
	(iii) भवनों की संख्या, जिनके लिये औपचारिकता हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	संख्या	**1**	1
	(iv) एकड़ भूमि जिसके लिए भुगतान किया गया है, वह अनंतिम है पंजीकरण प्रभार तथा स्टाम्प शुल्क (पहले से ही किए गए प्रावधान को घटाकर) यदि कोई है तो उसे भुगतान के समय हिसाब में लिया जाएगा	एकड़	**91.52**	71.44
ख)	एकड़ भूमि रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के विभागों तथा अन्य को छोड़कर लीज़ पर दी गई है	एकड़	**28.77**	28.77
ग)	एकड़ भूमि रक्षा मन्त्रालय को उपर्युक्त के लिये दी गई है जिसके लिये लाइसेन्स रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है	एकड़	**180.00**	180.00
घ)	एकड़ भूमि प्रतिफल कब्ज़े में है	एकड़	**97.25**	116.37
3	प्रत्येक ₹ 10,000 तक की अचल संपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास देने पर लाभ में प्रमाण इस प्रकार है जहाँ पर पूर्व पूर्व वर्षों में ऐसे ब्याज को विचार नहीं लिया जाएगा, लेखा वर्ष में ₹ 10,000 रु. परिसंपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास को छोड़ लिया (चार्ज ऑफ़)	₹ करोड़	**10.02**	10.55
	उपर्युक्त पर सामान्य मूल्यह्रास	₹ करोड़	**2.99**	2.96
	अधिक राशि प्रभारित की गई	₹ करोड़	**7.03**	7.59
4	प्रतिफल को घटाकर बिक्री			
क	इसमें अंतरिम मूल्य पर आधारित शामिल है	₹ करोड़	**0.70**	20.38
ख	इसमें विक्रय संविदा के अनुसार किए गए दावे में वृद्धि प्रोद्भूत आधार पर, जहाँ तक नवीनतम सूचियाँ उपलब्ध हैं	₹ करोड़	**1388.54**	1108.07
ग	इसमें वर्ष के दौरान रेलवे के साथ निर्णीत मूल्य के अनुसार पूर्व वर्षों में किए गए डिस्पैच के लिए अतिरिक्त दावे शामिल हैं ;	₹ करोड़	**0.00**	96.86
घ	इसमें ग्राहक के अनुरोध पर उनकी ओर से रोके गए उन उपकरणों की डिस्पैच शामिल है, जिसके लिए कंपनी को भुगतान प्राप्त हो चुका है; और	₹ करोड़	**96.99**	15.57
ड	इसमें संविदा की शर्त के अनुसार डिलीवरी में देरी के लिए मूल्य में कमी शामिल नहीं है (रिफ़ंड को छोड़कर) शामिल नहीं हैं	₹ करोड़	**13.94**	23.01

5. आकस्मिक देयताएं

क	कंपनी के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है				
i)	क	आयकर लम्बित अपीलें	₹ करोड़	**32.61**	28.77
	ख	विरोध स्वरूप किया गया भुगतान, जिन्हें ''जमा अन्य'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़	**0.02**	0.03
ii)	क.	विक्रय कर मांग	₹ करोड़	**509.84**	353.06
	ख.	विरोध स्वरूप किया गया भुगतान जिसे ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़	**92.97**	76.91
iii)	क.	उत्पाद शुल्क मांगें	₹. करोड़	**216.14**	195.47
	ख.	विरोध स्वरूप किया गया भुगतान जिसे ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़	**8.41**	5.01
iv)	क.	क. सीमा शुल्क मांगें	₹ करोड़	**0.21**	0.2
	ख.	विरोध स्वरूप किया गया भुगतान जिसे ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़	**0.06**	0.06
v)		न्यायालय एवं मध्यस्थ मामले	₹ करोड़	**375.07**	254.26
vi)	क.	निर्णीत हर्जाने	₹ करोड़	**1401.11**	1287.94
	ख.	vi) क में शामिल एल डी हेतु ग्राहक द्वारा काटी गई राशि	₹ करोड़	**825.70**	730.57
vii)		ठेकेदारों द्वारा प्रति दावे	₹ करोड़	**0.61**	0.61
viii)	क.	सेवा कर मांग	₹ करोड़	**214.13**	105.74
	ख.	जिनका भुगतान विरोधस्वरूप किया गया।	₹ करोड़	**0.22**	0.22
ix)		अन्य	₹ करोड़	**120.58**	59.10

(विभिन्न न्यायालय मामले और मुकदमों तथा कंपनी द्वारा विवादित दावों को ध्यान में रखते हुए इस चरण पर संसाधनों के आउटफ्लो पर वित्तीय प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।)

6 बैंकों से 600 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100 करोड़) की नकद ऋण सीमा तथा कच्चे माल, उपकरण, चालू कार्य, तैयार माल, स्टोर्स, बही ऋण तथा वर्तमान तथा वर्तमान एवं माली व चालू परिसंपत्तियों को गिरवी के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा बैंकों के संघ द्वारा स्वीकृत ₹ 49400 करोड़ (गत वर्ष 40,000 करोड़) की बैंक गारंटी/ऋण सीमा पत्र के संबंध में कंपनी की प्रति गारंटी/क्षतिपूर्ति देयताएं रक्षित हैं। 31.03.2011 को बकाया बैंक गारंटियां रु. 37474 (गत वर्ष ₹ 31541 करोड़) तथा 31.03.2011 को कॉर्पोरेट बैंक गारंटी ₹ 4192 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1685 करोड़) है।

7 अन्य देयताओं में 1990–91 तक सरकार के निर्देश पर कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में सरकार द्वारा मांगी गई गारंटी फीस के लिए ₹ 100.51 (गत वर्ष ₹ 100.51 करोड़) की राशि शामिल है। इससे छूट लेने के लिए सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है क्योंकि जिस समय ऋण लिया गया था (सरकार द्वारा गारंटीड) उस समय ऐसी गारंटी फीस के लिए कोई शर्त नहीं थी। बीएचईएल के 18.02.2011 के पत्र द्वारा गारंटी फीस से छूट के लिए भारी उद्योग विभाग से फिर अनुरोध किया गया है।

8 एमोरफॉस सिलिकॉन सोलर सैल प्लांट (एएसएससीपी) गुड़गांव को 1 अप्रैल, 1999 को अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन से 30 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है। अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय से ऑपचारिक लीज करार अभी निश्चित किया जाना है।

9 देनदार, लेनदार, ठेकेदार के अग्रिम जमा तथा उप ठेकेदार/फेब्रिकेटर के पास पड़े स्टाक/सामग्री पुष्टि, समाधान एवं परिणामी समायोजन यदि है तो, उसके अधीन है। समाधान सतत् आधार पर किये जाते हैं और जहां भी आवश्यक समझे गए हैं प्रावधान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

10 असूचीकृत बैंकों के साथ जमा शेष का विवरण (अनुसूची संख्या 8)

चालू खाता	**वर्ष के दौरान अधिकतम शेष (₹ करोड़ में)**		**2010-11**	**2009-10**
	2010-11	**2009-10**		
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लीबिया	0.23	0.23	**0.06**	0.02
- बैंक मस्कट, ओमान	0.16	50.27	**0.02**	-0.03
- बारक्लेस बैंक लिमिटेड, जाम्बिया	0.01	0.02	**0.01**	0.01
- बैंक ऑफ कॉमर्स, मलेशिया	0.05	0.05	**0.05**	0.05
- सी आई एम बी, बेरहाड	0.02	0.02	**0.02**	0.02
- इंडो जाम्बिया बैंक, लुसाका	0.00	0.16	**0.00**	0.00
- कमर्शियल बैंक ऑफ इथोपिया	0.00	3.81	**2.65**	3.42
- बैंक ऑफ भूटान, भूटान	0.00	0.01	**0.00**	0.00
- जमहूरिया बैंक, लीबिया	3.94	3.94	**0.26**	0.53
- नैशनल बैंक ऑफ इजिप्ट	0.12	0.13	**0.11**	0.12
- बाईब्लोस बैंक ऑफ सीरिया	18.80	0.00	**17.28**	0.00
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बंग्लादेश	132.59	1.40	**1.69**	0.29
- बैंक ऑफ खार्तूम, सूडान	10.82	10.82	**2.22**	1.33
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दुबई	0.00	0.05		0.00

11	**सूक्ष्म तथा लघु उद्यम से संबंधित प्रकटन**		**2010-11**	**2009-10**
i	लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल धनराशि	₹ करोड़	**302.81**	216.22
ii	लेखावर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल धन पर ब्याज	₹ करोड़	**9.82**	6.58
iii	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ प्रदत्त ब्याज की राशि	₹ करोड़	**0.02**	0.60
iv	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित धारा 18 के संदर्भ में प्रदत्त ब्याज की राशि	₹ करोड़	**0.00**	0.00
v	भुगतान में विलम्ब की अवधि के लिए देयताएं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज की राशि बिना जोड़े	₹ करोड़	**0.78**	0.25
vi	वर्ष के दौरान उद्भूत ब्याज की राशि जो वर्ष के अंत में अप्रदत्त रही।	₹ करोड़	**4.11**	3.40
vii	आगामी वर्ष में बकाया एवं अतिरिक्त ब्याज उस तारीख तक जब ब्याज की उपर्युक्त बकाया राशि लघु उद्योग को वास्तव में कटौती योग्य खर्च के रूप में डिसअलाउंस के उद्देश्य के लिए अदा की गई।	₹ करोड़	**2.61**	0.01

12 लेखांकन मानक–7 (संशोधित) की अपेक्षाओं के अनुसार 01.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के संबंध में प्रकटन इस प्रकार है :–

₹ करोड़

	2010-11	**2009-10**
संविदा वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त संविदा राजस्व	**37108.87**	28203.25
वर्ष के अंत में चल रही संविदा के संबंध में;		
खर्च की लागत एवं मान्यता प्राप्त लाभ (मान्यता प्राप्त हानि को घटाकर)	**126492.61**	91106.88
प्राप्त अग्रिम की राशि	**10936.59**	9830.20
प्रतिधारण की राशि (आस्थागित ऋण)	**9689.76**	6785.15
ग्राहकों से बकाया राशि के संबंध में		
परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों द्वारा देय सकल राशि	**4946.97**	2423.42
देयता के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों को देय सकल राशि	**3401.12**	3170.18
आकस्मिक	-	-

ख) लेखांकन मानक (ए एस)–7 (आर) निर्माण संविदाओं के अनुसार 1 अप्रैल, 2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के संबंध में कुल लागतों और कुल राजस्व का परिकलन की समीक्षा की जाती है और राजस्व मान्यता के लिए पूर्ति प्रतिशत निर्धारित करने हेतु उनको आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है। कुल कारोबार पर परिणामी प्रभाव के साथ 2009–10 में निष्पादन अधीन तथा 2010–11 में चल रही ए एस (आर) संविदाओं हेतु अनुमानित संविदा राजस्व तथा अनुमानित संविदा लागत क्रमशः (+) 1.12 प्रतिशत (गत वर्ष + 0.62 प्रतिशत) तथा (–) 0.87 प्रतिशत (गत वर्ष (–) 2.43 प्रतिशत) है।

13 कंपनी ने वर्ष के दौरान एएस–7 (आर) निर्माण संविदाओं के संबंध में वारंटियों हेतु प्रावधान पर लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। परीक्षण प्रलोभन पर संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से वारंटियों हेतु प्रावधान करने के स्थान पर कंपनी ने यह परिवर्तन किया है कि उत्तरोत्तर राजस्व पर 2.5 प्रतिशत की वारंटी लागत कंपनी तब देगी जब इसे राजस्व के रूप में माना जाएगा और वह वारंटी अवधि में वही प्रतिशत बना रहेगा। यह वारंटी प्रावधान को आस्थागित करने तथा परीक्षण प्रचालन के पूरा होने तक अनुरूप राजस्व की पूर्व नीति के स्थान पर है। 2010–11 हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण कुल कारोबार में ₹ 2772.79 करोड़, संविदागत देयताओं में ₹ 2077.31 करोड़ तथा कर पूर्व लाभ में ₹ 695.48 करोड़ की वृद्धि हुई है।

14 कंपनी ने वर्ष के दौरान छुट्टी देयता से संबंधित कर्मचारी लाभ पर लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। प्रोद्भूत आधार पर इन छुट्टियों के लिए प्रावधान करने की नीति के स्थान पर कंपनी ने एएस–15 (आर) के अनुसार व्यवहार ढांचे आदि पर आधारित इसे ''अन्य दीर्घकालिक लाभ'' के रूप में समान मानकर बीमांकक मूल्यांकन के रूप में परिवर्तित किया है। 2010–11 हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण कर पूर्व लाभ में ₹ 240.75 करोड़ की वृद्धि हुई है।

15 वर्ष के दौरान परियोजना पर प्रयुक्त क्रेनों के ''इरेक्शन उपस्कर'' की पूर्व प्रैक्टिस के स्थान पर ''सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी'' के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। तदनुसार उनके उपयोगी कार्य जीवन की समीक्षा के आधार पर मूल्यह्रास दर पूर्वव्यापी प्रभाव से 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्थान पर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष में परिवर्तित की गई है। इस परिवर्तन से मूल्यह्रास में ₹ 80.62 करोड़ (पूर्व वर्ष के लिए ₹ 49.03 करोड़) की कमी तथा कर पूर्व लाभ में ₹ 46.80 करोड़ की वृद्धि हुई है।

16 लीबिया में चल रही गड़बड़ी के कारण लीबियाई परियोजना को नौएडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में रखे गए अलेखापरीक्षित लेखों के आधार पर समेकित किया गया है।

17 कंपनी 26 दिन के महीने को आधार मानकर छुट्टी नकदीकरण व्यय की गणना करती है। कंपनी ने भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग के दिनांक 20.09.2005 के का. ज्ञा. द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप 30 दिन के महीने का आधार परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, कुछ कामगार यूनियनों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 9(क) के तहत 26 दिन की बजाए 30 दिन के महीने को आधारित मानने के खिलाफ विवाद उठाया। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33(3) के अनुसार कोई भी नियोक्ता इस प्रकार

के मामले के समाधान अधिकारी के पास लंबित होने के दौरान सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकता। समाधान अधिकारी द्वारा विवाद का अंतिम निपटान लंबित होने तक यथास्थिति बरकरार रखी जा रही है। तथापि, बीएचईएल में संकल्पित बड़ी संख्या में भर्ती को देखते हुए, प्रस्तावित परिवर्तन दिनांक 1 जनवरी, 2010 को अथवा उसके बाद कार्यग्रहण किये/कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों पर लागू किया गया है।

18 वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर किए गए खर्च का विवरण जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2एबी) के अधीन कटौती योग्य है।

क. अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय		**2010-11**	**2009-10**
भूमि	₹ करोड़	**0.00**	0.00
भवन	₹ करोड़	**2.12**	0.45
संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य उपस्कर	₹ करोड़	**52.36**	23.34
कुल पूंजी व्यय	₹ करोड़	**54.48**	23.79
ख. अनुसंधान एवं विकास पर राजस्व खर्च			
वेतन एवं मजदूरी	₹ करोड़	**156.55**	127.79
उपभोग्य सामग्री/स्पेयर्स	₹ करोड़	**29.14**	50.93
निर्माण एवं अन्य खर्चे (आय को छोड़कर)	₹ करोड़	**54.01**	43.68
निर्माण एवं अन्य खर्चे (आय को छोड़कर)	₹ करोड़	**239.70**	222.40

टिप्पणीः भूमि तथा भवन पर व्यय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2एबी) के अधीन कटौती योग्य नहीं माना गया है।

19 व्युत्पन्न लिखतों से संबंधित प्रकटनः

क) व्युत्पन्न लिखत जो 31.03.2011 को रक्षित और बकाया है वह शून्य (गत वर्ष शून्य) है।

ख) विदेशी मुद्रा जिन्हें व्युत्पन्न लिखतों या अन्यथा रक्षित नहीं किया जाता है, वे इस प्रकार हैं

		2010-11	**2009-10**
क) परिसंपत्तियाँ/प्राप्तव्य (अर्थात् देनदार)			
विदेशी मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़	**34.60**	21.50
यूरो में	₹ करोड़	**34.32**	21.95
एलवाईडी में	₹ करोड़.	**0.94**	0.91
आरओ में	₹ करोड़	**0.19**	0.19
भारतीय मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़	**1542.12**	960.64
यूरो में	₹ करोड़	**2127.66**	1317.78
एलवाईडी में	₹ करोड़	**34.39**	31.97
आरओ में	₹ करोड़	**22.05**	22.26
अन्य में	₹ करोड़	**38.92**	14.92
ख) देयताएं (अर्थात ग्राहकों/लेनदारों में अग्रिम) विदेशी मुद्रा में			
विदेशी मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़	**29.40**	28.81
यूरो में	₹ करोड़	**32.26**	34.63
एलवाईडी में	₹ करोड़	**1.46**	2.13

	भारतीय मुद्रा में			
	अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़	**1326.04**	1313.74
	यूरो में	₹ करोड़	**2064.51**	2126.34
	एलवाईडी म	₹ करोड़	**54.78**	47.97
	अन्य में	₹ करोड़	**115.28**	100.76

20 निदेशकों को प्रदत्त/देय पारिश्रमिक (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को मिलाकर)*

(₹ करोड़)

	2010-11	**2009-10**
वेतन एवं भत्ते	**1.67**	1.29
भविष्य निधि में अंशदान	**0.06**	0.12
ग्रेच्यूटी में अंशदान	**0.06**	0.04
अन्य	**0.24**	0.47

*उपर्युक्तराशि में भुगतान के आधार पर छुट्टी नकदीगरण शामिल हैं, लेकिन समूह बीमा प्रीमियम शामिल नहीं है:

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों को ड्यूटी एवं गैर–ड्यूटी यात्राओं के लिये स्टाफ़ कार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित राशि की वसूली के आधार पर गैर–ड्यूटी यात्रा की सीमा 1000 कि. मी. प्रति माह हैड आय कर नियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार कार के उपयोग हेतु, अनुलब्धियों मौद्रिक परिकालित किया जाये तो उसकी राशि ₹ 0.01 करोड़ (पूर्व वर्ष में ₹ 0.01 करोड़) होगी।

(₹ करोड़ में)

21

		2010-11	**2009-10**
क)	विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर खर्च का विवरण इस प्रकार हैं:		
	प्लान्ट एवं मशीनरी	**157.27**	190.74
	भवन	**45.54**	44.38
	अन्य	**30.33**	29.39
ख)	निर्यात के सम्बन्ध में खर्चों में शामिल निर्यात पर एजेन्सी कमीशन	**21.63**	15.37
ग)	अनुसन्धान एवं विकास पर खर्च	**360.83**	352.50
घ)	किराया आवासीय	**65.70**	60.79
ड)	लेखापरीक्षकों को भुगतान		
	लेखापरीक्षा फ़ीस	**0.40**	0.40
	इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी करें	**0.01**	0.04
	जेबी खर्च	**0.17**	0.14
	आयकर मामलें (प्रमाणन सहित)	**0.10**	0.09
	इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल करें	**0.01**	0.01
	अन्य प्रमाणन कार्य	**0.20**	0.16
	इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल करें	**0.00**	0.00
	अन्य प्रोफ़ेशनल सेवाएँ	**0.04**	0.10
	इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल करें	**0.00**	0.00
च)	लागत लेखापरिक्षकों का भुगतान	**0.01**	0.01
छ)	आवगमन पर व्यय	**6.45**	6.97
ज)	विदेशी यात्रा पर व्यय		
	दौरों की संख्या	**994**	830
	रुपये में व्यय	**17.43**	14.55
झ)	प्रचार एवं जनसम्पर्क		
	वेतन भत्तों एवं अन्य लाभों पर व्यय	**9.89**	10.08
	अन्य व्यय	**16.08**	16.27
ञ)	निदेशकों की फीस	**0.16**	0.08

22 ए एस–15 (आर) से संबधित प्रकटन–कर्मचारी लाभ

क) उपदान योजना

भावी भुगतानों के कारण उपदान देयता पैदा हुई है, जिसका भुगतान सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या आहरण की दशा में करना अपेक्षित होता है। देयता का अनुमान प्रदर्शित इकाई क्रेडिट बीमांकक पद्धति के आधार पर किया गया है।

वर्ष की समाप्ति पर परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य के प्रारम्भिक एवं अंत शेषों का समाधान इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

1. दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**2010-11**	**2009-10**
क) प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1657.46**	966.02
ख) अधिग्रहण समायोजन	**-**	-
ग) ब्याज लागत	**124.31**	72.45
घ) पूर्व सेवा लागत	**-**	756.79
ङ) वर्तमान सेवा लागत	**72.04**	65.52
च) कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
छ) निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
ज) अदा किया गया लाभ	**-240.70**	-406.47
झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि	**157.12**	203.14
ञ) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1770.22**	1657.46
2. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क) प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	**637.62**	966.02
ख) अधिग्रहण समायोजना	**-**	-
ग) योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**54.20**	82.11
घ) अंशदान	**1019.83**	-
ङ) अदा किए गए लाभ	**-240.70**	-406.47
च) योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**82.27**	-4.04
छ) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1553.22**	637.62
3. योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
क) प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	**637.62**	966.02
ख) अधिग्रहण समायोजना	**-**	-
ग) योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**136.47**	78.07
घ) अंशदान	**1019.83**	-
ङ) अदा किए गए लाभ	**-240.70**	-406.47
च) योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**1553.22**	637.62
छ) वित्तपोषित स्थिति	**-217.00**	-1019.83
ज) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**82.27**	-4.04
4. माना गया बीमांकिक लाभ/हानि		

	क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) दायित्व	**-157.12**	-203.14
	ख) अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ/(हानि) – योजना परिसंपत्तियां	**-82.27**	4.04
	ग) वर्ष के लिए (लाभ)/हानि	**74.85**	207.19
	घ) अवधि के लिए माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**74.85**	207.19
	ङ) अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
5.	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई राशि		
	क) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1770.22**	1657.46
	ख) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1553.22**	637.62
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**-217.00**	-1019.83
	घ) अनुमानित के स्थान पर वास्तविक से अधिक	**82.27**	-4.04
	ङ) न माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
	च) तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**-217.00**	-1019.83
6.	लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय		
	क) वर्तमान सेवा लागत	**72.04**	65.52
	ख) ब्याज लागत	**-**	756.79
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**124.31**	72.45
	घ) तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**-54.20**	-82.11
	ङ) कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
	च) निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
	छ) अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**74.85**	207.19
	ज) लाभ और हानि से विवरण में माना गया व्यय	**217.00**	1019.83

पूर्वानुमान–बट्टा दर – 7.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 7.50 प्रतिशत), भावी वेतन वृद्धि 5.00 प्रतिशत (पिछले वर्ष 5.00 प्रतिशत), योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर – 8.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.50 प्रतिशत)

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (₹ करोड़ में)

		2010-11	**2009-10**
1.	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
	क) प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**860.43**	758.80
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**0.00**	-
	ग) ब्याज लागत	**64.53**	56.91
	घ) पूर्व सेवा लागत	**0.00**	-
	ङ) वर्तमान सेवा लागत	**17.19**	16.04
	च) कटौती लागत/(जमा)	**0.00**	-
	छ) निपटान लागत/(जमा)	**0.00**	-
	ज) अदा किया गया लाभ	**-36.10**	-29.91
	झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि	**45.30**	58.59
	ञ) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**951.35**	860.43
2.	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**-**	-
3.	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-

	वित्तपोषित स्थिति	**-951.35**	-860.43
4.	माना गया बीमांकिक लाभ/हानि		
	क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) दायित्व	**45.30**	-58.59
	ख) अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ/हानि) – योजना परिसंपत्तियां	**-**	-
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**45.30**	58.59
	घ) तुलना पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**45.30**	58.59
	ङ) अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
5.	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि वितरण में मानी गई राशि		
	क) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**951.35**	860.43
	ख) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों/(दायित्व)	**-**	-
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**-951.35**	-860.43
	घ) अवधि के लिए माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-951.35**	-860.43
6.	लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय		
	क) वर्तमान सेवा लागत	**17.19**	16.04
	ख) ब्याज लागत	**64.53**	56.91
	ग) अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**45.30**	58.59
	घ) लाभ और हानि के विवरण में माना गया व्यय	**127.02**	131.54

ग) दीर्घावधि छुट्टी देयता (नकदीकरण योग्य छुट्टी/गैर–नकदीकरण योग्य छुट्टी /अर्धवेतन छुट्टी)

छुट्टी देयता को दीर्घ अवधि लाभ माना गया है और प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट बीमांकिक पद्धति का उपयोग करते हुए उसका निर्धारण किया गया है।

(₹ करोड़ में)

1.	<u>दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन</u>	**2010-11**
	क) प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1294.22**
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**-**
	ग) ब्याज लागत	**97.07**
	घ) पूर्व सेवा लागत	**-**
	ङ) वर्तमान सेवा लागत	**87.53**
	च) कटौती लागत/(जमा)	**-**
	छ) निपटान लागत/(जमा)	**-**
	ज) अदा किया गया लाभ	**-207.59**
	झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-78.27**
	ञ) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1192.95**
2.	<u>योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन</u>	**-**
3.	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	छ) वित्तपोषित स्थिति	**-1192.95**
4.	माना गया बीमांकिक लाभ/हानि	
	क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – देयताएं	**78.28**
	ख) अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ/(हानि) – योजना परिसंपत्तियां)	**-**

	ग) वर्ष के लिए (लाभ)/हानि	**-78.28**
	घ) अवधि के लिए माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-78.28**
	ङ) अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**
5.	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई राशि	
	क) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1192.95**
	ख) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**-1192.95**
	घ) अनुमानित के स्थान पर वास्तविक से अधिक	**-**
	ङ) न माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**
	च) तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**-1192.95**
6.	लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय	
	क) वर्तमान सेवा लागत	**87.53**
	ख) ब्याज लागत	**-**
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**97.07**
	घ) तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**-**
	ङ) कटौती लागत/(जमा)	**-**
	च) निपटान लागत/(जमा)	**-**
	छ) अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-78.28**
	ज) लाभ और हानि से विवरण में माना गया व्यय	**106.32**

घ) ए एस–15 (आर) पर दिशा निर्देश टिप्पणी के अनुसार कंपनी ने इकाइयों/क्षेत्रों के पीएफ ट्रस्टों के संबंध में भविष्य निधि के बीमांकक मूल्यांकन करा लिया है। बीमांकक मूल्यांकन प्रमाण पत्र के अनुसार – संभावित ब्याज की कमी की देयता की क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा पीएफ ट्रस्ट को जाएगी, जिसका प्रावधान लेखों में किया गया है।

			2010-11	**2009-10**
	पीएफ ब्याज देयता में कमी के लिए किया गया प्रावधान	₹ करोड़	**11.04**	6.49
	वर्ष के लिए बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर			
	बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर एफ ब्याज देयता में कमी के लिए संचयी प्रावधान	₹ करोड़	**27.18**	16.13

23 संबद्ध पार्टियों के साथ लेन–देन

i) संबद्ध पार्टियां, जहाँ नियंत्रण मौजूद है (संयुक्त उद्यम)

पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड

बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड

एनटीपीसी–बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

उडनगुडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

बराक पॉवर प्राईवेट लिमिटेड

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड

ii) अन्य संबद्ध पार्टियां (मुख्य प्रबन्धन कार्मिक – कार्यात्मक निदेशक मौजूदा और सेवानिवृत्त)

सर्वश्री बी. पी. राव, अनिल सचदेव, अतुल सराया, ओ. पी. भुटानी और सी. एस. वर्मा (10.06.2010 तक)

iii) लेन–देन का ब्योरा

संयुक्त उद्यम		2010-11	2009-10
वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री	₹ करोड़	**76.06**	2.51
माल एवं सेवाओं की बिक्री	₹ करोड़	**67.28**	63.01
सेवाएँ प्राप्त करना	₹ करोड़.	**25.24**	-
सेवाएँ प्रदान करना	₹ करोड़	**101.18**	5.59
लाभांश आय	₹ करोड़	**14.99**	15.83
रॉयल्टी आय	₹ करोड़	**0.78**	0.84
शेयरों की खरीद	₹ करोड़	**354.02**	27.50
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशियाँ	₹ करोड़	**59.68**	18.30
र्ष के अंत में बीएचईएल द्वारा देय राशियाँ	₹ करोड़	**145.01**	1.06
शेयर जारी करने के लिए अग्रिम जमा	₹ करोड़	**0.00**	2.50
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	₹ करोड़	**0.02**	0.02
दिए गए अग्रिम	₹ करोड़	**27.04**	0.00
प्रमूख लेन–देन बीजीजीटीस, एनबीपीपीएल और रायचूर पावर कॉपोटरेशन लि. के साथ है।			
प्रमुख प्रावधान कर्मचारी (केएमपी)			
वेतन का भुगतान	₹ करोड़	**2.02**	1.91
केएमपी के संबंधी			
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	₹ करोड़	**0.01**	0.01
वेतन का भुगतान	₹ करोड़	**0.20**	0.14

24 पट्टा

1 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद वित्त पट्टा पर ली गई परिसंपत्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं–

i) <u>वित्तीय पट्टा</u>

क. न्यूनतम पट्टा भुगतानों का बकाया शेष		2010-11	2009-10
एक वर्ष से अधिक नहीं	₹ करोड़	**65.52**	55.68
एक वर्ष से अधिक किंतु पाँच वर्ष तक	₹ करोड़	**120.30**	89.30
पाँच वर्ष से अधिक	₹ करोड़	**0.00**	0.00
तुलन पत्र तिथि को कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	₹ करोड़	**185.82**	144.98
ख. उक्त (क) का वर्तमान मूल्य			
एक वर्ष से अधिक नहीं	₹ करोड़	**53.39**	47.42
एक वर्ष से अधिक, किंतु पाँच वर्ष तक	₹ करोड़	**103.88**	74.74
पाँच वर्ष से अधिक	₹ करोड़	**0.00**	0.00
तुलन पत्र की तारीख को कुल वर्तमान मूल्य	₹ करोड़	**157.27**	122.16
ग. 1 वित्त प्रभार	₹ करोड़	**28.55**	22.82
ग. 2 अवशिष्ट मूल्य, अगर कोई है, तो उसका वर्तमान मूल्य	₹ करोड़	**0.01**	0.01

ii) कंपनी में कर्मचारियों के लिए मकानों, कार्यालय भवनों और ईडीपी उपस्करों को रद्द करने योग्य तथा रद्द न करने योग्य प्रचालन पट्टे पर लेने की परंपरा है।

iii) प्रचालन पट्टा		2010-11	2009-10
रद्द न करने योग्य प्रचालन पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:			
एक वर्ष तक	₹ करोड़	**3.75**	4.39
एक वर्ष से अधिक किंतु पाँच वर्ष तक	₹ करोड़	**6.25**	9.26
पांच वर्ष से अधिक	₹ करोड़	**0.85**	0.91
iv) 1.4.2001 से पहले पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के किराये के विवरण नीचे दिए गए हैं:			
परिसंपत्तियों की लागत			
भूमि तथा भवन	₹ करोड़	**0.01**	0.07
कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण	₹ करोड़	**0.00**	0.83
पट्टे की असमाप्त अवधि पर देय किराया			
भूमि तथा भवन	₹ करोड़	**0.02**	0.02
कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण	₹ करोड़	**0.00**	0.01

25 प्रति शेयर अर्जन

		2010-11	2009-10
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (क)	सं. करोड़ में	**48.952**	48.952
इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य	(₹)	**10.00**	10.00
वर्ष के लिए वित्त लाभ (ख)	(₹ करोड़ में)	**6011.20**	4310.64
प्रति शेयर मूल एवं विलयित अर्जन (ख)/(क)	(₹)	**122.80**	88.06

26 समय अंतराल के कारण निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 की यथास्थिति	31.3.2010 की यथास्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
प्रावधान	**1819.50**	992.81
सांविधिक देयताएँ	**411.99**	502.48
धारा 145क के अनुसार समायोजन	**45.43**	47.20
धारा 35 (2कख) के अनुसार अ. और वि. व्यय	**0.00**	42.24
अन्य	**9.64**	16.49
	2286.56	1601.23
आस्थगित कर देयताएँ		
मूल्यह्रास	**123.01**	73.99
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**2163.55**	1527.23

27 संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियाँ

बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड के नाम से 19 जनवरी, 2011 को एक सहायक कंपनी विनिगमित की गई है, जो केईएल की कसारगोड इकाई की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के बाद रोटेटिंग विद्युत मशीनों का निर्माण शुरू करेगी। कंपनी में बीएचईएल की इक्विटी 51 प्रतिशत और केरल सरकार की 49 प्रतिशत है।

भारतीय चाटर्ड लेखाकार सस्थान द्वारा जारी लेखांकन स्टैंडर्ड 27 के अनुपालन में संयुक्त उद्यमों कें संबध में संगत प्रकटन इस प्रकार है :

क) संयुक्त उद्यमों का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व समानुपात
पॉवर प्लांट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट	भारत	एक शेयर
बीएचईएल–जीईई गैस टर्बाइन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50 प्रतिशत से कम
एनटीपीसी–बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50 प्रतिशत
उडनगुडी पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	50 प्रतिशत
बराक पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50 प्रतिशत
रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	50 प्रतिशत
दादा धूनीवाले खंडवा पूावर लिमिटेड लिमिटेड	भारत	50 प्रतिशत

ख) पीपीआईएल और बराक पॉवर प्रा. लि. में निवेश उद्यमों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है, क्योंकि ये कंपनियाँ परिसमापन के अधीन हैं और इक्विटी के साथ में प्रदत्त राशि वसूली योग्य नहीं है।

ग) लेखों के अनुसार संयुक्त उद्यमों में कंपनी की कुल ब्याज राशि निम्नलिखित है:

बीएचईएल–जीई गैस टरबाईन सर्विसेज प्रा. लि. (₹ करोड़ में)

	2010-11	**2009-10**
स्थायी परिसंपत्तियां	**3.88**	2.50
निवल चालू परिसंपत्तियां	**40.54**	31.97
ऋण निधियाँ	**0.30**	0.20
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**1.56**	1.02
शेयरधारकों की निधियाँ	**45.67**	35.29
आय	**212.13**	220.06
व्यय	**169.12**	181.69
आकस्मिक देयताएँ	**3.05**	6.69
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**0.77**	0.00

एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (₹. करोड़ में)

	2010-11	**2009-10**
स्थायी परिसंपत्तियां	**2.79**	0.29
निवल चालू परिसंपत्तियां	**23.89**	22.88
ऋण निधियाँ	**0.12**	0.08
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**0.06**	0.36
शेयरधारकों की निधियाँ	**26.61**	23.44
आय	**54.42**	2.11
व्यय	**46.31**	2.85
आकस्मिक देयताएँ	**1.72**	0.00
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**22.58**	0.00

उडनगुड़ी पावर कॉर्पोरेशन लि. (₹ करोड़ में)

	2010-11*	2009-10
स्थायी परिसंपत्तियां	**30.82**	2.46
निवल चालू परिसंपत्तियां	**1.91**	2.70
ऋण निधियाँ	**0.00**	0.00
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**0.00**	0.00
शेयरधारकों की निधियाँ	**32.73**	5.16
आय	**0.11**	0.24
व्यय	**0.01**	0.01
आकस्मिक देयताएँ	**0.00**	0.00
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**6.74**	0.00

**2010–11 की संख्याएँ अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं*

रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लि. (₹ करोड़ में)

	2010-11*	2009-10
स्थायी परिसंपत्तियां	**421.59**	0.01
निवल चालू परिसंपत्तियां	**3.80**	3.64
ऋण निधियाँ	**97.43**	1.01
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**3.56**	2.36
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**0.00**	0.00
शेयरधारकों की निधियाँ	**331.52**	5.00
आय	**0.22**	0.11
व्यय	**1.43**	2.44
आकस्मिक देयताएँ	**0.00**	0.00
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**0.00**	0.00

**2010–11 की संख्याएँ अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं*

दादा धूनीवाले खंडवा पॉवर लिमिटेड (₹ करोड़ में)

	2010-11*	2009-10
स्थायी परिसंपत्तियां	**0.01**	0.00
निवल चालू परिसंपत्तियां	**2.23**	2.50
ऋण निधिया	**0.00**	0.00
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.26**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**0.00**	0.00
शेयरधारकों की निधियाँ	**2.50**	2.50
आय	**0.12**	0.00
व्यय	**0.00**	0.00
आकस्मिक देयताएँ	**0.00**	0.00
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**0.00**	0.00

**2010–11 की संख्याएँ अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं*

28 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के अनुसार कंपनी द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का उचित ब्यौरा नीचे दिया गया है–

i) सहायक कंपनी के संबंध में

(₹ करोड़ में)

भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड	**2010-11**	**2009-10**
ऋण के रूप में ऋण तथा अग्रिमों की बकाया राशि	**217.54**	217.54
वर्ष के दौरान ऋण के रूप में ऋण तथा अग्रिमों की अधिकतम बकाया राशि	**217.54**	217.54
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड		
ऋण के रूप में ऋण तथा अग्रिमों की बकाया राशि	-	-
वर्ष के दौरान ऋण के रूप में ऋण तथा अग्रिमों की अधिकतम बकाया राशि	-	-

ii) कोई भी ऋण (कर्मचारियों को दिए गए ऋणों को छोड़कर) नहीं दिया गया है जिनमें कोई वापसी भुगतान समय–अनुसूची अथवा सात वर्षों के बाद वापसी भुगतान नहीं हैं, और

iii) फ़र्मों/कंपनियों, जिनमें निदेशकों का हित है, को ऋणों की प्रकृति का कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

29 लेखाकरण मानक–29 से संबंधित प्रकटन

(₹ करोड़ में)

क) निर्णीत हर्जाना	**2010-11**	**2009-10**
प्रारंभिक	**483.25**	522.51
परिवर्धन	**282.61**	177.38
उपयोग/बट्टा खाते/भुगतान	**-20.03**	-102.89
राशि, निकाली/समायोजन	**-47.87**	-113.75
अंतिम शेष	**697.96**	483.25
संविदगत दायित्व		
प्रारंभिक	**895.36**	887.09
परिवर्धन	**2687.58**	359.86
उपयोग/बट्टा खाते/भुगतान	**-99.09**	-77.11
राशि, निकाली/समायोजन	**-501.69**	-274.48
अंतिम शेष	**2982.16**	895.36

ख) निर्णीत हर्जाना कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुरूप प्रदान किया जाता है और भुगतान के समय अथवा अन्यथा उचितरूप से विचार किया जाता है। निर्णीत हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयता अनुसूची–19 की टिप्पणी सं. 5 में दर्शाई गई है।

ग) संविदात्मक दायित्व के लिए प्रावधान संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वारंटी के दायित्व की पूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 14 के अनुरूप संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर पर किया जाता है। उसे संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा हाने तक प्रतिधारित किया जाता है। वास्तविक वारंटी दायित्व संबंधित संविदा की शर्तों की शर्तों पर निर्भर करते हुए संविदा दर संविदा और वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकता है।

30. ₹ एक लाख से कम व्यय और आय की मद पर पूर्वावधि मदों को अधीन दर्जा करने के लिए विचार नहीं किया गया है।

31. खण्ड सूचना

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए			31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए		
क. प्राथमिक खंड – व्यावसायिक खंड						
	विद्युत	**उद्योग**	**योग**	विद्युत	उद्योग	योग
I. खंड राजस्व						
क. खंड राजस्व	34791.33	9186.02	**43977.35**	26860.37	7878.96	34739.33
ख. अंतर खंड राजस्व	0.00	597.46	**597.46**	0.00	541.19	541.19
ग. प्रचालन राजस्व – बाह्य (क) – (ख)	34791.33	8588.56	**43379.89**	26860.37	7337.77	34198.14
II. खंड परिणाम						
क. खंड परिणाम	8311.64	1915.10	**10226.74**	6316.70	1642.46	7959.16
ख. अंतर खंड राजस्व			**1166.34**			1335.01
ग. ब्याज पूर्व लाभ, डीआरई एवं आय कर (क) – (ख)			**9060.40**			6624.15
घ. ब्याज			**54.73**			33.50
ङ. आय कर पूर्व निवल लाभ (ग) – (घ)			**9005.67**			6590.65
च. आय कर			**2994.47**			2280.01
छ. आय कर पश्चात निवल लाभ			**6011.20**			4310.64
III. परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ						
क. खंड परिस्थितियाँ	36348.81	9828.36	**46177.17**	27679.83	8320.57	36000.40
ख. अनाबंटित परिस्थितियाँ			**13083.39**			12486.43
ग. कुल परिसंपत्तियाँ			**59260.56**			48486.83
घ. खंड देयताएँ	30147.30	6295.10	**36442.40**	25174.14	6071.67	31245.81
ङ. अनाबंटित देयताएँ			**2664.32**			1323.66
च. कुल देयताएँ			**39106.72**			32569.47
IV. अन्य सूचना						
क. स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की अवधि के दौरान व्यय की गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी)	1286.09	356.34		1391.85	270.30	
ख. मूल्यह्रास	398.87	113.02		301.06	82.01	
ग. गैर नकद व्यय (मूल्यह्रास के अतिरिक्त)	2056.70	567.21		-452.84	-269.21	
ख. अनुपूरक खंड – भौगोलिक क्षेत्र						
	भारत में	भारत के बाहर	**कुल**	भारत में	भारत के बाहर	**कुल**
1. निवल बिक्री/प्रचालनों से आय	41992.37	1387.52	**43379.89**	32517.14	1681.33	34198.14
2. कुल परिसंपत्तियाँ	58862.68	397.88	**59260.56**	48434.18	52.65	48486.83
3. स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की अवधि के दौरान व्यय की गई लागत	1680.31	1.42	**1681.73**	1692.84	0.22	1693.06

टिप्पणियाँ

1. कंपनी के उत्पाद एवं सेवा के क्षेत्र, जिससे वे बाज़ार में प्रमुखता से पहचाने जाते हैं, के आधार पर विद्युत एवं उद्योग खंडों के अंतर्गत समूह बना दिए गए हैं।
2. विद्युत क्षेत्र में विभिन्न उत्पादन सेटों एवे उनके सहायक उपकरणों से संबद्ध उत्पाद और सेवाएँ शामिल हैं।
3. उद्योग क्षेत्र में परिवहन और पारेषण, विद्युत मशीनें, औद्योगिक सेट एवं डीजी सेट, दूरसंचार तथा अन्य औद्योगिक उत्पाद एवं प्रणालियों से संबंधित उत्पाद एवं सेवाएँ शामिल हैं।
4. अंतर खंड अंतरण आपसी सहमति के मूल्य पर किए गए हैं।

32. गत वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ भी व्यवहार्य हुआ उन्हें पुनः समूहबद्ध/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

33. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएँ

क. बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक एवं अंतिम स्टॉक

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2010–11 के दौरान बिक्री		1.4.2010 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.3.2011 को अंतिम स्टॉक अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एचईपी, भोपाल							
स्विचगीयर, कन्ट्रोल गीयर,रेक्टिफ़ायर, कैपेसिटर्स							
स्विचगीयर – 11 के. वी. से 220 के. वी.	सं.	2726	299.38	0	0.00	29	1.64
उच्च गति वाले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स		(2690)	(223.37)	(85)	(2.57)	0	0.00
कंट्रोल पैनल	सं.	351	89.01	2	0.34	0	0.02
		(357)	(93.58)	(7.00)	(3.61)	(2)	(0.34)
औद्योगिक कंट्रोल गीयर	सं.	0	24.01	0	0.00	0	0.00
		(0)	(21.22)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
ए. सी., डी. सी. तथा डीज़ल प्रणाली के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल गीयर	सेट	128	119.80	1	0.11	8	1.07
		(143)	(103.82)	(13.00)	(3.61)	(1)	(0.11)
इलेक्ट्रॉनिक्स सहित रेक्टीफ़ायर	सं.	593	140.03	5	0.57	0	0.00
		(444)	(157.15)	(3)	(1.04)	(3)	(0.57)
कैपेसिटर्स	एमवीएआर	2686	20.66	100	1.28	23	0.45
	एमवीएआर	(2169)	(14.46)	(157.00)	(1.39)	(100)	(1.28)
बुशिंग्स		0	23.43	0.00	0.00	0	0.18
		(0)	(26.47)	0.00	(0.20)	(0)	0.00
ट्रांसफ़ॉर्मर्स							
पॉवर ट्रांसफ़ॉर्मर्स (400 के. वी. तक)	एमवीए	17752	702.90	0	0.12	540	13.25
	एमवीए	(13968)	(566.05)	(617.00)	(14.17)	0	(0.12)
इंस्ट्रुमेंट, वेल्डिंग, ट्रांसफ़ॉर्मर्स	एमवीए	0	15.37	0	0.00	0	0.03
तथा रिएक्टर्स	सं.	389		0	0.00	25	
	एमवीए	(0)	(16.63)	(0)	(0.90)	(0)	0.00
	सं.	(457)		(103)	0.00	0	(0.00)
औद्योगिक एवं ट्रैक्शन मशीनें							
एसी, डीसी तथा डीज़ल प्रणाली, मुख्य/	सं.	2113	539.46	30	3.83	30	4.50
सहायक जेनरेटरों के लिए ट्रैक्शन मोटरें		(2130)	(581.56)	(13)	(9.24)	(30)	(3.83)
औद्योगिक मशीनें, 1000 एच. पी. तक की एसी	सं.	1319	348.57	37	5.15	37	5.94
मोटरें, सभी प्रकार की डीसी मोटरें		(1212)	(272.77)	(90)	(12.42)	(37)	(5.15)
तथा जेनरेटर							
हेवी रोटेटिंग प्लांट तथा टर्बाइन							
1000 एचपी से अधिक बड़ी	सं.	383	347.28	7	3.03	10	11.46
इलेक्ट्रिकल मशीनें		(335)	(290.55)	(6)	(2.51)	(7)	(3.03)
वाटर व्हील आल्टर्नेटर्स तथा वाटर	सं./	15	347.08	0	4.08	0	32.35
टर्बाइन और मिनी माइक्रो टर्बाइन	एमडब्ल्यू	1149					
एवं जेनरेटर	सं./	2	403.88	0	11.93	12	52.98
	एमडब्ल्यू	1256					
	सं./	(24/T)	(383.66)	0	(14.91)		(4.08)
	एमडब्ल्यू	(785)					
	सं./	(25/G)	(291.72)	0	(13.09)		(11.93)
	एमडब्ल्यू	(1399)					
टर्बो आल्टर्नेटर्स तथा	सेट	0	174.08	0	0.00	0.00	0.00
स्टीम टर्बाइन		0	(141.79)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
हीट एक्सचेंजर्स	सं.	42	258.92	0	0.44	0	1.43
	सं.	(22)	(191.80)	0	(0.35)	0	(0.44)
अन्य			206.28		0.90		0.63
		(0)	(219.50)		(0.00)		(0.90)
		कुल	**4060.14**		**31.78**		**125.93**

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएँ

क. बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक एवं अंतिम स्टॉक

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2010–11 के दौरान बिक्री		1.4.2010 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.3.2011 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
टीपी, झांसी							
पावर ट्रांसफ़ॉर्मर्स एवं विशेष ट्रांसफ़ॉर्मर्स	सं.	149	443.91	2	1.53	4	14.03
		(145)	(324.61)	(6)	(18.60)	(2)	(1.53)
ईएसपी ट्रांसफ़ॉर्मर्स	सं.	1232	121.67	8	0.51	4	0.15
		(1098)	(93.85)	(0)	(0.00)	(8.00)	(0.51)
एसीईएमयू ट्रांसफ़ॉर्मर्स	सं.	5	1.45	0	0.00		
		(0)	(0)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
फ्रेट लोको ट्रांसफ़ॉर्मर्स	सं.	76	32.89	0	0.00		
		(59)	(35.49)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफ़ॉर्मर्स	सं.	462	21.48	6	0.15	0	0.00
		(386)	(12.14)	(30)	(0.63)	(6)	(0.15)
बस डक्ट	सं. / सेट		1.52	0	0.00		
		(0)	(4.02)	(0)	(0.71)	(0)	0.00
ड्राई टाइप ट्रांसफ़ॉर्मर्स	सं.	162	58.74	2	0.07	2	0.07
		(149)	(46.83)	0	0.00	(2)	(0.07)
डीज़ल शटर्स	सं.	7	29.26	1	0.00	0	0.00
		(8)	(25.17)	(1)	(2.38)	(1)	0.00
नया उत्पाद लोको	सं.	0	0.00	0	0.00		
		(0)	(0.00)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
ए. सी. लोको	सं.	30	198.09			1.00	5.62
		(22)	(134.74)				
अन्य / विविध	सं.	0	13.64	0	0.00		1.47
		(0)	(17.34)	(0)	(0.10)	(0)	0.00
		कुल	**922.65**		**2.26**		**21.34**
एचईईपी, हरिद्वार							
इलेक्ट्रिकल मशीनें	एमडब्ल्यू / सं.	0	0.00	1/2	0.22	1/2	0.22
		(0)	(0.00)	(1/2)	(0.21)	(1/2)	(0.22)
औद्योगिक कंट्रोल पैनल	सं.	0	0.00	3	0.19	3	0.18
		(0)	(0.00)	(3)	(0.18)	(3)	(0.19)
टर्बा सेट	एमडब्ल्यू / सं.	2700/9	3599.90	0	31.48	0	12.89
		(2355/8)	(2410.31)	(0)	(4.01)	(0)	(31.48)
हाइड्रो सेट	एमडब्ल्यू / सं.	200/2	11.10	0	0.14	0	0.05
		0	(31.55)	(0)	0.00	(0)	(0.14)
सुपर रैपिड गन माउंट	सं.	2	53.11	0	0.00	0	0.00
		(3)	(90.33)	(1)	(17.23)	0.00	0.00
गैस टर्बाइन	एमडब्ल्यू / सं.	0	46.53	0	0.00	0	0.00
		(0)	(190.98)	(0)	(3.01)	(0)	0.00
अन्य		0	519.94	0	7.60	0	12.29
		(0)	(491.78)	(0)	(6.74)	(0)	(7.61)
		कुल	**4230.58**		**39.63**		**25.63**

30. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएँ (जारी)

क. बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक एवं अंतिम स्टॉक

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2010–11 के दौरान बिक्री		1.4.2010 का तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.3.2011 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एचपीबीपी, तिरुचि							
बॉयलर	एमटी	597345	11793.58	23123	337.78	21717	328.53
		(531549)	(9469.90)	(11063)	(176.78)	(23123)	(337.78)
वॉल्व	सं.	123128	457.69	5025	15.43	6541	12.07
		(135812)	(418.13)	(7655)	(11.24)	(5025)	(15.43)
परीक्षण तथा अन्य	रु.	0	6.55	0	0.00	0	0.00
सेवाओं से आय		(0)	(7.77)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
सीमलेस स्टील ट्यूब	एमटी	98	1.31				
		(66)	(1.25)				
		कुल	**12259.13**		**353.21**		**340.60**
बीएपी, रानीपेट							
बॉयलर ऑग्ज़िलरी	एमटी	281923	3573.62	12738	95.56	23279	173.15
		(235271)	(2506.64)	(6396)	(44.52)	(12738)	(95.56)
विंड मिल	एमटी		0.03	0	0.00		
		(0)	(0.55)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
परीक्षण तथा अन्य			3.03	0	0.00		
सेवाओं से आय		(0)	(2.68)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
बाहरी उत्थापन निर्माण तथा अन्य			0.84	0	0.00		
सेवाओं से आय		(0)	(1.83)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
		कुल	**3577.52**		**95.56**		**173.15**
एचपीईपी, हैदराबाद							
60 एमडब्ल्यू सेट	सं.	3P	518.00	1P	12.04	7P	8.63
यूटिलिटी सेट		(1+P)	(280.82)	(1P)	(12.68)	(1P)	(12.04)
लघु तथा मध्यम सेट्स	सं.	14P	498.37	1P	12.29	7P	6.47
		(6+P)	(448.61)	(8P)	(51.13)	(1P)	(12.29)
पम्प तथा हीटर	सं.	9P	1034.79	3P	5.18	2P	3.46
		(6+P)	(795.03)	(0)	(0)	(3P)	(5.18)
कम्प्रेसर	सं.	20P	596.10	1	7.56	3P	4.61
		(1+P)	(355.86)	(2)	(6.65)	(1.00)	(7.56)
गैस टर्बाइन	सं.	9P	2930.91	2P	2.70	3P	102.30
		(8+P)	(2155.96)	(2P)	(63.91)	(2P)	(2.70)
बॉउल मिल्स	सं.	10P	899.35	3.00	1.20	0.00	0.00
		(6+P)	(765.22)	(0)	(0.00)	(3.00)	(1.20)
हीट एक्सचेंजर्स	सं.	P	23.64	0	0.00		
			(1.88)	0	(0.00)	(0.00)	(0.00)
इरेक्शन आय			18.66		0.00		0.00
			(6.02)		(0.00)		(0.00)
कास्टिंग			2.65		0.00		
			(1.73)		(2.82)		0.00
ब्रेकर	सं.	5	10.36	0	0.00		0.00
		(41)	(19.55)	0	0.00	0	0.00
ऑयल रिग्स	सं.	P	116.40				
			(161.55)				
		कुल	**6649.23**		**40.97**		**125.47**

30. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएँ (जारी)

क. बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक एवं अंतिम स्टॉक

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2010–11 के दौरान बिक्री		1.4.2010 का तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.3.2011 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आईएसजी, बैंगलूर							
अन्य सेवाएँ		0	686.89	0	0.00	0	0.00
		(0)	(573.09)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
		कुल	**686.89**		**0.00**		**0.00**
ईडीएन, बैंगलूर							
पावर डिवाइसिस*	सं.	6252	1.09	146	0.19	72	0.29
		(7033)	(0.72)	(206)	(0.05)	(146)	(0.19)
फ़ोटोवोल्टैक्स	के. डब्ल्यू.	4699	68.06	0	0.00	1	0.01
		(1322)	(15.91)	(168)	(0.15)	0	0.00
सिमुलेटर्स (डिफ़ेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स)	सेट	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		(0)	0.00	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
कंट्रोल उपकरण	क्यूबिकल्स	5983	1875.63	20	3.58	19	11.79
		(5052)	(1394.75)	(9)	(8.45)	(20)	(3.58)
		कुल	**1944.78**		**3.77**		**12.09**
ईपीडी, बैंगलूर							
इंसुलेटर्स तथा बुशिंग	एमटी	8058	120.26	397	4.33	595	9.13
		(6393)	(83.75)	(397)	(4.31)	(397)	(4.33)
सेरालिन	एमटी	3085	65.35	60	0.56	388	3.55
		(2469)	(48.19)	(55)	(0.47)	(60)	(0.56)
परीक्षण तथा			2.10	0	0.00		
अन्य सेवाओं से आय		(0)	(0.08)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
		कुल	**187.71**		**4.89**		**12.68**
पॉवर ग्रुप							
इरेक्शन तथा अन्य सेवाओं एवं			7811.94		3.98		(5.79)
अतिरिक्त पुर्जों से आय			(6117.68)		(1.60)		(3.98)
		कुल	**7811.94**		**3.98**		**(5.79)**
आईपी, जगदीशपुर							
इंसुलेटर्स	सीएमटी	7002.36	76.46	286.36	3.38	459.91	5.46
		(7286)	(72.08)	(426.58)	(5.38)	(286.36)	(3.38)
सेरालिन	एमटी	4140.00	63.39	67.64	2.79	134.60	2.66
		(2965.00)	(41.47)	(55.09)	(0.84)	(67.64)	(2.79)
		कुल	**139.85**		**6.17**		**8.12**
आईवीपी, गोइंदवाल							
औद्योगिक वाल्व	सं.	0	0.00	125	0.53	307	1.21
		(0)	(0.00)	(276)	(1.05)	(125)	(0.53)
		कुल	**0.00**		**0.53**		**1.21**

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएँ (जारी)

क. बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक एवं अंतिम स्टॉक

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2010–11 के दौरान बिक्री		1.4.2010 का तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.3.2011 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सीएफ़पी, रुद्रपुर							
एसडब्ल्यूएचएस	सु.	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		(1)	(0.02)	0	0.00	(0)	(0)
बस डक्ट प्रोजेक्ट	सेट	32	88.01	1	0.49	14	8.98
		(32)	(79.79)	(1)	(0.69)	(1)	(0.49)
		कुल	**88.01**		**0.49**		**8.98**
एचईआरपी, वाराणसी							
बॉयलर/टर्बाइन तथा ऑज़िलरी के लिए अतिरिक्त पुर्ज़े और मरम्मत			186.86		0.36		0.28
			(148.22)		(0.21)		(0.36)
		कुल	**186.86**		**0.36**		**0.28**
ट्रांसमिशन व्यवसाय समूह							
अतिरिक्त पुर्ज़े (सेवाओं सहित)			782.80		14.41		8.37
			(620.61)		(0.00)		(14.41)
		कुल	**782.80**		**14.41**		**8.37**
ईएमआरपी, मुम्बई							
मरम्मत तथा परियोजना कार्य			48.44		0.00		0.00
			(42.11)		(0.00)		(0.00)
		कुल	**48.44**		**0.00**		**0.00**
अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन							
बिक्री से आय (राजस्व मान्यता समायोजन)			57.19		0.00		0.00
			(16.05)		(0.00)		(0.00)
		कुल	**57.19**		**0.00**		**0.00**
उद्योग क्षेत्र							
बिक्री से आय (राजस्व मान्यता समायोजन)			-183.99		0.00		0.00
			(5.67)		(0.00)		(0.00)
		कुल	**-183.99**		**0.00**		**0.00**
समायोजन			**-112.73**		**1.52**		**0.59**
			(-12.87)		**(-7.74)**		**0.00**
		कुल जोड़	**43337.00**		**599.53**		**858.65**

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएँ (जारी)

ख. अनुज्ञप्त क्षमता, स्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

क्रम सं.	उत्पाद	इकाई	स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन			
			2010-11	2009-10	2010-11		2009-10	
					बिक्री के लिए	कैप्टिव खपत के लिए	बिक्री के लिए	कैप्टिव खपत के लिए
एचईपी, भोपाल								
1	टर्बो सेट्स							
	- स्टीम टर्बाइन/न्यूक्लियर टर्बाइन	सेट	1/1	1/1	0	0	0	0
		एमडब्ल्यू	210 or 250/236	210 or 250/236	0	0	0	0
2	हाइड्रो सेट्स							
	हाइड्रो टर्बाइन	सं.	25	25	15	0	24	0
		एमडब्ल्यू	2500	2500	1149	0	785	0
	हाइड्रो जेनरेटर	सं.	25	25	15	1	25	0
		एमडब्ल्यू	2500	2500	1256	30	1399	0
3	बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीन	सं.	450	340	387	3	336	4
4	ट्रैक्शन मशीन (टीजी/एजी, ब्लाउज़र मोटर, वीपीआरपी आदि)	सं.	3200	3200	2351	0	2379	0
5	पॉवर ट्रांसफ़ॉर्मर	सं.						
		एमवीए	30000	30000	18292	513	13351	880
6	इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफ़ॉर्मर	सं.	200	200	414	0	354	1
7	इलेक्ट्रिकल मशीन	सं.	1800	1000	1327	4	1159	7
8	स्विचगीयर	सं.	3000	3000	2952	0	2892	28
9	कैपेसिटर	एमवीएआर	3200	3200	2610	0	2112	136
10	औद्योगिक कंट्रोलगीयर	सं.	250	250	0	0	0	0
11	ट्रैक्शन कंट्रोलगीयर	सेट	220	220	191	0	164	0
12	कंट्रोल उपकरण	सं.	600	600	1580	0	1301	0
13	हीट एक्सचेन्जर्स	सं.	52	52	42	0	39	0
		एमटी	1100	1100	0	0	0	0
14	कंट्रोल पैनल	सं.	600	600	395	0	392	2
15	कैथोडिक प्रोटेक्शन प्रणाली	टन	2700	2700	0	0	0	0
टीपी, झाँसी								
1	पॉवर ट्रांसफ़ॉर्मर 33 केवी/132 केवी	सं./एमवीए	200/15000	105/5500	151/7337	1/60	142/4483	2/88
2	<u>अन्य ट्रान्सफ़ॉर्मर</u>							
	विशेष प्रयोजन ट्रांसफ़ॉर्मर (ड्राई टाइप ट्रांसफ़ॉर्मर आदि)	सं.	140	140	181	3	159	12
	ट्रैक्शन ट्रांसफ़ॉर्मर (फ्रंट लोको तथा एसीआईएमयू)	सं.	140	140	154	0	130	0
	इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफ़ॉर्मर	सं.	1000	1000	464	0	363	0
	ईएसपी ट्रांसफ़ॉर्मर	सं.	500	500	1228	0	1106	0
3	डीज़ल शटर्स	सं.	10	10	7	0	8	0
4	ए. सी. लोकोमोटिव (6500 एचपी तक)	सं.	30	30	31	0	22	0

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएँ (जारी)

ख. अनुज्ञप्त क्षमता, स्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

क्रम सं.	उत्पाद	यूनिट	स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन			
			20010-11	2009-10	2010-11		2009-10	
					बिक्री के लिए	कैप्टिव खपत के लिए	बिक्री के लिए	कैप्टिव खपत के लिए
एचईईपी – हरिद्वार								
1.	टर्बो सेट*	मेगावॉट	10020	5750	2900	0	2355	0
2.	हाइड्रो सेट	मेगावॉट	0	0	0	0	0	0
3.	इलेक्ट्रिकल मशीन	मेगावॉट	0	0	0	0	0	0
4.	गैस टर्बाइन	मेगावॉट						
5.	सुपर रैपिड गन माउंट!स	सं.	3	3	2	0	2	0
* टर्बो सेट की क्षमता में 500 मेगावॉट के समतुल्य पुर्जों की उत्पादन क्षमता शामिल है।								
सीएफ़एफपी – हरिद्वार								
1.	स्टील कास्टिंग	एमटी	6000	6000	3574	0	3736	6
2.	स्टील फोर्जिंग							
	(क) स्टील फ़ोर्जिंग (भारी)	एमटी	2410	2410	1057		811	
	(ख) मीडियम फ़ोर्जिंग (मध्यम)	एमटी	3000	3000	1777		1590	
3.	बिलेट्स और ब्लूम्स	एमटी	4000	4000	143		17	
4.	एमएफ कास्टिंग्स	एमटी	250	250	89		39	
एचपीईपी – हैदराबाद								
1.	स्टीम टर्बाइन	एमडब्ल्यू	1630	1140	1913.18		797.4	
2.	जेनरेटर्स	एमडब्ल्यू	2720	1947	2626.55		1626.95	
3.	गैस टर्बाइन	एमडब्ल्यू	1090	992	1721.6		1287.7	
4.	कम्प्रेसर	सं.	9	9	20		12	
5.	पल्वराइज़र्स	सं.	172	101	172		145	
6.	पम्प	सं.	280	187	341		227	
7.	ब्रेकर्स	सं.	1035	1035	5		186	
8.	हीट एक्सचेंजर्स	सं.	152	152	257		191	
9.	ऑयल रिग्स	सं.	14	5	41		23	
10.	ड्राइव टर्बाइन	सं.	27	10	32		29	
ईडीएन – बैंगलूर								
4.	कन्ट्रोल उपकरण	क्यूबिकल	4500	4300	6251	398	5421	476
2.	पॉवर उपकरण	सं.	20000	20000	21077		19420	
3.	फ़ोटोवोल्टेइक्स	केडब्ल्यूएस	8000	8000	4715	18	1155	
4.	सिमुलेटर्स (विशेष इलेक्ट्रिकल्स)	सेट	0	0	0		0	

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएँ (जारी)

ख. अनुज्ञप्त क्षमता, स्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

क्रम सं.	उत्पाद	यूनिट	स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन			
			20010-11	2009-10	2010-11		2009-10	
					बिक्री के लिए	कैप्टिव खपत के लिए	बिक्री के लिए	कैप्टिव खपत के लिए
तिरुचिरापल्ली								
1	बॉयलर	एमटी	481162	481162	595939		545045	
2	वाल्व	एमटी सं.	13800	13800	174415		168869	
3	न्यूक्लियर स्टीम जेनरेटिंग उपकरण	एमडब्ल्यू	382/500	382/500				
4	सीमलेस स्टील ट्यूब	एमटी	40000	40000	35221		32787	
5	आर्म्ड रिकवरी वहिकल	सं.	25	25	0		0	
बीएपी – रानीपेट								
1	बॉयलर ऑक्सिलरी	एमटी	245553	207305	293210	0	244933	0
आईवीपी – गोइंदवाल								
1	औद्योगिक वाल्व तथा वाल्व स्पेयर्स	एमटी सं.	788	788	2479 13860		1911 11091	
ईपीडी – बैंगलूर								
1	इंसुलेटर्स तथा बुशिंग्स	सीएमटी	6250	6250	6459		6633	
2	असेम्बल किया उत्पादन	एमटी			9253		8840	
3	सेरालिन	सीएमटी	745	745	1599		1400	
4	सेरालिन (असेम्बल)	एमटी			4130		3355	
आईपी – जगदीशपुर								
1	इंसुलेटर्स	सीएमटी	6000	6000	7376.56	0	7169.78	0
2	सेरालिन	एमटी	1574	1574	1912.81	0	1593.21	0
3	सेरालिन (असेम्बल किया गया)	एमटी			4397.27	0	3662.55	0
सीएफपी – रुद्रपुर								
1	एस डब्ल्यू एच एस							
2	सोलर लालटेन	सं.						
3	बस डक्ट	एमटी	150	150	1318	0	1188	0
सीएसयू								
1	स्टैम्पिंग	सं.	13000000	13000000	3600000	0	1436000	0

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएँ (जारी)

(₹ करोड़ में)

		31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
ग.	**आयात का मूल्य**		
	सीआईएफ आधार		
	कच्चा माल	**4243.07**	3943.53
	संघटक तथा अतिरिक्त पुर्ज़े	**2837.80**	2508.74
	पूंजीगत माल	**700.94**	783.66
घ.	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	रॉयल्टी	**52.96**	34.79
	तकनीकी ज्ञान	**132.10**	20.53
	व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	**0.29**	0.07
	ब्याज तथा अन्य (विदेशी परियोजना स्थलों सहित)	**421.61**	296.07
	लाभांश : @		
	क) अप्रवासी शेयरधारकों की संख्या	**5058**	5491
	ख) धारित शेयरों की संख्या	**74213588**	82055911
	ग) लाभांश की सकल राशि	**91.28**	65.64
	घ) लाभांश का खर्च	**2009-10**	2008-09
	अंतरिम लाभांश : @	**(अंतिम लाभांश)**	(अंतिम लाभांश)
	क) अप्रवासी शेयरधारकों की संख्या	**5938**	5441
	ख) धारित शेयरों की संख्या	**64320886**	75561348
	ग) लाभांश की सकल राशि	**85.22**	83.12
	घ) लाभांश का खर्च	**2010-11**	2009-10
		(अंतरिम लाभांश)	(अंतरिम लाभांश)

@ कंपनी ने लाभांश का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया है। बैंकरों/अप्रवासी शेयरधारकों के पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी धारकों को भुगतान करदिया गया है, और उनके द्वारा विदेशी मुद्रा किए गए लाभांश भुगतान की निश्चित राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

ङ.	**कच्चे माल, संघटकों, भंडार और अतिरिक्त पुज़ों की खपत का मूल्य**		
	#आयातित (सीमा शुल्क सहित)	**6217.12**	6240.72
	स्वदेशी	**13669.89**	11512.02
	कुल खपत का प्रतिशत		
	आयातित	**31**	35
	स्वदेशी	**69**	65
च.	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	माल का निर्यात (एफओबी आधार पर) **	**769.21**	1231.59
	ब्याज	**0.01**	0.01
	इरेक्शन तथा अन्य सेवाएँ**	**449.57**	335.11
	मानित निर्यात में विदेशी मुद्रा (घरेलू संविदाओं सहित)	**8007.21**	6696.71

सारणीबद्ध मदें, जहाँ कहीं भी अभिलिखित हैं, सम्मिलित की गई हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI में अपेक्षित अन्य सूचनाएँ (जारी)

छ. कच्चे माल तथा संघटकों की खपत का विवरण

(₹ करोड़ में)

		31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
सामग्री समूह	**इकाई**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
लौह सामग्री					
	एमटी	**630011**		582871	
	मीटर	**13749271**		9088417	
	सं.	**5184210**		3831321	
	वर्ग मीटर	**958**		12	
	कि. ग्रा.	**67442605**		50954071	
	अन्य	**93**		126	
			5017.28		4589.09
अलौह सामग्री					
	एमटी	**23782**		20071	
	मीटर	**1757921**		2144535	
	सं.	**274269**		187313	
	वर्ग मीटर	**242**		194	
	कि. ग्रा.	**8015569**		6305433	
	आरएल	**27781**		20902	
	अन्य	**688**		115	
			497.14		306.19
इंसुलेटिंग सामग्री					
	मीटर	**68635813**		60428160	
	एमटी	**76561**		17489	
	सं.	**730866**		427241	
	वर्ग मीटर	**1653750**		2116260	
	कि. ग्रा.	**987949**		985456	
	एलटी	**7290736**		4592485	
	आरएल	**216335**		177783	
	एम2	**113102**		40454	
	एसटी	**411**		397	
	अन्य	**41404**		19760	
			227.51		184.26
इंसुलेटिंग केबल तथा मैग्नेट वायर					
	वर्ग मीटर	**2786052**		5449824	
	सं.	**175718**		3220	
	कि. ग्रा.	**9661**		8838	
			41.02		59.33
संघटक			**10504.74**		9914.39
अन्य			**3129.90**		2242.08
			19417.59		17295.34

तुलन पत्र का सार तथा कंपनी की सामान्य व्यावसायिक रूपरेखा

i) पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 |

राज्य कोड | 5 | 5 |

तुलन पत्र | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |

दिन महीना साल

ii) वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि ₹ करोड़ में)

पब्लिक इश्यू	राइट इश्यू
शून्य	शून्य
बोनस इश्यू	निजी स्थापन
शून्य	शून्य

iii) निधियों से संग्रहण व वितरण की स्थिति (राशि ₹ करोड़ में)

	कुल देयताएं	कुल परिसंपत्तियां
	5 9 2 6 0 . 5 6	5 9 2 6 0 . 5 6
निधियों के स्रोत	प्रदत्त पूंजी	आरक्षित तथा अधिशेष
	4 8 9 . 5 2	1 9 6 6 4 . 3 2
	रक्षित ऋण	आरक्षित ऋण
	शून्य	1 6 3 . 3 5
निधियों का प्रयोग	निवल स्थायी परिसंपत्तियां*	निवेश
	5 1 6 3 . 1 0	4 3 9 . 1 7

* इसमें डब्ल्यूआईपी पूंजी के ₹ 1,762.18 करोड़ शामिल है

	निवल चालू परिसंपत्तियां	विविध आय (आस्थगित राजस्व व्यय)
	1 2 5 5 1 . 3 7	शून्य
	संचयी हानि	आस्थगित कर परिसंपत्तियां
	शून्य	2 1 6 3 . 5 5

iv) कंपनी का कार्यनिष्पादन (राशि ₹ करोड़ में)

कारोबार*	कुल व्यय
4 3 3 3 7 . 0 0	3 4 3 8 8 . 9 1

* उत्पाद शुल्क और सेवा कर के ₹ 1,770.87 करोड़ शामिल है।
डब्ल्यूआईपी और एफजी में वृद्धि/कमी सहित कुल अर्जन, आय तथा वर्ष के लिए कारोबार पर उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का समायोजन ₹ 43,394,85 करोड़ है। यह कुल व्यय के स्थान पर है।

कर पूर्व लाभ	कर पश्चात लाभ
9 0 0 5 . 6 7	6 0 1 1 . 2 0
प्रति शेयर अर्जन	लाभांश दर
1 2 2 . 8 0	1) ₹ 489.52 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर 132.50 प्रतिशत (₹ 13.25 प्रति शेयर) की दर से अंतरिम लाभांश 2) ₹ 489.52 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर 179 प्रतिशत (₹ 17.90 प्रति शेयर) प्रस्तावित अंतरिम लाभांश

v) कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के सामान्य

1. मद कोड संख्या (आईटीसी कोड) : 8 4 0 2 1 0
   उत्पाद विवरण : पुर्जो के अलावा बॉयलर
2. मद कोड संख्या (आईटीसी कोड) : 8 5 0 2 3 9 0 2
   उत्पाद विवरण : हाइड्रो टर्बाइन सहित संपूर्ण जेनरेटिंग सेट
3. मद कोड संख्या (आईटीसी कोड) : 8 4 1 1 8 2 0 6
   उत्पाद विवरण : 115000 कि. वा. से अधिक क्षमता की गैस टर्बाइन

(निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से)

हस्ता/–	हस्ता/–	
(आई.पी.सिह)	**(ओ.पी भुटानी)**	**(बी. प्रसाद राव)**
कंपनी सचिव	निदेशक (ई,आरएंडडी एवं वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 23, मई 2011
स्थान : नई दिल्ली

सहायक कंपनी

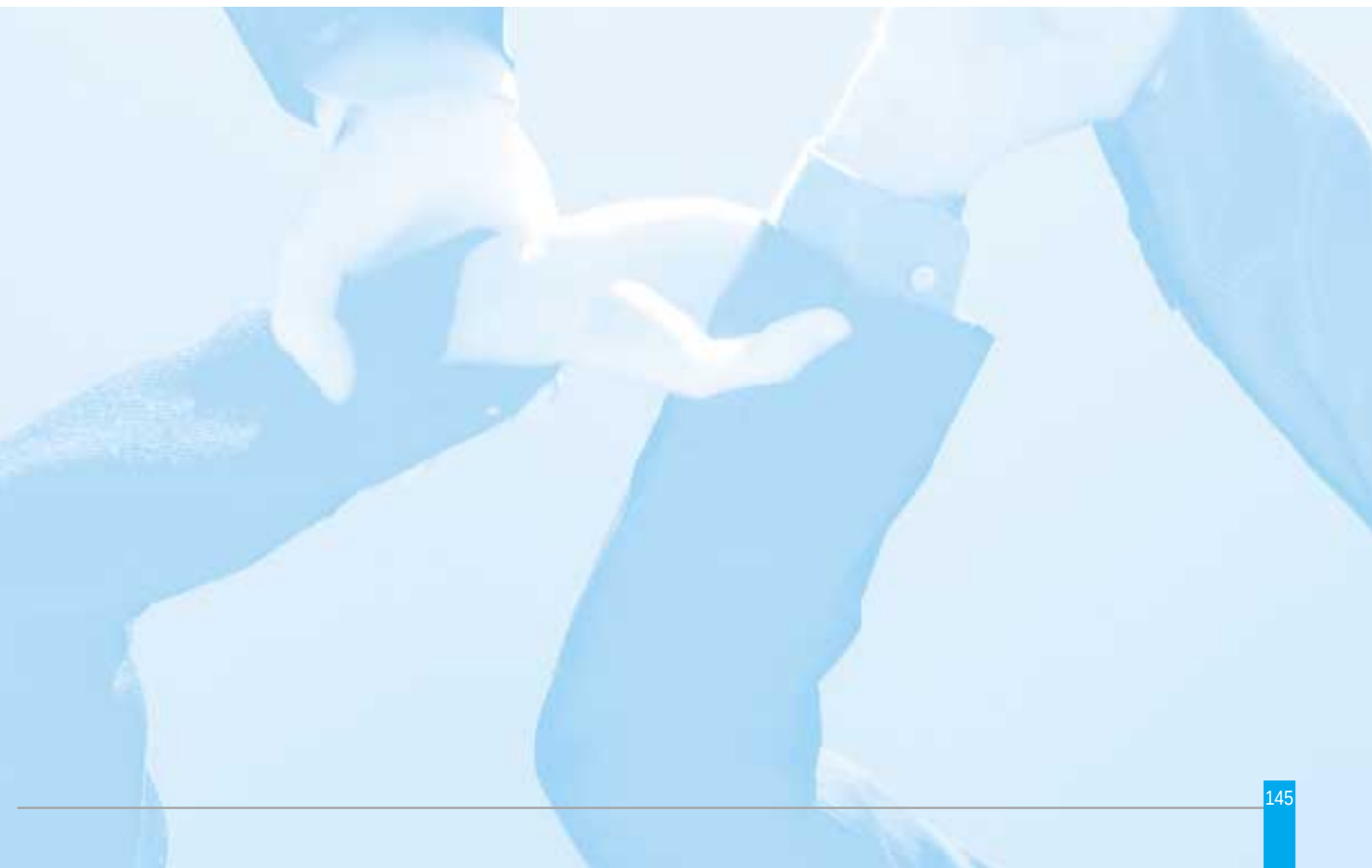

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारक
भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड
विशाखापट्टनम

निदेशक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय तथा प्रचालन पर 45वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

बिक्री

कंपनी ने पिछले वर्ष ₹ 104.31 करोड़ की तुलना में ₹ 136.98 करोड़ का कुल कारोबार किया है। (अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में 31.32 प्रतिशत की वृद्धि)

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष के दौरान कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

	2010-2011	2009-2010
1. कुल करोबार	136.98	104.31
2. सकल लाभ	3.53	(-) 8.93
3. ब्याज	1.40	(-) 2.68
4. मूल्यह्रास	1.10	1.26
5. लाभ/हानि (असाधारण मदों से पहले)	1.03	(-) 7.51
6. कर पूर्व लाभ/हानि	8.78	(-) 7.51
7. कर उपरांत लाभ/हानि	8.78	(-) 8.60
8. असाधाराण आय	7.75	–शून्य–

वर्ष 2010–11 के लिए सकल लाभ ₹ 3.53 करोड़ निर्धारित किया गया था जबकि गत वर्ष यह ₹ (–) 8.93 करोड़ था। वर्ष 2010–11 में कर पूर्व लाभ/हानि ₹ (–) 8.78 करोड़ है जबकि गत वर्ष यह ₹ (–) 7.51 करोड़ था। आपकी कम्पनी में उपर्युक्त निष्पादन वित्तीय सहायता अधिकारियों की तैनाती, ब्याज मुक्त ऋण/अग्रिम आदि के माध्यम से धारक कंपनी द्वारा दी गई सहायता से प्राप्त की है।

राजकोष में अंशदान

आपकी कंपनी ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार वर्ष 2009–10 के दौरान सार्वजनिक राजकोष में ₹ 21.76 करोड़ के राजस्व की तुलना में वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 17.89 करोड़ के राजस्व का अंशदान किया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2009-10
उत्पाद शुल्क/सेवा कर	9.58	9.77
सीमा शुल्क	1.15	1.38
बिक्री कर	7.19	10.51
आय कर/अनुषंगी लाभ कर	-	0.10
	17.89	21.76

आर्डर बुक

कंपनी ने पुराने और नए आदेशों के निष्पादन में पुरानी प्लान्ट एवं मशीनरी से होने के कारण विलम्ब होने के कारण आर्डर अंतप्रवाह में कई समस्याओं का सामना किया। पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश और विदेश में कड़ी प्रतियोगिता के कारण कंपनी की आर्डर बुक स्थिति बेहतर नहीं रही। कम्पनी ने मुख्य रूप से बीएचईएल – तिरुचि ओर आरआईएनएल – विजाग आदि से ऑर्डर प्राप्त किए। कम्पनी ने ₹ 400 करोड़ (एमओयू उत्कृष्ट) के लक्ष्य के स्थान पर ₹ 415.64 करोड़ के ऑर्डर बुक किए तथा कंपनी के पास उपलब्ध ऑर्डर 31.03.2011 की यथास्थिति ₹ 460.45 करोड़ (31.03.2011 की यथास्थिति ₹ 189.70 करोड़ के स्थान पर) के थे। आपकी कम्पनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही है और ज्यादा से ज्यादा आर्डर प्राप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

प्रबंधन विचार–विमर्श तथा विश्लेषण

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट अनुबंध–1 में दी गई है।

निदेशक मंडल

नियुक्ति

- श्री अम्बुज शर्मा, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग को 29.03.2011 से श्री. शशांक गोयल के स्थान पर बीएचपीवी के निदेशक बोर्ड में अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री. आर. पी. गोयल, निदेशक, भारी उद्योग विभाग को 21.04.2011 से श्री. अम्बुज शर्मा के स्थान पर बीएचपीवी के निदेशक बोर्ड में अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री. ए. एस नागराज, निदेशक, बीएचईएल को बीएचपीवी के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया और उन्होंने 18.05.2011 (पूर्वाह्न) से यह कार्यभार ग्रहण कर लिया।

- माननीय बीआईएफ़आर द्वारा श्री. बी. डी. कलेर को बीएचपीवी के बोर्ड में तत्काल प्रभाग से अर्थात 25.05.2011 (आदेश की तारीख) से विशेष निदेशक नियुक्त किया है।

पदत्याग

- श्री. एस. एस. गुप्ता एमडी, बीएचपीवी 28.02.2011 को अपनी सेवा आयु पूरी कर लेने पर निदेशक के पद पर नहीं रहे।
- श्री शशांक गोयल, निदेशक, डीएचआई ने दिनांक 29.03.2011 से कंपनी के अंशकालिक निदेशक का पदभार त्याग दिया।
- श्री. अम्बुज शर्मा, संयुक्त सचिव, डीएचआई ने 21.04.2011 से कंपनी के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक का पदभार त्याग दिया।

राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष 2010–11 के दौरान कंपनी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा नियम 1976 के अनुसार भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन जारी रखने पर बल देना जारी रखा।

50 कर्मचारियों को हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ कक्षाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष के लिए वेतनवृद्धि प्रदान की गई।

हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 30 कर्मचारियों के लिए कार्यालयी नोटिंग एवं ड्राफ़्टिंग पर हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

15 सितंबर, 2010 को हिन्दी दिवस मनाया गया। इस दौरान कर्मचारियों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार तथा मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। 03 हिन्दी पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं और उन्हें नियमित रूप से वितरित किया जाता है। कर्मचारियों/प्रशिक्षणार्थियों पहचान पत्र द्विभाषी रूप में तैयार किए गए और वर्ष के दौरान संगठन के सभी फार्मेट पर द्विभाषी रूप में बीएचपीवी लोगो मुद्रित करना सुनिश्चित किया गया है।

बीएचपीवी तथा भेल के बीच वर्ष 2011–12 के समझौता ज्ञापन द्विभाषी रूप में तैयार किया गया था।

सतर्कता

आपकी कंपनी सरल, आसान, पारदर्शी एवं बेहतर प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है ताकि पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार रहित वातावरण बनाया जा सके। भेल की नीति के अनुरूप नई खरीद नीति क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित की गई थी। कर्मचारियों में बेहतर जागरूकता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 25.10.2010 से 01.11.2010 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया। सतर्कता सप्ताह के दौरान परम्परागत सतर्कता शपथ दिलाने के अलावा कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई और प्रबन्धन कार्य तथा संगठन व्यवहार के आवश्यक तत्व के रूप में सतर्कता की स्वीकार्यता के लिए कम्पनी की प्रतिबद्धता दर्शाने हेतु बैनर लगाए गए। केन्द्रीय सतर्कता अयोग द्वारा समय–समय पर जारी सभी निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

गुणवत्ता

बीएचपीवी के उत्पाद अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त के मान्यता स्वरूप बीएचपीवी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ़ मेकेनिकल इन्जिनीयर्स (एएसएमई) की यू. यू. 2 और एस. स्टैम्प तथा राष्ट्रीय बॉयलर एवं प्रेशर वेसल्स निरीक्षक बोर्ड की आईएवं एन बी स्टैम्प धारित की गई वर्ष 2010–11 के दौरान बीएचपीवी की गुणता प्रणाली की समीक्षा उपर्युक्त संस्थानों द्वारा की गई और उपर्युक्त स्टैम्पों की वैधता 24 नवम्बर, 2013 तक बढ़ा दी गई है।

इसी प्रकार लॉयड रजिस्टर ने ''फ़्यूशन वेल्डिड प्रेशर वेसल्स क्लास 1'' के निर्माता के रूप में बीएचपीवी की मान्यता 25 अगस्त, 2013 तक बढ़ दी गई है।

एनसिलरीज/सब वेन्डर्स

समीक्षाधीन वर्ष के लिए एनसिलरीज/सब–वेंडर्स द्वारा कुल आउटपुट पिछले वर्ष की 230 मी. टन के साथ ₹ 1.60 करोड़ की तुलना में 4400 मीट्रिक टन के साथ ₹ 40 करोड़ रही। आउटसोर्सिंग के लिए नए ढंग से वेन्डरों को रजिस्टर किया गया। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वेन्डरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वित्तीय बिक्री वर्ष 2011–12 में आउटसोर्सिंग का बजट ₹ 98.00 करोड़ है।

विदेशी दौरे

वर्ष के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विदेश दौरों पर कोई राशि खर्च नहीं की गई।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 217 (2कक) के प्रावधानों के अनुपालनार्थ आपने निदेशक एत्दद्वारा पुष्टि करते हैं कि:

- 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानदंडों का अनुसरण किया गया।
- निदेशकों ने ऐसी नीतियों का चयन किया और उनको सतत रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय और परिकलन किए जो वित्तीय 2010–11 के अन्त में कम्पनी की स्थिति तथा इस

अवधि में कम्पनी के लाभ के बारे में एक सटीक और उचित विचार देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

- निदेशकों ने कम्पनी के अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनियों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं की रोकथाम हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव पर उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया।
- 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए हैं।

कॉर्पोरेट अभिशासन

लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन मार्गनिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश का.ज्ञा. संख्या 18 (8) 2005 जीएम दिनांक 14.05.2010 के द्वारा अनिवार्य बनाए गए हैं। कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट भी प्रशासनिक मन्त्रालय (डीएचआई) नियमित भेजी जाती है। कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र की रिपोर्ट डॉयरेक्टर्स रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में संलग्न है।

अन्य प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 217(1)(ड), कंपनी नियम,1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) के साथ पठित के प्रावधानों के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण, टेक्नोलॉजी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी बिजली, एलपीजी, पेट्रोल तथा डीजल की बचत के लिए निरंतर विभिन्न उपाय कर रही है। वर्ष के दौरान ऊर्जा की बचत के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

- सभी ओवनों के हीटिंग एलीमेन्ट, थर्मोस्टेट, कन्ट्रोल नॉब्स, वायरिंग आदि बदलकर उनकी रिकन्डीशनिंग की गई, जिससे काफ़ी बिजली की बचत हुई।
- सभी विद्युत सब–स्टेशनों (एमआरएस टी1, टी2, टी3, टी4, टी5, नियन्त्रण कक्ष जेनरेटरों शेड आदि) में ट्रान्सफ़ॉर्मरों की ओवरहॉलिंग, ट्रान्सफ़ॉर्मरों में तेल फ़िल्टर, ट्रान्सफ़ॉर्मर ऑयल की विस्कोसिटी की जाँच, तेल पूरा करके तथा ब्रेकर के रखरखाव के द्वारा की गइ। ऐसा सब–स्टेशनों के ब्रेकडाउन को रोकने और ट्रान्स्फ़ॉर्मरों, ब्रेकरों आदि की लम्बी आयु करने के लिए किया गया। केपेसिटर बैंकों की रिकन्डीशनिंग, मरम्मत की गई और निवाकर रखरखाव किया गया। ऐसा करने के बाद विद्युत हानि में बचत और बिजली के बिल में कमी से पावर फ़ैक्टर में सुधार आया।
- बिजली की खपत (अधिक वाटेज) करने वाले कम्प्रेसरों को चरणबद्ध रूप में एयरकन्डिशनरों में बिजली की कम खपत करने वाले कम्प्रेसर लगाए गए। 2010–11 में लगभग 15 कम्प्रेसर बदले गए।
- बिजली बचाने हेतु शॉप लाइटिंग, फ़ैक्टरी टाउनशिप की स्ट्रीट लाइटिंग आदि के लिए ऑटोमेटिक स्विच ऑन/ऑफ़ के लिए टाइमर लगाए गए। ऊर्जा बचत कार्यक्रम के लिए एक टीम बनाई गई। इस टीम को ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

  वर्ष के लिए सकल कारोबार की प्रतिशत लागत, उत्पादन शुल्क के निवल के रूप में विद्युत और ईंधन लागत गतवर्ष 3.11 प्रतिशत की तुलना में 2.71 प्रतिशत है।

अनुसंधान और विकास

कंपनी का अनुसंधान एवं विकास विभाग नए उत्पादों के विकास और प्रोटोटाइप टेस्टिंग के बाद निरंतर नए उत्पादों के डिजाइन और व्यावसायिक उत्पादन हेतु प्रयास कर रहा है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई

- अनुसंधान एवं विकास में कार्यनिष्पादन अर्थात मैसर्स एचएएल बंगलौर से सीरीज प्रोड्क्शन (एसपी) आर्डर हेतु तेजस एयरक्राफ्ट के कम्पैक्ट हीट एक्सचेन्जर्स का विनिर्माण, परीक्षण और आपूर्ति कार्य जारी रखे गए। वर्ष के दौरान मैसर्स एचएएल बैंगलूर का ₹ 279.96 लाख मूल्य के 43 कम्पैक्ट हीट एक्सचेन्जर बनाए गए, परीक्षण किए गए और सुपुर्द किए गए।
- अनुसंधान एवं विकास में तेजस एयरक्राफ्ट हेतु एडीए बैंगलूर को ₹ 24.20 लाख मूल्य के 2 प्रीकूलर यूनिटों का सफलतापूर्वक निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति की गई।

टेक्नोलॉजी उन्नयन

- बीएचईएल हैदराबाद के लिए सीडब्ल्यूपी की फेब्रिकेशन एवं मशीनिंग

  कूलिंग वॉटर पम्प के लिए फ़ेब्रिकेशन एवं मशीनिंग पहली बार बीएचपीवी में सफलतापूर्वक विकसित की गई। बीएचईएल, हैदराबाद के डिज़ाइन मार्गदर्शन में 12 से 63 मोटाई की जोड़ों से शैल्स, कोन्स, फ़्लेन्ज़िल, मीटर बैंड्स बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। वर्तमान मशीनरी से सीडब्ल्यूपी की कन्सेन्ट्रिसिटी की अलाइनमेन्ट एवं चेकिंग, पर्पेन्डिक्युलेरिटी, समानता, डिस्चार्ज एलके की महत्वपूर्ण कन्सेन्ट्रिसिटी, स्ट्रेस रिलीविंग, मशीनिंग एवं ड्रिलिंग, हाइड्रॉलिक एवं टेस्टिंग सफ़लतापूर्वक की गई और कोडरमा एवं दुर्गापुर परियोजनाओं के लिए सलीमेन्टों के सेट पूरे किए गए।
- हाइड्रॉलिक टेस्ट फ़िक्स्चर्स सहित जेएसपीएच के बॉयलर

ड्रमों की हाइड्रॉलिक जाँच नोज़लों की हेतु टेस्ट कवर के साथ की जाती थी। पहली बार बीएचईएल – तिरुचि के अनुरूप बीएचपीवी में हाइड्रॉलिक टेस्टिंग फ़िक्स्चर का विकास किया गया। बीएचईएल – तिरुचि से मॉडल डिज़ाइन लिए गए और डिज़ाइन एवं औज़ारों का विकास आन्तरिक रूप से किया गया। प्रत्येक 43 मी. ट. वज़न जेएसपीएल के दो ड्रमों का हाइड्रॉलिक परीक्षण सुविधाओं से किया गया। इससे बीएचपीवी को समय चक्र में 04 सप्ताह की कमी करने में सहायता मिली और टेस्ट कवर और बाद में प्रत्येक ड्रम के लिए 60 नोज़लों की मशीनिंग भी नहीं करनी पड़ी।

- बीएचईएल – तिरुचि के लिए उच्चतर डाया पाइप बैंक को पूरा करने हेतु सुविधाओं का विकास :

  बीएचईएल – तिरुचि से ओडी 558 × 32 थिकनेस एवं ओडी 660 × 22 थिकनेस पाइप बैंड प्राप्त हुए, इनकी ले–आउट मार्किंग, कटिंग, ओवलिटी, करेक्शन, नॉर्मलाइज़िंग एवं टेम्परिंग, स्ट्रेस रिलीविंग, मशीनिंग (एंड फ़िक्स्चर्स के विकास द्वारा की गई) कार्य किए गए और वर्तमान 20 बर्नर, 30 बर्नर फ़र्नेस सुविधाओं का उपयोग करके मौदा और चन्द्रपुर परियोजनाओं के लिए 21 बैंड सफलतापूर्वक तैयार किए गए।

- जेएसपीएल हैडर्स के लिए स्वेग्ड निपल्स का विकास

  प्रेसिंग ट्रन्स विकसित करके पहली 250 टन प्रेस पर 51 ओडी × 4.9 थिकनेस स्वेग्ड निप्पल बनाए गए। आन्तरिक रूप से 2200 निष्पादन सफलतापूर्वक बनाए गए।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

कच्चे माल एवं संघटकों की प्राप्ति, इंजीनियरिंग की प्राप्ति तथा ख्यातिप्राप्त विदेशी कंपनियों के तकनीकी बैकअप आर्डरों के निष्पादन हेतु अपेक्षित व्यय के लिए ₹ 5.21 करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च की गई। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा।

कर्मचारियों का विवरण

इस अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी ने कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 217 (2क) कंपनी नियमावली (कर्मचारियों का विवरण), 1975 के साथ पठित के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

पर्यावरण प्रबंधन तथा प्रदूषण नियंत्रण

आपकी कंपनी प्रदूषण से होने वाले कुप्रभावों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से सचेत है। इसने फैक्टरी परिसर और इसके आस–पास स्वच्छ तथा स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण बनाएं रखने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। फैक्टरी के भीतर तथा टाउनशिप में व्यापक रूप में हरित पट्टी विकसित की गई है। प्रशासनिक भवन के सामने 150 नए वृक्ष लगाए गए।

जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत आवश्यक सांविधिक सहमति तथा जोखिमकारी अपशिष्ट प्राधिकरण हेतु सहमति एपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की गई है जो 30.04.2011 तक वैध है। 30.04.2012 तक वैधता नवीनीकरण प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।

लेखापरीक्षक

वर्ष 2010–11 के लिए मैसर्स शर्मा एन्ड राव, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, विशाखापट्टनम को कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 के तहत नियंत्रक एवं महालेखाकार को प्रस्तुत किए गए।

लेखापरीक्षकों रिपोर्ट में संदभित बिंदुओं के उत्तर अनुबंध 3 में दिए गए हैं।

नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां

कंपनी के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुबंध में दी गई हैं।

आभार

निदेशक मंडल भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार, आंध्रप्रदेश सरकार, होल्डिंग कंपनी (बीएचईएल), सप्लायरों, प्रतिष्ठित ग्राहकों और बैंकरों से मिले निरंतर सहयोग और उपयुक्त मार्गदर्शन के लिए सभी का आभार व्यक्त करता है। आपके निदेशक इस लेखापरीक्षा को रिकॉर्ड समय पर पूरा करवाने के लिए व्यावसायिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक तथा लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्यों और सांविधिक लेखापरीक्षकों का भी धन्यवाद देते हैं। निदेशक मंडल इन प्रयासों में सभी स्तरों पर कर्मचारियों के अथक प्रयासों और कर्तव्यनिष्ठा की भी उन्मुक्त रूप से प्रशंसा करता है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से
भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड

हस्ता/–
ए.एस. नागराज
प्रबंध निदेशक

बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः अगस्त 12, 2011
स्थानः नई दिल्ली/विशाखापट्टनम

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना एवं विकासः

इंजीनियरिंग उद्योग के रूप में कंपनी की स्थापना मुख्य रूप से कोर सेक्टर उद्योगों, जैसे रिफाइनरियों, स्टील, फर्टिलाइजरों तथा न्यूक्लियर पावर आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। यह कोर उद्योग में आवश्यक पूंजीगत उपकरणों/मशीनरी के निर्माण, सप्लाई और संस्थापना आदि कार्यों के साथ–साथ अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ समूचे भारत में एकमुश्त लम्प सम टर्नकी (एसएसटीके) परियोजनाओं के निष्पादन में भी लगी हुई है। कंपनी को अभी हाल ही में हानि का सामना करना पड़ा है और इसलिए यह वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है। वर्ष 2008–09 के दौरान, कंपनी बीएचईएल की पूर्णस्वामित्वाधीन कंपनी बन गई। कंपनी ने अब प्लांट एवं उपकरणों तथा आधारभूत ढांचे के उन्नयन, पूंजीगत व्यय के लिए नियोजित निवेश प्रारंभ कर दिया है। इंडस्ट्रियल बॉयलर क्षमता को बढ़ाने, बीएचईएल के अन्य प्लांटों के लोड को शेयर करने तथा इंडस्ट्रियल बॉयलरों और एचआरएसजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीएचईएल के निरंतर सहयोग हेतु कार्यनीतिक गठबंधन किए जा रहे हैं।

अवसर तथा खतरेः

अवसर

बीएचईएल के लिए इंडस्ट्रियल बॉयलरों, पावर प्लांट संघटकों और बीएचपीवी के मौजूदा पोर्टफोलियो की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी के समक्ष उच्च वृद्धि एवं अवसरों की अपार संभावना है।

खतरे

i) निजी कंपनियों से कड़ा प्रतिस्पर्धा,

ii) परंपरागत कार्यों के लिए कम दरें प्रस्तुत करने वाली राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कंपनियां,

iii) ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना,

iv) कड़ी डिलीवरी शर्तें

कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2009-2010
1. कुल कारोबार	136.98	104.31
2. मूल्यवर्धन	58.37	37.40
3. कर पूर्व लाभ	8.78	(-) 7.51
4. कर पश्चात लाभ	8.78	(-) 8.60
5. आसाधारण रूप से नियोजित	7.75	-
6. नियोजित पूंजी	30.71	32.26
7. सकल मूल्य	81.53	80.64
8. निवल ब्लॉक	4.41	4.61
9. कार्यशील पूंजी	26.30	27.65
10.सकल मूल्य	(-) 229.76	(-) 238.54
11. ब्याज	(+) 1.40	(-)2.68
अनुपातः		
कारोबार के प्रतिशत के रूप में पीबीडीआईटी (छूट के बिना)	2.58	(-) 8.56
कारोबार के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात लाभ (बिना छूट) में	6.41	(-) 8.24
जीटीओ की प्रतिशत के रूप में मूल्यवर्धन (ईडी को घटाकर)	46.17	43.10

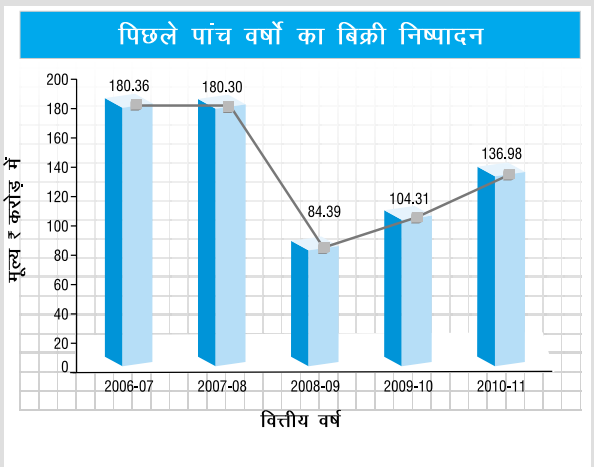

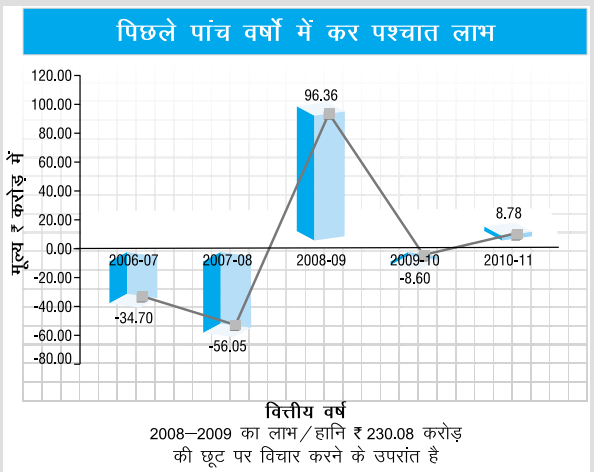

2008–2009 का लाभ/हानि ₹ 230.08 करोड़ की छूट पर विचार करने के उपरांत है

वर्ष की मुख्य उपलब्धियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण और सप्लाई को शामिल किया जा सकता है:

- **एमएसआईएल, एमआरपीएल एवं जेएसपीएल के लिए बॉयलर ड्रम**

  एचएसआईएल, एचआरएसजी बॉयलरों के लिए 04 एलपी एवं एचपी बॉयलर ड्रम (प्रत्येक का 10 मी. टन, 25 मी. टन से वज़न), एमआरपीएल, एचआरएसजी हेतु 1 ड्रम (प्रत्येक का 43 मी. टन वज़न) सफलतापूर्वक तैयार करके आईबीआर एवं ग्राहक की साइट पर भेजे गए। इन बॉयलर ड्रमों के फ़ेब्रिकेशन में हॉट प्री–बैडिंग, 110 थिकनेस/105 थिकनेस शैल्स की हॉट रोलिंग, डिश्ड एन्ड की हॉट प्रेसिंग महत्वपूर्ण कार्य थे।

- **कोनियाम्बो निकल, न्यूक्लेडोनिया के लिए एकॉनॉमाइज़र एवं सुपर हीटर कॉइल्स का मॉडयूलराइज़ेशन**

  कोनियाम्बो परियोजना के लिए एसेम्ब्ली, एकॉनॉमाइज़र कॉइल्स एवं सुपर हीटर कॉइल्स की वेल्डिंग सफलतापूर्वक पूरी की गई। निर्यात कार्य होने के नाते नोबो (लाइड्स) एवं एचटी/ईके के परीक्षण सहित बीएचवीपी द्वारा कड़ी गुणवत्ता अपेक्षाएँ पूरी की गई। एकॉनॉमाइज़र सचलन एवं सुपर हीटर कॉइल्स कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया औ समूह से भेजा गया।

- **वीएसएससी के लिए टिटानियम डोम्स**

  इन टिटानियम एलियटिकल डोम्स का फ़ेब्रिकेशन वीएसएससी, त्रिवेन्द्रम के लिए एक महत्वपूर्ण तथा उच्च प्रौद्योगिकी का कार्य था। इस कार्य में 20 थिकनेस टिटानियम प्लेटों की हॉट प्रेसिंग, बाधित डायमेन्शन प्राप्त करने के लिए हॉट करेक्शन एवं हीट ट्रीटमेन्ट के अंग थे। 14 का सफलतापूर्वक तैयार करके ग्राहक को सप्लाई किए गए।

- **मैसर्स बीएचईएल के लिए वॉटर चैम्बरों की मशीनिंग**

  पहली बार बीएचपीवी में फ़्लेन्ज मशीनिंग के लिए 04 सेटिंग में वर्तमान समानान्तर बोरिंग मशीन पर 3610 × 4760 × 80 थिकनेस के वाटर चैम्बरों एवं टेपिंग कार्यों के साथ चेम्बर सफलतापूर्वक पूरे किए गए।

- **मैसर्स बीएचईएल – हरिद्वार के लिए एसएस टर्मिनल बुशिंग बॉक्स**

  एसएस फ़्लेट सामग्री के साथ ग्राहक की ड्राइंगों के अनुसार दो एसएस सफलतापूर्वक की गई। इस महत्वपूर्ण कार्य में अधिक थिकनेस की एसएस वेल्डिंग, डिस्टॉर्शन कन्ट्रोल एवं मशीनिंग शामिल थे।

  उपर्युक्त के अलावा बाह्य सेवा फ्रन्ट पर थी कम्पनी ने निम्नलिखित कार्य पूरे किए।

  (i) मैसर्स आरआईएलएल, विशाखापट्नम में हाई प्रेशर बफ़र वेसल्स (08 नग) की इरेक्शन – और आरगॉन बफ़र वेसल्स – 1 नग – सफलतापूर्वक की गई।

  (ii) मैसर्स एलपीएससी, महेन्द्रगिरि में दो लिक्विड नाइट्रोजन टैंकों को इरेक्ट किया गया।

दृष्टिकोण

- बीआईएफआर को प्रस्तुत मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) के अनुसार, बीएचपीवी का लक्ष्य 2015–16 तक ₹1000 करोड़ के करोबारी मार्क को पार करना तथा उस समय तक सकारात्मक निवल मूल्य भी प्राप्त करने वाली कम्पनी बनना है।

- प्रोसेस प्लांट उपकरण हेतु क्लालिटी सप्लायर के रूप में बीएचपीवी की प्रतिष्ठा से तेल तथा उर्वरक क्षेत्रों से और आर्डर मिलने में मदद मिली है। इंडस्ट्रियल बॉयलरों और एचआरएसजी हेतु बीएचईएल से और आर्डरों के निष्पादन के साथ इसके मिलने से आने वाले वर्षों में कम्पनी के कारोबार में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और बीएचपीवी अपने मार्ग पर चल पड़ेगा। मौजूदा तथा नए ग्राहकों से और आर्डर प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं।

- कम्पनी द्वारा अंगीकृत आधुनिकीकरण तथा पूंजी निवेश रणनीति के अनुरूप सुविधाओं के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण की दिशा के आने वाले वर्षों में ₹ 230.91 करोड़ निवेश किए जाएंगे।

- विभिन्न स्तरों पर चिन्हित कौशल अन्तरों के ब्रिजिंग हेतु, नए कार्यपालकों एवं सुपरवाइज़रों की भर्ती प्रक्रिया हाल में शुरू की गई है और अन्य संवर्गों हेतु भी प्रक्रिया 2011–12 में भी जारी रहेगी।

- विकास कार्यसूची के अनुरूप बीएचपीवी तथा बीएचईएल के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्रों को भी बीएचईएल के व्यवसाय सैक्टरों और विनिर्माण इकाइयों के परामर्श से तलाश की जा रही है।

समझौता ज्ञापन 2010–11 के अनुसार लक्षित कार्य निष्पादन पैरामीटर

आर्डर बुकिंग	:	₹ 412.00 करोड़
बिक्री/कारोबार	:	₹ 325.00 करोड़
कर पूर्व लाभ	:	₹ 7.28 करोड़

जोखिम और कठिनाइयां

- मौजूदा तथा विविधीकृत व्यवसाय के लिए विनिर्माण सुविधाओं का उन्नयन और इसके लिए अपेक्षित धनराशि।
- ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना।
- कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाने हेतु विशाखापत्तनम और उसके आस–पास स्थित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बराबर सभी लाभ और बेहतर प्रतिपूर्ति पैकेज लागू करना कारण।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां तथा इनकी पर्याप्तता

कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग जिसका प्रमुख प्रबंधक है जो प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी ने आन्तरिक लेखापरीक्षा करने और तिमाही रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मैसर्स भास्कर राव एन्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को दिया था। कंपनी ने निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति बनाई है जो आवधिक रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों की पुनरीक्षा करती है और निरंतर सुधार के सुधारात्मक कार्रवाई करती है। कंपनी का सतर्कता विभाग सतर्कता तथा अनुशासनिक मामलों की देखरेख करता है। वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखाकार वार्षिक लेखों की अनुपूरक जांच के अलावा प्रोपराइटरी लेखापरीक्षा भी करते हैं।

मानव संसाधनों/औद्योगिक संबंधों के क्रम में विभिन्न लोगों की नियुक्ति सहित सामग्री विकास

मार्च, 2011 की समाप्ति पर कर्मचारियों की कुल संख्या 1116 थी जबकि वर्ष के प्रारंभ में इनकी संख्या 1250 थी। कल्याण उपायों के भाग के रूप में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गयाः

1) कम्पनी के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रमः

कम्पनी ने 12 आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 348 कर्मचारियों को शामिल किया गया। इनमें अधिकारी, पर्यवेक्षक तथा कर्मकार शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में हिंदी दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह और सुरक्षा दिवस के अवसर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। निष्पादन प्रबन्धन प्रणाली, कम्प्यूटर साक्षरता, कार्य नीति, वेल्डरों के लिए पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम, मा. स. सम्बद्ध आध्यात्मिक कार्यक्रम भी किए गए।

2) बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमः

वर्ष के दौरान 16 आउट स्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 37 कर्मचारियों को प्रायोजित किया गया जिसमें 29 अधिकारी और 8 कामगार शामिल थें। ये कार्यक्रम आरक्षण नीति, सतर्कता, प्रशासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व, कराधान, उन्नत वेल्डिंग तकनीक, ई–गवर्नेन्स, मेडिसिन एवं सर्जरी के बारे में थे।

2010–11 के लिए उत्कृष्ट एमओयू लक्ष्यों के रूप में 500 मानव दिवसों के स्थान पर 546 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त किए गए।

वर्ष के दौरान संगठन में समरस और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा और हड़ताल अथवा तालाबंदी की वजह से किसी श्रमदिवस की हानि नहीं हुई। कार्यसंस्कृति औद्योगिक संबंधों उत्पादकता में सुधार तथा विवादों के समाधान के लिए विभिन्न भागीदारी निकायों और विचारविमर्शों के जरिए सहभागी संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

रोजगार तथा शारीरिक विकलांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की स्थिति

- शारीरिक विकलांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/मार्गनिर्देशों का कंपनी द्वारा नियमित रूप से पालन किया जाता है।
- अ.जा., अ.ज.जा. तथा ओबीसी के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण 01.01.2011 की यथास्थिति निर्धारित प्रारूप में साथ ही सरकार को यथा प्रस्तुत पूर्ववर्ती कैलेन्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या अनुबंध 'क' के रूप में दिया गया है।

01.01.2011 की यथास्थिति शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या

- इस समय 01.01.2011 की यथास्थिति हमारे यहां कुल 25 विकलांग कर्मचारी हैं। कम्पनी में 01.01.2011 की यथास्थिति समूह–वार श्रम बल के बारे में अनुबंध 'ख' में जानकारी प्रस्तुत है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समाज के प्रति सचेत कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी सामुदायिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया तथा रक्त मेडिकल रेड क्रास सोसायटी के लिए रक्तदान शिविर लगाए गए। कम्पनी ने अंग्रेज़ी में रियायती शिक्षा देने और विशेष केयर एकल पर ₹ 25 लाख खर्च किए। कंपनी विकास में योगदान देने के लिए प्लांट के भीतर और आसपास विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्रों में योगदान दे रही है। एचआईवी/एड्स /टीबी नियंत्रण के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी।

सचेतपरक अभिकथन

इस प्रबंधन एवं विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, योजनाओं, अनुमानों को लागू कानून और विनियमों के दायरे में रहते हुए प्रदर्शित किया गया है। वास्तविक परिणाम व्यवहार्य रूप से इनसे भिन्न हो सकते हैं। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग, सप्लाई और कीमतों में बदलाव जैसी आर्थिक स्थितियां, सरकारी नीतियां और विनियम, अध्यादेश, श्रम संबंध तथा अन्य आकस्मिक कारण कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुबंध– ए

01.01.2011 को अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व और कलैण्डर वर्ष 2010 के दौरान की गई नियुक्तियों को दर्शाता वार्षिक विवरण

ग्रुप	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वा का प्रतिनिधित्व (01.01.2011)				कलैण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियां									
					सीधी नियुक्ति				पदोन्नत			अन्य पद्धति द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा	अ.ज.जा	अ.पि.व.	कुल	अ.जा	अ.ज.जा	कुल	अ.जा	अ.ज.जा
ग्रुप – ए	229	42	8	25	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—
ग्रुप – बी	42	4	19	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग्रुप – सी	783	129	86	182	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
ग्रुप – डी (एस डब्ल्यू के अलावा)	89	13	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग्रुप – डी (एस डब्ल्यू)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	1143	188	103	40	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—

अनुबंध– बी

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिधित्व

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या (प्रतिनिधित्व)				कलैण्डर वर्ष 2010 के दौरान सीधी भर्ती							प्रोन्नत						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भरी गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्ति)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भरी गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्ति)			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ग्रुप – ए	229	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग्रुप – बी	42	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग्रुप – सी	783	2	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ग्रुप – डी	89	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	1143	2	5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(I) वीएच का मतलब दृष्टि विकलांगता (अन्धापन या कम दिखाई देने से ग्रसित व्यक्ति)

(ii) एचएच– श्रवण विकलांगता (श्रवण विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति)

(iii) ओएच – अस्थि विकलांगता (लोकोमोटर विकलांगता या तन्तु विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति)

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–2

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

उद्देश्यः

अच्छे कारपोरेट अभिशासन का मूल तत्व कार्य ढांचे के भीतर कम्पनी में सर्वोत्तम व्यवसाय प्रक्रियाओं को अपनाना है। कम्पनी के प्रबंधन में मूल्यों और नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शिता होती है। यह बेहतर कारपोरेट व्यवहार सुनिश्चित करने और स्टेक–होल्डरों यथा निवेशकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार, वेन्डर तथा समाज के हितों की रक्षा के लिए जवावदेही एवंकर्तव्यनिष्ठा, मार्गनिर्देशों एवं प्रणाली के क्रियान्वयन पर बल देते हैं।

विचारधाराः

कम्पनी का दृढ़ विश्वास है कि कम्पनी के संबंद्ध सभी व्यक्तियों के हित में वृद्धि हेतु बेहतर कारपोरेट अभिशासन का होना बेहद जरूरी है। कम्पनी अपने कार्यकलापों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही है। एक जवाबदेह नागरिक और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कम्पनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई एक्ट) के उपबंधों के तहत भारत के नागरिकों को उपयुक्त रूप में सूचना प्रदान करती है।

निदेशक मंडलः

28.02.2011 तक बोर्ड में पांच निदेशक थे। तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री एस.एस. गुप्ता ने त्यागपत्र दे दिया है और 28.02.2011 को बीएचपीवी से पदमुक्त हो गए हैं। दो स्वतन्त्र निदेशकों श्री बी. भक्त वत्सलम तथा श्री प्रॅबीर रॉय ने 3 वर्ष की नियुक्ति का अपना कार्यकाल मार्च, 2011 को पूरा कर लिया। 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार बोर्ड में 4 निदेशक है। निदेशकों के लिए कोई अर्हक शेयर रखना अपेक्षित नहीं है। कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

सभी पूर्णकालिक/कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक सहित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी की जाएंगी। निदेशक मंडल/ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को उनकी प्रति सिटिंग फीस का भुगतान भारी उद्योग विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और बोर्ड/बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने पर वास्तविक व्यय में प्रतिपूर्ति की जाती है।

बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और कम्पनी को उचित मार्गदर्शन तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। पूर्णकालिक निदेशक कंपनी के दैनिक कार्यों का प्रबंध करते हैं। बोर्ड की बैठक की पूर्व सूचना सभी निदेशकों को दी गई है। कई बार तत्काल जरूरत होने पर अल्पकालीन सूचना पर बैठक आयोजित की गई है अथवा अनिवार्य होने पर सर्कुलेशन द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास सभी जानकारियों तक पूरी पहुंच है तथा वह बैठक के दौरान किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए बुलाने के लिए स्वतंत्र हैं।

बोर्ड की बैठकें एवं उपस्थिति

31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष में निदेशक बोर्ड की चार बैठकें हुईं और किसी भी दो बैठकों के बीच में चार कैलेंडर माह से अधिक का अंतर नहीं था। बोर्ड की बैठकें 11.05.2010, 08.09.2010, 29.12.2010 और 30.03.2011 को आयोजित की गईं। 2010–11 में बोर्ड की बैठकों, निदेशकों की उपस्थिति, वार्षिक आम बैठक तथा अन्य निदेशक स्तरीय आयोजित बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	श्रेणी/ अवधि	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की	बैठकों मे भाग लिय	क्या आम वार्षिक बैठक में भाग लिया	अन्य अयोजित निदेशक स्तरीय बैठके
1.	श्री बी.पी. राव	अध्यक्ष/24-10-2009 पूर्वाह्न से	4	4	-	2
2.	श्री एस एस गुप्ता	एमडी/ 31.10.2009 से 28-02-2011 अपराह्न तक	3	3	हा, बैठक के अध्यक्ष	शून्य
3.	श्री शशांक गोयल	अंशकालिक सरकारी (सरकारी निदेशक)/ 17.08.2009 से 29.03.2011 तक	3	3	-	5
4.	श्री अम्बुज शर्मा	अंशकालिक सरकारी (सरकारी निदेशक)/ 29.03.2011 से 21.04.2011 तक	1	1	-	2
5.	श्री पी. वी. श्रीधरन	निदेशक (मा.सं.)/ 09.11.2009 पूर्वाह्न से	4	4	हां	शून्य
6.	श्री ए.एस. नागराजा	निदेशक (प्रचालन)/ 20.11.2009 पूर्वाह्न से	4	4	-	शून्य

लेखा परीक्षा समितिः

बोर्ड के पुनर्गठन और बोर्ड में 3 पूर्णकालिक/कार्य निदेशक और एक अंशकालिक अध्यक्ष के शामिल होने पर 22.12.2009 को आयोजित बोर्ड की 187 वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया। इसे श्री एस. एस. गुप्ता की 28.02.2011 को प्रबंध निदेशक के पद से कार्यमुक्ति, तथा श्री शशांक गोयल के स्थान पर भारत सरकार, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) का प्रतिनिधित्व करने के रूप में बीएचपीवी के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक के रूप में 29.03.2011 से श्री अम्बुज शर्मा का नामांकन होने पर 30.03.2011 को आयोजित 192 वीं बैठक में पुनर्गठित किया गया। लेखा परीक्षा समिति फिर से पुनर्गठित किया गया जब श्री अम्बुज शर्मा के स्थान पर भारत सरकार, डीएचआई का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री आर. पी. गोयल की 21.04.2011 से अंशकालिक निदेशक की नियुक्ति की गई। 2010–11 के वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा समिति के समक्ष 16.05.2011 को आयोजित इसकी बैठक में अनुमोदन हेतु तथा कम्पनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन व संतुष्टि हेतु रखे गये थे। चूंकि दो स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी नियुक्ति का कार्यकाल मार्च, 2010 में पूरा कर लिया था, अतः लेखापरीक्षा समिति में कोई भी गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नहीं था। गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का मामला भारी उद्योग विभाग के ध्यान में लाया जा चुका है।

लेखा परीक्षा समिति अपनी भूमिका और शक्तियों का प्रयोग करते हुए संक्षिप्त रूप से आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों, सरकार द्वारा जारी लंबित आईआर पैरा की पुनरीक्षा करती है, सांविधिक लेखापरीक्षकों की बैठकों के निष्कर्षो एवं सुझावों तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श करती है। इसके अलावा, यह समिति कंपनी द्वारा अपनाई जा रही मुख्य लेखांकन नीतियों तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व इनकी पुनरीक्षा करती है तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी मामले की छानबीन करने का इसे पूरा अधिकार होता है।

आम बैठक :–

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण :–

वित्तीय वर्ष	एजीएम की तिथि तथा समय	स्थान
2007-08 42वीं आम बैठक	24 दिसम्बर, 2008 को प्रातः 10.00 बजे	बीएचपीवी बोर्ड कक्ष विशाखापटनम
2008-09 43वीं आम बैठक	8 सितम्बर, 2009 को अप. 3.30 बजे	दि पार्क होटल, विशाखापटनम
2009-10 44वीं आम बैठक	14 सितम्बर, 2010 को प्रातः 9.00 बजे	बीएचपीवी बोर्ड कक्ष विशाखापटनम

निदेशक मंडल का प्रशिक्षण :

बोर्ड में कार्य ग्रहण करने वाले निदेशकों को प्रलेखों एवं बुकलेटों का सेट दिया जाता है। इसमें कंपनी से निष्पादन संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े, कंपनी के उद्देश्य एवं अंतर्नियमावली कॉर्पोरेट अधिशासन दिशानिर्देश, शक्तियों का प्रत्यायोजन, उत्पादन लाइन ब्रोशर आदि शामिल रहते है। निदेशकों की स्थिति, कर्तव्यों, दायित्वों पर मोनोग्राफ की प्रति सभी निदेशकों को परिचालित की जाती है।

सहायक कम्पनियांः

कम्पनी बीएचईएल की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी है। बीएचपीवी के पास अब कोई भी सहायक कम्पनी नहीं है।

संयंत्र अवस्थितिः

मैसर्स भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड

नाथयापालेम,

विशाखापत्तनम–530 012, (आंध्रप्रदेश)

प्रकटन

कम्पनी अधिनियम की धारा 297 के प्रावधानों यथा उपबंधित निदेशक नियमित रूप से कम्पनी के हितों के अनुरूप यह प्रकटन करते हैं कि कम्पनी के साथ प्रबंधन अथवा उसके संबंधी का फर्म से किसी प्रकार का लेन–देन अथवा व्यवसाय नहीं है। कम्पनी नीतिगत मानकों को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों के अनुरूप समुचित प्रकटन सुनिश्चित कर रही है।

सांविधिक देयों की स्थिति के साथ सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से रखी जा रहीं है। वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का कम्पनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

वर्ष के दौरान बहियों और लेखाओं में कोई व्यय नहीं डाला गया है जो व्यवसाय व्यय के प्रयोजनार्थ नहीं हैं और वैयक्तिक स्वरूप का कोई काम निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है।

चूंकि कम्पनी एक गैर सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, सेबी तथा स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षा अथवा सूचीबद्धन के प्रावधान लागू नहीं हैं। तथापि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने सहायक कम्पनी की सभी अपेक्षाओं को पूरा किया, क्योंकि यह कम्पनी बीएचईएल की 100% सहायक कम्पनी है।

सम्प्रेषण का माध्यम

कंपनी ने प्रेस, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कंपनी में महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा घटनाओं का व्यापक रूप से प्रसार किया है। कंपनी अपनी कार्यकरण की सूचना वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराती है। कंपनी ब्विहस्ल ब्लोअर नीति मैकेनिज्म का पालन नहीं करती। तथापि, लेखापरीक्षा समिति ने किसी भी कर्मचारी और व्यक्ति की शिकायत को स्वीकार करने से इंकार नहीं किया। सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के रिकार्ड नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखापरीक्षा तथा सतर्कता/ सीबीआई आदि की जांच हेतु हमेशा खुले हैं।

SARMA & RAO
CHARTERED ACCOUNTANTS

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में : सदस्यगण
मैसर्स भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड
विशाखापत्तनम

महोदय,

हमने भारत हेवी प्लेट एवं वेसेल्स लि. (कंपनी) द्वारा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। जिनका उल्लेख लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मूल अधिसूचना संख्या 18 (8)/2005–जीएम एवं 14 मई, 2010 के द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशक (जिन्हें आगे 'दिशानिर्देशक' कहा गया है) तथा उनमें उल्लिखित अनुबंधों में केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों में किया गया है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का पालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि एवं उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षित है और न ही कंपनी के वित्तीय परिणामों पर हमारी राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्न के अधीन कि असूचीबद्ध सीजीएमई पर लागू कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार, कम से कम बोर्ड के एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। बोर्ड में स्वत्रंत निदेशकों की अवधि समाप्त होने से हुई रिक्ति के कारण कंपनी शर्तों को पूरा नहीं कर सकी। अतः कंपनी के बोर्ड में वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त उल्लिखित संशोधित दिशानिर्देशों में उल्लिखित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी कहना है कि कंपनी की भावी संभाव्यता के संबंध में यह अनुपालन न तो आश्वासन है और न ही प्रभावनीयता की कुशलता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते शर्मा एण्ड राव
चार्टर्ड एकाउन्टेट्स

हस्ता./–
के.एस.एस. शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 027181
फर्म रजि. सं. 005972S

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.05.2011

OFFICE ADDRESS :
Flat No. 302, IIIrd Floor, Raghu Towers, Dabagardens, VISAKHAPATNAM - 530 020. Andhra Pradesh
Telephone : 0891-2525957, 08924-222409, E-mail : sarma_rao@rediffmail.com

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अनुबंध–3

प्रबन्धन का उत्तर

सेवा में, सदस्य,
भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड
विशाखापट्ट्नम।

हमने 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार भारत हेवी प्लेट तथा वेसेल्स लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र, लाभ हानि खाते और नकद प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व केवल अपनी लेखापरीक्षा विवरणों के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानदंडों के अनुसार अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा इस प्रकार से की जाए कि उनमें किसी भी प्रकार का अनुचित विवरण न हो। लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के परीक्षण आधार पर जांच का कार्य किया जाता है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए अनुमानों का व्यापक रूप से उपयोग करके समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय को तर्कसंगत आधार प्रदान करेगी।

इस रिपोर्ट से हमारी पूर्व दिनांक 16 मई, 2011 की रिपोर्ट रद्द हो गई है।

कंपनी की 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखे, जिन्हें निदेशक बोर्ड ने अनुमोदित 16 मई, 2011 को हमने प्रमाणित किया है, उनकी समीक्षा सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद द्वारा की गई है और रिपोर्ट में निश्चित स्पष्टीकरण शामिल किए गए हैं :

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के प्रावधानों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

I. कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के उप अनुच्छेद (4ए) के अनुसरण में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार तथा कम्पनी की बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांच के अवसर पर जिसे हमने उचित समझा तथा हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण संलग्न अनुबंधों में दिया है।

II. ऊपर पैरा (i) में दिए गए अनुबंध में अपनी टिप्पणियों के अलावा हम यह भी सूचित करते हैं कि:

   क) हमने लेखापरीक्षा के प्रयोजन से अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं,

   ख) जहां तक कंपनी की बहियों की जांच का प्रश्न है, हमारी राय में कंपनी ने लागू कानून की अपेक्षानुसार अपनी बहियों का उचित रखरखाव किया है,

   ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुबंध के अनुसार है,

घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाते, नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 22 के उप अनुच्छेद 3ग) में उल्लिखित लेखांकन मानदंडों के अनुरूप हैं–

ड) कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 274 (1)(छ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

च) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुसूची 19 में लेखांकन नीतियों और व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षानुसार और जिस रूप में हम चाहते हैं उसके अनुसार तथा सामान्य रूप से स्वीकार्य सिद्धातों के अनुरूप सही और उचित विचार देते हैं।

(i) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों के तुलन पत्र के मामले में,

(ii) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के लाभ–हानि खाते के मामले में,

(iii) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के नकद प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते शर्मा एंड राव
चाट्रर्ड एकाउन्टेट्स

हस्ता./–
के.एस.एस शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 027181
फर्म रजि. सं. 005972S

दिनांक : 07 जुलाई, 2011
स्थान : विशाखापट्टनम

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुबंध

(सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित)

i) (क) कंपनी ने सामान्य तौर पर अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरों और स्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित दस्तावेज बनाए रखे हैं।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन ने वास्तविक सत्यापन के अपने चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार स्थायी सम्पत्तियों के एक भाग का सामान्य तौर पर वास्तविक सत्यापन कराया है, जिसे कम्पनी के अनुसार और व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए समुचित समझा जाता है और ऐसे सत्यापन पर कोई वास्तविक विरोधाभास नहीं देखा गया है।

(ग) कम्पनी ने अपनी स्थाई सम्पत्तियों के किसी भाग को बेचा नहीं है जिससे कि इसकी जारी स्थिति प्रभावित हो।

ii) (क) जैसाकि हमें स्पष्ट किया गया है, केवल ऐसे स्टॉक जिस पर कार्य प्रगति पर है तथा कुछ कार्यस्थल कार्यालयों पर परिष्कृत सामान के अलावा जहां इनका सत्यापन स्थापना विभाग की निरीक्षण रिपोर्टों और उत्पदान रिपोर्टों के संदर्भ में वर्ष के अंत में किया जाता है, वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर सतत् मालसूची के अन्तर्गत प्रबंधन द्वारा मालसूची का वास्तविक सत्यापन कराया गया है। संविदाकारों/फैब्रिकेटरों तथा अन्य पार्टियों के पास पडे स्टॉक के सम्बन्ध में केवल कुछ मामलों में ही पुष्टियां प्राप्त हुई थी। हमारी राय में सत्यापन की फ्रिक्वेंसी समुचित है।

(ख) हमारी राय में प्रबंधन द्वारा अपनायी जा रही मालसूची

की वास्तविक सत्यापन की प्रक्रियाएं कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय स्वरूप के दृष्टिगत सामान्य तौर पर समुचित और पर्याप्त हैं।

(ग) कम्पनी ने मालसूची के समुचित रिकार्ड रखें हैं और कम्पनी के आकार तथा प्रचालन स्वरूप के दृष्टिगत मालसूची के वास्तविक सत्यापन के समय पाई गई विसंगतियां मूर्त रूप में नहीं थी और इन्हें कम्पनी के बहीखातों में समुचित रूप में ठीक कर लिया गया था।

iii) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कवर कम्पनियां, फर्मों और अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित अथवा असुरक्षित नहीं प्राप्त किया है। तद्नुसार कम्पनी (लेखा परीक्षण की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 का खण्ड (iii) (ख) से (iii) (घ) चालू वर्ष के लिए कम्पनी पर लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कवर कम्पनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों से कोई ऋण सुरक्षित अथवा असुरक्षित नहीं लिया है। तद्नुसार, कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिर्पोट) आदेश, 2003 के पैरा 4 का खण्ड (iii) (च) से (iii) (छ) चालू वर्ष के लिए कम्पनी पर लागू नहीं है।

iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद तथा माल एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में कम्पनी के आकार तथा इसके व्यवसाय स्वरूप के समनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी की बहियों तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में बड़ी कमजोरियों को सुधार करने में लगातार असफल रहने के बारे में न तो पता चला है और न ही कोई सूचना मिली है।

v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय है कि वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित कोई संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं नहीं हैं जिनकी उस धारा के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने की जरूरत हो। तद्नुसार कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2003 के पैरा 4 का खण्ड (v) (ख) चालू वर्ष के लिए कम्पनी पर लागू नहीं है।

vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम की धारा 58ए तथा 58एए अथवा किसी अन्य संगत उपबंधो और उसके अन्तर्गत बनाई गई कम्पनी (जमाओं की स्वीकृति) नियमावली के तात्पर्य के भीतर वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार किया गया है।

vii) हमारी राय में कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली इसके व्यवसाय के आकार और स्वरूप के अनुसार सुदृढ़ किये जाने के अनुरूप है।

viii) केन्द्र सरकार ने व्यवसाय स्वरूप के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्ड का रखरखाव विहित नहीं है।

ix) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमें प्रस्तुत तथा हमारे द्वारा जांच की गई बहियों और रिकार्डों के बारे में हमारी राय में कम्पनी सामान्य तौर पर समुचित प्राधिकरण के साथ साथ अनुप्रयोग भविष्य निधि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सम्पत्ति कर, सेवाकर, उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य कोई सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को जमा कराने में नियमित रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2011 की यथास्थिति भुगतेय तारीख से छः माह से अधिक की अवधि के लिए आयकर, बिक्रीकर/वैट, सेवाकर उत्पाद शुल्क, शीमाशुल्क, उपकर तथा अन्य संविधिक देयों के संबंध में अविवादित राशि भुगतेय हो।

क्र. सं.	संविधि का नाम	देय राशि का स्वरूप	राशि (₹ करोड़ में)
1.	उत्पाद शुल्क	विक्रय आदेश आंकलन (सीओडी ने बीएचपीवी को सीईउएसटीएसी के पास आगे अपील करने की अनुमति नहीं दी)	2.73

प्रबंधन का उत्तर :
विषयगत देयता इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि सीओडी ने बीएचपीवी सीईएसटीएटी में मामला ले जाने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन इसे डीआरएस में अधित्याग/मांगी गई छूट की सूची में रखा गया है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्रीकर आयकर, उत्पाद शुल्क तथा उपकर का विवरण जो विवाद के कारण जमा नहीं कराए गए हैं निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	संविधि का नाम	देयों का स्वरूप	राशि (₹ करोड़ मे)	मंच जहां विवाद लम्बित है
1.	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम तथा कार्य संविदा कर अधिनियम	बिक्री कर तथा कार्य संविदा कर	4.14	प्रथम अपीलीय प्रधिकारी / उपायुक्त /आयुक्त
			0.87	न्यायाधिकरण
			0.05	उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय
2.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	3.01	आयुक्त (अपील)
			101.55	सीईएसटीएटी, बेंगलोर
3.	वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत सेवाकर	सेवा कर	0.17	आयुक्त (अपील)
			19.04	सीईएसटीएटी, बेंगलोर
	कुल		**128.83**	

x) कम्पनी को 31 मार्च, 2011 की यथास्थिति ₹ 26357.73 लाख की संचित हानि हुई है और इसे उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है और तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष में ₹ 733.89 लाख की नकद हानि हुई है।

xi) हमारे द्वारा जांच किए गए कम्पनी के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा डिबेन्चर धारकों को देय राशियों की अदायगी में कोई चूक नहीं की है। तथापि, कम्पनी ने अभी तक वर्ष 1998–99 के दौरान जारी बाण्डों को चुकता नहीं किया है।

प्रबंधन का उत्तर :

बीएफआईआर की संदर्भित की गई रुग्ण कंपनी होने के नाते कंपनी निधि की अत्यंत कमी का सामना कर रही है। अतः कुछ भुगतान नहीं किए जा सके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में ₹ 2.45 करोड़ की मूल राशि का भुगतान किया है। ₹ 8.94 करोड़ की मूल एवं ब्याज राशि (मूल धन ₹ 2.11 करोड़, ₹ 6.83 करोड़ का ब्याज) के लिए शेष आरक्षित बांड धारकों की देयता का प्रावधान लेखा बही में किया गया है।

xii) कम्पनी ने शेयरों डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति आधार पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं प्रदान किया है।

xiii) चिट फंड / निधि / म्युचुअल बेनिफट फन्ड / सोसाइटियों के लिए लागू किसी विशेष संविधा के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiv) हमारी राय में कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों के कार्य अथवा व्यापार से नहीं लगी है। तद्नुसार, कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड के उपबंध कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

xv) हमारी राय में तथा हमें प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्यों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

xvi) हमारी राय में तथा हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।

xvii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के तुलनपत्र की समग्र जांच किए जाने पर, हम सूचित करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

xvii) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कवर पार्टियों और कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।

xix) हमारी राय में कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

xx) कम्पनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इशू द्वारा कोई धन नहीं जुटाया है।

xxi) कम्पनी की बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच के दौरान, यह भारत में सामान्य रूप में स्वीकार्य लेखा परीक्षा प्रणालियों तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार की गई है, हमें वर्ष के दौरान कम्पनी पर अथवा कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया और न सूचना दी गई।

कृते शर्मा एंड राव
चार्टर्ड एकाउन्टेट्स

हस्ता./–
के.एस.एस शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 027181
फर्म रजि. सं. 005972S

दिनांक : 07 जुलाई, 2011
स्थान : विशाखापट्टनम

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक 07 जुलाई, 2011 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजातों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है। प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए लेखों के हिस्से के रूप में टिप्पणियों की टिप्पणी क्रम सं. 26 में यथा उल्लिखित अनुपूरक लेखापरीक्षा में अंकित मेरी लेखा परीक्षा टिप्पणियों के परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक में मुझे कुछ और नहीं कहना है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए और उसकी ओर से

हस्ता./–
(वाई.एन.ठाकरे)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक और
लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 01 अगस्त, 2011

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्रोद्भूत प्रद्धति तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी द्वारा निरंतर रूप में अपनाया जा रहा है।

2. स्थायी परिसंपत्तियां

क) स्थायी परिसंपत्तियां (राज्य से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि से भिन्न) अधिग्रहण या निर्माण अथवा संग्रहित मूल्यहास को घटाकर बही मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं।

ख) लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या बाजार कीमत, जो भी कम हो, में लिए गए पूंजी कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/ऋणों के संबंध में अवमूल्यन/पुनःमूल्यन जैसी असाधारण घटनाओं के प्रभाव को लागत में जोड़ा/घटाया जाता है।

ग) राज्य सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि का मूल्य 1 रुपये लगाया गया है, सिवाए इसके कि वह 16 जुलाई, 1969 के पश्चात न अधिग्रहित की गई हो, क्योंकि उस मामले में यह भूमि संबद्ध राज्य सरकार से पूंजी प्रारक्षित निधि में समतुल्य जमा द्वारा अधिग्रहण मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

3. वित्तीय पट्टा

क) पट्टे पर दी गई परिसंम्पत्तियां

i) विनिर्मित और पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों सामान्य विक्रय मूल्य/उचित मूल्य/संविदाकृत मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

ii) वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

iii) प्रारभिंक प्रत्यक्ष लागत पट्टा शुरू होने पर खर्च कर दी जाती है।

ख) पट्टे पर ली गई परिसंम्पत्तियां

i) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उचित मूल्य/एनपीवी /संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

ii) उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यहास पर लेखाकरण नीति के अनुसार समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। यदि पट्टा परिसंपत्तियां, पट्टा अवधि समाप्त होने पर पट्टादाता को वापस करनी है तो उनकी उपयोगी अवधि या पट्टा अवधि, जो भी अल्प हो, के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है।

iii) किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों से संबद्ध वित्त प्रभारों एवं बकाया देयता की कमी, में विभाजित कर दिया जाता है।

ग) प्रचालन पट्टा

i) पट्टे पर दी गई परिसंम्पत्तियां

विनिर्मित और प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां पंजीकृत की जाती हैं। उनसे होने वाली पट्टा आय को पट्टा अवधि में हुई आय माना जाता है।

ii) पट्टे पर ली गई परिसंम्पत्तियां

किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में हुआ व्यय माना जाता है।

4. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है, अगर

क. यह संभाव्य है कि भविष्य में परिसंपत्ति के कारण होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा, और

ख. कंपनी का परिसंपत्तियों पर नियंत्रण होगा, और

ग. इन परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है और ₹ 10,000 से अधिक है

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि में सीधी रेखा यथानुपात मासिक आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर के मामले में तीन वर्षों और अन्य के मामले में दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

i) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को होने वाले वर्ष में लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है।

ii) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक के अनुसार मानदंड पूरी करने वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास चरण के दौरान व्यय सहित विकास पर किए गए व्यय को अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

iii) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागतें

क) उधार लागतें, जो अर्हक परिसंपत्तियों के विनिर्माण, अधिग्रहण या निर्माण पर व्यय की जाती हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में शामिल की जाती है।

ख) अर्हक परिसंपत्ति वह होती है जो अभिप्रेत उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से बारह महीने से अधिक का समय लेती है।

ग) अन्य उधार लागतों को उस अवधि का व्यय माना जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

6. मूल्यहास

(i) स्थायी परिसंपत्तियों (संविदा के अधीन विदेशों में प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यहास, उसे छोड़कर जहां मूल्यहास, तकनीकी रूप से आकलित अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाता है, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी–रेखा विधि पर परिसंपत्तियों की कुल लागत तक प्रभारित किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है।

	एकल पाली	दोहरी पाली	तिहरी पाली
सामान्य संयत्र एवं मशीनरी	8.0 %	12%	16%
स्वाचालित/अर्ध–स्वचालित मशीनें			
स्वाचालित मशीनें	10.0 %	15%	20%
स्थापना उपकरण, पूजीगत औजार तथा साज–सामान	20 .0%		
टाउनशिप बिल्डिंग			
– द्वितीय श्रेणी	2.5 %		
– तृतीय श्रेणी	3.5 %		
रेलवे साइडिंग	8.0%		
लोकोमोटिव तथा वैगन	8.0%		
विद्युतीय संस्थापना	8.0%		
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	8.0%		
ड्रेनेज, सीवरेज तथा अन्य जल आपूर्ति	3.34 %		
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिग उपकरण	20.0%		

(ii) दीर्घावधिक संविदाओं के अनुसरण में भारत से बाहर प्रयुक्त स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यहास प्रारंभिक संविदा की अवधि के दौरान होता है।

(iii) ₹ 10,000 या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा उन परिसंपत्तियों, जिनका हासित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में ₹ 10,000 या कम है, का पूर्णतः मूल्यहास होता है। जहां तक, टाउनशिप भवनों का प्रश्न है, वहां प्रति मकान की लागत ₹ 10,000 की सीमा के लिए आधार है।

(iv) निर्माण/परियोजना स्थल पर सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत संविदा अवधि में पूर्णतः परिशोधित की जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युतीय संस्थापनाओं और इस प्रकार क अन्य समर्थकारी कार्यों (पूर्णतः अस्थायी निर्माण, लकड़ी के कार्य को छोड़कर) पर अवशिष्ट मूल्य के रूप में 10 प्रतिशत प्रतिधारित करते हुए उन्हें मूल्यह्रासित किया जाता है।

(v) लकड़ी के ढांचों जैसे पूर्णतः अस्थायी निर्माण कार्यों पर निर्माण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

(vi) पट्टाधारित भूमि और भवनों को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्यह्रास उनकी उपयोगी अवधि अथवा पट्टे की अवधि जो भी पहले हो, में होता है।

7. निवेश

क) दीर्घावधिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, ऐसे निवेशों में गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए व्यवस्था की जाती है।

ख) चालू निवेश लागत या उद्धृत/उचित मूल्य, जो भी कम है, पर किए जाते हैं। अउद्धृत चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं।

ग) निवेश की लागत में अधिग्रहण प्रभार जैसे, दलाली शुल्क तथा ड्यूटी शामिल है।

मौजूदा राशि में यदि कोई कमी होती है या किसी की पूर्ति होती है तो उसे लाभ और हानि में लेखा प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

8. मालसूची मूल्यांकन

(i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य जो भी कम हो, पर जाता है।

(ii) संयंत्रों में तैयार माल तथा जारी कार्यों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या वसूली योग्य मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(iii) संयंत्र में तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का अर्थ कारखाना लागत है, वास्तविक/अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।

(iv) कच्चे माल, संघटकों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारांकित औसत लागत है।

(v) क) 01.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए–

जहां संविदा की लागत के वर्तमान अनुमान और विक्रय मूल्य हानि दर्शाते हैं, वहां ऐसी संविदा के लिए प्रत्याशित हानि को तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है, चाहे कार्य शुरू हो गया है या नहीं।

ख) अन्य सभी संविदाओं के लिए–

जहां किसी संविदा का भाग होने वाली पृथक रूप से अभिज्ञात परियोजना की लागत और विक्रय मूल्य संबंधी वर्तमान अनुमान हानि दर्शाता है, वहां ऐसी परियोजना के संबंध में, जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है, प्रत्याशित हानि को मान्यता दी जाती है।

(ग) प्रत्याशित हानि निर्धारण में प्राप्त कुल आय पर विचार किया जाता है, जिसमें निर्यातों/माने गए निर्यातों पर प्रोत्साहन भी शामिल होते हैं।

(vi) उत्पादन आर्डरों के लिए खरीदे/विनिर्मित संघटकों और अन्य सामग्रियों, जिन्हें अथिशेष घोषित किया गया हो, को तकनीकी अनुमानों के आधार पर अवशिष्ट मूल्य प्रतिधारित करने हुए राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

9. राजस्व मान्यता

ग्राहक के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर बिक्री को दर्ज किया जाता है। बिक्री के अंतर्गत आंशिक शिपमेंट द्वारा ग्राहक को प्रेषित किया गया माल आता है।

क. 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए:

राजस्व को संविदा की कुल अनुमानित लागत पर सूचना तिथि तक व्यय की गई वास्तविक लागत की प्रतिशतता पर आधारित प्रतिशतता समापन विधि से मान्यता दी जाती है।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिए:

(i) लम्बे उत्पादन चक्र वाले मदों (गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑग्जिलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेट) के संबंध में बिक्री राजस्व को मान्यता तकनीकी अनुमानों पर दी जाती है। जब शिपमेंट का कुल मूल्य प्रापणीय मूल्य का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो उन पर प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर विचार किया जाता है। अन्यथा, उन पर वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, विचार किया जाता है। शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा के अधीन आपूर्ति पूरी हो जाने पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) संस्थापना तथा परियोजना प्रबंधन से आय पूर्णता की प्रतिशतता, अथवा अंतर्भूत मूल्य की गणना संविदा मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा समाप्त होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(iii) प्रदान की गई इंजीनियरिंग सेवाओं से प्राप्त आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर प्रापणीय मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(iv) बीएचईएल में निर्माण न किए गए उपस्कर/प्रणालियों और सिविल कार्य की आपूर्ति/निर्माण से प्राप्त आय की मान्यता ग्राहकों को किए गए प्रेषणों /परियोजना स्थल पर किए गए कार्यों पर आधारित होती है।

10. विदेशी मुद्रा लेन–देन के लिए लेखाकरण

विदेशी मुद्रा लेन–देनों को लेन–देनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है। लेन–देनों के निपटान और मौद्रिक मदों के रूपांतरण पर उत्पन्न हुए विनिमय अंतर को उस वर्ष जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, में आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

11. कर्मचारी लाभ

अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंशदान को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावे और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है। बीमांकिक देयता कर्मचारियों के संदर्भ में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में निर्धारित की जाती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति होने वाले वर्ष में यथानुपात मासिक आधार पर प्रभारित की जाती है।

12. कंपनी द्वारा/के विरुद्ध दावे

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेन–देनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के

संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आकलन के आधार पर लेखे में माना जाता है

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क की वापसी और बीमा के लिए दावे आदि प्राप्ति पर लेखे में लिए जाते हैं।

(iii) मूल्य वृद्धि दावे और/अथवा संविदा कार्य के परिवर्तनों के संबंध में देय राशियों को केवल तबी राजस्व के रूप में माना जाता है जब संविदाओं से ऐसे दावों अथवा भिन्नताओं की शर्तें हों और/अथवा ग्राहकों से उसकी स्वीकार्यता का साक्ष्य हो। तथापि वृद्धि अतिरिक्त मूल्य तक प्रतिबंधित होती है।

13. वारंटियों के प्रावधान

(i) 1.04.2003 को या उसके बाद किए गए निर्माण संविदाओं के लिए:

कंपनी जब कभी भी राजस्व को मान्यता देती है, उस समय उत्तरोत्तर राजस्व के 2.5 प्रतिशत पर वारंटी लागत देती है और इसे वारंटी अवधि में इसे यही बनाए रखती है।

(ii) अन्य सभी संविदाओं के लिए:

वर्ष के अंत में वारंटी के अंतर्गत संविदाओं के लिए संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है। एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति वाली संविदाओं के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(iii) सुधार कार्य पर वारंटी के दावे/व्यय को जब भी व्यय किया जाता है, प्राथमिक शीर्ष के अधीन लेखांकन किया जाता है और वर्ष के अंत में प्रावधानों पर प्रभारित किया जाता है।

14. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब उनकी वसूली की उचित निश्चितता हो।

अचल मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध अनुदानों को संगत परिसंपत्तियों की सकल लागत के अधीन समायोजित किया जाता है, जबकि गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध को पूंजी प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है। राजस्व सबद्ध अनुदान जब तक व्यय/हानियों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं किए जाते, तब तक उन्हें उस अवधि, जिससे वे राजस्व की समतुल्य लागत के सिद्धांत पर संबद्ध हैं, राजस्व के रूप में माना जाता है।

गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में अनुदानों को अधिग्रहण की लागत पर अथवा नाममात्र मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है, अगर वे निःशुल्क प्राप्त होते हैं।

तुलन पत्र
31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार

(₹ लाख में)

	अनुसूची सं.	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
निधियों के स्रोत					
शेयरधारक निधि:					
शेयर पूंजी	**1**	**3379.78**		3379.78	
मुख्य कार्यालय से निधियां	**1A**	**0.00**		0.00	
अन्तर प्रभाग लेखे (जमा शेष)	**1B**	**0.00**		0.00	
निगमित कार्या. की ओर से निधियां – सीसीसी लेखा (जमा शेष)	**1D**	**0.00**		0.00	
प्रारक्षित तथा अथशेष	**2**	**2.01**	**3381.79**	2.01	3381.79
ऋण निधियां					
रक्षित ऋण	**3**		**0.00**		183.11
अरक्षित ऋण	**4**		**26048.40**		26897.64
अस्थगित कर देयता	**19B**		**0.00**		
कुल			**29430.19**		30462.54
निधियों का उपयोग					
स्थायी परिसंपत्तिया					
सकल ब्लॉक	**5**	**8153.47**		8063.56	
घटाएं मूल्यहास/अदिनांक परिशोधन		**7712.57**		7602.65	
		440.90		460.91	
जोड़ें/घटाएं पट्टाः समायोजन लेखा		**0.00**		0.00	
घटाएंः विशेष क्षति		**0.00**		0.00	
निवल ब्लॉक		**440.90**		460.91	
चल रहा पूंजीगत कार्य	**6**	**0.00**	**440.90**	**0.00**	460.91
निवेश	**7**		**1.31**		1.31
अन्तर प्रभाग लेखे (प्रत्यक्षशेष)	**1C**				
निम्नलिखित कार्यालय की ओर से निधियां (प्रत्यक्षशेष)	**1E**				
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**19B**				
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम					
चालू परिसंपत्तियां	**8**				
मालसूची		**5257.09**		4569.06	
विविध देनदार		**9559.62**		9320.91	
नकद तथा बैंक शेष		**720.99**		1564.04	
अन्य चालू परिसंपत्तियां		**0.00**		0.00	
ऋण तथा अग्रिम	**9**	**8100.04**		7213.09	
		23637.74		22667.10	
घटाएः चालू देयताएं तथा प्रावधान					
चालू देयताए एवं प्रावधान					
चालू देयताए	**10**	**18295.21**		17792.52	
प्रावधान	**11**	**2712.28**		2109.55	
		21007.49		19902.07	
निवल चालू परिसंपत्तियां			**2630.25**		2765.03
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाली गई मात्रा)			**0.00**		0.00
लाभ व हानि लेखा शेष			**26357.73**		27235.29
कुल			**29430.19**		30462.54

लेखा टिप्पणियां:

अनुसूची 1 से 11,19, 20 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तुलनपत्र का एकीकृत भाग हैं।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
ए.एस.एस. शर्मा	**सुनित शोमे**	**पी.वी. श्रीधरन**	**ए. एस.नागराज**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (मा.सं.)	प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते शर्मा एंड राव
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता./–

के.एस. एस. शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 027181
फर्म रजि. न. 005972S

स्थान : विशाखापट्नम
दिनांक : 07, जुलाई, 2011

लाभ एवं हानि खाता
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

	अनुसूची सं	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
अर्जन					
कारोबार (सकल)	12	13697.54		10431.32	
घटाएं : उत्पाद शुल्क तथा सेवाएं		950.92		700.28	
कारोबार (निवल)			12746.62		9731.04
अन्य आय	12A		444.28		529.32
डब्ल्यूआईपी तथा एफजी में चल रहे कार्य (+)/(–) तैयार माल में वृद्धि/कमी	13		-105.78		-1052.14
अन्य प्रभागों को अन्तरित	14A				
अन्य प्रभागों को व्यय आवंटन (क्रेडिट शेष)					
			13085.12		9208.22
व्यय					
सामग्री की खपत, संस्थापना तथा इंजीनियरिंग व्यय	14		6644.88		4853.58
कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा लाभ	15		4661.20		4367.36
उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा					
विवरण संबंधी अन्य व्यय	16		1189.98		866.11
प्रावधान	17		236.05		14.45
ब्याज तथा अन्य उधार लागतें	18		140.14		-268.09
मूल्यहास तथा परिशोधन	5		109.92		125.80
घटाएं – आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्यों की लागत			0.00		0.00
			12982.17		9959.21
पूर्वावधि मदों तथा असाधारण मदों से पूर्व लाभ (हानि)			102.95		-750.99
असाधारण मदों से आय/व्यय	18A		774.77		
पूर्वावधि समायोजनों से लाभ (हानि)			877.72		-750.99
जोड़ें/(घटाएं) पूर्वावधि मदें (निवल)	18B		0.00		0.00
कर पूर्व लाभ/हानि			877.72		-750.99
घटाएं कराधान का प्रावधान	18C		0.00		0.00
चालू वर्ष के लिए			0.16		0.34
(संपदा कर के रूप में ₹ 0.16 लाख (गत वर्ष ₹ 0.34 लाख))					
- सीमांत लाभ कर					
- आस्थगित कर					
पिछले वर्षों के लिए					
- कर			0.00		108.36
कर उपरांत लाभ/हानि			877.56		-859.69
जोड़ें: पिछले वर्ष से लाया गया लाभ/हानि का शेष			-27235.29		-26375.60
घटाएं: बट्टाकृत की गई विदेशी प्रारक्षित निधि					
समायोजन के लिए उपलब्ध लाभ/हानि					
पीछे लाया गया विदेशी परियोजना आरक्षित			-27235.29		-26375.60
समायोजन के लिए उपलब्ध लाभ/हानि			-26357.73		-27235.29
घटाएं:– समायोजन					
- विदेशी परियोजना आरक्षित					
- बॉन्ड विमोचन आरक्षित					
- सामान्य आरक्षित					
- लाभांश (₹ शून्य अंतरिम लाभांश पिछले वर्ष ₹ शून्य सहित)					
- कॉर्पोरेट लाभांश कर (₹ शून्य पिछले वर्ष ₹ शून्य सहित)					
तुलनपत्र में लाया गया शेष			-26357.73		-27235.29

लेखा टिप्पणियां: 19, 20

अनुसूची 5, 12 से 20 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां लाभ एवं हानि खाते का एकीकृत भाग हैं।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
ए.एस.एस. शर्मा	**सुनित शोमे**	**पी.वी. श्रीधरन**	**ए. एस.नागराज**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (मा.सं.)	प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते शर्मा एंड राव
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता./–
के.एस. एस. शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 027181
फर्म रजि. न. 005972S

स्थान : विशाखापट्नम
दनांक : 07, जुलाई, 2011

नकद प्रवाह विवरण

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	**877.56**	-859.69
निम्नलिखित के लिए समायोजित		
वर्ष के लिए मूल्यहास	**109.92**	125.80
माल सूची में वृद्धि/कमी	**-688.03**	778.76
ऋण तथा अग्रिम में कमी	**-886.95**	719.61
देनदारों में वृद्धि/कमी	**-238.71**	-2784.05
अस्थगित राजस्व व्यय में वृद्धि/कमी	**0.00**	0.00
देयताओं में वृद्धि/कमी	**502.69**	-494.18
प्रावधानों में वृद्धि/कमी	**602.73**	460.16
योग	**-598.35**	-1193.90
क. प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	**279.21**	-2053.59
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	**-89.91**	-64.13
निवेशों में वृद्धि/कमी	**0.00**	0.00
ख. निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल निवल नकद	**-89.91**	-64.13
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
सुरक्षित ऋणो में वृद्धि/कमी	**-133.00**	22.33
असुरक्षित ऋणो में वृद्धि/कमी	**-124.58**	3218.74
भारत सरकार के ऋण की माफी	**-774.77**	0.00
ग. वित्तीय गतिविधियों से सृजित निवल नकद	**-1032.35**	3241.07
नकद तथा नकद समकरण में निवल वृद्धि	**-843.05**	1123.35
01 अप्रैल, 2010 की यथास्थिति नकद तथा नकद समकरण	**1564.04**	440.69
31 मार्च, 2011 की यथास्थिति नकद तथा नकद समकरण	**720.99**	1564.04

कृते निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
ए.एस.एस. शर्मा	**सुनित शोमे**	**पी.वी. श्रीधरन**	**ए. एस.नागराज**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (मा.सं.)	प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते शर्मा एंड राव
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ता./–
के.एस. एस. शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. 027181
फर्म रजि. न. 005972S

स्थान : विशाखापट्नम
दिनांक : 07, जुलाई, 2011

अनुसूची 1
शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
अधिकृत :		
₹ 1000 प्रत्येक के 3,50,000 इक्विटी शेयर	**3500.00**	3500.00
जारी, अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी :		
₹ 1000 प्रत्येक के 3,37,978 पूर्ण प्रदत्त (गत वर्ष 3,37,978) इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत तथा (₹ 1000 प्रत्येक के सभी 3,37,978 इक्विटी शेयर मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली तथा इसके नामित द्वारा धारित है)	**3379.78**	3379.78
योग	**3379.78**	3379.78

अनुसूची–1ए–1ई

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
1ए. मुख्य कार्यालय से निधियां	**0.00**	0.00
1बी. अंतर प्रभाग लेखा (क्रेडिट शेष)	**0.00**	0.00
1सी. अंतर प्रभाग लेखा (ऋण शेष)	**0.00**	**0.00**
1डी. सेन्ट्रल कैश क्रेडिट एकाउन्ट के अन्तर्गत निगमित कार्यालय की ओर से निधियां (क्रेडिट शेष)		
1ई. सेन्ट्रल कैश क्रैडिट एकाउन्ट के अन्तर्गत निगमित कार्यालय की ओर से निधियां (ऋण शेष)		
योग	**0.00**	0.00

अनुसूची 2
प्रारक्षित एवं अधिशेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति		31 मार्च, 2010 की यथास्थिति	
पूंजी प्रारक्षित				
प्रारंभिक शेष	**2.01**		2.01	
जोडें: परिवर्धन / समायोजन				
घटाएं: कटौतियां / समायोजन	**0.00**	**2.01**	0.00	2.01
शेयर प्रीमियम खाता				
विदेशी परीयोजना आरक्षित				
प्रारंभिक शेष				
जोडें: परिवर्धन / समायोजन				
घटाएं: कटौतियां / समायोजन				
बाण्ड विमोचन आरक्षित				
प्रारंभिक शेष				
जोडें: परिवर्धन / समायोजन				
घटाएं: कटौतियां / समायोजन				
सामान्य प्रारक्षित				
प्रारंभिक शेष				
जोडें: परिवर्धन / समायोजन				
घटाएं: कटौतियां / समायोजन				
लाभ व हानि खाता				
योग		**2.01**		2.01

अनुसूची 3
रक्षित ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
बैंकों से ऋण तथा अग्रिम		
नकद क्रेडिट (क्रेडिट शेष)	**0.00**	0.00
(कच्चे माल, संघटकों, स्टोर्स तथा स्पेयर्स, डब्ल्यूआईपी, एफजी, बुक डेबटस तथा अन्य चालू परिसम्पतियों को गिरवीं रखकर प्राप्त)		
पैकिंग क्रेडिट	**0.00**	0.00
(कच्चे माल, संघटकों, डब्ल्यूआईपी, एफजी तथा स्टोर्स को गिरवीं रखकर प्राप्त)		
नई बिल बाजार योजना	**0.00**	0.00
(कच्चे माल, संघटकों, डब्ल्यूआईपी, एफजी तथा स्टोर्स व मांग बिलों को गिरवीं रखकर प्राप्त)		
अन्य ऋण तथा अग्रिम		
डिबेन्चर्स/बॉन्डस (सहारा)	**0.00**	0.00
राज्य सरकारों से ऋण		
वित्तीय संस्थानों से ऋण		
प्रोदभूत ब्याज निम्न से बकाया		
राज्य सरकारों से		
वित्तीय संस्थानों/बाण्डों/अन्यों से	**0.00**	183.11
डिबेन्चर्स/बॉण्ड (सहारा)		
पैकिंग क्रेडिट		
योग	**0.00**	**183.11**

अनुसूची 4
अरक्षित ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति	31 मार्च, 2010 की यथास्थिति
अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम		
बैंकों से		
- वाणिज्य कागजात		
अन्यों से		
- कम्पनियां (बीएचईएल)	**25154.23**	25154.23
- वित्तीय संस्थान		
अन्य ऋण तथा अग्रिम		
बैंकों से		
- शिपमेंट पश्चात ऋण		
अन्यों से		
- भारत सरकार से	**0.00**	0.00
(एक वर्ष के भीतर देय.....लाख रुपये गत वर्ष..... लाख रुपये)		
- राज्य सरकार से		
- वित्तीय संस्थानों से		
(एक वर्ष के भीतर देय.....लाख रुपये गत वर्ष..... लाख रुपये)		
- विदेशी वित्तीय संस्थानों से		
(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)		
(एक वर्ष के भीतर देय.....लाख रुपये गत वर्ष..... लाख रुपये)		
- शिपमेंट पश्चात ऋण–एग्जिम बैंक		
- पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों के लिए ऋण		
- अन्य (पुराने प्रकीर्ण बॉण्ड)	**210.50**	455.50
प्रोदभूत ब्याज निम्न से बकाया		
- शिपमेंट पश्चात ऋण		
- सरकारी ऋण	**0.00**	0.00
- राज्य सरकार का ऋण		
- पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों के लिए ऋण		
- वित्तीय संस्थान/अन्य		
- विदेशी वित्तीय संस्थान		
- सार्वजनिक जमा		
- कम्पनियां (बीएचईएल)		
- अन्य (पुराने विविध)	**683.67**	1287.91
योग	**26048.40**	26897.64

अनुसूची–5
स्थायी परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास		निवल ब्लॉक		
	31.03.2010 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2011 को लागत	घटाएं: समायोजन लेखा	31.03.2011 समायोजित मूल्यह्रास	31.03.2011 को	31.03.2010 को	वर्ष के लिए ह्रास
फैक्टरी/कार्यालय काम्पलेक्स									
फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	16.41			16.41			16.41	16.41	
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)									
सड़के, पुल और पुंलियां निर्माण	24.82			24.82		16.72	8.10	8.50	0.40
भवन	979.43			979.43		870.61	108.82	121.55	12.73
पट्टाधारित भवन									
जल निकासी, जल–मल निकासी	44.23			44.23		36.15	8.08	9.03	0.95
रेलवे साइडिंग	18.38			18.38		18.38			
लोकोमोटिव तथा वैगन	16.61			16.61		16.16		0.45	0.45
प्लांट तथा मशीनरी	5134.71	28.16		5162.87		4997.25	165.62	195.04	57.58
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग	449.83	0.56		450.39		442.19	8.20	21.39	13.75
विद्युत संस्थापना	151.97			151.97		151.97			
निर्माण उपकरण	442.68			442.68		442.68			
वाहन	55.86			55.86		49.66	6.20	7.20	1.00
फर्नीचर और फिक्चर्स	213.02	4.38		217.40		205.44	11.96	10.72	3.14
कार्यालय तथा अन्य उपकरण									
10,000 रुपये तक की स्थायी परिसंपत्तियां									
पूंजीगत व्यय									
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां									
पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां									
- प्लांट तथा मशीनरी									
- ईडीपी उपकरण	34.24	56.81		91.05		26.12	64.93	26.26	18.14
- कार्यालय तथा अन्य उपकरण									
- अन्य									
कुल (क)	7582.20	89.91		7672.11		7273.79	398.33	416.56	108.14
टाउनशिप									
फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	7.68			7.68			7.68	7.68	
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)									
सड़के, पुल, पुलिया, निर्माण	20.05			20.05		9.93	10.12	10.45	0.33
भवन	387.50			387.50		365.90	21.60	22.65	1.05
पट्टाधारित भवन									
जल निकासी, जल–मल निकासी	21.57			21.57		18.40	3.17	3.57	0.40
प्लांट तथा मशीनरी									
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग									
विद्युत संस्थापना	35.37			35.37		35.37			
वाहन									
फर्नीचर और फिक्चर्स	9.19			9.19		9.19			
पट्टे पर लिया गया कार्यालय तथा अन्य उपकरण 10,000 रुपये तक की स्थायी परिसंपत्तियां पूंजीगत व्यय									
कुल (क)	481.36			481.36		438.79	42.57	44.35	1.78
कुल (क)+(ख)	8063.56	89.91		8153.46		7712.57	440.90	460.91	109.92
पिछले वर्ष	7999.43	64.13		8063.56		7602.65	460.91	522.58	125.80

अनुसूची–6
चल रहे पूंजीगत कार्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 की यथास्थिति	31 मार्च 2010 की यथास्थिति
चल रहे पूंजीगत कार्य–सिविल		
निर्माण स्टोर्स (मार्गस्थल सहित)		
प्लांट एवं मशीनरी तथा अन्य उपकरण		
- संस्थापना/फैब्रिकेशन/प्रतीक्षारत संस्थापना	**0.00**	0.00
- मार्गस्थ		
- मार्गस्थ पट्टा परिसंपत्ति		
विकासाधीन अप्रत्यक्ष संपत्तियां		
योग	**0.00**	0.00

अनुसूची–7
निवेश (लागत पर अनुद्धृत)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 की यथास्थिति		31 मार्च 2010 की यथास्थिति	
दीर्घावधि				
शेयरः				
अनुद्धृत (पूर्ण प्रदत्त)				
व्यापार				
मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड				
के ₹ 1000 के 126 इक्विटी शेयर		**1.26**		1.26
व्यापार के अलावा				
बीएचपीवी एम्पालाइज कम्ज्यूमर्स कोआपरेटिव लिमिटेड स्टोर्स				
के ₹ 10 प्रत्येक के 250 शेयर	**0.02**		0.02	
कफ परेड पर्सेपोलिस प्रोमिसेसे कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मुंबई				
के ₹ 50 प्रत्येक के 10 शेयर	**0.01**		0.01	
हिल व्यू को–आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि., मुम्बई मे पर्सपोलिस प्रिमिसेस				
को–आप. सोसाइटी लि. मुंबई के 50/– प्रत्येक (पूर्ण प्रदत्त) के 20 शेयर	**0.01**		0.01	
₹ 10 प्रत्येक के 50 शेयरों के आबंटन के लिए				
मैसर्स रीता एंटरप्राइसेस, मुंबई	**0.01**		0.01	
₹ 10 प्रत्येक के 50 शेयरों के आबंटन के लिए				
मैसर्स आशीष एंटरप्राइसेस, मुंबई	**0.00**	**0.05**	0.00	0.05
योग		**1.31**		1.31

अनुसूची–8
चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 की यथास्थिति		31 मार्च 2010 की यथास्थिति	
मालसूचियां @				
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)				
भंडार तथा स्पेयर पार्टर्स				
- उत्पादन	**290.70**		260.06	
- ईंधन भंडार	**7.13**		9.44	
- विविध	**211.20**	**509.03**	195.98	465.48
कच्चा माल तथा संघटक		**3655.06**		2836.06
मार्गस्थ सामग्री		**111.70**		111.58
फैब्रिकेटरों/ठेकेदारों के पास सामग्री		**0.00**		
खुले औजार		**21.51**		21.28
स्क्रैप (अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य पर)		**308.05**		365.44
तैयार माल		**11.35**		49.38
मार्गस्थ इंटर डिवीजन ट्रांसफर		**0.00**		0.00
इसमें शामिल है–				
सीईए द्वारा अनुवीक्षण किए जा रहे				
विभिन्न एसईबीज/एनटीपीसी				
(पूल सदस्य) की ओर से गैर–				
बीएचईएल स्पेयर्स के लिए ₹ लाख (गत वर्ष ₹ शून्य लाख रुपये)		**1570.45**		1638.20
		6187.15		5487.42
घटाएं: अचल स्टॉक के लिए प्रावधान		**930.06**		918.36
@ महत्वपूर्ण लेखाकरण पालिसी सं. 8 के अनुसार मूल्यांकित		**5257.09**		4569.06
विविध देनदार				
- छह महीने से अधिक के लिए बकाया ऋण राशि	**10601.36**		7871.33	
- अन्य ऋण (आस्थगित ऋण सहित)	**5162.83**		7798.10	
	15764.19		15669.43	
घटाएं: संदिग्ध ऋणों का प्रावधान	**6204.57**		6348.52	
घटाएं: आटोमैटिक मूल्य कटौती समायोजन लेखा	**0.00**	**9559.62**	0.00	9320.91
विविध देनदारों में आस्थगित ऋण शामिल हैं				
₹ 2418.00 लाख (गत वर्ष ₹ 3304.89 लाख)				
विविध देनदारों में प्रेषित माल बिलिंग शामिल हैं				
शून्य लाख रुपये (गत वर्ष ₹ 60.20 लाख)				
कुल		**9559.62**		9320.91
नकद तथा बैंक शेष				
उपलब्ध नकद तथा स्टाम्प		**13.58**		16.60
उपलब्ध चैक, डिमांड ड्राफ्ट				
मार्गस्थ प्रेषण				
अनुसूची बैंको में शेष				
- चालू खाता		**447.91**		379.57
- जमा खाता		**259.50**		1167.87
गैर–अनुसूचित बैंकों में शेष		**0.00**		
कुल		**720.99**		1564.04
अन्य चालू परिसंपत्तियां				
चालू परिसंपत्तियों का सार				
मालसूचियां		**5257.09**		4569.06
विविध देनदार		**9559.62**		9320.91
नकद तथा बैंक शेष		**720.99**		1564.04
अन्य चालू परिसंपत्तियां		**0.00**		0.00
		15537.70		15454.01

अनुसूची–9
ऋण तथा अग्रिम

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 की यथास्थिति		31 मार्च 2010 की यथास्थिति	
ऋण				
सहायक कम्पनियों को ऋण				
कर्मचारियों को ऋण				
ऋण पर जारी साम्रगी				
अन्यों का ऋण				
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण				
ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज तथा अन्य देय				
अग्रिम (नकद वसूलीयोग्य अथवा अन्य प्रकार से अथवा प्राप्त की वैल्यू के रूप में)				
सहायक कम्पनियों को				
कर्मचारियों को	**237.55**		206.10	
खरीद के लिए	**1818.01**		1823.57	
अन्यों से				
पूंजीगत व्यय के लिए		**2055.56**		2029.67
जमा				
राजस्व, बंदरगाह तथा अन्य सरकारी प्राधिकारियों	**2103.94**		2597.70	
के पास शेष	**308.59**	**2412.53**	255.22	2852.92
		4468.09		4882.59
घटाएं:– अंसदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान		**556.67**		552.93
		3911.42		4329.66
अन्य				
प्रीपेड व्यय		**5.70**		11.34
दावे तथा अन्य वसूलनीय :				
ग्राहकों के साथ	**2087.23**		2111.24	
अन्यों के साथ	**586.02**		891.45	
	2673.25		3002.69	
घटाएं: संदिग्ध ऋण दावों के लिए प्रावधान	**2404.34**	**268.91**	2404.34	598.35
आयकर वापसी देय		**330.42**		669.36
स्त्रोत पर काटा गया आयकर	**32.40**		34.61	
घटाएं: कराधान हेतु प्रावधान	**0.00**	**32.40**	0.00	34.61
स्त्रोत पर काटा गया संविदा कर		**1291.69**		1539.24
प्रोदभूत आय		**2249.04**		14.29
जमा तथा अन्यों पर प्रोदभूत ब्याज		**10.45**		16.24
योग		**8100.04**		7213.09

अनुसूची–10
चालू देयाताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 की यथास्थिति	31 मार्च 2010 की यथास्थिति
स्वीकृत	**0.00**	0.00
विविध देनदार		
- सूक्ष्म तथा लघु से कुल बकाया देय (ब्याज सहित)		
- अन्य विविध देनदार	**2845.31**	3183.80
ठेकेदारों तथा अन्यों से प्राप्त जमा राशि	**863.15**	805.39
दावा न किया गया लाभांश		
ग्राहकों तथा अन्यों से अग्रिम	**5676.07**	4164.61
अन्य देयताएं	**8910.68**	9638.72
प्रोद्भूत ब्याज तथा देय		
योग	**18295.21**	17792.52

अनुसूची–11
प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 की यथास्थिति	31 मार्च 2010 की यथास्थिति
लाभांश	**0.00**	0.00
कॉर्पोरेट लाभांश	**0.00**	0.00
अनुबंध दायित्व	**1121.64**	518.91
सेवानिवृति लाभ	**0.00**	0.00
अन्य	**1590.64**	1590.64
योग	**2712.28**	2109.55

अनुसूची–12
कुल कारोबार (सकल)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए
बिक्री रहित प्रतिफल (ग्राहकों को प्रेषण ₹ 8935.02 लाख सहित) गत वर्ष ₹ 4621.76 रुपये)	**13381.44**	9720.52
बाहय संस्थापना तथा अन्य सेवाओं से आय	**316.10**	710.80
निर्माण कार्य अनुबंध से राजस्व	**0.00**	0.00
योग	**13697.54**	10431.32

अनुसूची–12ए

क. अन्य प्रचालन आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए	
निर्यात प्रोत्साहन		**0.00**		0.00
पट्टेधारित परिसंपत्तियों पर किराया आय	**0.00**		0.00	
घटाएः पट्टा समकरण लेखा	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
रद्दी माल		**78.46**		230.63
बिक्री से प्राप्ति/अतिरिक्त स्टॉक का स्थानांतरण		**0.00**		0.00
अन्य		**234.08**		242.48
योग		**312.54**		473.11

ख. अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए
यूनिटों और बांडों की बिक्री से लाभ		
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	**0.00**	0.00
निवेश पर लाभांश (दीर्घावधि व्यापार)	**0.01**	0.00
विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	**0.00**	0.00
अन्य (अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से अनुदानों सहित)	**0.00**	0.00
योग	**0.01**	0.00

ग. ब्याज आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए
ग्राहकों से	**0.00**	0.00
कर्मचारियों से	**0.00**	0.00
बैंकों से	**57.76**	26.20
निवेश से (चालू व्यापार से इतर)	**0.00**	0.00
अन्तर प्रभाग सौदे (क्रेडिट शेष)	**0.00**	0.00
अन्य	**73.97**	30.01
स्रोत पर कर कटौती ₹ 6.07 लाख (गत वर्ष ₹ 1.99)		
योग	**131.73**	56.21
योग अन्य आय (क+ख+ग)	**444.28**	529.32

अनुसूची–13
चल रहे कार्य तथा तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी एवं स्क्रैप

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए	
ए. चल रहा कार्य				
अंतिम शेष	**1570.20**		1638.20	
प्रारंभिक शेष	**1638.20**	**-67.75**	2563.83	-925.63
ए. तैयार माल का स्टॉक :				
अंतिम शेष	**11.35**		49.38	
प्रारंभिक शेष	**49.38**	**-38.03**	175.89	-126.51
मार्गस्थ इंटर डिवीजन अंतरण				
योग (ए+बी)		**-105.78**		-1052.14
नोटः				
तैयार माल में उत्पादन शुल्क तत्व				
अंतिम शेष		**0.00**		0.00
प्रारंभिक शेष		**0.00**		14.12

अनुसूची–14
सामग्री की खपत, संस्थापना तथा इंजीनियरिंग व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए	
कच्चे माल तथा संघटकों की खपत	**6252.17**		3918.16	
घटाएंः अन्य प्रभागों को अंतरित	**0.00**	**6252.17**	0.00	3918.16
भंडार तथा पुर्जों की खपत	**183.34**		184.80	
घटाएंः अन्य प्रभागों को अंतरित	**0.00**	**183.34**	0.00	184.80
सामग्री में अंतरण				
अन्य सेवाओं में अंतरण				
स्थापना तथा इंजीनियरिंग व्यय		**209.37**		750.62
योग		**6644.88**		4853.58

अनुसूची–15
कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ	**2959.96**	3354.40
उपदान निधि में अंशदान	**776.28**	125.93
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**256.13**	268.76
सामूहिक बीमा	**0.00**	0.00
कर्मचारी कल्याण व्यय	**668.83**	618.27
योग	**4661.20**	4367.36

(₹ लाख में)

	2010-11	**2009-10**
निदेशक (प्रबंध निदेशक सहित)		
वेतन तथा भत्ते	**0.00**	0.00
भविष्य निधि में अंशदान	**0.00**	0.00
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.00**	0.00

उपर्युक्त के अलावा, प्रबंध निदेशक को कम्पनी के नियमों के अनुसार निजी उपयोग हेतु प्रभार आधार पर कम्पनी के परिवहन सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति है।

अनुसूची–16
विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण संबंधी अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए	
आवास परामर्श प्रभार				
रायल्टी तकनीकी प्रलेखन तथा अन्य परामर्श प्रभार				
किराया				0.23
उत्पाद शुल्क		**17.84**		9.98
विद्युत और ईंधन		**342.43**		269.90
दरें और कर		**-20.79**		23.00
सेवा कर				
विनिमय अंतर		**6.59**		-3.60
बीमा		**11.22**		15.29
मरम्मत - भवन	**86.29**		69.67	
मरम्मत - प्लांट तथा मशीनरी	**107.55**		63.41	
मरम्मत - अन्य	**25.93**	**219.77**	30.66	163.74
निर्यात आदेशों से संबंधित अन्य व्यय				
बट्टे खाते डाली गई निवेश हानि				
अशोध्य ऋण तथा बट्टे खाते डाली गई राशि				
बाहर ले जाया गया		**155.30**		64.40
यात्रा तथा वाहन		**32.04**		81.69
विविध व्यय		**425.58**		241.48
नकद छूट				
परिसमापन नुकसान चार्ज आफ किया गया				
गारण्टी शुल्क				
अंतरण के अंतर्गत प्रभागों को स्टोर के अंतरण कीमत अंतर				
दान				
कारपोरेट सामाजिक व्यय				
बाण्डों के उन्मोचन पर हानि/प्रीमियम				
पूंजीगत परिसंपत्तियों/नियत परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि				
योग		**1189.98**		866.11
मरम्मत में विभागीय रखरखाव पर किया गया व्यय शामिल नहीं है, जो कि निम्न प्रकार हैं				
भवन				
अन्य				
निर्यात पर एजेंसी कमीशन निर्यात संबंधी व्ययों में शामिल है				
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय		**63.25**		104.06
लेखापरीक्षकों को भुगतान (दावा किया गया निवल) सेवा कर ऋण				
- फीस		**1.23**		1.23
- व्यय		**0.73**		0.56
- आयकर मामलों में विदेश में लेखापरीक्षकों पर किए गए खर्च के (₹ शून्य गत वर्ष ₹ शून्य)				
- प्रमाणीकरण कार्य (₹ शून्य पिछले वर्ष ₹ शून्य)				
विदेशी लेखापरीक्षकों को				
- अन्य व्यावसायिक सेवायें				
(₹ शून्य पिछले वर्ष ₹ शून्य) विदेशी लेखापरीक्षकों को				
लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान				
मनोंरजन पर व्यय		**6.55**		3.67
विदेश यात्रा पर व्यय				
शून्य टूर (पिछले वर्ष शून्य टुर)				
प्रचार एवं जनसंपर्क पर व्यय				
वेतन भत्ते तथा अन्य लाभ	**18.25**		22.51	
अन्य व्यय	**13.49**	**31.74**	7.23	29.74
निदेशकों की फीस		**0.05**		0.98

अनुसूची–17
प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए	
संदिग्ध ऋण, अशोध्य नुकसान तथा ऋण एवं अग्रिम				
वर्ष के दौरान सृजित			407.51	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत किए गए	**143.94**	**-143.94**	729.70	-322.19
संविदात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	**895.50**		505.61	
घटाएं: वर्ष के दौरान सृजित किए गए	**292.77**	**602.73**	34.91	470.70
अन्य				
वर्ष के दौरान सृजित किए गए	**-222.74**		0.55	
घटाएं: वर्ष के दौरान पुरांकित किए गए		**-222.74**	134.61	-134.06
योग		**236.05**		14.45

अनुसूची–18
ब्याज तथा अन्य उधार लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए
निम्नलिखित पर ब्याज:		
बांड्स/डिबेंचर/केंद्रीय राज्य सरकार के साथ	**120.42**	260.19
बैंक/अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार	**0.00**	0.00
आस्थगित क्रेडिट	**0.00**	0.00
अंतर प्रभाग सौदे (प्रत्यक्ष शेष)	**0.00**	0.00
विदेशी वित्तीय संस्थान	**0.00**	0.00
अन्य	**19.72**	-528.28
अन्य उधार लागत		
योग	**140.14**	-268.09

अनुसूची–18ए
असाधारण मदें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए
आय	**774.77**	0.00
व्यय	**0.00**	0.00
योग	**774.77**	0.00

अनुसूची–18बी
पूर्वावधि समायोजन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए	
आय				
प्रतिफल को घटाकर बिक्री	**0.00**		0.00	
ब्याज आय/अन्य	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
व्यय				
कच्चेमाल तथा कम्पानेंट की खपत	**0.00**		0.00	
ब्याज	**0.00**		0.0	
विविध व्यय	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
पूर्वावधि समायोजन (निवल)		**0.00**		0.00

अनुसूची–18सी
कराधान के लिए प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए
चालू वर्ष के लिए		
- चालू वर्ष	**0.16**	0.34
(₹ 0.16 लाख वेल्थ कर (पिछले वर्ष ₹ 0.34 लाख सहित)		
- अनुषंगी लाभ	**0.00**	0.00
- आस्थगित कर	**0.00**	0.00
पूर्व वर्षो में		
- कर	**0.00**	108.36
- आस्थगित कर	**0.00**	0.00
	0.16	108.70

अनुसूची–19बी
आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसम्पत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए
आस्थगित कर परिसम्पत्ति	**0.00**	0.00
आस्थगित कर दायित्व	**0.00**	0.00
	0.00	0.00

अनुसूची – 19

तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. अनुबंधो की अनुमानित राशि, निवल अग्रिम राशि, पूंजीगत लेखे पर निष्पादन शेष राशि तथा प्रदान न की गई राशि ₹ 1358.00 लाख है (गत वर्ष शून्य)। उक्त में अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों का अधिग्रहण शामिल है।

2. भूमि तथा भवन में 380.48 एकड़ भूमि शामिल है जिसके लिए औपचारिक हस्तांतरण विलेख आंध्र प्रदेश सरकार के जी ओ संख्या एमएस 96 दिनांक 30.04.2007 तथा 696 तारीख 03.10.2008 के अनुरूप वर्ष 2008–09 के दौरान की स्थिति तक निष्पादित/पंजीकृत।

3. ₹ 10,000 तक की प्रत्येक स्थायी परिसंपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यहास के प्रावधान के लाभ–हानि खाते पर प्रभाव ₹ 8.54 लाख है। इसमें ₹ 10,000 तक की वृद्धियों पर प्रदान किया गया ₹ 7.35 लाख का मूल्यहास भी शामिल है।

4. ग्राहकों को विक्रय एवं प्रेषण में शमिल हैः

   (क) अनंतिम मूल्यों पर आधारित बिक्री शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

   (ख) अद्यतन दावे शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

   (ग) प्रोद्भूत आधार पर अद्यतन दावे शून्य (गत वर्ष शून्य)

   (घ) ग्राहकों के अनुरोध पर उनकी ओर से भेजें गए ₹ 1538.04 लाख के मूल्य उपस्करों के प्रेषण गत वर्ष ₹ 1492.54 लाख जिनके लिए कंपनी को भुगतान प्राप्त हो चुका है

5. आकस्मिक देयताएं

   कंपनी के विरुद्ध दावों, जो ऋण के रूप में नहीं मान गए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं–

   (क) आय कर अपील – शून्य लाख रुपये (गत वर्ष ₹ 644.77) जिसमें से विरोध/समायोजन के तहत रिफंड में से ₹ 231.04 लाख (गत वर्ष ₹ 231.04 लाख) का भुगतान किया गया। उपर्युक्त के अलावा, डी टी ए मामले से संबंधित ₹ 31.56 लाख की आयकर विभाग की अपील आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पास लंबित है।

   (ख) बिक्री कर मांग – ₹ 1152.28 लाख (गत वर्ष ₹ 1665.95 लाख) जिसमें विरोध स्वरूप/कोर्ट आदेश के अंतर्गत ₹ 646.20 लाख (पिछले वर्ष यह ₹ 1116.36 लाख का भुगतान किया गया।

   (ग) उत्पाद शुल्क मांग – ₹ 12378.29 लाख (गत वर्ष ₹ 12366.08 लाख) जिसमें से ₹ 59.85 लाख का भुगतान विरोध/कोर्ट आर्डर के कारण किया गया है। (गत वर्ष ₹ 59.85 लाख)

   (घ) सीमा शुल्क मांग – शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

   (ड) न्यायालय/मध्यस्थता मामले – ₹ 3458.14 लाख (गत वर्ष ₹ 2926.08 लाख)

   (च) निर्णीत हर्जाना – ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

   (छ) ठेकेदारों द्वारा कांउटर दावे –₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

   (ज) अन्य (कर्मचारी विवाद, कर्मचारियों तथा अंग्रेजी माध्यम से स्कूल स्टाफ को बढ़ाया वेतन सहित) – ₹ 8929.05 लाख (गत वर्ष ₹ 8929.05 लाख)

   (झ) एएस–29 मार्गनिर्देशों के अनुसार 31.03.2011 को बकाया बैंक गारंटी : ₹ 248.10 लाख (गत वर्ष ₹ 380.33 लाख)

   (ट) 31.03.2011 को बकाया कॉर्पोरेट गारंटी –₹ 2073.76 लाख (गत वर्ष ₹ 789.41 लाख)

6. 1.4.2001 से पूर्व पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के मामले में किराया संबंधी ब्यौराः ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य रुपये)

7. 1 अप्रैल, 2001 को अथवा इसके बाद पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का ब्यौराः

क.सं.	विवरण	वर्ष	पूंजीगत मूल्य
1	कम्प्यूटर पेरीफरल्स	2009–10	₹ 34.24 लाख
2	कम्प्यूटर पेरीफरल्स	2010–11	₹ 56.81 लाख

8. वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत राशि शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

9. निर्णीत हानि के लिए प्रावधान/आकस्मिक देयता तथा संविदात्मक दायित्वों के लिए प्रावधान की व्यवस्था कमर्शियल विभाग की सलाह के अनुसार प्रदान की गई/वापस ले ली गई।

10. एएस–18 के अनुसार संबंधित पार्टी लेन–देन–

    क) नियंत्रणाधीन संबद्ध पार्टियां (धारित कंपनी)

    पार्टी का नामः भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

    संबंध की प्रकृतिः धारित कंपनी

    ख) अन्य संबद्ध पार्टियां (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक)

    श्री एस.एस. गुप्ता, प्रबंध निदेशक, बीएचपीवी लिमिटेड (28.02.2011 तक),

    श्री ए.एस. नागराज, निदेशक (प्रचालन), बीएचपीवी लिमिटेड

श्री पी.वी. श्रीधरन, निदेशक (मा.सं.), बीएचपीवी लिमिटेड (09.11.2009 से)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	लेन–देन की प्रकति	धारित कंपनी अर्थात बीएचईएल	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
1	माल की खरीद	99.81	-
2	माल की बिक्री	9975.12	-
3	बीएचईएल को देय राशि	2590.88	-
4	बीएचईएल से देय राशि	2.40	-
5	बीएचईएल यात्रा व्यय	2320.72	-
6	लिया गया ऋण/अग्रिम	25154.23	-
7	वेतन तथा भत्ते	-	-

ग . 31.03.2011 तक बीएचपीवी में धारित कंपनी के 07 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं; वेतन तथा अन्य लागत का वहन धारित कंपनी द्वारा किया जाता रहा है।

11. वर्ष के अंत में चल रहे अनुबंध के संबंध में संशोधित एएस–7 के अनुसार वर्ष के लिए माने गए अनुबंध राजस्व के मामले में प्राप्त निर्माण अनुबंध से संबंधित प्रकटनः
    (क) वर्ष के लिए माना गया अनुबंध राजस्व ₹ 8731.32 लाख (गत वर्ष ₹ 5230.30 लाख)
    (ख) लागत व्यय तथा माना गया लाभ (घटाएं– मानी गई हानि) 13935.54 लाख रुपये (गत वर्ष ₹ 24157.69 लाख)
    (ग) प्राप्त अग्रिम राशिः ₹ 2471.16 लाख (गत वर्ष ₹ 1109.01 लाख)
    (घ) प्रतिधारण राशि (आस्थगित ऋण) ₹ 1637.82 लाख) (गत वर्ष ₹ 2672.27 लाख)
    (ड) उपयुक्त नेटिंग आफ के बाद ग्राहकों से देय राशि के संबंध में
    परिसंपत्ति के रूप में अनुबंध कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि ₹ 2008.47 लाख (गत वर्ष ₹ 6531.16 लाख)
    देयता के रूप में अनुबंध कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि ₹ 1012.11 लाख (गत वर्ष ₹ 1103.77 लाख)
    (च) आकस्मिकताएं– ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)
    (एएस)–7 के अनुसार 1 अप्रैल, 2003 को अथवा इसके बाद किए गए निर्माण अनुबंधों के मामले में कुल लागतों तथा कुल राजस्व का अनुमान। निर्माण अनुबंध वर्ष के दौरान कमेटी द्वारा पुनरीक्षित एवं अद्यतन किए जाते हैं तथा चालू वर्ष के खाते में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।
12. व्युत्पन्न लिखतों से संबंधित प्रकटन – शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)
13. सूक्ष्म तथा लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सप्लायरों से संबंधित प्रकटन–कंपनी ने सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्यम के रूप में 31 मार्च, 2011 तक की स्थिति के अनुसार अपने दर्जे का दावा करने वाले (सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सप्लायरों द्वारा अधिसूचित प्राधिकार के तहत भरा जाना अपेक्षित) से ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात, वर्ष के दौरान इस पार्टियों को भुगतान की गई/भुगतान की जाने वाली राशि शून्य रही।
14. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 9ए के अनुसार पहचाने गए राजस्व को सभी संबंधित आदेशों में अग्रेणीत किया गया।
15. शेष राशि की पुष्टि का अनुरोध भेज दिया गया था और पार्टियों के साथ समाधान जारी प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है।
16. लेखाकरण मानदंड 17, 20, 22, 27 तथा 28 और कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI के भाग IV की प्रकटन अपेक्षाएं।
    (क) लेखाकरण मानदंड–17 कंपनी टर्नकी अथवा अन्यथा आधार पर सिंगल प्राइमरी व्यवसाय अर्थात फैब्रिकेशन/संस्थापना में परिचालित होती है। कंपनी द्वारा निर्मित संघटक केवल इस प्रकार की परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए होते हैं। अतः, कंपनी किसी प्रकार के अलग प्रकटन की आवष्यकता महसूस नहीं करती।
    (ख) लेखाकरण मानदंड 20– प्रति शेयर अर्जन की गणना (ईपीएस) नीचे दी गई है:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	2010-11	2009-10
1	शेयरों की सं.	सं. 337978	सं. 337978
2	असाधारण मदों पर विचार करने से पूर्व लाभ/हानि	102.79	(-) 859.69
3	असाधारण मदों पर विचार करने से पूर्व ईपीएस	0.0003	(-) 0.002
4	असाधारण मदों पर विचार करने के बाद लाभ/हानि	877.56	(-) 859.69
5	असाधारण मदों पर विचार करने के बाद ईपीएस	0.0025	(-) 0.002

    (ग) लेखाकरण मानदंड 22– भावी करयोग्य आय की निश्चित उपलब्धता के न होने के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता की पहचान नहीं की जा सकी।
    (घ) लेखाकरण मानदंड–27– कंपनी का कोई संयुक्त उपक्रम नहीं है।

(ड) लेखाकरण मानदंड – 28 – एएस – 28 के अनुसार परिसंपत्तियों के नुकसान की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि परिसंपत्तियों के नुकसान पर संभावित हानि का कोई संकेत नहीं था।

(च) लेखाकरण मानदंड–5 के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का सही रूप से अनुपालन किया गया।

17. कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसूची VI के भाग IV से संबंधित सूचना संलग्न है (अनुसूची 20)।

18. कंपनी ने एएस 15 के प्रावधान लागू किया है और इसके अनुसार नकद एवं प्रोदभवन आधार पर उपदान तथा अवकाश वेतन बनाने की प्रणाली में परिवर्तन किया है। वास्तविक गणना के आधार पर उपदान के लिए ₹ 1706.27 लाख (गत वर्ष ₹ 1374.32 लाख) और छुट्टी वेतन के लिए 702.41 लाख रुपये गत वर्ष ₹ 1098.37 लाख की राशि प्रदान की गई है। छुटटी वेतन दायित्व को अल्पावधि दायित्व के रूप में समझा जाता है, और इसलिए गणन्य बीमांकन आधार पर की जाती है। वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपदान की गणना निम्नलिखित है–

(₹ लाख में)

क्रम सं.	उपदान राशि का ब्यौरा	उपदान	छुट्टी वेतन
1	प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	1374.32	1098.37
2	ब्याज लागत	109.94	87.87
3	चालू सेवा लागत	65.03	117.99
4	चालू सेवा लागत	-(443.90)	-(136.16)
5	दायित्व पर बीमांकक (प्राप्तियां)/हानि	600.86	(465.66)
6	अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	1706.27	702.41

19. विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं व्ययः विदेशी मुद्रा की प्राप्ति शून्य रही (गत वर्ष शून्य), कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 521.24 लाख रहा (गत वर्ष ₹ 1129.22 लाख)।

20. कंपनी निरंतर डब्ल्यूआईपी मूल्यांकन विधि का अनुसरण कर रही है। कंपनी भविष्य में लागत को नियंत्रित करने और लगाए गए अनुमान के भीतर कार्य करने के प्रति आश्वस्त है।

21. कंपनी अधिनियम, 1956 (कारोबार पर उपकर) के अनुच्छेद 441ए के अंतर्गत कंपनी द्वारा किसी प्रकार की राशि भुगतान/प्राप्तियोग्य नहीं है क्योंकि सेस के भुगतान से संबंधित नियमों को केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

22. वर्ष के दौरान विभिन्न बांडधारकों को बकाया देय को निपटाने के लिए सौदेबाजी की गई। इनमें से कुछ ने कंपनी के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और तदनुसार वर्ष के दौरान उन्हें देय राशि का भुगतान कर दिया गया। इस प्रक्रिया में ब्याज माफी के रूप में ₹ 774.77 लाख प्राप्त हुए, जिसे रिवर्स कर दिया गया।

23. वर्ष 2002–03 के वित्तीय परिणामों के आधार पर कंपनी को दिनांक 23 अगस्त, 2004 को बीआईएफआर को रेफर कर दिया गया था और बीआईएफआर द्वारा संदर्भ सं. 503/2004 द्वारा बीमार कंपनी घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2009–10 के अनुसार, बीआईएफआर बेंच के समक्ष 11.1.2010 तथा 03.03.2010 को सुनवाई हुई थी। कंपनी ने बीआईएफआर के निर्देशों के अनुसार आपरेटिंग एजेंसी (ओए) को फुल्ली टाइड अप ड्राफ्ट रिहैबिलिटेशन स्कीम (डीआरएस)' प्रस्तुत की थी। माननीय बीआईएफआर ने 21.10.2010 को हुई सुनवाई में डीआरएस का अनुमोदन कर दिया और अपने 10.11.2010 के आदेश के द्वारा योजना की स्वीकृति की सूचना दी।

24. कंपनी ने धारक कंपनी की नीति के अनुसार वर्ष के दौरान छुटी देयता तथा वारंटी के प्रावधान के लिए अपनी लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया है। लेखाकरण नीति में बदलाव के कारण लाभ एवं हानि खाते में जो प्रभाव पड़ा है वह इस प्रकार हैः

क्र. सं.	विवरण	प्रभाव ₹ लाख में	लाभ एवं हानि खाते पर ब्याज
1.	छुटी देयता	414.02	देयता में कमी के कारण लाभ में वृद्धि
2.	बारंटियों के लिए प्रावधान	348.73	प्रावधानों में वृद्धि के कारण लाभ में कमी
3.	एएस 7 बिक्री ऑर्डर के कुल कारोबार पर प्रभाव	415.39	कुल कारोबार में वृद्धि के कारण लाभ में वृद्धि

25 समूहित किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष की प्रस्तुतिकरण से तुलनीय बनाया जा सके और नजदीकी लाखों तक पूर्णांक में परिवर्तित किया जा सके।

26 भारत सरकार के 715/2008 के पत्र संख्या 1(11)/2004–पीई (IV) के संदर्भ में बीएचईएल के बीएमपीवी में अतिरिक्त पूंजी के रूप में ₹ 34 करोड़ डाले हैं। उपर्युक्त राशि की अतिरिक्त शेयर पूंजी से जारी करने से पहले अधिकृत पूंजी में वृद्धि की जानी है। निदेशक मंडल ने अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करने के लिए कंपनी के उद्देश्यों और कंपनी की अंतर्नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर ली है और प्रस्तावित संशोधनों के पुनरीक्षण के लिए भारी उद्योग विभाग के पास भेजने का निदेश दिया है। तदनुसार प्रलेखों को भारी उद्योग विभाग के पास पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है। भारी उद्योग विभाग से अनुमति प्राप्त होने तक शेयर पूंजी के रूप में बीएचईएल से प्राप्त राशि को अंतिम माना गया है और उसे तुलन पत्र में आरक्षित लेनदारों के अंतर्गत दिखाया गया है। 16.05.2010 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एवं 16.05.2011 को लेखापरीक्षकों द्वारा सत्यापित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते और लेखों के हिस्से के रूप में टिप्पणियों को, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन लेखापरीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया है। ये संशोधन हैं (क) ₹ के प्रतीक का समावेशन (ख) बिंदु संख्या 24 पर लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव को तालिका में दिखाना (ग) बीएचईएल से प्राप्त शेयर पूंजी अग्रिम के संबंध में बिंदु संख्या 26 के द्वारा अतिरिक्त प्रकटन (घ) अतिरिक्त सामान्य आम/ब्याज छूट के संबंध में नकद प्रवाह विवरण में प्रकटन।

2010–2011 के लिए प्रबंधन द्वारा वर्गीकृत एवं प्रमाणित मात्रात्मक एवं अन्य डाटा

1 कारोबार, अंतिम एवं प्रारंभिक स्टॉक

	कारोबार		अंतिम स्टॉक		प्रारंभिक स्टॉक	
	टन(ईक्यू)	₹ लाख में	टन(ईक्यू)	₹ लाख में	टन(ईक्यू)	₹ लाख में
i) उर्वरक, रसायन तथा	5204	4433	2	11	2	12
अन्य उपकरण	(965)	(4081)	(2)	(12)	(46)	(109)
ii) क्रायोजेनिक प्लांट तथा वेसेल्स	486	1222	0	0	0	0
	(785)	(1980)	(0)	(0)	(34)	(57)
iii) इंडस्ट्रियल बॉयलर्स	6684	7092	0	0	85	37
	(3351)	(3670)	(85)	(37)	(8)	(10)
कुल	**12374**	**12747**	**2**	**11**	**87**	**49**
	(5101)	(9731)	(87)	(49)	(88)	(176)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

2 खपत हुआ कच्चा माल, संघटक तथा भंडार एवं औजार

	2010–11		2009–10	
	मात्रा	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा	मूल्य (₹ लाख में)
क कच्चा माल तथा संघटक				
1. सीएस प्लेट (टन में)	**2823**	**1246**	1875	813
2. एसएस प्लेट (टन में)	**101**	**258**	47	164
3. सीएस ट्यूब्स (टन में)	**65971**	**450**	249	21
4. एसएस ट्यूब्स (मीटर में)	**3488**	**119**	3508	58
5. एचई ट्यूब्स (संख्या में)	**12161**	**808**	6006	414
6. अन्य आयरन और स्टील सामग्री संघटकों सहित		**3371**		2448
कुल क:		**6252**		3918
ख. भंडार तथा खुले औजार		**183**		185
कुल (क)+(ख)		**6435**		4103

(₹ लाख में)

	2010-11	2009-10
3. (क) आयात मूल्य (सीआईएफ)		
1. क. कच्चा माल तथा संघटक	**532**	1162
ख. मार्गस्थ सामग्री	**67**	0
2. स्पयेर्स	**16**	0
3. पूंजीगत समान	**0**	28
(ख) विदेशी मुद्रा व्यय (प्रावधान सहित)		
1 रायल्टी	**0**	0
2 इंजीनियरिंग शुल्क	**0**	0
3 तकनीकी ज्ञान	**0**	0
4 अन्य मामलें	**0**	0

	(₹ लाख में) 2010-11	2009-10
(ग) आयतित तथा स्वदेशी कच्चे माल, संघटकों तथा खपत हुए पुर्जो का ब्यौराः		
1. वर्ष के दौरान इस्तेमाल हुए संघटकों तथा पुर्जों सहित आयातित कच्चे माल का मूल्य	**468**	995
2. वर्ष के दौरान इस्तेमाल हुए संघटकों तथा पुर्जो सहित स्वदेशी सामग्री का मूल्य	**5967**	2923
कुल	**6435**	3918
3. मद (1) की प्रतिशत के कुल खपत	**7.27**	2540
4. मद (2) की प्रतिशत के कुल खपत	**92.73**	74.60
(घ) लाभांश के मामलें में विदेशी मुद्रा में प्रेषित राशि	**शून्य**	शून्य
(ड़) विदेशी मुदा में अर्जन		
1. सप्लाई (एफओबी)	**0**	0
2. सेवाएं	**0**	0

	अनुज्ञप्त क्षमता	संस्थापित क्षमता	प्रबंधन द्वारा प्रामाणित उत्पादन
4 लाइसेंसिस एवं संस्थापित क्षमता तथा उत्पादन (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित)	23,210 एमटी	23,210 एमटी	12289 एमटी
क) उर्वरक तथा रसायन उपकरण (नीचे ख में दिए गए विविध उत्पादों सहित)			
ख संस्थापित क्षमता के प्रभावी उपयोग हेतु लिए गए विविधीकृत उत्पाद			

	अनुज्ञप्त क्षमता	संस्थागित क्षमता	वास्तविक मात्रा (सं.)	उत्पादन एमटी (समकक्ष)
i) एयर तथा गैस पृथककरण प्लांट :				
क) 1000 एनएम^3/ घंटा तक लघु प्लांट	24 सं. }			
ख) 1000 एनएम^3/ घंटा तथा 17000 एनएम^3/ घंटा तक	4 सं. }			
ii) मल्टीलेयर वेसेल्स	₹ 96 लाख }			
iii) क्लोरीन तथा सल्फर डॉयऑक्साइड के लिए सिलिंडर	3000 सं. }			
iv) कंटीनुअस कुकिंग प्लांट आवश्यक एक्सेसरीज सहित	2 सं. }	उक्त (क) में शामिल		
v) पेपर उद्योग के इवापोरेशन यूनिट	2 सं. }			
vi) क्रायोबायोलॉजिकल कंटेनर्स	4000 सं. }			
vii) इंडस्ट्रियल बॉयलर्स 50 से 200 टीपीएच	6000 एमटी }		₹ 7055 लाख	6599 एमटी
viii) फिन्ड ट्यूब एयर कूलर्स	₹ 150 लाख }			

विविध उत्पाद मिक्स के कारण हीट एक्सचेंजरों, क्रायोजेनिक उपकरण तथा वाल्व ट्रे के मामले में इटेंसिटी फैक्टर 2 का उपयोग करके वास्तविक उत्पादन को समकक्ष टन में परिवर्तित किया गया। इसी प्रकार, खरीदे गए संघटकों तथा संस्थापना के मामले में कन्वर्जन फैक्टर 0.6 एमटी/₹ 1 लाख को लागू किया गया। अन्य उत्पादों के मामले में वास्तविक टन को माना गया। इस परिवर्तन विधि के लिए भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त की जा रही है।

भौतिक कार्यनिष्पादन को दर्शाने के लिए अधिक वास्तविक मानदंडों को अपनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऊपर (ख) में उल्लिखित विविध उत्पादों के मामले में 12289 एमटी (समकक्ष) उत्पादन में 6599 एमटी (समकक्ष) उत्पादन शामिल है आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्यों के मामले में शून्य है।

टिप्पणीः

मद (ख) में उल्लिखित अनुज्ञप्त क्षमता, संस्थापित क्षमता तथा उत्पादन को मद (क) में शामिल किया गया है।

तुलन–पत्र का सार कंपनी की सामान्य व्यावसायिक रूपरेखा

i) पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या | | | 1 | 2 | 0 | 2 | राज्य कोड | 0 | 1 |

तुलन पत्र | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |

दिन महीना वर्ष

ii) वर्ष के दौरान जुटाई गई (पूंजी राशि ₹ करोड़ में)

पब्लिक इश्यु शून्य	राइट इश्यु शून्य
बोनस इश्यु शून्य	प्राईवेट प्रतिस्थापना शून्य

iii) निधियों के संगहण व वितरण की स्थिति (राशि ₹ करोड़ में)

	कुल देयताएं 2 9 4 3 0	कुल परिसंपत्तियां 2 9 4 3 0
निधियों के स्त्रोंत	प्रदत्त पूंजी 3 3 8 0	प्रारक्षित तथा अधिशेष 2
	रक्षित ऋण 0	अनारक्षित ऋण 2 6 0 4 8
निधियों का प्रयोग	निवल स्थायी परिसंपत्तियां 4 4 1	निवेश 1
	निवल चालू परिसंपत्तियां 2 6 3 0	विविध व्यय (अस्थगित राजस्व व्यय N I L
	संचयी हानि 2 6 3 5 8	

iv) कंपनी का कार्यनिष्पादन (राशि लाख में)

करोबार 1 2 7 4 7	कुल व्यय 1 2 9 8 2
कर पूर्व लाभ 8 7 8	कर पश्चात लाभ 8 7 8
प्रति शेयर अर्जन N I L	लाभांश दर प्रतिशत N I L

v) कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (मौद्रिक रूप के अनुसार)

उत्पाद विवरण	मद कोड सं.
हीट एक्सचेंजस	8 4 1 9 0 0
प्रेशर वेसेल्स	8 4 7 9 1 0
एयर प्री हीटर बायलर	8 4 0 4 1 0

निदेशक मंडल के लिए और उनकी और से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
ए.एस.एस शर्मा	**सुनित शोमे**	**पी. वी श्रीधरन**	**ए. एस.नागराज**
सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (मा.सं.)	प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट

कृते शर्मा एंड राव
चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./–

के.एस.एस शर्मा
साझेदार
सदस्यता सं. : 027181
फर्म रजि. नं. 005972S

स्थान : विशाखापट्नम
दिनांक : 07 जुलाई, 2011

समेकित वित्तीय विवरण

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर निदेशक मंडल के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों (बीएचईएल) समूह के संलग्न समेकित तुलनपत्र की 31 मार्च, 2011 की और इनसे संबंधित उस वर्ष में समाप्त सम तारीख हेतु समेकित लाभ हानि लेखे और समेकित नकद प्रवाह विवरण की भी यथास्थिति जांच की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है और इन्हे अलग वित्तीय विवरणों तथा संघटक से संबंधित अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते और निष्पादन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धातों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही वित्तीय प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

हम सूचित करते हैं कि:

1. बीएचईएल में निम्नलिखित इकाइयों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा करायी गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में जहां तक परिसम्पत्तियों, राजस्व तथा ईकाईयों के लिए निवल नकद प्रवाह का संबंध है, यह पूर्ण रूप में अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(₹ करोड़ में)

संयुक्त रूप में नियंत्रित एन्टिटीज़ में शेयर

कम्पनी का नाम	परिसंपत्तियां	राजस्व	निवल नकद प्रवाह
क. सहायक कम्पनी			
भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसेल्स लिमिटेड	240.84	141.41	(-) 8.43
ख. संयुक्त उद्यम			
एनटीपीसी – बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	70.99	55.30	(-) 8.02
बीएचईएल – जीई गैस टरबाइन सर्विसेस प्रा.लि.	103.91	212.13	25.30

2. निम्नलिखित उद्यमों के संबंध में हमने लेखापरीक्षा नहीं की है। जहां तक हम संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल परिसंपत्तियों और राजस्वों का संबंध है, उन पर हमारी राय पूर्ण रूप से प्रबंधन द्वारा हमें यथा प्रस्तुत अंतिम वित्तीय विवरणों पर आधारित है। चूंकि 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इन संयुक्त उद्यमों के विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी अतः शेषों के लिए कोई परिवर्ती समायोजन संबद्ध समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव हो सकते हैं। तथापि समेकित वित्तीय स्थिति में संयुक्त उद्यम का आयकर संगत रूपों में महत्वपूर्ण नहीं है।

(₹ करोड़ में)

संयुक्त रूप में नियंत्रित एन्टिटीज़ में

कम्पनी का नाम	परिसंपत्तियाँ	राजस्व	निवल नकद प्रवाह
उडनगुडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	33.93	0.11	(-) 0.23
दादा धूनीवाले खंडवा प्रा. लि.	2.52	-	2.27
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	431.19	-	1.89

3. 19 जनवरी, 2011 को बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लि. नाम के अधीन एक सहायक कंपनी बनाई गई है। इक्विटी योगदान के सिवाय कोई प्रमुख वित्तीय गतिविधि नहीं की गई हैं इसके अलावा वित्तीय वर्ष 19 जनवरी, 2011 को शुरू हंआ और 31 मार्च, 2012 को समाप्त होगा, इसलिए लेखों को समेकित नहीं किया गया है।

4. पावर प्लांट पर्फ़ॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स लिमिटेड एवं बराक पावर प्राइवेट लिमिटेड, बीएचईएल के संयुक्त उपक्रम, के खातों को समेकित नहीं किया गया है, क्यों कि ये कंपनियाँ परिसमापन के अधीन हैं और निवेश मूल्य में कमी के लिए इक्विटी निवेश की पूरी राशि का प्रावधान किया गया है।

5. कम्पनी द्वारा वित्तीय विवरण दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस)–21 "समेकित वित्तीय विवरण" तथा एएस–27 "फाइनेन्सियल रिर्पोटिंग ऑफ इन्ट्रेस्ट्स इन ज्वायन्ट वेंचर्स" की अपेक्षाओं के अनुसार और समेकित वित्तीय विवरण में शामिल भारत हेवी इलेक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनी और संयुक्त उद्यम के अगल वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार की गई है।

6. उक्त पैरा 3 के अध्याधीन, हम सूचित करते हैं कि हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा उक्त पैरा 1 में यथा वर्णित अलग–अलग लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा पैरा–2 में यथा वर्णित अनन्तिम वित्तीय विवरणों पर विचार करने पर बीएचईएल ग्रुप के बारे में हमारी राय है कि उक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार सत्य और वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

(i) 31 मार्च, 2011 की यथास्थिति बीएचईएल समूह के कार्य स्थिति की समेकित तुलन पत्र के मामले में।

(ii) सम तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बीएचईएल समूह समेकित लाभ/हानि लेखे तथा लाभ के मामलों में और

(iii) सम तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बीएचईएल ग्रुप के समेकित नकद प्रवाह विवरण, नकद प्रवाह के मामले में।

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर एन नं. 000050एन

हस्ता./–
(सुरेश सेठ)
एम सं. 010577

कृते गान्धी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर एन नं. 000458एन

हस्ता./–
(भूपेन्द्र सिंह)
एम सं. 092867

दिनांक : 23 मई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्राद्भवन विधि तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए है, जैसा कि कंपनी द्वारा निरंतर रूप में अपनाया जा रहा है।

2. स्थायी परिसंपतियां

(क) स्थायी परिसंपतियां (राज्य से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि से भिन्न) अधिग्रहण या निर्माण अथवा संचयित मूल्यह्रास को घटाकर बही मूल्य पर प्राप्त की जाती है।

(ख) लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या बाजार कीमत, जो भी कम हों, में लिए गए पूंजी कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। स्थायी परिसंपतियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/ऋणों के संबध में अवमूल्यन/पुनःमूल्यन जैसी आसाधारण घटनाओं के प्रभाव को लागत में जोड़ा/घटाया जाता है।

(ग) राज्य सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि का मूल्य ₹ 1/– लगाया गया है, सिवाए इसके कि वह 16 जुलाई 1969 के पश्चात न अधिग्रहित की गई हो, क्यो कि उस मामलें में यह भूमि संबद्ध राज्य सरकार से पूंजी प्रारक्षित निधि में समतुंल्य जमा द्वारा अधिग्रहण मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

3. पट्टे (वित्तीय पट्टा)

क) (i) 01 अप्रैल 2001 से पूर्व पट्टे पर दी गई परिसंपत्तिया

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां सामान्य विक्रय–मूल्य/उचित मूल्य/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत की जाती है और उन्हे बिक्री के रूम में माना जाता है। उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण नीति के अनुसार समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। पट्टा किरायों के लिए समान प्रकार पट्टा समानीकरण लेखा के माध्यम से लिया जाता है। वित आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

(ii) 01 अप्रैल 2001 को अथवा उनके पश्चात पट्टे पर दी गई परिसंम्पत्तियां

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को समान्य बिक्री कीमत/उचित मूल्य/एनपीवी पर बिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है। वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है। प्रारंभिक लागत को पट्टे के शुरू होने पर खर्च माना जाता है।

ख) 01 अप्रैल 2001 अथवा उसके पश्चात पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों को उचित मूल्य/एनपीवी/संविदाकृत कीमत पर पूंजीकृत किया जाता है। उक्त पर मूल्यह्रास उस दर से प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण की नीति के अनुसार सम्पन किस्म की स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए लागू होता है। मूल्यह्रास पर नीति यदि पट्टा परिसंपत्तियां पट्टेदार को पट्टा अवधि समाप्त होने पर लौटायी जानी है, तो इसे प्रयुक्त अवधि अथवा पट्टा अवधि जो भी कम हो, के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के संबध में वित्त प्रभारों एवं बकाया देयता की कमी में विभाजित कर दिया जाता है।

प्रचालन पट्टा

पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां पूंजीकृत की जाती हैं। उनसे होने वाली पट्टा आय को पट्टा अवधि में हुई आय माना जाता है।

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में हुआ व्यय माना जाता है।

4. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

क) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियो को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है, यदि

(क) यह संभाव्य है कि भविष्य में परिसंपत्ति के कारण होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा, और

(ख) कंपनी का परिसंपत्तियों पर नियंत्रण होगा, और

(ग) इन परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है और ₹ 10,000 से अधिक है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि में सीधी रेखा यथानुपात मासिक आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर के मामले में तीन वर्षों और अन्य के मामले में दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

ख) (क) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को होने वाले वर्ष में लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक के अनुसार मानदंड पूरी करने वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास चरण के दौरान व्यय सहित विकास पर किए गए यय को अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

ग) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागते

उधार लागतें, जो अर्हक परिसंपत्तियों के विनिर्माण, अधिग्रहण या निर्माण पर व्यय की जाती हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में शामिल की जाती है।

अर्हक परिसंपत्ति वह होती है जो अभिप्रेत उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से बारह महीने से अधिक का समय लेती है। अन्य उधार लागतों को उस अवधि का व्यय माना जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

6. मूल्यह्रास

1) स्थायी परिसंपत्तियों (संविदा के अधीन विदेशों में प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यहास, उसे छोड़कर जहां मूल्यहास, तकनीकी रूप से आकलित अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाता है, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी–रेखा विधि पर परिसंपत्तियों की कुल लागत तक प्रभारित किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है –

	एकल पाली	दोहरी पाली	तिहरी पाली
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	8%	12%	16%
स्वाचालित/अर्ध–स्वचालित मशीनें	10%	15%	20%
स्थापना उपकरण, पूंजीगत औजार तथा साज–समान	20 %		
टाउनशिप बिल्डिंग			
– द्वितीय श्रेणी	2.5%		
– तृतीय श्रेणी	3.5%		
रेलवे साइडिंग	8 %		
लोकोमोटिव तथा वैगन	8 %		
विद्युतीय संस्थापना	8 %		
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	8 %		
ड्रेनेज, सीवरेज तथा जल आपूर्ति	3.34%		
इलेट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	20 %		

स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि/से कटौती के मामले में मूल्यह्रास प्रभार, यथानुपात मासिक आधार पर होता है,

(ii) दीर्घावधिक संविदाओं के अनुसरण में भारत से बाहर प्रयुक्त स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यहास प्रारंभिक संविदा की अवधि के दौरान होता है।

(iii) ₹ 10,000 या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा उन परिसंपत्तियों, जिनका हासित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में ₹ 10,000 या कम है, का पूर्णतः मूल्यहास होता है। जहां तक, टाउनशिप भवनों का प्रश्न है, वहां प्रति मकान की लागत ₹ 10,000 की सीमा के लिए आधार है।

iv) निर्माण/परियोजना स्थल पर सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत संविदा अवधि में पूर्णतः परिशोधित की जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युतीय संस्थापनाओं और इस प्रकार क अन्य समर्थकारी कार्यों (पूर्णतः अस्थायी निर्माण, लकड़ी के कार्य को छोड़कर) पर अवशिष्ट मूल्य के रूप में 10 प्रतिशत प्रतिधारित करते हुए उन्हें मूल्यहासित किया जाता है।

(v) लकड़ी के ढांचों जैसे पूर्णतः अस्थायी निर्माण कार्यों पर निर्माण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है।

(vi) पट्टाधारित भूमि और भवनों को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्यहास उनकी उपयोगी अवधि अथवा पट्टे की अवधि जो भी कम हो, में होता है।

बीजीजीटीएस के मामले में (50% जेवी)

स्थाई सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा यथा आकालित परिसम्पत्तियों के अर्थपूर्ण जीवन के लिए प्रत्यक्ष तरीका अपनाकर प्रदान किया जाता है। कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित मूल्यह्रास दरों को न्यूनतम दरें समझा जाता हैं। यदि परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के समय अथवा उक्त अनुसूची में परिकल्पित की तुलना में शेष उपयोगी जीवन कम है, तो उपयोगी जीवन / शेष उपयोग जीवन के प्रबंधन के आकलन के आधार पर मूल्यह्रास उच्च दर पर दिया जाता है। इस नीति के अनुसरण में, परिसम्पत्तियां पर मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा यथा आंकलित स्थाई परिसंम्पत्तियों के निम्नलिखित अर्थपूर्ण जीवन पर आधारित दरों के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसम्पत्ति की श्रेणी	आकलित अर्थपूर्ण जीवन (वर्ष)
प्लांट तथा मशीनरी	2–15
विद्युत संस्थापनाएं	3–10
सिविल स्ट्रक्चर	5–10
फर्नीचर तथा फिक्चर	1–8
कम्प्युटर	3
कार्यालय उपकरण	3–5

मूल्यह्रास का परिकलन परिसम्पत्तियें की खरीद/बिक्री माह से /तक के यथानुपात आधार पर किया जाता है। ₹ 5000/–से कम की अलग–अलग परिसम्पत्तियों खरीद वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित की जाती है।

रायचुर पावर कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में (50% जेवी)

विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास प्रत्यक्ष तरीका अपनाकर दिया जाता है। उन परिसम्पत्तियों के संबंध में जिसके लिए विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1956 में दरों का निर्धारण नही है, मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों पर प्रदान किया जाता है। परिसम्पत्तियों का मूल्सह्रास लागत की 90% तक किया जाता है और 10% अपशिप्ट मूल्य के रूप में रोक लिया जाता है। परिसम्पत्तियों के परिवर्धन पर मूल्यह्रास परिवर्धन की तारीख को देखे बिना पूरे वर्ष के लिए दिया जाता है।

एनटीपीसी – बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. के मामले में

स्थाई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्यक्ष तरीके से परिसम्पत्तियों की कुल लागत पर प्रभारित किया जाता है।

उडनगुडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित कुछ परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास सीधी लाइन पद्धति पर किया जाता है, जिसका आँकलन प्रबन्धन द्वारा किया जाता है। उच्च परिसंपत्तियों में मूल्यह्रास सीधी पंक्ति पद्धति पर कंपनी अधिनियम,1956 में निर्धारित दरों और रीति के अनुसार लगाया जाता है। अवधि के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आनुपातिक रूप में प्रमाणित किया जाता है। ₹ 5,000 मूल्य तक की खरीदी गई परिसंपत्तियों पर ₹ 100/–मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। प्रबन्ध निम्न मूल्य से परिसंपत्तियों के जीवन का अनुमान लगाती है:–

1.	अस्थायी शैड	1 वर्ष
2.	कम्प्यूटर वं पुर्ज़े	5 वर्ष

7. निवेश

(i) दीर्घावधिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, ऐसे निवेशों में गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए व्यवस्था की जाती है। चालू निवेश लागत या उद्धृत/उचित मूल्य, जो भी कम है, पर किए जाते हैं। अउद्धृत चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं। निवेश की लागत में अधिग्रहण प्रभार जैसे, दलाली, शुल्क तथा ड्यूटी शामिल है।

मौजूदा राशि में यदि कोई कमी होती है या किसी की पूर्ति होती है तो उसे लाभ और हानि में लेखा प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

8. मालसूची मूल्यांकन

(i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य जो भी कम हो, पर लिया जाता है।

(ii) संयंत्रों में तैयार माल तथा जारी कार्यों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या वसूली योग्य मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(iii) संयंत्र में तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का अर्थ कारखाना लागत है, वास्तविक /अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।

(iv) कच्चे माल, संघटकों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारांकित औसत लागत है।

(v) क. 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए जहां संविदा की लागत के वर्तमान अनुमान और विक्रय मूल्य हानि दर्शाते हैं, वहां ऐसी संविदा के लिए प्रत्याशित हानि को तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है, चाहे कार्य शुरू हो गया है या नहीं।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिए–

जहां किसी संविदा का भाग होने वाली पृथक रूप से अभिज्ञात परियोजना की लागत और विक्रय मूल्य संबंधी वर्तमान अनुमान हानि दर्शाता है, वहां ऐसी परियोजना के संबंध में, जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है, प्रत्याशित हानि को मान्यता दी जाती है।

ग. प्रत्याशित हानि निर्धारण में प्राप्त कुल आय पर विचार किया जाता है, जिसमें निर्यातों/माने गए निर्यातों पर प्रोत्साहन भी शामिल होते हैं।

(vi) उत्पादन आर्डरों के लिए खरीदे/विनिर्मित संघटकों और अन्य सामग्रियों, जिन्हें अथिशेष घोषित किया गया हो, को तकनीकी अनुमानों के आधार पर अवशिष्ट मूल्य प्रतिधारित करने हुए राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

बीजीजीटीएस के मामले में 50% संयंक्त उद्यम

ट्रेड किए गए स्टॉक का मूल्य न्यूनतम लागत और निवल प्राप्त पर निकाला जाता है। लागत का निर्धारण पहले खरीदी पहले बेची पद्धति पर किया जाता है।

9 राजस्व मान्यता

ग्राहक के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर बिक्री को दर्ज किया जाता है। बिक्री के अंतर्गत आंशिक पोतलदान द्वारा ग्राहक को प्रेषित किया गया माल आता है।

क. 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए:

राजस्व को संविदा की कुल अनुमानित लागत पर सूचना तिथि तक व्यय की गई वास्तविक लागत की प्रतिशतता पर आधारित प्रतिशतता समापन विधि से मान्यता दी जाती है।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिए:

(i) लम्बे उत्पादन चक्र वाले मदों (गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑग्जिलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेट) के संबंध में बिक्री राजस्व को मान्यता तकनीकी अनुमानों पर दी जाती है। जब शिपमेंट का कुल मूल्य प्रापणीय मूल्य का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो उन पर प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर विचार किया जाता है। अन्यथा, उन पर वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, विचार किया जाता है। शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा के अधीन आपूर्ति पूरी हो जाने पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) निर्माण और परियोजना प्रबंध सेवाओं को निम्नलिखित आधार पर मान्यता दी जाती है–

पूर्णता की प्रतिशतता, अथवा अंतर्भूत मूल्य की गणना संविदा मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा समाप्त होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(iii) प्रदान की गई इंजीनियरिंग सेवाओं से प्राप्त आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर प्रापणीय मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(iv) बीएचपीवी में निर्माण न किए गए उपस्कर/प्रणालियों और सिविल कार्य की आपूर्ति/निर्माण से प्राप्त आय की मान्यता ग्राहकों को किए गए प्रेषणों/परियोजना स्थल पर किए गए कार्यों पर आधारित होती है।

10. विदेशी मुद्रा लेन–देनों के लिए लेखाकरण

विदेशी मुद्रा लेन–देनों को लेन–देनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेषी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है। लेन–देनों के निपटान और मौद्रिक मदों के रूपांतरण पर उत्पन्न हुए विनिमय अंतर को उस वर्ष जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, में आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

11. अभिन्न वित्तीय प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को मूल रूप देना

(i) आय तथा व्यय की मदों को मूल्यह्रास के अलावा औसत दर पर मूल रूप दिया जाता है, जिसे तत्संबंध स्थायी परिसंपत्तियों के लिए अंगीकृत दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

(ii) मौद्रिक मदों को अन्य दरों पर मूल रूप दिया जाता है, ऐतिहासिक लागत पर चलाई जाने वाली गैर–मौद्रिक मदों को सौदे की तारीख को लागू दरों पर मूर्त रूप दिया जाता है, उचित मूल्य पर चलाई जाने वाली गैर–मौद्रिक मदों की उस विदेशी मुद्रा पर विनिमय दर पर मूर्त रूप दिया जाता है जो मूल्य निर्धारित किए जाते समय विद्यमान होती है।

(iii) सभी उदग्रहण भिन्नताओं को लाभ व हानि लेखा के लिए लिया जाता है।

बीजीजीटीएस (50% जेवी) मामलें में

वर्ष के अंत में पड़े बकाया के विदेशी मुद्रा जोखिम का बचाव करने के लिए आगे के लिए संविदाए दी जाती है। प्रत्येक संविदा के प्रारम्भ में ऐसी सभी संविदाओं हेतु प्रीमियम अथवा डिस्काउंट का संविदा की समय सीमा पर व्यय अथवा आय के रूप में परिशोधन किया जाता है। ऐसी अग्रिम संविदा पर निम्नलिखित के बीच विनिमय अंतर होता है (i) सूचित तारीख को अथवा समझौता की तारीख में जहां सौदे का इस अवधि के दौरान समझौता किया जाता है, विनिमिय दरों पर मूर्त रूप दिए गए संविदा की विदेशी मुद्रा राशि अंतर और (ii) अग्रिम विनिमय संविदा के शुरू होने की तारीख अथवा अंतिम सूचित तारीख के पश्चात मुर्त रूप दी गई समान विदेशी मुद्रा। ऐसी अग्रिम संविदा को रद्द करने अथवा नवीकरण करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लिए आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

12. कर्मचारी लाभ

अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंशदान को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावे और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है। बीमांकिक देयता कर्मचारियों के संदर्भ में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में निर्धारित की जाती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति होने वाले वर्ष में यथानुपात मासिक आधार पर प्रभारित की जाती है।

बीजीजीटीएस (50% जेवी) के मामले में

छुटटी नकदीकरण लागत का प्रावधान एक स्वतंत्र बीमांकन द्वारा किए तुलन पत्र तारीख के बीमांकन अंतर के आधार पर दिया जाता है।

13. कंपनी द्वारा/के विरूद दावें

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेन–देनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आकलन क
आधार पर लेखे में माना जाता है।

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क की वापसी और बीमा के लिए दावे आदि प्राप्ति पर लेखे में लिए जाते हैं।

(iii) मूल्य वृद्धि दावे और/अथवा संविदा कार्य के परिवर्तनों के संबंध में देय राशियों को केवल तभी राजस्व के रूप में माना जाता है जब संविदाओं से ऐसे दावों अथवा भिन्नताओं की शर्तें हों और/अथवा ग्राहकों से उसकी स्वीकार्यता का साघक्ष्य हो। तथापि वृद्धि अतिरिक्त मूल्य तक प्रतिबंधित होती है।

14. वारंटियों के प्रावधान

(i) **1.04.2003 को या उसके बाद किए गए निर्माण संविदाओं के लिएः**

कंपनी उत्तरोत्तर राजस्व पर के 2.5 प्रतिशत पर वारंटी लागत देती है, और जब इसे राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है और वारंटी अवधि में यही प्रतिशत बनाए रखा जाता है।

(ii) **अन्य सभी संविदाओं के लिएः**

वर्ष के अंत में वारंटी के अंतर्गत संविदाओं के लिए संविदात्मक दायित्वों का प्रावदान संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है। एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति वाली संविदाओं के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(iii) सुधार कार्य पर वारंटी के दावे/व्यय को जब भी व्यय किया जाता है, प्राथमिक शीर्ष के अधीन लेखांकन किया जाता है और वर्ष के अंत में प्रावधानों पर प्रभारित किया जाता है।

15. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब उनकी वसूली की उचित निश्चितता हो। अचल मूल्यहास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध अनुदानों को संगत परिसंपत्तियों की सकल लागत के अधीन समायोजित किया जाता है, जबकि गैर–मूल्यहास योग्य परिसंपत्तियों स संबद्ध को पूंजी प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है। राजस्व सबद्ध अनुदान जब तक व्यय/हानियों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं किए जाते, तब तक उन्हें उस अवधि, जिससे वे राजस्व की समतुल्य लागत के सिद्धांत पर संबद्ध हैं, राजस्व के रूप में माना जाता है। गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में अनुदानों को अधिग्रहण की लागत पर अथवा नॉमिनल मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है, अगर वे निःशुल्क प्राप्त होते हैं।

समेकित तुलन पत्र
31 मार्च, 2011 की यथास्थिति

(₹ करोड़ में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2011 की यथास्थिति		31 मार्च, 2010 की यथास्थिति	
निधियों के स्त्रोत :					
शेयरधारकों की निधियां					
शेयर पूंजी	1	**489.52**		489.52	
आरक्षित एवं अथषेष	2	**19665.56**	**20155.08**	15406.46	15895.98
ऋण निधियाँ					
रक्षित ऋण	3			1.83	
आरक्षित ऋण	4	**270.17**	**270.17**	146.47	148.30
			20425.25		16044.28
निधियों का उपयोग					
स्थायी परिसंपत्तियाँ					
सकल ब्लॉक	5	**8344.13**		6857.57	
घटाएँ: मूल्यह्रास/परिशोधन तिथि तक		**4734.24**		4234.54	
		3609.88		2623.03	
घटाएँ: पट्टा समायोजन लेखा		**0.18**		14.22	
निवल ब्लॉक		**3609.70**		2608.81	
कार्यशील पूंजी	6	**2202.77**	**5812.47**	1552.38	4161.19
पूर्व प्रचालन व्यय	7		**11.30**		5.94
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ शुद्ध (अनुसूची 19 का नोट सं. 22 देखें)			**2165.17**		1528.62
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम					
चालू पंरिसंपत्तियाँ	8				
मालसूचियाँ		**11017.49**		9283.78	
विविध लेनदार		**27510.46**		20792.61	
नकद तथा बैंक शेष		**9706.40**		9856.42	
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		**310.17**		407.27	
ऋण तथा अग्रिम	9	**3076.36**		2662.18	
		51620.88		43002.27	
घटाएँ:					
चालू देयताएँ और प्रावधान					
चालू देयताएँ	10	**31568.03**		28211.21	
प्रावधान	11	**7620.36**		4444.88	
		39188.39		32656.09	
निवल चालू परिसंपत्तियाँ			**12432.49**		10346.18
			0.06		
			3.76		2.36
			20425.25		16044.29
लेखे की टिप्पणियाँ	19				

अनुसूची 1 से 11, 19 और महत्त्वपूर्ण नीतियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(आई. पी. सिंह)
सचिव

हस्ता./–
(ओ. पी. भुटानी)
निदेशक (ई, आर एंड डी एवं वित्त)

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी सन्लग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन

हस्ता./–
(सुरेश सेठ)
साझेदार
सदस्यता सं. 10577

कृते गान्धी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000458एन

हस्ता./–
(भूपिंदर सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 092867

दिनांक : 23 मई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

समेकित लाभ–हानि लेखा
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपये करोड़ में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
अर्जन					
कारोबार (सकल)	12	**43635.73**		34453.80	
घटाएँ: उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर		**1781.07**		1299.32	
कारोबार (निवल)			**41854.66**		33154.48
ब्याज तथा अन्य आय	12A		**1710.51**		1662.99
चालू रहे कार्य तथा तैयार माल में वृद्धि/कमी	13		**126.18**		775.80
			43691.35		35593.27
व्यय					
खपत हुई सामग्री, संस्थापन तथा इंजिनियरिंग व्यय	14		**23366.65**		20863.03
कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	15		**5452.60**		6590.20
उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण के अन्य व्यय	16		**2556.68**		2084.01
प्रावधान (शुद्ध)	17		**2721.46**		-933.79
ब्याज तथा अन्य उधार लागतें	18		**56.38**		36.69
मूल्यह्रास तथा परिशोधन	5		**546.37**		460.26
घटाएँ: आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य			**68.51**		120.87
			34631.63		28979.53
			9059.72		6613.74
पूर्वावधि मद पूर्व लाभ			**7.75**		
जोड़ें/(घटाएँ) : पूर्वावधि मदें (निवल)	18A		**-1.79**		7.15
कर पूर्व लाभ			**9065.68**		6620.89
घटाएँ : कराधान का प्रावधान					
चालू वर्ष के लिए					
– चालू कर		**3730.32**		2020.78	
(संपदा कर ₹ 0.23 करोड़ सहित (गत वर्ष ₹ 0.14 करोड़))					
– आस्थगित कर		**-636.55**		312.39	
		3093.77		2333.17	
पिछले वर्षों के लिए					
– कर (विदेश में भुगतान किए गए ₹ 12.29 करोड़ आयकर सहित)		**0.00**			
(पिछले वर्ष ₹ 26.77 करोड़)		**-81.45**		-34.58	
– अनुसूची लाभ कर				-4.62	
			3012.32		2293.97
कर उपरान्त लाभ			**6053.36**		4326.92
जोड़ें: पिछले वर्ष से लाया गया लाभ/हानि शेष			**537.96**		562.07
पुरांकित विदेशी परियोजना प्रारक्षित निधि					1.39
समायोजन के लिए उपलब्ध लाभ			**6591.33**		4890.38
घटाएँ : विनियोजन					
– सामान्य प्रारक्षित निधि		**4002.87**		3002.52	
– लाभांश (पिछले वर्ष ₹ 660.04 करोड़)					
(गत वर्ष ₹ 550.13 करोड़)		**1541.81**		1155.81	
– कॉर्पोरेट लाभांश कर (गत वर्ष अन्तरिम लाभांश पर ₹ 109.63 करोड़) (पिछले वर्ष ₹ 93.49 करोड़)		**252.67**	**5797.35**	194.09	4352.42
तुलन पत्र में अग्रेणित शेष			**793.97**		537.96
प्रति शेयर मूल तथा विलयित (डाइल्यूटेड) अर्जन (₹ में) (देखें अनुसूची 19)			**123.66**		88.39
प्रति शेयर अंकित मूल्य			**10.00**		10.00
लेखों पर टिप्पणी	19				

विवरण 5.10 सं. 19 तथा समेकित लाभ व हानि लेखा के एक अन्तरण भाग के रूप में महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ
कुल आय में संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का हिस्सा ₹ 267.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 221.87 करोड़) शामिल है।
कुल आय में संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का हिस्सा ₹ 216.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 182.97 करोड़) शामिल है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	
(आई. पी. सिंह)	**(ओ. पी. भुटानी)**	**(बी. प्रसाद राव)**
सचिव	निदेशक (ई, आर एंड डी एवं वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी सन्लग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी	कृते गान्धी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन	**एफआरएन–000458एन**
हस्ता./–	हस्ता./–
(सुरेश सेठ)	**(भूपिंदर सिंह)**
साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 10577	सदस्यता सं. 092867

दिनांक : 23 मई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण
31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2009-10
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	**9065.68**	**6620.89**
समायोजन		
मूल्यह्रास/परिशोधन	546.69	460.46
पट्टा समानीकरण	-14.05	-27.00
प्रावधान (निवल)	628.04	799.45
पुनरांकित अशोध्य ऋण एवं एलडी	40.45	142.90
स्थाई सम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	-4.27	-0.30
भुगतान किया गया ब्याज	56.38	36.77
ब्याज/लाभांश आय	-647.34	-832.62
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ	**9671.58**	**7200.56**
निम्न के लिए समायोजन		
व्यापार तथा अन्य प्राप्तियाँ	-7468.18	-5609.91
माल सूची में वृद्धि/(कमी)	-1744.54	-1395.82
व्यापार देय तथा अग्रिम में वृद्धि/(कमी)	6083.41	3348.25
प्रचालन में प्राप्त नकदी	**6542.27**	**3543.08**
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर (... को छोड़कर)	-3843.17	-1912.98
प्रचालन गतिविधियों में इस्तेमाल की गई निवल नकद राशि	**2699.10**	**1630.10**
ख. वित्तीय गतिधियों से नकद प्रवाह		
स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीद	-2186.07	-1727.93
स्थाई परिसम्पत्तियों की बिक्री व निपटान	6.50	8.65
निवेशों की खरीद	-5.36	0.00
ब्याज और लाभांश प्राप्तियाँ	745.72	777.49
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**1439.21**	**941.78**
ग. वित्त गतिविधियों से नकद प्रवाह		
दीर्घावधि ऋण	129.22	-20.71
भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	-1473.81	-1106.36
भुगतान किया गया ब्याज	-65.31	-34.28
वित्तीय क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद	**1409.90**	**1161.35**
घ. नकद तथा नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि	**-150.01**	**-473.04**
नकद तथा नकद समतुल्य का अनुशेष	9856.42	10329.46
नकद तथा नकद समतुल्य का इतिशेष	9706.40	9856.42

नोट
1. नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकदी तथा बैंक शेष तथा बैकों में जमा आवधिक जमा सारी शामिल है
2. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया है। रिग्रुप/ पुनः व्यवस्थित किया गया है।
3. नकदी तथा नकदी समतुल्य में मनोनीत बैंकों में अदावाकृत लाभांश की ₹ 3.74 करोड़ (₹ 1.61 करोड़) की राशि शामिल है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(आई. पी. सिंह)
सचिव

हस्ता./–
(ओ. पी. भुटानी)
निदेशक (ई, आर एंड डी एवं वित्त)

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी सन्लग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन

हस्ता./–
(सुरेश सेठ)
साझेदार
सदस्यता सं. 10577

कृते गान्धी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000458एन

हस्ता./–
(भूपिंदर सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 092867

दिनांक : 23 मई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

अनुसूची 1
शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 की यथास्थिति		31.03.2010 की यथास्थिति	
अधिकृत				
₹ 10 प्रत्येक के 200,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 200,00,00,000)		**2000.00**		2000.00
जारी, अंशदान तथा प्रदत्त		**489.52**		489.52
₹ 10 प्रत्येक के 48,95,20,000 (गत वर्ष 48,95,20,000) जिसमे से नकद के अलावा विचारार्थ 7,41,11,200 शेयर (गत वर्ष 7,41,11,200) आवंटित और बोनस शेयर के रूप में 24,47,60,000 शेयर (गत वर्ष 24,47,60,000 शेयर) आवंटित		**489.52**		489.52

अनुसूची 2
प्रारक्षित निधि तथा अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2010 की यथास्थिति		31.03.2009 की यथास्थिति	
प्रारक्षित पूंजी				
प्रारंभिक शेष	**2.74**		2.74	
घटाएं मूल्यह्रास/समायोजन	**0.00**	**2.74**	0.00	2.74
विदेशी परियोजना प्रारक्षित निधि				
प्रारंभिक अथशेष	**0.00**		1.38	
घटाएं : मूल्यह्रास/समायोजन	**0.00**	**0.00**	1.38	0.00
समान्य प्रारक्षित निधि				
प्रारंभिक अथशेष	**14865.91**		11863.39	
जोड़े : लाभ तथा हानि लेखा से अंतरित	**4002.87**	**18868.78**	3002.52	14865.91
लाभ तथा हानि लेखा	**793.97**		537.96	
घटाएं : समायोजन	**-0.07**	**794.04**	0.15	537.81
		19665.56		15406.46

शामिल करें : **₹ 45.13 करोड़** (गत वर्ष ₹ 31.28 करोड़) संयुक्त रूप में नियंत्रित ईकाईयों का शेयर

अनुसूची–3
रक्षित ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 की यथास्थिति	31.3.2010 की यथास्थिति
डिबेंचर / बांड	**0.00**	0.00
वित्तीय संस्थानों से	**0.00**	1.83
पैकिंग ऋण / अन्य	**0.00**	0.00
	0.00	1.83

अनुसूची–4
अनारक्षित ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 की यथास्थिति	31.3.2010 की यथास्थिति
अल्पावधि ऋण		
बैंकों से	**93.11**	4.56
अन्यों से	**0.00**	1.01
कम्पनियों से	**6.43**	
– अन्य ऋण तथा अग्रिम		
(एक वर्ष के भीतर देय ₹ 53.55 करोड़ (गत वर्ष ₹ 47.42 करोड़))	**157.69**	122.44
प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
– राज्य सरकार का ऋण	**2.33**	2.33
– पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए ऋण	**3.75**	3.26
– वित्तीय संस्थान व अन्य	**6.86**	12.87
	270.17	146.47

इसमें **₹ 97.87 करोड़** (गत वर्ष ₹ 1.29 करोड़) संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची 5
स्थायी परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक
विवरण	31.03.2010 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/ समायोजन	31.03.2011 को लागत	पट्टा समायोजन लेखा	31.03.2011 तक मूल्यह्रास/ समायोजन	31.03.2011 को	31.03.2010 को	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/ परिशोधन
फ़ैक्टरी/कार्यालय कॉम्प्लेक्स	4.53	25.78		30.31			30.31	4.53	
फ्री–होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	6.15		0.10	6.05		0.38	5.67	5.74	0.01
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	13.07	2.34	0.06	15.35		3.54	11.81	9.68	0.22
सड़कें, पुल और पुलिया निर्माण	873.27	219.57	12.22	1080.62		382.82	697.80	563.49	83.87
भवन	3.31			3.31		1.28	2.03	1.90	0.05
पट्टाधारित भवन	18.65	0.54		19.19		10.97	8.22	8.10	0.42
जल निकासी, जल–मल निकासी	8.85	2.34		11.19		8.19	3.00	0.93	0.27
रेलवे साइडिंग	27.77	0.13		27.90		18.20	9.70	10.78	1.22
लोकोमोटिव तथा वैगन	3611.36	939.76	-367.11	4918.23		2903.94	2014.29	1181.26	308.98
प्लांट तथा मशीनरी	126.12	15.37	2.28	139.21		131.85	7.36	9.47	3.89
विद्युत सन्स्थापन	144.95	54.54	0.25	199.24		87.54	111.70	65.67	8.37
निर्माण उपकरण	533.94	42.82	387.33	189.43		113.91	75.52	260.36	24.03
वाहन	19.75	0.42	0.26	19.91		16.56	3.35	3.39	0.45
फ़र्नीचर ओर फ़िक्स्चर्स	26.95	5.70	0.15	32.50		11.79	20.71	16.88	1.80
पूंजीगत संपत्तियाँ	88.79	20.50	-1.64	110.93		65.97	44.96	28.20	4.89
₹ 10,000/– तक लागत की नियत परिसंपत्तियाँ	71.04	7.28	0.89	77.43		77.43			7.27
पूंजी व्यय	0.44			0.44		0.44			
पट्टे में परिसंपत्तियाँ	497.15			497.15	-0.18	492.82	4.15	4.53	14.36
...									
पट्टे पर ली गई ईडीपी उपकरण	227.41	73.75	12.57	288.59		149.76	138.83	105.38	53.51
पट्टे पर लिए गए अन्य उपकरण और कार्यालय	1.87	2.49	0.36	4.00		1.60	2.40	0.82	0.68
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ									
समेकन पर गुडविल	185.87			185.87			185.87	185.87	
– अतिरिक्त तौर पर विकसित									
अन्य	10.50	8.34	0.17	18.67		7.38	11.29	7.17	4.22
– **अन्य**									
सॉफ़्टवेयर									
पेटेन्ट्स तथा ट्रेडमार्क	106.59	8.90	0.51	114.98		98.55	16.43	23.51	16.03
तकनीकी ज्ञान	23.00	102.32		125.32		17.42	107.90	12.24	6.57
अन्य	8.80			8.80		8.80		0.04	
	6640.13	**1532.89**	**48.40**	**8124.62**	**-0.18**	**4611.14**	**3513.30**	**2509.94**	**541.11**
टाउनशिप/रेसिडेन्शल									
फ्री–होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	2.17			2.17			2.17	2.17	
पट्टेधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	1.99			1.99		0.56	1.43	1.45	0.02
सड़कें, पुल, पुलिया निर्माण	5.30	0.12	0.13	5.29		2.94	2.35	2.32	0.08
भवन	134.65	0.68	0.44	134.89		64.37	70.52	71.97	2.13
पट्टाधारित भवन	0.33		0.06	0.27		0.19	0.08	0.09	0.01
जल निकासी, जल–मल निकासी, जलापूर्ति	17.35	0.01		17.36		13.94	3.42	3.80	0.39
प्लांट एवं मशीनरी	16.14	0.48	0.04	16.58		10.17	6.41	6.98	1.05
विद्युत सन्स्थापन	17.29	0.19		17.48		14.45	3.03	3.22	0.39
वाहन	1.08			1.08		1.00	0.08	0.09	0.01
फ़र्नीचर और जुड़नार	0.76	0.06		0.82		0.30	0.52	0.51	0.06
पट्टे पर लिया गया कार्यालय तथा अन्य उपकरण	18.13	1.15	0.06	19.22		12.82	6.40	6.27	0.99
₹ 10,000/– तक की स्थायी परिसंपत्तियाँ	2.25	0.13	0.02	2.36		2.36			0.13
	217.44	2.82	0.75	219.51		123.10	96.41	98.87	5.26
फ़ैक्टरी तथा टाउनशिप का योग	6857.57	1535.71	49.15	8344.13	-0.18	4734.24	3609.71	2608.81	546.37
पिछले वर्ष	4533.56	1015.62	47.90	5501.28	-41.22	3795.25	1664.81	998.39	343.07
@ चालू वर्ष 2010–11 के लिए उपर्युक्त में आर एंड डी पूंजीगत मदों का विकास शामिल है।									
संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य उपकरण	251.63	52.36	0.38	303.61		205.72	97.89	71.38	23.25
भवन	23.68	2.12		25.80		14.71	11.09	9.83	0.66
भूमि									

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक में ₹ 49.99 करोड़ (गत वर्ष 38.75 करोड़ रुपये) की एवं अप्रयुक्त परिसंपत्तियाँ शामिल है।
31.03.2011 की स्थिति के अनुसार निवल ब्लॉक में ₹ 0.19 करोड़ (गत वर्ष 0.13 करोड़ रुपये) की बेकार एवं अप्रयुक्त परिसंपत्तियाँ शामिल है।
सकल ब्लॉक में अनुसन्धान तथा परिसंपत्तियों के लिए कार्यकारी एजेन्सी के रूप में परिसंपत्तियों की शरीद लागत के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल नहीं है।

2010-11	2009-10
30.81	30.81

कंपनी में स्वामित्व से बाहर परिसंपत्तियाँ में कोई हानि नहीं हुई।
वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में कोई हानि नहीं हुई।
सकल ब्लॉक में संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 26.97 करोड़ (गत वर्ष ₹ 10.92 करोड़) का शेयर शामिल है।
वर्ष के मूल्यह्रास में संयुक्त रूप नियंत्रित इकाइयों का ₹ 1.15 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹ 0.99 करोड़) का शेयर शामिल है।
संयुक्त नियंत्रित इकाइयों का सकल ब्लॉक में संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों को ₹ 18.49 करोड़ (₹ 2.92 करोड़) का शेयर शामिल है।

अनुसूची–6
चालू पूंजीगत कार्य (लागत पर)

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 की यथास्थिति	31.3.2010 की यथास्थिति
निर्माण कार्य प्रगति पर (सिविल)	**338.20**	239.45
निर्माण स्टोर (ट्रान्सिट सहित)	**13.13**	14.30
संयंत्र तथा मशीनों एवं अन्य उपकरण		
– इरेक्शन/फ़ैब्रिकेशन/इरेक्शन की प्रतीक्षा के अंतर्गत	**1339.68**	870.96
– मार्गस्थ में	**472.97**	400.96
– विकास के अधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	**10.36**	6.21
– पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	**28.42**	20.50
	2202.77	1552.38

संयुक्त रूप से नियन्त्रित परिसंपत्तियों का ₹ **440.59 करोड** शेयर (गत वर्ष ₹ 2.32 करोड़ शामिल हैं)।

अनुसूची–7
निवेश

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 की यथास्थिति		31.3.2010 की यथास्थिति	
दीर्घावधि निवेश (लागत पर)				
अनुबद्ध (पूर्ण प्रदत्त) शेयरः				
व्यापार				
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड में ₹ 38.95 प्रत्येक के 1402 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 360)	*		*	
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड में ₹ 1000.00 प्रत्येक के 126 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 126)	**0.01**		0.01	
एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ₹ 10 के 728960 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 728960)	**0.91**		0.91	
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (अनुसूची 19 को टिप्पणी संख्या 8 देखें) के प्रत्येक के 5000000 इक्विटी शेयर	**5.00**	**5.93**	5.00	5.93
सहायक कंपनियाँ				
भारत इलेक्ट्रिकल मशीन लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 51000 (पिछले वर्ष मूल्य) इक्विटी शेयर		**0.05**		
संयुक्त उद्यमी कंपनियाँ				
पावर प्लांट पर्फ़ॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड के ₹ 10/– तक के 1999999 (पिछले वर्ष 1999999) इक्विटी शेयर	**2.00**		2.00	
घटाएँः मूल्य में कमी के हेतु प्रावधान	**2.00**	**0.00**	2.00	0.00
– बराक पावर लिमिटेड के ₹ 10/– प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	**0.05**			
घटाएँः मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**0.05**			
गैर–व्यापार				
बीएचईएल हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड में ₹ 100 प्रत्येक के 3 शेयर	*		*	
बीएचपीवी एम्प्लॉईस कन्ज़्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड में ₹ 10 प्रत्येक के 250 शेयर	*		*	
कफ़ परेड पर्सोलिस प्रेमिसिस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई में ₹ 50 प्रत्येक के 20 शेयर	*		*	
हिल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई में ₹ 50 प्रत्येक के 20 शेयर	*	**0.01**	*	0.01
अग्रिम में प्रदत्त शेयर राशि				
₹ 10 प्रत्येक के 50 शेयरों के आबंटन के लिए मैसर्स रीता एंटरप्राइसस के शेयर राशि का अग्रिम भुगतान				*
₹ 10 प्रत्येक के 50 शेयरों के आबंटन के लिए मैसर्स आशीष एंटरप्राइसस, मुंबई को शेयर राशि का अग्रिम भुगतान				*
बीएचईएल इलेक्ट्रिक मशीन लि. (सहायक कंपनी)		**5.31**		
		11.30		5.94
* ₹ 1 लाख से कम मूल्य के		**11.30**		5.94
अनुद्धत निवेश का कुल मूल्य				

अनुसूची–8
चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 की यथास्थिति		31.3.2010 की यथास्थिति	
मालसूचियाँ @				
(प्रबन्धन द्वारा यथा प्रमाणित)				
भंडार तथा अतिरिक्त पुर्ज़े				
– उत्पादन	**184.21**		144.61	
– ईंधन भंडार	**20.64**		11.99	
– विविध	**29.19**	**234.04**	30.05	186.65
कच्चा माल तथा संघटक		**3891.54**		2922.02
मार्गस्थ सामग्री		**1447.39**		968.35
फ़ैब्रिकेटर्स / टेकेदारों के पास सामग्री		**237.09**		144.11
खुले औज़ार		**31.65**		25.38
रद्दी माल (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)		**73.40**		43.84
तैयार माल	**858.93**		600.32	
मार्गस्थ अन्तर–प्रभाग अन्तरण में	**177.95**		121.11	
इसमें शामिल हैं:				
– ₹ 4.36 करोड़ (गत वर्ष ₹ 3.74 करोड़)				
मार्गस्थ तैयार माल		**1036.88**		721.43
चल रहा कार्य		**4142.64**		4338.30
(उप–टेकेदारों के साथ वस्तुओं सहित		**11094.63**		9350.08
घटाएँ: गैरचालित स्टॉक के लिए प्रावधान		**77.14**		66.30
		11017.49		9283.78
@ संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों के लिए 1.96 करोड़ रुपये का शेयर				
(गत वर्ष ₹ 2.64 करोड़ शामिल हैं)				
विविध देनदान *				
– 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		**11679.65**		11344.16
– अन्य ऋण		**17944.85**		11014.96
		29624.50		22359.12
घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**1903.30**		1463.31
घटाएँ : स्वतः कीमत कटौती समायोजन		**210.74**		103.20
		27510.46		20792.61
असन्दिग्ध समझे गये ऋण जहाँ कम्पनी की कोई सेक्यूरिटी नहीं है				
संदिग्ध समझे गये ऋण और उनके लिए किया गया प्रावधान (एपीआर सहित)		**27510.46**		20688.75
		2114.04		1502.17
		29624.50		22190.92
* आस्थगित ऋण शामिल हैं		**10945.63**		7749.41
* प्रेषित माल की लंबित बिलिंग शामिल है		**1843.02**		1051.17

इसमें संयुक्त रूप से नियन्त्रित इकाइयों के प्रावधान को घटाकर **₹ 86.18 करोड़** (₹ 36..20 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची–8 (जारी)
चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 की यथास्थिति	31.3.2010 की यथास्थिति
नकद तथा बैंक शेष		
हस्तगत नकद तथा स्टाम्प	**1.60**	1.47
हस्तगत चेक तथा डिमांड ड्राफ़्ट	**433.95**	230.77
मार्गस्थ प्रेषण	**8.64**	35.83
अनुसूचित बैंकों में शेष		
चालू खाता	**980.97**	614.73
जमा खाता	**8256.88**	8967.86
गैर अनुसूचित बैंकों का शेष		
चालू खाता	**24.36**	5.76
	9706.40	9856.42
संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का ₹ **69.04 करोड़**		
(गत वर्ष ₹ 50.70 करोड़) का हिस्सा शामिल है।		
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
बैंक जमा राशियों और निवेशों से प्रोद्भूत ब्याज	**310.17**	407.27
	310.17	407.27
संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 0.54 करोड़ के शेयर		
(गत वर्ष ₹ 0.42 करोड़) का हिस्सा शामिल हैं		
चालू परिसंपत्तियों का सारांश		
मालसूची	**11017.49**	9283.78
विविध देनदार	**27510.46**	
नकद तथा बैंक शेष	**9706.40**	9856.42
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**310.17**	407.27
	48544.52	40340.08

संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का **₹157.72 करोड़** (गत वर्ष ₹ 89.98 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची–9

ऋण तथा अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 की यथास्थिति		31.3.2010 की यथास्थिति	
ऋण				
कर्मचारियों का ऋण	**0.05**		0.07	
ऋण पर जारी सामग्री	**10.05**		4.56	
अन्यों को ऋण	**10.62**		16.86	
ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज अथवा देय	**3.68**	**24.40**	4.96	26.45
अग्रिम (नकद अथवा वस्तु के रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्यों पर वसूली योग्य नकदी)				
कर्मचारियों को	**32.93**		26.99	
खरीद के लिए	**1504.24**		1155.73	
अन्यों को	**1102.31**	**2639.48**	931.67	2114.39
जमा राशि				
सीमाशुल्क, बन्दरगाह, अन्य सरकारी प्राधिकारियों के लिए शेष [(इसमें केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियों के साथ गिरवी रखी गई डाक घर पास बुक के ₹ 0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.03 करोड़) शामिल हैं)]	**299.18**		254.79	
अन्य	**236.29**	**535.47**	76.49	331.28
अग्रिम कर/टीडीएस (आय कर के लिए पिछले वर्ष के निवल प्रावधान ₹ 4259.54 करोड़ को छोड़कर)		**-**		256.35
		3199.35		2728.47
घटाएँ : सन्दिग्ध ऋण और शेष के लिए प्रावधान		**122.99**		66.29
		3076.36		2662.18
ऋण तथा अग्रिम राशि का विवरण :				
अच्छे समझे गये ऋण एवं अग्रिम कम्पनी जिनके बारे में पूर्ण आश्वस्त है		**12.01**		5.61
अच्छे समझे गये ऋण एवं अग्रिम कम्पनी जिनके लिए कम्पनी के पास कोई गारंटी नहीं है		**3064.35**		2677.07
सन्दिग्ध ऋण और अग्रिम तथा इसके लिए किए गए प्रावधान		**122.99**		66.29
		3199.36		2748.97
इसमें संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 15.33 करोड़** के (गत वर्ष ₹ 24.93 करोड़) का हिस्सा शामिल है।				
इसमें शामिल हैं :		*		*
कम्पनी के निदेशकों से देय		*		*
कम्पनी के अधिकारियों से देय		**0.12**		0.17
वर्ष के दौरान अधिकतम राशि		**0.21**		0.37

*** ₹1 लाख से कम राशि**

अनुसूची–10

चालू देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2011 की यथास्थिति		31.3.2010 की यथास्थिति	
स्वीकृतियाँ		**42.84**		42.30
विविध देनदार				
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बकाया देय राशियाँ	**312.63**		222.86	
– स्वीकृतियाँ	**9357.62**	**9670.25**	7387.00	7609.86
– ग्राहकों तथा अन्यों से जमा राशियाँ		**20437.91**		19239.16
– ठेकेदारों और अन्यों से जमा राशियाँ		**502.59**		442.62
– अदावाकृत लाभांश *		**3.74**		1.61
अन्य देयताएँ		**910.45**		875.13
प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं		**0.25**		0.53
		31568.03		28211.21

* निदेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अन्तरित की जाने वाले तुलन पत्र की तारीख पर कोई राशि देय अथवा बकाया नहीं है।
इसमें संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 87.64 करोड़** (गत वर्ष ₹ 45.61 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची–11

प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 की यथास्थिति	31.3.2010 की यथास्थिति
प्रस्तावित लाभांश	**881.77**	605.68
कॉर्पोरेट लाभांश कर	**143.05**	100.59
संविदात्मक दायित्व	**2997.00**	901.36
सेवानिवृत्ति लाभ	**2864.92**	2616.65
अन्य	**282.97**	220.60
आय कर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर/टीडीएस की 7,442.51 करोड़ रुपये की राशि को छोड़कर)	**450.65**	
कुल	**7620.36**	4444.88

इसमें संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 13.03 करोड़ (गत वर्ष ₹ 5.79 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची–12

कुल कारोबार (सकल)

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रतिफल को घटाकर बिक्री	**38548.94**	30514.90
बाह्य इरेक्शन तथा अन्य सेवाओं से आय तथा कार्य अनुबन्ध से राजस्व	**5086.79**	3938.90
कुल	**43635.73**	34453.80

इसमें संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 262.42 करोड़ (गत वर्ष ₹ 218.42 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची–12ए

क. अन्य प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
निर्यात प्रोत्साहन		**42.89**		44.71
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों से किराया आय	**0.93**		6.16	
जोड़ें : पट्टा समकरण लेखा	**14.05**	**14.98**	27.00	33.16
स्क्रैप		**272.46**		189.04
अधिशेष स्टॉक की बिक्री/अन्तरण से प्राप्तियाँ		**0.05**		0.59
अन्य		**353.20**		230.65
कुल (क)		**683.58**		498.15

ख. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	**4.27**	0.30
निवेश पर लाभांश (दीर्घावधि ट्रेड)	**14.99**	15.83
विनिमय अंतर प्राप्ति (निवल)	**100.33**	88.35
अन्य अनुसन्धान एवं विकास परियोजना पर भारत सरकार से प्राप्त ₹ 0.33 करोड़ (गत वर्ष शून्य करोड़ रुपये अनुदान सहित)	**274.98**	243.57
कुल (ख)	**394.58**	348.05

ग. ब्याज आय**

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहकों से	**0.01**	*
कर्मचारियों से	**0.01**	0.02
बैंकों से	**614.76**	777.50
अन्य	**17.57**	39.27
(कुल ग)	**632.35**	816.79
कुल अन्य आय **कुल (क + ख + ग)**	**1710.51**	1662.99

इसमें संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 5.03 करोड़** (गत वर्ष ₹ 3.79 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

** ₹ 1 लाख से कम राशि

** स्रोत पर कर कटौती 57.58 98.87

अनुसूची–13
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी तथा चल रहा कार्य

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
अंतिम शेष				
तैयार माल	**858.93**		600.52	
चल रहा कार्य	**4142.64**	**5001.57**	4338.11	4938.63
घटाएँ : अथशेष				
तैयार माल	**600.32**		521.09	
चल रहा कार्य	**4338.11**	**4938.43**	3639.05	4160.14
अन्तर–विभागीय अन्तरण		**63.04**		-2.69
नोट :		**126.18**		775.80
तैयार माल में उत्पाद शुल्क का तत्त्व				
अंतिम शेष		**81.96**		53.06
प्रारम्भिक शेष		**53.06**		35.24

इसमें संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों के **₹ 0.11 करोड** (पिछले वर्ष ₹ (–)0.34 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची–14
सामग्री की खपत, सन्स्थापना और इंजिनीयरिंग व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
कच्चे माल और संघटकों की खपत	**19542.83**	17454.37
भंडार और पुर्ज़ों की खपत	**473.81**	461.33
इरेक्शन तथा इंजीनियरी व्यय – अंशदाताओं को भुगतान	**3350.01**	2947.33
	23366.65	20863.03

इसमें संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 191.89 करोड़** (गत वर्ष ₹ 164.87 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची–15
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ	**4577.84**	4880.97
उपदान निधि में अंशदान	**224.85**	1020.85
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**272.25**	323.91
सामूहिक बीमा	**9.90**	10.23
कर्मचारी कल्याण व्यय	**367.76**	354.24
	5452.60	6590.20

इसमें संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का ₹ **9.28 करोड़** (गत वर्ष ₹ 6.69 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची–16
उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण पर अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
रॉयल्टी, तकनीकी प्रलेखीकरण, परामर्श प्रभार और अन्य परामर्श		
प्रभार	**135.38**	42.75
किराया	**81.51**	73.66
उत्पाद शुल्क (निवल)	**209.31**	94.96
बिजली और ईन्धन	**407.00**	341.29
दरें और कर	**38.31**	49.16
सेवा कर	**12.21**	7.14
बीमा	**109.36**	84.93
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
भवन	**54.87**	51.43
प्लांट तथा मशीनरी	**29.37**	20.59
अन्य	**119.96**	91.73
निर्यात ऑर्डरों से सम्बन्ध में अन्य व्यय	**33.14**	23.75
अशोध्य ऋण तथा बट्टाकृत राशि	**20.95**	37.13
बाह्य ढुलाई प्रभार	**359.55**	303.33
यात्रा और वाहन	**166.69**	147.99
विविध व्यय	**737.82**	604.09
प्रभारित किये गये निर्णीत हर्ज़ाने	**19.50**	105.77
दान	**0.18**	0.30
कॉर्पोरेट सामाजिक व्यय	**21.55**	4.01
	2556.68	2084.01

इसमें संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का ₹ **8.96 करोड़** (गत वर्ष ₹ 10.92 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची–17
उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण पर अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
सन्दिग्ध ऋण, निर्णीत हर्ज़ाने तथा ऋण और अग्रिम				
– वर्ष के दौरान सृजित	**730.86**		687.79	
– घटाएँ : वर्ष के दौरान पुरांकित	**242.14**	**488.72**	387.88	299.91
संविदात्मक दायित्व				
– वर्ष के दौरान सृजित	**2699.41**		365.11	
– घटाएँ : वर्ष के दौरान पुरांकित	**605.99**	**2093.42**	349.01	16.10
अन्य				
– वर्ष के दौरान सृजित	**166.14**		599.85	
– घटाएँ : वर्ष के दौरान पुरांकित	**26.82**	**139.32**	1849.65	-1249.80
		2721.46		-933.79

इसमें संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 3.98 करोड़** (गत वर्ष ₹ 0.21 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची–18
ब्याज तथा अन्य उधार लागतें

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित पर ब्याज		
बैंक/वित्तीय सन्स्थानों से ऋण	**31.91**	15.71
अन्य	**24.47**	20.98
घटाएँ : पूंजीकृत ऋण लागत	**0.00**	0.00
	56.38	36.69

इसमें संयुक्त रूप में नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 0.25 करोड़** (गत वर्ष ₹ 0.28 करोड़) का हिस्सा शामिल है।

अनुसूची–18ए
पूर्वावधि मदें

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	
आग				
प्रतिफल रहित बिक्री	**-1.74**		7.12	
प्रचालन आय (अन्य)			1.29	
ब्याज आय (अन्य)	**0.00**	**-1.74**	0.00	8.41
व्यय				
कच्चा माल तथा संघटकों की खपत	**0.24**		0.34	
मूल्यह्रास	**0.32**		0.20	
ब्याज			0.08	
विविध व्यय	**-0.51**	**0.05**	0.64	1.26
पूर्वावधि समायोजन (निवल)		**-1.79**		7.15

अनुसूची–19
लेखों पर समेकित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, (मूल कंपनी) तथा इसके 100 प्रतिशत स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी (भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड) तथा इसके संयुक्त उपक्रमों से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

   लेखाकरण का आधार:

   i) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण तथा संयुक्त उपक्रमों में इनके ब्याज को कंपनी की समान रिपोर्टिंग तारीख को बनाया जाता है।

   ii) समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानदंड (एएस) 21 – 'समेकित वित्तीय विवरण' तथा लेखांकन मानदंड (एएस 27) – 'संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार तैयार किए गए हैं।

   समेकन के सिद्धांत:

   (क) मूल कंपनी के वित्तीय विवरण तथा इसकी सहायक कंपनी लाइन दर लाइन आधार पर संयुक्त होती है जिसमें परिसपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों की बुक वैल्यू को जोड़ा जाता है। जोड़ने से पूर्व इन मदों में से इंट्रा ग्रुप बैलेंस तथा इंट्रा ग्रुप लेन–देन और वसूले न गए लाभ अथवा हानियों को लेखांकन मानदंड (एएस21) – 'समेकित वित्तीय विवरणों' के अनुसार पूरी तरह समाप्त किया जाता है।

   (ख) संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण लाइन दर लाइन विधि के अनुसार यथानुपात होते हैं जिसमें परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों को समेकन विधि से इसमें जोड़ा जाता है। जोड़ने से पूर्व इन मदों में से वसूले ने गए लाभ–हानि को लेखांकन मानदंड (एएस 27)– 'संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार यथानुपात रूप से समाप्त किया जाता है।

   (ग) समेकित वित्तीय विवरण लेन–देन तथा इसी प्रकार की अन्य स्थितियों जैसी समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किये जाते हैं। इन्हें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में किए विशेष उल्लेख आदि को छोड़कर कंपनी के अलग वित्तीय विवरणों की तरह प्रस्तुत किया जाता है।

   (घ) कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण के समय निवल परिसंपत्तियों में से सहायक कंपनी के निवेश में लागत का अंतर वित्तीय विवरणों में ख्याति अथवा पूंजीगत प्रारक्षित राशि, जैसा भी मामला हो, से देखा जा सकता है।

2. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित कम्पनियों के परिणाम शामिल हैं:–

कम्पनी का नाम	देश जहां पर निगमित की गई	31.03.2011 की यथास्थिति शेयरधारिता अनुपात (%)	31.03.2010 की यथास्थिति शेयरधारिता अनुपात (%)
सहायक कंपनी			
भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)	भारत	100	100
संयुक्त उपक्रम			
बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड	भारत	50 प्रतिशत से कम एक शेयर	50 प्रतिशत से कम एक शेयर
एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.	भारत	50	50
उडनगुड़ी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	भारत	50	50
दादा धूनीवाले खांउवा प्राजेक्ट	भारत	50	50
रायचूर पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	भारत	50	50

   (क) बीएचपीवी के वित्तीय विवरण 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित विवरण के आधार पर समेकित किए गए हैं।

   (ख) 19 जनवरी, 2011 को ''बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड'' के नाम से एक सहायक कंपनी निगमित की गई है, जो केईएल, केरल की कासरगोड इकाई की परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने के बाद रोटेटिंग व विद्युत मशीनों का उत्पादन किया जाएगा बीएचईएल का कंपनी में 51 प्रतिशत और केरल सरकार का 49: स्वामित्व है। कंपनी का प्रथम वित्तीय वर्ष 19.01.2011 से शुरू हुआ है और वह 31.03.2012 को समाप्त होगा। तदनुसार इस अवधि को 31.03.2012 को समाप्त अवधि के रूप में माना जाएगा और 2010–11 के वित्तीय वर्ष में इक्विटी अंशदान और निगमन औपचारिकताओं को छोड़कर अन्य कोई वित्तीय लेनदेन नहीं हुआ है।

(ग) बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस लिमिटेड, एवं एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एक संयुक्त कम्पनी, संयुक्त उद्यम कम्पनी में हिस्से की गणना 31.03.2011 की यथास्थिति वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर की जाती है।

(घ) पावर प्लांट परफार्मेंस इन्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल) एवं बराक पावर प्रा. लिमिटेड एक परिसमापनाधीन संयुक्त उपक्रम कंपनी है तथा पीपीआईएल में निवेश के प्रावधान पहले से ही किए जा चुके हैं। तथापि, पीपीईएल में ब्याज की गणना उक्त को देखते हुए समेकित वित्तीय विवरण में नहीं की गई है।

ड) उडनगुडी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड और रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गणना 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित पर की गई है।

च) दादा धूनीवाले खाण्डवा पावर लिमिटेड, बीएचईएल तथा एमपीपीजीसीएल का एक संयुक्त उद्यम, जिसे 25.02.2011 को निगमित किया गया। तदनुसार संयुक्त उद्यम में कम्पनी का हिस्सा की गणना 25.02.2011 से 31.03.2011 की अवधि के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित समेकित निवेश में की जाती है।

			2010-2011	**2009-2010**
3	अग्रिम को छोड़कर संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजीगत खाते में निष्पादित किया जाता है और जिनके लिए	₹ करोड़ में	**1361.91**	1656.12
	प्रावधान नहीं किया जा सकता है	₹ करोड़ में	**5.11**	33.77
4	भूमि तथा भवन में शामिल हैं			
	क) (i) एकड़ भूमि जिसके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/ लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	एकड़	**9039.33**	9029.39
	(ii) फ़्लैटों की संख्या, जिनके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	संख्या	**12**	36
	(iii) भवनों की संख्या, जिनके लिये औपचारिकता हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	संख्या	**1**	1
	(iv) स्टैम्प ड्यूटी (पहले से किए गए प्रावधान को छोड़कर) का भुगतान करने पर हिसाब में लिया जायेगा।	एकड़	**91.52**	71.44
	ख) एकड़ भूमि रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के विभागों तथा अन्य को छोड़कर लीज़ पर दी गई है	एकड़	**28.77**	28.77
	ग) एकड़ भूमि रक्षा मन्त्रालय को उपर्युक्त के लिये दी गई है जिसके लिये लाइसेन्स रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है	एकड़	**180.00**	180.00
	घ) एकड़ भूमि प्रतिफल कब्ज़े में है	एकड़	**97.25**	116.37
5	प्रत्येक ₹ 10,000 तक की अचल संपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास देने पर लाभ में प्रमाण इस प्रकार है जहाँ पर पूर्व पूर्व वर्षों में ऐसे ब्याज को विचार नहीं लिया जाएगा,			
	लेखा वर्ष में ₹ 10,000 की परिसंपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास को छोड़ लिया (चार्ज ऑफ़)	₹ करोड़ में	**10.10**	10.65
	उपर्युक्त पर सामान्य मूल्यह्रास	₹ करोड़ में	**2.99**	2.96
	अधिक राशि प्रभारित की गई	₹ करोड़ में	**7.11**	7.69
6	प्रतिफल को घटाकर बिक्री			
	क इसमें अंतरिम मूल्य पर आधारित शामिल है	₹ करोड़ में	**0.70**	20.38
	ख इसमें विक्रय संविदा के अनुसार किए गए दावे में वृद्धि प्रोद्भूत आधार पर, जहाँ तक नवीनतम सूचियाँ उपलब्ध हैं	₹ करोड़ में	**1388.54**	1108.07

	ग	इसमें वर्ष के दौरान रेलवे के साथ निर्णीत मूल्य के अनुसार पूर्व वर्षों में किए गए डिस्पैच के लिए अतिरिक्त दावे शामिल हैं ;	₹ करोड़ में	**0.00**	96.86
	घ	इसमें ग्राहक के अनुरोध पर उनकी ओर से रोके गए उन उपकरणों की डिस्पैच शामिल है, जिसके लिए कंपनी को भुगतान प्राप्त हो चुका है; और	₹ करोड़ में	**112.37**	15.71
	च	इसमें संविदा की शर्त के अनुसार डिलीवरी में देरी के लिए मूल्य में कमी शामिल नहीं है (रिफ़ंड को छोड़कर) शामिल नहीं हैं	₹ करोड़ में	**13.94**	23.01
7	आकस्मिक देयताएँ				
क	कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना				
i)	क	आय कर लंबित अपील	₹ करोड़ में	**35.59**	32.46
	ख	जिनके लिए विरोध स्वरूप भुगतान किया और यह जमा अन्य' शीर्ष में शामिल है	₹ करोड़ में	**2.65**	2.36
ii)	क	विक्रय कर मांग	₹ करोड़ में	**521.61**	353.46
	ख	जिनके लिए विरोध स्वरूप भुगतान किया गया और यह ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल है	₹ करोड़ में	**99.43**	77.03
iii)	क	सीमा शुल्क मांग	₹ करोड़ में	**339.92**	196.71
	ख	जिसके लिए भुगता किया गया और यह ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल है	₹ करोड़ में	**9.01**	5.01
iv)	क	सीमा शुल्क मांग	₹ करोड़ में	**0.21**	0.21
	ख	जिसके लिए भुगता किया गया और यह ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल है	₹ करोड़ में	**0.06**	0.06
v)	क	न्यायालय एवं मध्यस्थता मामले	₹ करोड़ में	**409.66**	254.55
vi)	क	निर्णीत हर्जाने	₹ करोड़ में	**1401.11**	1287.94
	ख	निर्णीत हर्जाने vi) क में शामिल एलडी के लिये	₹ करोड़ में	**825.70**	730.57
vii)	क	संविदाकारों के प्रतिदावे	₹ करोड़ में	**0.61**	0.61
viii)	क	सेवा कर	₹ करोड़ में	**216.57**	108.58
	ख	जिनके लिये विरोध स्वरूप भुगतान किया गया	₹ करोड़ में	**0.22**	0.22
ix)	अन्य		₹ करोड़ में	**209.87**	59.99

(विभिन्न न्यायालय मामले और ... तथा कंपनी द्वारा विवादित दावों को ध्यान में रखते हुए सन्साधनों के बाह्य प्रवाह के रूप में वित्तीय प्रमाण मा आँकलन इस चरण पर नहीं किया जा सकता)।

8 बैंकों से नकद ऋण सीमा कुल ₹ 600 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100 करोड़) है तथा बैंक गारंटी/ऋण सीमा मामले में कंपनी काउंटर गारंटी/क्षतिपूर्ति दायित्व ₹ 49400 करोड़ (गत वर्ष ₹ 40000 करोड़) है। इस कच्चे माल, संघटकों, चल रहे कार्य तैयार माल, भंडार, बुक ऋण तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों, वर्तमान तथा भावी, को गिरवी रखने के माध्यम से बैंकों के संघ द्वारा मंजूर किया गया है। 31.03.2011 को बकाया गारंटी ₹ 37474 करोड़ (गत वर्ष ₹ 31541 करोड़) तथा 31.03.2011 को कॉर्पोरेट गारण्टी ₹ 4192 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1685 करोड़) है।

9 विविध देनदारों, लेनदारों, ठेकेदारों के अनुबन्धों, जमा राशि तथा उप–ठेकेदारों/फ़ैब्रिकेटरों के पास पड़े स्टॉक/सामग्री बकाया शेष की पुष्टि, समाधान और परिवर्ती समायोजन यदि कोई हो, किया जाना है। समाधान एक उतत प्रक्रिया के रूप में किया गया है और जहाँ आवश्यक समझा गया है दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

10 असूचीकृत बैंकों में शेष राशि का विवरणों

चालू खाता	वर्ष के दौरान अधिकतम राशि (₹ करोड़ में)		2010-11	2009-10
	2010-11	2009-10		
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लीबिया	0.23	0.23	**0.06**	0.02
- बैंक मस्कट, ओमान	0.16	50.27	**0.02**	-0.03
- बार्क्लेस बैंक लि., ज़ाम्बिया	0.01	0.02	**0.01**	0.01
- बैंक ऑफ़ कॉमर्स, मलेशिया	0.05	0.05	**0.05**	0.05
- सीआईएमबी, बेरहाड	0.02	0.02	**0.02**	0.02
- इंडो जाम्बिया बैंक, लुसाका	0.00	0.16	**0.00**	0.00
- कमर्शल बैंक ऑफ़ इथोपिया	0.00	3.81	**2.65**	3.42
- बैंक ऑफ़ भूटान, भूटान	0.00	0.01	**0.00**	0.00
- जमहोरिया बैंक, लीबिया	3.94	3.94	**0.26**	0.53
- नैशनल बैंक ऑफ़ इजिप्ट	0.12	0.13	**0.11**	0.12
- बाइब्लोस बैंक आफ़ सीरिया	18.80	0.00	**17.28**	0.00
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बांग्लादेश	132.59	1.40	**1.69**	0.29
- बैंक ऑफ़ खारतूम, सूडान	10.82	10.82	**2.22**	1.33
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दुबई	0.00	0.05		0.00

11 (क) लेखाकरण मानदंड एएस–7 (संशोधित) की अपेक्षानुसार 01.04.2003 को अथवा इसके बाद किये गये निर्माण अनुबन्धों से सम्बनित प्रकटन निम्नलिखित हैं:–

	₹ करोड़	
	2010-11	**2009-10**
वर्ष के लिए मान्य किया गया अनुबन्ध राजस्व	**37254.81**	28203.77
वर्ष के अंत में चल रही सविंदाओं के संबंध में :		
खर्च की गई लागत तथा मान्य लाभ (घटाएँ :मान्य हानियाँ)	**126691.73**	91109.49
अग्रिम प्राप्त राशि	**10971.55**	9832.28
प्रतिधारण राशि (आस्थगित ऋण)	**9716.66**	6771.59
उपयुक्त नेटिंग ऑफ़ करने के बाद ग्राहकों से देय के सम्बन्ध में		
परिसंपत्ति के रूप में कार्य अनुबन्ध के लिये ग्राहकों से देय सकल राशि	**4974.15**	2424.08
देयता के रूप में अनुबन्ध कार्य के लिये ग्राहकों को देय सकल राशि	**3418.65**	3170.29
आकस्मिकताएँ	**-**	-

(ख) लेखांकन मानदंड एएस–7 (आर) के अनुसार निर्माण अनुबन्धों के मामलों में कुल लागतों तथा कुल राजस्व के अनुमान 1 अप्रैल, 2003 को अथवा इसके बाद लगाये गये हैं। वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा आवधिक रूप से निर्माण अनुबन्धों को पुनरीक्षित एवं अद्यतन किया जाता है। 2009–10 में 2010–11 में चल रही निष्पादनलीन एएस–7 (आर) संविदाओं के लिये अनुमानित संविदा राजस्व और अनुमानित संविदा लागत क्रमशः (+) 1.12 प्रतिशत (पूर्व वर्ष +0.62 प्रतिशत) तथा (–) 0.87 प्रतिशत (पूर्व वर्ष – 2.43 प्रतिशत) है जिसका कुल कारोबार में परिणामी प्रभाव है।

12 कम्पनी ने वर्ष के दौरान सन्दिग्ध ऋण के लिये लेखा प्रणाली प्रावधान में परिवर्तन किया है। परीक्षण प्रचालन पर संविदा मूल्य की 2.5 प्रतिशत वारंटी के लिये प्रावधान करने के स्थान पर कंपनी ने इसमें यह परिवर्तन किया है कि कंपनी प्रगामी राजस्व के 2.5 प्रतिशत की लागत पर वारंटी देगी, जब भी इसे राजस्व रूप में मान्यता दी जाती है और यह वारंटी अवधि में यही बनी

रहेगी। यह आस्थगित वारंटी प्रावधान तथा परीक्षा प्रचालन के पूरा होने तक के तदसमान राजस्व नीति के स्थान पर हैं 2010–11 में लेखांकन नीति के परिवर्तन के कारण कुल कारोबार में ₹ 2776.94 करोड़ संविदागत दायित्वों के प्रावधान में ₹ 2080.79 करोड़ और कर पूर्व लाभ में ₹ 696.15 करोड़ की वृद्धि हुई है।

13 कंपनी ने छुट्टी देयता के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान कर्मचारी लाभों का लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। प्रोद्भूत आधार पर छुट्टियों के लिये प्रावधान किये जाने की नीति के स्थान पर कम्पनी ने इसे बीमांकित मूल्यांकन आधार में मूल दिया है और इसे एएस–15 (आर) के अनुसार व्यवहार ढाँचे अधीन पर आधारित ''अन्य दीर्घ अवधि लाभ'' में माना जायेगा। 2010–11 के लिये लेखांकन नीति में इस परिवर्तन से कर पूर्व लाभ में ₹ 244.89 करोड़ की वृद्धि हुई है।

14 वर्ष के दौरान परियोजना स्थलों पर प्रयुक्त क्रेनों को ''सामान्य प्लान्ट एवं मशीनरी'' में वर्गीकृत किया जाता है, जब कि पूर्व में इसे ''एरेक्शन उपकरण'' में वर्गीकृत किया जाता था। तदनुसार उनके उपयोगी जीवन की समीक्षा के आधार पर मूल्यह्रास 20 प्रतिशत वार्षिक से 8 प्रतिशत वार्षिक हो गया है। उपर्युक्त परिवर्तन में मूल्यह्रास में ₹ 80.62 करोड़ की कमी (पूर्व वर्ष में यह ₹ 49.03 करोड़) आई है और कर पूर्व लाभ में ₹ 46.80 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

15 व्युत्पन्न लिखतों से सम्बन्धित ब्यौरेः

क) व्युत्पन्न लिखतों, जिन्हें रक्षित किया गया है और दिनांक 31.03.2011 के बकाया शून्य है (पिछले वर्ष 0.23 करोड़ अमरीकी डॉलर) है।

ख) विदेशी मुद्रा, जिन्हें व्युत्पन्न लिखतों तथा अन्यथा रक्षित नहीं किया जाता, निम्नानुसार हैं:

		2010-11	2009-10
क) परिसंपत्तियाँ/प्राप्तव्य (अर्थात् देनदार)			
विदेशी मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़	**34.85**	21.60
यूरो में	₹ करोड़	**34.32**	21.95
एलवाईडी में	₹ करोड़	**0.94**	0.91
आरओ में	₹ करोड़	**0.19**	0.19
भारतीय मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़	**1553.17**	964.96
यूरो में	₹ करोड़	**2127.66**	1317.78
एलवाईडी में	₹ करोड़	**34.39**	31.97
आरओ में	₹ करोड़	**22.05**	22.26
अन्य में	₹ करोड़	**38.92**	14.92
ख) देयताएं (अर्थात ग्राहकों/लेनदारों में अग्रिम) विदेशी मुद्रा में			
विदेशी मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़	**29.92**	29.09
यूरो में	₹ करोड़	**32.26**	34.63
एलवाईडी में	₹ करोड़	**1.46**	2.13
भारतीय मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़	**1349.37**	1326.22
यूरो में	₹ करोड़	**2064.51**	2126.34
एलवाईडी में	₹ करोड़	**54.78**	47.97

अन्य में	₹ करोड़	**115.28**	100.76

16 निदेशकों को प्रदत्त/देय पारिश्रमिक (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को मिलाकर)*

	2010-11	**2009-10**
वेतन एवं भत्ते	**2.48**	1.83
भविष्य निधि में अंशदान	0.15	0.19
ग्रेच्यूटी में अंशदान	**0.06**	0.04
अन्य	**0.39**	0.62

*उपर्युक्तराशि में भुगतान के आधार पर छुट्टी नकदीगरण शामिल हैं, लेकिन समूह बीमा प्रीमियम शामिल नहीं है:

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों को ड्यूटी एवं गैर–ड्यूटी यात्राओं के लिये स्टाफ़ कार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित राशि की वसूली के आधार पर गैर–ड्यूटी यात्रा की सीमा 1000 कि. मी. प्रति माह आय कर नियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार कार के उपयोग हेतु, अनुलब्धियों मौद्रिक परिकालित किया ताये तो उसकी राशि ₹ 0.01 करोड़ (पूर्व वर्ष में ₹ 0.01 करोड) होगी।

17 क) विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर खर्च का विवरण इस प्रकार हैं:

	2010-11	**2009-10**
प्लान्ट एवं मशीनरी	**157.27**	190.74
भवन	**45.54**	44.38
अन्य	**30.33**	29.39
ख) निर्यात के सम्बन्ध में खर्चों में शामिल निर्यात पर एजेन्सी कमीशन	**21.84**	15.02
ग) अनुसन्धान एवं विकास पर खर्च	**361.47**	352.51
घ) किराया आवासीय	**67.22**	62.03
ड) लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखापरीक्षा फ़ीस	**0.45**	0.42
इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी करें	**0.01**	0.04
जेबी खर्च	**0.18**	0.15
आयकर मामलें (प्रमाणन सहित)	**0.11**	0.10
इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल करें	**0.01**	0.01
अन्य प्रमाणन कार्य	**0.22**	0.18
इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल करें	**0.00**	0.00
अन्य प्रोफ़ेशनल सेवाएँ	**0.04**	0.10
इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल करें	**0.00**	0.00
च) लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान	**0.01**	0.01
छ) आवभगत पर व्यय	**6.52**	6.97
ज) विदेशी यात्रा पर व्यय व्यय रुपयों में	**17.43**	14.55
झ) प्रचार एवं जन सम्पर्क, वेतन, भत्तों एवं अन्य लाभों पर व्यय	**10.07**	10.08

	अन्य व्यय	**16.21**	16.27
	ण) निदेशकों की फीस	**0.16**	0.08

18. एएस–15 (आर) से संबंधित प्रकटन कर्मचारी लाभ

क) उपदान योजना

उपदान की देयता भावी भुगतान के कारण उत्पन्न होती है, जिसे सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु अथवा सेवा से हटने की दशा में किया जाना अपेक्षित होता है। इस देयता का आकलन पूर्वानुमानित इकाई क्रेडिट बीमांकिक विधि के प्रयोग द्वारा किया गया है।

समाप्त वर्ष की यथास्थिति परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के अथशेष और इतिशेष का समाधान निम्नलिखित है:

1	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**2010-11**	**2009-10**
	क) प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1671.43**	1008.43
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**-**	-
	ग) ब्याज लागत	**125.43**	75.60
	घ) पूर्व सेवा लागत	**-**	756.79
	ङ) चालू सेवा लागत	**72.85**	70.70
	च) कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
	छ) निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
	ज) अदा किए गए लाभ	**-245.18**	-413.01
	झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि	**163.16**	195.29
	ण) अवधि की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1787.30**	1693.79
2	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
	क) प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**637.77**	981.27
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**-**	-
	ग) योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**54.21**	83.45
	घ) अंशदान	**1019.99**	-
	ङ) अदा किए गए लाभ	**-240.74**	-408.99
	च) योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**82.30**	-4.08
	छ) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1553.22**	653.03
3	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
	क) प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**637.62**	981.27
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**-**	-
	ग) योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**136.47**	78.07
	घ) अंशदान	**1019.83**	-
	ङ) अदा किए गए लाभ	**-240.70**	-408.99
	च) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1553.22**	653.03
	छ) वित्तपोषण की स्थिति	**-217.00**	-1040.76
	ज) योजना परिसंपत्तियों के अनुमानित प्रतिफल पर वास्तविक राशि से अधिक राशि	**82.27**	-5.38

4	माना गया बीमांकिक लाभ/हानि		
	क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	**-157.12**	-209.14
	ख) अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि –योजना परिसंपत्तियां	**-82.27**	4.04
	ग) अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	**74.85**	213.18
	घ) अवधि में माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**74.85**	213.18
	ङ) अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
5	तुलन पत्र में मानी गई राशि तथा लाभ और हानि का विवरण		
	क) अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1770.61**	1693.79
	ख) अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1552.91**	653.03
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**-216.92**	-1040.76
	घ) अनुमानित की तुलना में अधिक वास्तविक राशि	**82.27**	-5.38
	ङ) नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
	च) तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्ति/(देयता)	**-216.92**	-1040.76
6	लाभ और हानि लेखे के विवरण में माना गया व्यय		
	क) चालू सेवा लागत	**72.21**	70.70
	ख) पूर्व सेवा लागत	**-**	758.12
	ग) ब्याज लागत	**124.31**	74.27
	घ) योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**-54.19**	-83.45
	ङ) कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
	च) निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
	छ) अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**74.86**	213.19
	ज) लाभ और हानि के विवरण में माना गया व्यय	**224.85**	1020.85

पूर्वानुमान–बट्टा दर – 7.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 7.50 प्रतिशत), भावी वेतन वृद्धि 5.00 प्रतिशत (पिछले वर्ष 5.00 प्रतिशत), योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर – 8.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.50 प्रतिशत)

ख)	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना		
1	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**2010-11**	**2009-10**
	क) प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**860.43**	758.80
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**-**	-
	ग) ब्याज लागत	**64.53**	56.91
	घ) पूर्व सेवा लागत	**-**	-
	ङ) वर्तमान सेवा लागत	**17.19**	16.04
	च) कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
	छ) निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
	ज) अदा किया गया लाभ	**-36.10**	-29.91
	झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि	**45.30**	58.59
	ण) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**951.35**	860.43

2	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	वित्तपोषण की स्थिति	**-951.35**	-860.43
4	माना गया बीमांकिक लाभ/हानि		
	क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	**45.30**	58.59
	ख) अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ/(हानि) – योजना परिसंपत्तियां	-	-
	ग) वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	**45.30**	58.59
	घ) अवधि के लिए माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**45.30**	58.59
	ङ) अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि -	-	
5	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई राशि		
	क) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**951.35**	860.43
	ख) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**-951.35**	-860.43
	घ) तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**-951.35**	-860.43
6	लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय		
	क) वर्तमान सेवा लागत	**17.19**	16.04
	ख) ब्याज लागत	**64.53**	56.91
	ग) वर्ष में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**45.30**	58.59
	घ) लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय	**127.02**	131.54
ग)	**दीर्घावधि छुट्टी देयता (अ.छु./गैर (अ.छु.)/अ.वे.छु.)**		
	छुट्टी देयता को आय दीर्घावधि लाभ माना गया है और उसका आंकलन प्राक्षेपित इकाई क्रेडिट बीमांकक पद्धति का उपयोग करके किया गया है।		
1	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**2010-11**	
	क) प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1305.20**	
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**-**	
	ग) ब्याज लागत	**97.95**	
	घ) पूर्व सेवा लागत	**-**	
	ङ) वर्तमान सेवा लागत	**88.75**	
	च) कटौती लागत/(जमा)	**-**	
	छ) निपटान लागत/(जमा)	**-**	
	ज) अदा किया गया लाभ	**-208.95**	
	झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-82.93**	
	ण) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1200.01**	
2	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**-**	
3	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
	g) वित्तपोषण की स्थिति	**-1200.01**	
4	माना गया बीमांकिक लाभ/हानि		
	क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	**78.28**	

	ख) अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ/(हानि) – योजना परिसंपत्तियां	-
	ग) वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	**-78.28**
	घ) अवधि में मानें गए बीमांकक (लाभ)/हानि	**-78.28**
	ङ) अवधि में न मानें गए बीमांकक (लाभ)/हानि	-
5	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई राशि	
	क) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1200.01**
	ख) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**-1200.01**
	घ) अनुमान के स्थान पर वास्तविक से अधिक	-
	ङ) न माने गए बीमांकक	-
	च) तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**-1200.01**
6	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई राशि	
	क) वर्तमान सेवा लागत	**87.57**
	ख) पूर्व सेवा लागत	-
	ग) ब्याज लागत	**97.07**
	घ) योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिफल	-
	ङ) कटौती लागत / (क्रेडिट)	-
	च) निपटान लागत / (क्रेडिट)	-
	छ) अवधि में माना गया निवल (लाभ)/हानि	**-78.28**
	ज) लाभ एवं हानि विवरण में मानें गए व्यय	**106.36**

घ. एएस–15 (आर) से सम्बन्धित दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार, कम्पनी ने अपनी इकाइयों/क्षेत्रों के भविष्य निधि न्यासों के सम्बन्ध में भविष्य निधि का बीमांकित मूल्यांकन करा लिया है। बीमांकित मूल्यांकन प्रमाणपत्र के अनुसार ब्याज की सम्भावित कमी की देयता, जिसकी पूर्ति कंपनी द्वारा भविष्य निधि न्यास को की जानी है, के लिये भी लेखे में प्रावधान किया गया है।

		2010-11	**2009-10**
वर्ष के लिये बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर भविष्य निधि के ब्याज में कमी सम्बन्धी देयता के लिये किया गया प्रावधान (आहरण)	₹करोड़	**11.04**	6.49
बीमांकित मूल्यांकन पर आधारित भविष्य निधि ब्याज की देयता में कमी के लिये सन्चित प्रावधान	₹ करोड़	**27.18**	16.13

19 एएस–18 द्वारा अपेक्षित ''सम्बन्धित पक्षकार सम्बन्धी सूचना'' निम्नानुसार है:

i) सम्बन्धित पक्षकार – संयुक्त उद्यम कम्पनियाँ

1 पावर प्लान्ट पर्फ़ॉर्मेन्स इम्प्रूवमेन्ट लिमिटेड

2 बीएचईएल – जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

3 एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड

4 उडनगुडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

5 बराक पावर प्राइवेट लिमिटेड

6 रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

7 दादा धूनी वाले खंडवा पावर लिमिटेड

ii) प्रबन्धन के शीर्ष अधिकारी

सर्वश्री /

बी. पी. राव, अनिल सचदेव, अतुल सराया, ओ. पी. भूटानी, सी. एस. वर्मा, सी. पी. सिंह, अनिल गुप्ता, ए. के. गोस्वामी, बी. साईनाथ, आनन्द के. बन्सल, एस. एस. गुप्ता, ए. एस. नागराज, पी. वी. श्रीधरन, पी. अशोक वर्मा, आर. नागराज, नारायण प्रसाद, के. एन, वेंकटेश, जी. राजगोपाल, पी. आर. श्रीराम, के. बालसुब्रह्मण्यन, एस. सुकुमार सोलोमन और वाई. के. रस्तोगी।

iii) लेन–देन सम्बन्धी विवरण

संयुक्त उद्यम		**2010-11**	**2009-10**
सामान और सेवाओं की खरीद	₹ करोड़	**76.06**	2.51
सामान और सेवाओं की बिक्री	₹ करोड़	**67.28**	63.01
सेवाओं की प्राप्ति	₹ करोड	**25.24**	-
सेवाएँ प्रदान करना	₹ करोड़	**101.18**	5.59
लाभांश आय	₹ करोड़	**14.99**	15.83
रॉयल्टी आय	₹ करोड़	**0.78**	0.84
शेयरों की खरीद	₹ करोड़	**354.02**	27.50
वर्ष के अन्त में बीएचईएल को देय राशि	₹ करोड़	**59.68**	18.30
वर्ष के अन्त में बीएचईएल द्वारा देय राशि	₹ करोड़	**145.01**	1.06
शेयर जारी करने के प्रति अग्रिम जमा	₹ करोड़	**-**	2.50
सन्दिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	₹ करोड़	**0.02**	0.02
दिये गये अग्रिम	₹ करोड़	**27.04**	0.00
टिप्पणीः अधिकांश लेन–देन बीजीजीटीएस, एनबीपीपीएल और राचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किये जाते हैं			
प्रबन्धन के शीर्ष अधिकारी (केएमपी)			
वेतन का भुगतान	₹ करोड़	**2.02**	1.91
केएमपी के सम्बन्धी			
वर्ष के अन्त में बीएचईएल को देय राशियाँ	₹ करोड़	**0.00**	0.01
वेतन का भुगतान	₹ करोड़	**0.20**	0.14

20 पट्टा

1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर दल गई परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार हैं:

i) वित्तीय पट्टाः

क. न्यूनतम पट्टा भुगतान की शेष राशि		**2010-11**	**2009-10**
एक वर्ष तक	₹ करोड़	**65.70**	55.84
एक वर्ष के बाद, किन्तु पाँच वर्षों तक	₹ करोड़	**120.63**	89.48
पाँच वर्षों के बाद	₹ करोड़	**0.00**	0.00
तुलन पत्र की तारीख को कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	₹ करोड़	**186.33**	145.32
ख) उपर्युक्त क का वर्तमान मूल्य			
एक वर्ष तक	₹ करोड़	**53.55**	47.56
एक वर्ष के बाद, किन्तु पाँच वर्षों तक	₹ करोड़	**104.14**	74.88

पाँच वर्षों के बाद	₹ करोड़	**0.00**	0.00
तुलन पत्र की तारीख को कुल वर्तमान मूल्य	₹ करोड़	**157.69**	122.44
ग) 1. वित्तीय प्रभार	₹ करोड़	**28.64**	22.88
ग) 2. अवशिष्ट मूल्य का वर्तमान मूल्य, यदि कोई है	₹ करोड़	**0.01**	0.01

ii) कम्पनी अपने कर्मचारियों के लिये मकान, कार्यालय के भवन और ईडीपी उपस्कर आदि प्रचालन पट्टे पर लेती है, जो रद्दीकरण योग्य और आरद्दीकरण दोनों ही रूपों में होते हैं।

iii) प्रचालन पट्टा

		2010-11	**2009-10**
आरद्दीकरण प्रचालन पट्टे के अन्तर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:			
एक वर्ष तक	₹ करोड़	**5.24**	4.39
एक वर्ष के बाद, किन्तु पाँच वर्षों तक	₹ करोड़	**9.85**	9.26
पाँच वर्षों के बाद	₹ करोड़	**1.55**	0.91

iv) 1.4.2001 से पहले पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में किराये से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार हैं:

परिसम्पत्तियों की लागत			
भूमि एवं भवन	₹ करोड़	**0.01**	0.07
कम्प्यूटर एवं पेरिफ़ेरल्स	₹ करोड़	**0.00**	0.83
पट्टे की शीर्ष अवधि के लिये देय किराये			
भूमि एवं भवन	₹ करोड़	**0.02**	0.02
कम्प्यूटर एवं पेरिफ़ेरल्स	₹ करोड़	**0.00**	0.01

21 प्रति शेयर अर्जन

		2010-11	**2009-10**
गणना के लिये प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या			
प्रति शेयर अर्जन (ए)	संख्या करोड़ में	**48.952**	48.952
इक्विटी शेयर का कुल अंकित मूल्य	(₹)	**10.00**	10.00
समूह का वर्ष का निवल लाभ (बी)	(₹ करोड़ में)	**6053.36**	4326.92
प्रति शेयर मूल्य और डाइल्यूटेड अर्जन (बी)/(ए)	(₹)	**123.66**	88.39

22 ''कराधान के लिये लेखाकरण'' मानक–22 के अनुपालन में निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का ब्रेक–अप नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को यथास्थिति	**31.3.2010 को यथास्थिति**
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ		
प्रावधान	**1821.04**	993.50
सांविधिक देय	**411.99**	502.48
धारा 145 ए के अनुसार समायोजन	**45.43**	47.20
अन्य	**9.65**	59.37
	2288.11	**1602.55**
आस्थगित कर देयताएँ		
मूल्यह्रास	**122.94**	73.93

निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	**2165.17**	**1528.62**

23 लेखाकरण मानक – 29 से सम्बन्धित सूचना

(₹ करोड़ में)

क) निर्णीत हर्जाने	**2010-11**	**2009-10**
प्राम्भिक	**483.25**	522.51
वृद्धि	**282.61**	177.38
उपयोग/बट्टे खाते डाले गये/भुगतान	**-20.03**	-102.89
आहरण/समायोजन	**-47.87**	-113.75
अन्तिम शेष	**697.96**	483.25
संविदागत दायित्व		
प्रारम्भिक	**901.36**	888.21
वृद्धि	**2699.41**	365.11
उपयोग/बट्टे खाते डाले गये/भुगतान	**-99.09**	-77.11
आहरण/समायोजन	**-504.68**	-274.85
अन्तिम शेष	**2997.00**	901.36

ख) निर्णीत हर्जाने कम्पनी की लेखाकरण नीति के अनुसार दिये जाते हैं और इन्हें निपटान के समय अथवा अन्यथ लेखों में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाता है। निर्णीत हर्जाने से सम्बन्धित देयता का उल्लेख अनुसूची 19 की टिप्पणी संख्या 5 में किया गया है।

ग) संविदा कं निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार, वारंटी सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने के लिए महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 14 के अनुसार संविदागत दायित्व सम्बन्धी प्रावधान संविदा राजस्व के 2.5 प्रतिशत की दर से किया जाता है। वारंटी दायित्व का वास्तविक व्यय सम्बन्धित संविदा के निबन्धनों एवं शर्तों के आधार पर संविदा दर संविदा एवं वर्ष दर वर्ष अलग–अलग हो सकते हैं।

24. संयुक्त उद्यमों का आनुपातिक शेयर–सम्बन्धित मदों का उल्लेख नीये किया जा रहा है। इनके सम्बन्ध में अलग से कोई अनुसूची सन्लग्न नहीं की गई है।

(₹ करोड़ में)

	2010-11	**2009-10**
कराधान के लिये प्रावधान		
चालू कराधान	**18.08**	13.55
आस्थगित कराधान	**-0.23**	-0.68
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	**1.62**	1.39
आकस्मिक देयता	**3.05**	6.69
प्रारम्भिक व्यय	**3.76**	2.36
प्रचालन पूर्व व्यय	**0.06**	0.00

25 ₹ एक लाख से कम आय–व्यय वाली मदों को पूर्व अवधि की मदों में शामिल नहीं किया जाता है।

26 कुछ मदों के लिये, कम्पनी एवं उसके संयुक्त उद्यम महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में उल्लिखित भिन्न–भिन्न लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करते हैं। तथापि इसका कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ता है। वार्षिक लेखे की प्रत्येक अनुसूची में टिप्पणी के द्वारा संयुक्त रूप से नियन्त्रित लोगों के शेयरों का उल्लेख किया गया है।

27. खंड सूचना – समेकित

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए			31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए		
क. प्रारंभिक खंड – व्यवसाय खंड						
	पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I. खंड राजस्व						
क. खंड राजस्व	35053.84	9222.25	**44276.09**	27079.12	7960.58	**35039.70**
ख. अन्तर–खंड राजस्व	0.00	597.46	**597.46**	0.00	541.19	**541.19**
ग. प्रचालन राजस्व बाह्य (क) – (ख)	35053.84	8624.79	**43678.63**	27079.12	7419.39	**34498.51**
II. खंड परिणाम						
क. खंड परिणाम	8363.14	1925.28	**10288.42**	6355.06	1632.27	**7987.33**
ख. अनबंटित व्यय (निवल आय)			**1166.35**			**1329.75**
ग. ब्याज पूर्व लाभ, डीआई तथा आय कर (क) – (ख)			**9122.07**			**6657.58**
घ. ब्याज			**56.39**			**36.69**
ङ. आय कर पूर्व निवल लाभ (ग) – (घ)			**9065.68**			**6620.89**
च. आय कर			**3012.33**			**2293.97**
छ. आय कर उपरान्त निवल लाभ			**6053.36**			**4326.92**
III. परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ						
क. खंड परिसम्पत्तियाँ	36591.11	9954.36	**46545.47**	27763.81	8450.11	**36213.92**
ख. अनबंटित परिसम्पत्तियाँ			**13083.39**			**12486.43**
ग. कुल परिसम्पत्तियाँ			**59628.86**			**48700.35**
घ. खंड देयताएँ	30344.61	6464.97	**36809.58**	25226.85	6253.88	**31480.73**
ङ. अनाबंटित देयताएँ			**2664.32**			**1323.66**
च. कुल देयताएँ			**39473.90**			**32804.39**
IV. अन्य सूचना						
क. अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों (सीडब्ल्यूआईपी सहित) के अधिग्रहण के दौरान किया गया खर्च	1744.95	357.23		1394.83	270.95	
ख. मूल्यह्रास	400.03	114.12		302.06	83.27	
ग. नकद रहित व्यय (मूल्यह्रास के अलावा)	2056.70	569.57		-452.84	-269.07	
ख. अनुपूरक खंड – भौगोलिक खंड						
	भारत में	भारत से बाहर	कुल	भारत में	भारत से बाहर	कुल
क. प्रचालनों से निवल बिक्री/आय	42275.46	1403.17	**43678.63**	32793.25	1705.26	**34498.51**
ख. कुल परिसंपत्तियां	59226.82	402.05	**59628.86**	48644.37	55.99	**48700.35**
ग. स्थायी परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए अवधि के दौरान किया गया खर्च	2140.05	1.42	**2141.47**	1696.20	0.22	**1696.42**

टिप्पणियां–

1. कंपनी के उत्पाद एवं सेवाओं के क्षेत्र, जिससे वे बाजार में प्रमुखता से पहचाने जाते हैं, उनके आधार पर 'पावर' एवं 'उद्योग' खंडों के अंतर्गत समूह बना दिए हैं।
2. पावर सेक्टर में विभिन्न विद्युत उत्पादन सेटों एवं उनके सहायक उपकरणों से संबद्ध उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं।
3. उद्योग क्षेत्र में परिवहन और ट्रांसमिशन, विद्युत मशीनें, औद्योगिक सेट एवं डीजी सेट, दूरसंचार तथा अन्य औद्योगिक उत्पाद एवं प्रणालियों से संबंधित उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं।
4. अंतर खंड अंतरण आपसी सहमति के मूल्य पर किए गए हैं।
5. बीजीजीटीएस (संयुक्त उपक्रम) गैस टर्बाइनों, इंजीनियरिंग सेवाओं, रिपेयर सेवाओं के लिए पुर्जों तथा संघटकों की बिक्री से संबंधित व्यवसाय में कार्यरत है। मरम्मत आदि को 'विद्युत खंड' में माना गया है।
6. बीएचपीवी (सहायक कंपनी) इंडस्ट्रियल बॉयलर, उर्वरक, केमिकल्स तथा अन्य उपकरण के निर्माण एवं संस्थापना कार्य में लगी हुई है। इसके व्यवसाय को 'उद्योग खंड' में माना गया है।

28. पूर्व वर्ष की संख्याओं को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप आवश्यकतानुसार व्यवहार्य होने पर रिग्रुप/पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है।

शेयरधारकों के लिए अतिरिक्त सूचना

दस वर्षों का सार

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
I **अर्जन**										
कारोबार (सकल)	43337	34154	28033	21401	18739	14525	10336	8662	7482	7287
अन्य आय	1701	1648	1497	1445	824	547	656	513	838	770
स्टॉक में परिवर्तन	127	787	1152	827	181	386	540	-31	-45	-37
कुल अर्जन	45165	36589	30682	23673	19744	15458	11532	9144	8275	8020
सामग्री, संस्थापना तथा इंजीनियरिंग व्यय	23209	20672	17620	11821	10018	8147	5871	4229	3607	3724
कर्मचारियों की परिश्रमिक एवं लाभ (निवल)	5397	6540	2984	2608	2369	1879	1650	1640	1505	1445
अन्य विनिर्माण, प्रशासनिक तथा बिक्री व्यय	6954	2295	4864	4482	3305	2564	2128	2003	2121	1921
ब्याज तथा मूल्यह्रास से पूर्व व्यय	35560	29507	25468	18911	15692	12589	9650	7872	7233	7090
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर पूर्व लाभ	9605	7082	5214	4762	4052	2869	1882	1272	1042	930
मूल्यह्रास	544	458	334	297	273	246	219	198	185	169
सकल लाभ	9061	6624	4880	4465	3779	2623	1663	1074	857	761
ब्याज	55	33	31	35	43	59	81	60	55	97
कर पूर्व लाभ	9006	6591	4849	4430	3736	2564	1582	1014	802	664
कराधान का प्रावधान	2995	2280	1711	1571	1321	885	628	357	358	195
कर उपरांत लाभ	6011	4311	3138	2859	2415	1679	953	657	444	469
लाभांश	1525	1141	832	746	600	355	196	147	98	98
कार्पोरेट लाभ	249	191	141	127	93	50	27	19	13	0
प्रतिधारित लाभ	4237	2979	2165	1986	1722	1275	731	491	333	371
II **कंपनी की संपत्तियां**										
सकल ब्लॉक	8050	6580	5225	4443	4135	3822	3629	3460	3349	3182
घटाएं: संचयी मूल्यह्रास तथा पट्टा समायोजन	4649	4165	3754	3462	3146	2840	2585	2365	2179	2005
निवल ब्लॉक	3401	2415	1471	981	989	982	1044	1095	1170	1177
पूंजीगत चालू कार्य	1762	1550	1157	658	303	185	95	109	59	57
निवेश	439	80	52	8	8	8	9	29	10	10
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	51495	42915	36901	27906	20980	16331	13343	10425	8348	8054
कुल परिसंपत्तियां	57097	46960	39581	29554	22280	17506	14491	11658	9587	9298
III **कंपनी की देनदारियां**										
उधार (पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए ऋण सहित)	163	128	149	95	89	558	537	540	531	666
चालू देयताएं तथा प्रावधान	38944	32442	28333	20022	14337	10320	8446	6337	4756	4714
कुल देयताएं	39107	32570	28482	20117	14426	10878	8983	6877	5287	5380
निवल कार्यशील पूंजी	12551	10473	8568	7884	6643	6011	4897	4088	3592	3340
IV **कंपनी का निवल मूल्य**										
शेयर पूंजी	490	490	490	490	245	245	245	245	245	245
प्रारक्षित निधि तथा अधिशेष	19664	15427	12449	10285	8544	7057	5782	5051	4559	4225
घटाएं आस्थगित राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	18	96	249
निवल मूल्य	20154	15917	12939	10775	8788	7301	6027	5278	4708	4221

दस वर्षो का सार (जारी)

(₹ करोड़ में)

V	**नियोजित पूंजी**	16391	12968	10091	8873	7640	7001	5950	5212	4772	4527
VI	**मूल्य वर्धन पूंजी**	18476	13171	9894	8323	7182	5683	4254	3680	3248	3074
VII	**अनुपात**										
	कुल परिसंपत्तियों पर पीबीडीआईटी (%) #	18.46%	16.37%	15.08%	18.4%	20.4%	17.9%	14.4%	12.0%	11.0%	10.3%
	नियोजित पूंजी पर										
	सकल लाभ (%) #	61.73%	57.45%	51.47%	54.1%	51.6%	40.5%	29.8%	21.5%	18.4%	16.7%
	कारोबार/सकल ब्लॉक	5.4	5.2	5.4	4.8	4.5	3.8	2.8	2.5	2.2	2.3
	अर्जन प्रति शेयर (₹) ✦	122.80	88.06	64.11	58.4	98.7	68.6	39.0	26.9	18.2	19.1
	प्रति शेयर निवल मूल्य (₹) ✦	411.71	325.16	264.32	220.1	359.0	298.31	246.24	215.64	192.36	172.43
	चालू अनुपात	1.32	1.32	1.30	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.7
	कुल ऋण/इक्विटी	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.09	0.10	0.11	0.16
	निवल मूल्य पर प्रतिफल	29.83%	27.08%	24.26%	26.5%	27.5%	23.0%	15.8%	12.5%	9.4%	11.1%
	सकल लाभ मार्जिन	20.91%	19.39%	17.41%	20.9%	20.2%	18.1%	16.1%	12.4%	11.5%	10.4%
	निवल लाभ मार्जिन	13.87%	12.62%	11.20%	13.4%	12.9%	11.6%	9.2%	7.6%	5.9%	6.4%

औसत निवल परिसंपत्तियों एवं नियोजित पूंजी के आधार पर

✦ 2006–2007 तक के आंकड़े बोनस पूर्व जारी शेयरों की संख्या पर आधारित है।

2010–2011 के लिए अमरीकी जीएएपी के अनुसार निवल आय के साथ भारतीय जीएएपी के अधीन निर्धारित लाभ (एकांकी) का समाधान

	टिप्पणियां	₹ करोड़ में	अमरीकी डालर (मिलियन)
भारतीय जीएएपी के अधीन निर्धारित कर पश्चात लाभ (स्टैंडएलोन)		**6,011.20**	**1,346.29**
अमरीकी जीएएपी के अनुरूप होने के लिए समायोजन			
किराया आय (पट्टा)	1	(14.36)	(3.22)
संयुक्त उपक्रमों और सहायक कंपनियों में निवेश से आय	2	27.17	6.09
अनुसंधान एवं विकास व्यय	3	(19.20)	(4.30)
मूल्यह्रास	4	(15.47)	(3.46)
पूर्वावधि मदें (कराधान के लिए प्रावधान सहित, पूर्व वर्ष ₹ (-) 81.45 करोड़)	5	(79.66)	(17.84)
अमरीकी जीएएपी के अनुसार निवल आय		**5,909.68**	**1,323.56**

1 अमरीकी डालर = 44.65 ₹ (दिनांक 31.03.2011 को रुपये की विनिमय दर पर)

अमरीकी जीएएपी के अनुसार निवल आय. के साथ भारतीय जीएएपी के अधीन निर्धारित निवल लाभ के समाधान पर टिप्पणियां

निम्नलिखित टिप्पणियां भारतीय जीएएपी और अमरीकी जीएएपी के बीच अंतर और अमरीकी जीएएपी के अधीन निवल आय निकालने के लिए आवश्यक समायोजन दर्शाती हैं।

1. किराया आय (पट्टा)

   भारतीय जीएएपी के अनुसार दिनांक 1.4.2001 के पूर्व वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को सामान्य बिक्री मूल्य/उचित मूल्य/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है और उस पर मूल्यह्रास परिभारित किया जाता है। पट्टा किराया आय पट्टा समकरण समायोजित करने के बाद मानी जाती है। वित्त पट्टे पर दी गई अमरीकी जीएएपी परिसंपत्तियों के अधीन वित्त आय केवल पट्टा अवधि में मानी जाती है।

2. संयुक्त उद्यमों और सहायक कम्पनियों में निवेश से आय

   भारतीय जीएएपी के अनुसार संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु मूल्य में कमी के लिए, यदि कोई है, प्रावधान किया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन संयुक्त उद्यमों द्वारा आय/हानि के हिस्से को धारिता के समानुपात में आय विवरण में मान्यता दी जाती है।

3. अनुसंधान और विकास व्यय

   भारतीय जीएएपी के अनुसार विकास के लिए अनुसंधान और विकास व्यय अनुमानित उपयोगी अवधि हेतु पूंजीकृत एवं परिशोधित हैं, और मूल्यहास /परिशोधन के रूप में दर्शाया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन अनुसंधान और विकास परिसंपत्तियों का परिशोधन, अनुसंधान और विकास व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

   भारतीय जीएएपी के अनुसार दिनांक 1.4.2001 के पूर्व वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आय विवरण पर प्रभारित किया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां, वित्त आय को मान्यता दी जाती है। भारतीय जीएएपी के अनुसार अनुसंधान और विकास परिसंपत्तियों का परिशोधन मूल्यह्रास/परिशोधन के अधीन दर्शाया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन अनुसंधान और विकास परिसंपत्ति का परिशोधन, आय विवरण में अनुसंधान एवं विकास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

5. पूर्वावधि मदें

भारतीय जीएएपी के अनुसार पूर्वावधि मदें वर्ष के लिए आय विवरण में अलग से सूचित की जाती हैं। अमरीकी जीएएपी के अधीन पूर्वावधि मदों को प्रतिधारित लाभों के अंतर्गत पूर्व वर्षों के समायोजन द्वारा लेखाकृत किया जाता है।

हमारी समतारीख रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एनधवन एंड कंम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 000050एन

हस्ता./–
(एस.के. खट्टर)
साझेदार
सदस्यता नं. 84993

दिनांक : 29, जुलाई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
(पी.के.बाजपेयी)
निदेशक (वित्त)

अमरीकी जीएएपी समाधान पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने अमरीकी जीएएपी (समाधान) के अनुसार निम्नलिखित के अधीन निवल आय के लिए भारतीय जीएएपी के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निवल लाभ के समाधान की लेखापरीक्षा की है।

समाधान कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है। हमारे मत में पूर्ण रूप से लिए गए बुनियादी वित्तीय विवरणों के संबंध में विचार करने पर ऐसा समाधान, इसमें निर्धारित सूचनाओं को सभी तरह से सही रूप से प्रस्तुत करता है।.

कृते एस.एनधवन एंड कंम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 000050एन

हस्ता./–
(एस.के. खट्टर)
साझेदार
सदस्यता नं. 84993

दिनांक : 29, जुलाई, 2011
स्थान : नई दिल्ली

आर्थिक मूल्यवर्धन (ईवीए)

आर्थिक मूल्यवर्धन "आर्थिक लाभों" को मापने के लिए संगत मानदंड है। आर्थिक मूल्यवर्धन (ईवीए) पूंजी की लागत कटौती करने के बाद कंपनी को कर पश्चात निवल प्रचालन लाभ है। कंपनियां, जो पूंजी लागत से अधिक अभिलाभ अर्जित करती हैं, शेयरधारकों के लिए धन सृजित करती है तथा दूसरी ओर पूंजी की लागत से कम प्रतिलाभ अर्जित करने वाली कंपनियां, शेयरधारकों का धन नष्ट करती हैं।

(₹ करोड़ में)

		2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
पूंजी की लागत						
इक्विटी कल लागत	(%)	14.0	13.3	13.4	14.4	14.6
पूंजी की भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी)	(%)	14.1	13.3	13.4	14.4	14.4
नियोजित औस्त पूंजी		14680	11540	7751	6467	5544
अर्थिक मूल्य वर्धन						
एनओपीएटी		5867	4206	3047	2739	2454
घटाएं : पूंजी की लागत		2074	1536	1039	929	797
आर्थिक मूल्य वर्धन		3793	2670	2008	1810	1657
उद्यम मूल्य						
इक्विटी का बाजार मूल्य		100971	117027	73944	100907	55349
जोड़े : ऋण		163	128	149	95	89
घटाएं नकद तथा नकद समतुल्य		9630	9790	10315	8386	5809
उद्यम मूल्य		91504	107365	63778	92616	49629

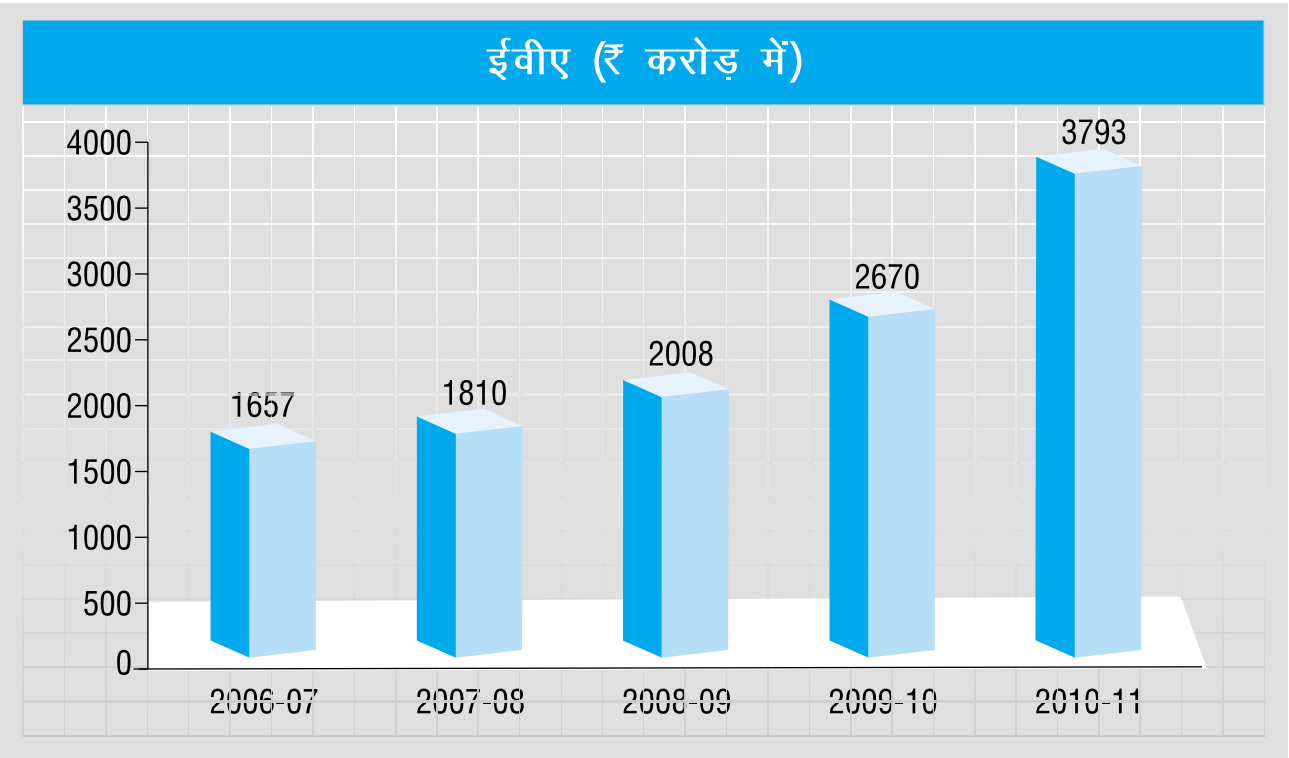

मूल्य वर्धन विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
क.	**मूल्य वर्धन का सृजन**					
	उत्पादन का मूल्य (घटाएं उत्पाद शुल्क)	41527	33598	27351	20090	17324
	घटाएं–प्रत्यक्ष सामग्री, विद्युत एवं ईधन तथा ठेकेदारों को भुगतान	23051	20427	17458	11767	10142
	वर्धित मूल्य	18476	13171	9894	8323	7182
	घटाएं–अन्य परिचालन व्यय निवल आय	3461	845	567	415	679
	निवल मूल्य वर्धन	15015	12326	9327	7908	6503
	उत्पादन मूल्य का प्रतिशत	36.16%	36.69%	34.10%	39.36%	37.54%
ख.	**मूल्य वर्धन का प्रयोग**					
	कर्मचारियों को भुगतान	5410	5243	4113	3146	2451
	निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	36.03%	42.54%	44.10%	39.78%	37.69%
	मूल्यह्रास	544	458	334	297	273
	निवल मूल्यह्रास का प्रतिशत	3.62%	3.72%	3.58%	3.76%	4.20%
	वित्तिय प्रभार :					
	– उधार पर ब्याज	55	34	31	35	43
	निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	0.36%	0.27%	0.33%	0.44%	0.67%
	कर प्रावधान					
	(आयकर, आस्थगित कर, सीमांत लाभ कर तथा पूर्वावधि)	2995	2280	1711	1571	1321
	निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	19.95%	18.50%	18.34%	19.87%	20.31%
	लाभांश (लाभांश कर सहित)	1775	1332	974	873	692
	निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	11.82%	10.81%	10.43%	11.04%	10.65%
	प्रतिधारित लाभ	4237	2979	2164	1986	1722
	निवल मूल्यर्वधन का प्रतिशत	28.22%	24.17%	23.21%	25.11%	26.48%

वार्षिक योजना 2010–2011 की तुलना में कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

निवेश की श्रेणी	**2010-11**	**2009-10**
योजनाएं	**1204**	1283
आधुनिकीकरण और युक्तिकरण तथा अन्य	**123**	65
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	**45**	37
औजार और संयत्र तथा विद्युत कार्यस्थलों के लिए समर्थकारी सेवाएं	**283**	328
कुल	**1655**	1713

राजकोष में अंशदान

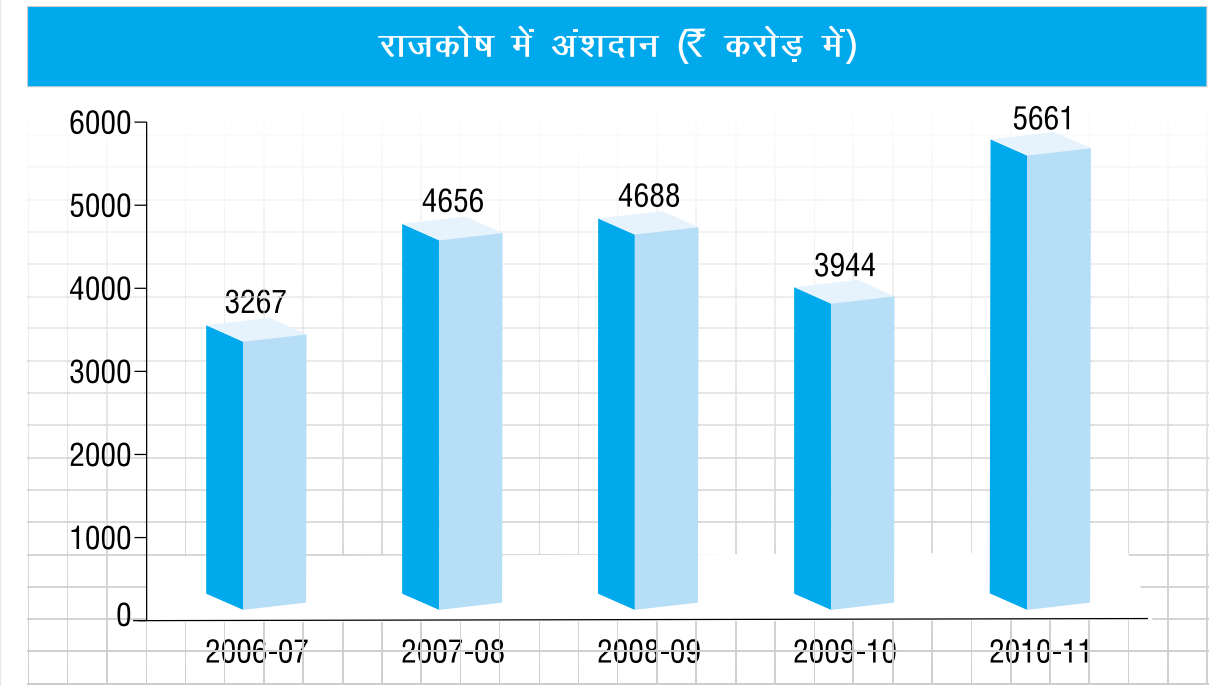

उत्पाद रूपरेखा

थर्मल विद्युत संयंत्र

- स्टीम जेनरेटर स्टीम टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर सहित जीवाश्म ईंधन, न्यूक्लियर एवं संयुक्त चक्र उपयोगों के लिए 800 मेगावाट तक के लिए रिजेनरेटिव फ़ीड सुपरक्रिटिकल स्टीम साइकल मानदंडों वाले बॉयलरों एवं स्टीम टर्बाइनों तथा 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक के समतुल्य जेनरेटरों का डिज़ाइन एवं निर्माण करने की क्षमता।
- 1000 मेगावाट तक के टीजी सेटों की उपर्युक्त आवश्यकता पूरी करते हुए कंडेन्सर कन्डेन्सेट एक्सट्रैक्शन पम्प, बॉयलर फ़ीड पम्प वॉल्व एवं हीट एक्सचेंजर।

न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र

- 700 मेगावाट तक की क्षमता वाले स्टीम जेनरेटर और टर्बाइन तथा समतुल्य टर्बो–जेनरेटर, कंडेन्सर
- हीट एक्सचेंजर
- प्रेशर वेसल
- रिएक्टर वेसल्स

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

- 280 मेगावाट (आईएसओ) उच्च श्रेणी की रेटिंग तक की गैस टर्बाइनें।
- उद्योग एवं यूटिलिटी उपयोगों के लिए गैस टर्बाइन आधारित सह–उत्पादन एवं संयुक्त चक्र प्रणालियां।

हाइड्रो विद्युत संयंत्र

- समरूप जेनरेटर सहित केपलान, फ्रेंसिस एवं पेल्टॉन प्रकार के कस्टम निर्मित परंपरागत हाइड्रो टर्बाइनें, समरूप मोटर जेनरेटर सहित पम्प टर्बाइनें 300 मेगावाट तक के समतुल्य मोटर जेनरेटर, 10 मेगावाट तक के समतुल्य जेनरेटरों सहित बल्ब टर्बाइन।
- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए समतुल्य मोटरों के साथ उच्च क्षमता के पम्प (150 मेगावाट तक)
- परंपरागत टर्बाइनों के लिए इलेक्ट्रो–हाइड्रॉलिक माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजीटल नियंत्रक
- लिफ्ट सिंचाई पम्पों के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल कंट्रोलर
- 15 मेगावाट तक के पीएलसी आधारित कंपैक्ट डिजिटल नियंत्रक सहित अतिलघु/लघु हाइड्रो सेट
- हाइड्रो जेनरेटर और मोटरों के लिए स्टेटिक एक्साइटेशन सिस्टम
- हाइड्रो जेनरेटर और मोटरों के लिए ब्रुशलेश एक्साइटर
- विशेष प्रयोजन और मोटर जेनरेटर सेट
- हाइड्रो स्टेशनों के लिए गोलाकार बटरफ्लाई और रोटरी बाल्ब और सहायक उपकरण

डी जी विद्युत संयंत्र

- एचएसडी, एलडीओ, एफओ, एलएसएचएस, प्राकृतिक गैस/बायोगैस आधारित डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्र, टर्नकी आधार पर आपातकाल, पीकिंग तथा बेस लोड प्रचालनों के लिए 20 मेगावाट तथा 11 किलोवाट तक की वोल्टेज क्षमता वाले यूनिट।

औद्योगिक सेट

- 7 से 270 मेगावाट की क्षमता वाले औद्योगिक टर्बो सैट।
- 25 से 292 मेगावाट (आईएसओ) क्षमता के गैस टर्बाइन एवं मैचिंग जेनरेटर।
- ड्राइव उपयोगों तथा सह उत्पादन उपयोगों के लिए औद्योगिक स्टीम टर्बाइनें तथा गैस टर्बाइनें।
- 120 से 150 मेगावाट तक रिहीट स्टीम टर्बाइन और समतुल्य जेनरेटर

कास्टिंग एवं फ़ोर्जिंग

- परिष्कृत भारी कास्टिंग एवं क्रीप रोधी एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एवं ग्रेड की एलॉय स्टील जो सब–क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल तथा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रॉद्योगिकी के उपकरणों हेतु सख़्त अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टिताओं को पूरा सके।

बॉयलर

- कोयला, लिग्नाइट, तेल, प्राकृतिक गैस अथवा इन ईंधनों के सम्मिश्रण का उपयोग करके 30 से 800 मेगावाट तक की क्षमता वाली यूटिलिटियों के लिए स्टीम जेनरेटर, 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक के सुपरक्रिटिकल मानदंडों वाले बॉयलरों का निर्माण करने की क्षमता।
- कोयला, प्राकृतिक गैस, औद्योगिक गैस, बायोमास, लिग्नाइट, तेल, बेगास अथवा इन ईंधनों के सम्मिश्रण का उपयोग कर 40 से 450 टन प्रति घंटे की क्षमता वाले औद्योगिक उपयोगों के लिए स्टीम जेनरेटर्स।
  - पल्वराइज्ड ईंधन फायर्ड बॉयलर
  - स्टोकर बॉयलर
  - बबलिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन (बीएफबीसी) बॉयलर
  - सर्कुलेटिंग फ्ल्युडाइज्ड बेड कम्बशन बॉयलर सीएफ़बीसी
- हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (एचआरएसजी)
- सूखे ठोसों के 100 से 1000 टन प्रति दिन की क्षमता वाले कागज उद्योग के लिए रासायनिक रिकवरी बॉयलर।

बॉयलर ऑग्जीलियरीज

- **पंखे**
  - ❖ 40 से 1300 घनमीटर/सेकेंड तक की क्षमता और 400 से 1500 मिमी. डब्ल्यूसी तक दाब सहित 200 यूसी तक धूल भरी उष्म गैस प्रयोग और स्वच्छ वायु प्रयोग के

लिए एक एवं दो चरण के एक्सियल रिएक्शन पंखे

- ❖ 25 से 600 घन मीटर/सेकेंड तक की क्षमता और 300 से 700 तक मिमी डब्ल्यूसी तक दाब सहित 200 सी तक के स्वच्छ वायु और दग्ध गैस दोनों प्रयोगों के लिए एक्सियल इंपल्स पंखे
- ❖ गैस कॉलम की 4 से 660 घन मीटर प्रति सेकेंड तक की क्षमता तथा 200 से 3000 तक की दाब वाली स्वच्छ हवा और धूल भरी गर्म गैसों के उपयोगों के लिए एकल एवं दोहरे सक्शन रेडियल पंखे।

- **एयर प्रीहीटर**
  - ❖ औद्योगिक और यूटीलिटी बॉयलरों के लिए ट्यूबुलर एयर प्रिहीटर
  - ❖ बॉयलरों और प्रोसेस फर्नेस के लिए रोटरी रिजेनरेटिव एयर प्रिहीटर
  - ❖ 800 मेगावाट तक की यूटीलिटी के लिए बडे रोटरी रिजेनेरेटिव एयर प्रिहीटर
- **पल्वेराइजर**
  - ❖ 67.5 मेगावॉट से 800 मेगावॉट क्षमता के थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 18 टन/प्रति घंटे से 110 टन प्रति घंटे की क्षमता वाले कोयला फ़ायर्ड थर्मल स्टेशनों हेतु धीमी एवं मध्यम गति के बाउल मिल।
  - ❖ 110 मेगावॉट से 500 मेगावॉट तक के थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 30 टन/प्रति घंटे से 110 टन/प्रति घंटे के उच्च राख संघटक वाले निम्न श्रेणी कोयला पल्वेराइजिंग के लिए ट्यूब मील।
- **इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रोसिपिटेटर (ईएसपी)**
  - ❖ बायोमास प्रज्जवलित बॉयलरों, सीमेंट संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों, सोडा प्राप्ति बॉयलरों आदि सहित यूटीलिटी और औद्योगिक प्रयोगों के लिए 17 मिग्रा/ना.घ.मी. (99.97 प्रतिशत तक की क्षमता) तक निकासी उत्सर्जन सहित किसी भी क्षमता का इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिरेटर
- **गुलीटाइन गेट्स और डैम्पर्स**
  - ❖ इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिव एक्चुएटर के साथ गुलीटाइन गेट्स 6 मीटर ऊँचे और 7 मीटर चौड़े (स्प्लिट सहित) आकार वाले/सील एयर सहित 100% रिसाव रोधी
  - ❖ इलेक्ट्रिक/एक्चुएटर के साथ बाई–प्लेन डैम्पर्स 7 मीटर ऊँचे और 5 मीटर चौड़े आकार वाले 1 सील एयर सहित 100% रिसाव रोधी
  - ❖ इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिक एक्चुएटर सहित लाउवर डैम्पर्स (सुलाबंद/नियमनकारी)/7 मीटर ऊँचे और 5 मीटर चौड़े आकार वाले
  - ❖ न्यूमैट्रिक एक्चुएटर के साथ कन्ट्रोल डैम्पर्स (रेग्युलेटिंग)। 11 मीटर ऊँचे (स्प्लिट निर्माण) एवं 4.5 मीटर चौड़े आकार के।

- ग्रेवीमैट्रिक फ़ीडर्स
- यूटिलिटी एवं औद्योगिक उपयोग के लिए बैग फ़िल्टर
- समुद्री जल/लाइमस्टोन सल्री स्क्रबर के साथ फ़्लू गैस डिसएफराइज़ेशन (एफजीडी, प्रणाली)
- ऑक्सिलरी बॉयलरों और अन्य फ्लू गैस एक्ज़ॉस्ट उपयोगों के लिए स्टील चिमनी

सूट ब्लोअर्स

- 12.2 मीटर तक चलने वाले लम्बे रिट्रेक्टेबलर सूट ब्लोअर्स (एलआरएसबी)
- 6.9 मीटर तथा 8.3 मीटर लम्बाई तक चलने वाले फ़र्नेस टेम्परेचर प्रोब (एफटीपी)
- एयर के हीटरों के लिए फ़ॉर्वर्ड ब्लोविंग के साथ लम्बे रिट्रेक्टेबल नॉन–रोटेटिंग (एलआरएनआर) सूट ब्लोअर्स
- सीएफडीसी बॉयलर उपयोगों के लए एश डिस्चार्ज वाल्व
- इन्टीग्रल स्टार्टर के साथ सूट ब्लोअर्स
- पीएलसी अनुक्रमिक सूट ब्लाअर्स
- रैक टाइप लम्बे रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर्स
- वॉल ब्लोअर्स
- रोटरी सूट ब्लोअर्स

वाल्व

- युटिलिटी एवं औद्योगिकी उपयोग के लिए उच्च दाब तथा निम्न दाब बायपास वाल्व एवं हाइड्रॉलिक प्रणाली
- 900 मिमी व्यास, 4500 (791 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर) के अधिकतम दाव श्रेणी और 650° सेंटीग्रेड तापक्रम तक स्टीम, तेल और गैस कार्यों के लिए उच्च और मध्यम प्रैशर वाल्व, गेट, ग्लोब के ढलंग और फोर्ज इस्पात, वन रिर्टन वाल्व (स्विंग चेक और पिस्टन लिफ्ट चैक) किस्म
- 900 एमएम अधिकतम श्रेणी 1500 एवं 690° सेन्टिग्रेड तक के हॉट–रिहॉट एवं क़ोल्ड रिहॉट आइसोलेटिंग डिवाइसिस
- 217 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर के निर्धारित दाब और 571° सेंटीग्रेड तक तापक्रम के लिए उच्च क्षमता के सुरक्षा वाल्व और स्वचालित विद्युत प्रचालित प्रैशर रिलीफ वाल्व
- 421 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर के निर्धारित दाब और 537° सेंटीग्रेड तक तापक्रम के लिए विद्युत प्रक्रिया और अन्य उद्योगों में प्रयोग हेतु सुरक्षा रिलीफ वाल्व
- 2700 मिमी आकार में अधिकतम ब्यास वाले रिएक्टिव–कम–एब्जॉर्बप्टिव टाइप साइलेंसर
- एंगल ड्रेन वाल्व–टर्बाइन ड्रेन उपयोग के लिए सिंगल एवं मल्टी स्टेज सर्विस कन्ट्रोल वाल्व
- 800 मिमी ब्यास 105 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर दाब का 540° सेंटीग्रेड तापक्रम तक के निष्कर्षण लाइनों के लिए शीघ्र बंद होने वाले नन–रिर्टन वाल्व और कोल्ड रिहीड नन–रिटर्न वाल्व

पाइपिंग प्रणालियां

- सुपर क्रिटिकल सेटों सहित 1000 मेगावाट क्षमता तक के विद्युत स्टेशनों के लिए परिचालन जल पाइपिंग सहित विद्युत चक्र पाइपिंग, स्पिर भार हैंगर्स, परिवर्ती स्प्रिंग हैंगर्स, हैंगर संघटक, निम्न दाब पाइपिंग
- न्यूक्लियर विद्युत स्टेशनों, संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों तथा प्रक्रिया उद्योगों में विद्युत संयंत्रों के लिए पाइपिंग प्रणालियां

सीमलेस स्टील ट्यूबें

- एएसटीएम/एपीआई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टियों के लिए उपयुक्त कार्बन स्टील और निम्न मिश्रधातु स्टील में 19 से 133 मिमी तक के बाहरी ब्यास और 2 से 12.5 मिमी तक की मोटाई की सीमा सहित उष्म निर्मित और कोल्ड ड्रॉन सीमलेस स्टील ट्यूबें।
- राईफल्ड ट्यूब
- स्पाईरल फिंड ट्यूब

हीट एक्सचेंजर तथा प्रेशर वेसेल्स

- सीएस/एएस/एसएस/नॉन फेरसशेल एवं ट्यूब हीट एक्सचेंजर तथा प्रेषर वेसेल्स.
- एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर
- स्टीम जेट एयर एजेक्टर
- डिएरेटर्स
- ग्लैंड स्टीम कंडेन्सर्स
- ड्रेन कूलर्स
- एलपी और एचपी भरण जल हीटर्स
- गैस कूलर्स, ऑयल कूलर्स, एयर कूलर्स

कंडेन्सर और हीट एक्सचेंजर

- सर्फेस कंडेन्सर :
  - ❖ 12.5 मेगावाट समुद्री
  - ❖ 20 से 500 मेगावाट थर्मल
  - ❖ 236 मेगावाट न्यूक्लियर
  - ❖ औद्योगिक कंडेन्सर
- फीड वाटर हीटर :
  - ❖ 20 से 500 मेगावाट थर्मल
  - ❖ 236 और 500 एवं 700 मेगावाट न्यूक्लियर
- आर्द्रता सेपरेटर और रि–हीटर्स :
  - ❖ 236 और 500 एवं 700 मेगावाट न्यूक्लियर
- टर्बो और हाइड्रोजेनेरेटरों के लिए ऑक्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स :
  - ❖ एयर कूलर्स (फ्रेम और ट्यूब किस्म
  - ❖ ऑयल कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म तथा प्लग–इन किस्म)
  - ❖ हाइड्रोजन कूलर्स (फ्रेम और ट्यूब किस्म)
- ट्रांसफॉर्मरों के लिए ऑक्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स :
  - ❖ ऑयल कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म एकल ट्यूब अथवा संकेंद्रिक दोहरा ट्यूब किस्म किस्म) (फ्रेम और ट्यूब किस्म)
- सामान्य प्रयोग के लिए ऑक्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स :
  - ❖ वाटर – वाटर कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म)
- निम्नलिखित के लिए औद्योगिक हीट एक्सचेंजर्स :
  - ❖ रिफाइनरी
  - ❖ पेट्रो–केमिकल्स
  - ❖ फर्टिलाइजर्स

पम्प

- 1000 मेगावाट तक की क्षमता वाली यूटीलिटियों के उपयुक्त विभिन्न प्रयोगों के लिए पम्प
- बॉयलर फीड पम्प (मोटर अथवा स्टीम टर्बाइन चालित)
- बॉयलर फीड बूस्टर पम्प
- कंडेन्सेट पम्प
- सर्कुलेटिंग वाटर पम्प

विलवणीकरण और जल शोधन संयंत्र

- घरेलू और औद्योगिक प्रयोगों के लिए समुद्रीजल, उच्च खारे और अपशिष्ट जल के शोधन के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) आधारित विलवणीकरण संयंत्र
- सेवा/वहनीय/बॉयलर भरण मेक–अप आवश्यकताओं के लिए जल उत्पादन हेतु संयंत्र के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस विखनिजीकरण (आरओ–डीएम) संयंत्र
- आरओ प्रयोग के लिए उपयुक्त खारेजल के शोधन हेतु शोधन–पूर्व (मेम्ब्रेन आधारित/पारंपरिक) प्रणालियों की विभिन्न किस्में
- पुनः उपयोग एवं रिसाइकिल के लिए मल एवं अपशिष्टा जल शोधन संयन्त्र
- विलवणीकरण संयंत्रों का प्रचालन और अनुरक्षण

स्वाचालन और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां

- सब–क्रिटिकल थर्मल यूटीलिटी और औद्योगिक यूटीलिटी तथा ओद्यौगिक सीपीपी [स्टीम टर्बाइनों, स्टीम जेनरेटरों, बीएफपी चालित टर्बाइनों, गैस बूस्टर कंप्रेसरों तथा शेष संयंत्र प्रणालियों के लिए नियंत्रण (डीसीएस)] सहित विद्युत संयंत्रों के लिए एकीकृत स्वाचालन
- गैस टर्बाइन नियंत्रण प्रणालियां
- हाइड्रो विद्युत संयंत्र नियंत्रण प्रणालियां
- एक्साइटेशन प्रणालियां
- औद्योगिक स्वचालन

- सब–स्टेशन स्वाचालन प्रणाली (एसएएस) और पर्यवेक्षीय नियंत्रण तथा आंकडा अधिग्रहण प्रणालियां (स्काडा)
- एसी ड्राइव प्रणालियां
- स्टेटिक स्टार्टर
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए ट्रैक्शन ड्राइव प्रणालियां
- एचवीडीसी प्रणालियां/फैक्ट्स/कस्टम पावर कंट्रोलर्स
- स्टेटिक वीएआर कम्पेनशेसन (एसवीसी) प्रणालियां
- इंडक्शन हीटिंग उपस्कर

सेमिकंडक्टर और फोटोवोल्टिक प्रणालियां

- पावर सेमिकंडक्टर उपकरण
- सौलर फोटोवोल्टिक सेल (मोनो/मल्टी)
- फोटोवोल्टिक माड्यूल
- पीवी प्रणलियां
- ग्रिड इंटरएक्टिव, हाइब्रिड और स्टैंड अलोन पीवी विद्युत संयंत्र
- स्पेस ग्रेड सौलर पीवी पैनल
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए बैटरियां

स्विचगियर

36 केवी तप वोल्टता रेटिंग और गैस विसंवाहित स्विचगियरों (36 केवी–145 केवी) के लिए भीतरी और बाहरी प्रयोगों हेतु विभिन्न किस्मों के माध्यम वैक्यूम स्विचगियर

- 12 केवी, 50 केए, 3500 एम्पियर तक के भीतरी स्विचगियर, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एवं कम्बाइंड साईकल पावर प्लांट प्राजेक्ट के लिए
- 36 केवी, 31.5 केए, 2500 एम्पियर तक के भीतरी स्विचगियर, उद्योग एवं रिफाइनरी के लिए
- 12 केवी, 25 केए, 1250 एम्पियर के भीतरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स वितरण प्रणाली के लिए
- 36 केवी, 25 केए, 2000 एम्पियर के बाहरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स ट्रांसमिशन एवं वितरण खंड के लिए
- 12 केवी, 25 केए, 1250 एम्पियर के बाहरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स वितरण खंड के लिए
- 25 केवी, 25 केए, 1600 एम्पियर के बाहरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स ट्रैक साईड रेलवे अनुप्रयोग के लिए
- 12 केवी ग्रामीण खंड के लिए आउटडोर पोल माउन्टेंड ऑटोरिक्लोजर/ सैक्शनेलाइनर कैपेसिटर स्विच
- रिफ़ाइनरियों, शहरी सब–स्टेशनों के लिए गैस विसंवाहित स्विचगियर 36 केवी – 25 केवी 1600 एम्पी
- ट्रान्स्मिशन खंड के लिए 145 केवी 40 केए 2500 एम्पी. के गैस इन्सुलेटेड स्विचगीयर
- एसएफ6 सर्किट ब्रेकर्स (145 केवी – 800 केवी)

बस डक्ट

- 800 मेगावाट तक की क्षमता यूटीलिटियों के जेनरेटर विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त संबंद्ध उपस्कर सहित बस डक्ट

ट्रांसफॉर्मर

- 1200 केवी तक की वोल्टता के लिए विद्युत ट्रांसफॉर्मर
- जेनरेटर ट्रांसफॉर्मर (500एमवीए, 400 केवी, 3फेज/400एमवीए, 400 केवी, 1फेज तक)
- ऑटो ट्रांसफॉर्मर (1000एमवीए, 400केवी, 3फेज/600एमवीए, 400केवी, 1फेज/1000 एमवीए, 765केवी, 1फेज/1000 एमवीए, 1200 केवी, 1फेज तक)
- कन्वर्टर ट्रांस्फॉर्मर/स्मूदिंग रिएक्शन (600एमवीए, ±500केवी/254एमवीएआर, ±500केवी तक)
- शंट रिएक्टर (150 एमवीएआर, 420 केवी, 3 फेज/110 एमवीएआर, 765 केवी, 1 फेज तक)
- कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (200 एमवीए, 420 केवी, 3 फेज/150 एमवीएआर, 420 केवी, 1 फेज/110 एमवीएआर, 765 केवी, 1 फेज तक)
- फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर (315 एमवीए, 400 केवी, 3 फेज तक)
- इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफार्मर
  - ❖ 400 केवी तक के करंट ट्रांसफार्मर
  - ❖ 220 केवी तक के इलेक्ट्रो मेग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफार्मर
  - ❖ 400 केवी तक के कैपीसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर
- विशेष ट्रांसफॉर्मर
  - ❖ 132 केवी, 66 केए तक रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर
  - ❖ 33 केवी, 100 एमवीए तक फर्नेस ट्रांसफॉर्मर
- ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर
  - ❖ 25 केवी, 7475 केवीए तक फ्रेट लोको ट्रांसफॉर्मर
  - ❖ 25 केवी, 1550 केवीए तक एसीइएमयू ट्रांसफॉर्मर
- ईएसपी (एचवीआर) ट्रांसफॉर्मर 100 केवी 1400 एमए
- रेक्टिफ़ायर ट्रान्स्फ़ॉर्मर 120 के एएमपी, 132 केवी क्लास
- 15000 केवीए तक ड्राई टाईप ट्रांसफॉर्मर
  - ❖ 3.3 एमएच, 2700 एम्पियर तक स्मूदिंग रिएक्टर
  - ❖ 300 एमएच, 120 एम्पियर तक शुष्क किस्म रिएक्टर
  - ❖ 0.5 एमएच, 4600 एम्पियर तक डीसी चोक

- 15 एमवीए, 33 केवी तक के कास्ट रंजिन शुष्क किस्म ट्रांसफॉर्मर अर्थिंग, फर्नेस, रेक्टिफायर, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेयर, फ्रेट लोको, एसी इएमयू और ट्रैक्शन के लिए विशेष ट्रांसफॉर्मर

इंसुलेटर्स

- हाई टेंशन सेरामिक इंसुलेटर्स
  - ❖ स्वच्छ एवं प्रदूषित वातावरणों के लिए 45 से 420 केएन तक इलेक्ट्रोमैकेनिकल शक्ति के एसी/डीसी उपयोगों के लिए डिस्क/सस्पेंशन इंसुलेटर। 800 केवी एसी और डीसी प्रयोगों के लिए उपयुक्त
  - ❖ रेडियो फ्री डिजाइन सहित 33 केवी तक के पिन इंसुलेटर्स
  - ❖ ट्रांसफार्मरों, एसएफ 6 सर्किट ब्रेकरों के लिए 800 केवी तक के हॉलो पोर्सिलेन
  - ❖ सब स्टेशन में प्रयोग के लिए बस पोस्ट और आइसोलेटरों के लिए 400 केवी तक के सॉलिड कोर इंसुलेटर
  - ❖ 25 केवी रेलवे ट्रेक्शन के लिए सॉलिड कोर पोर्सिलेन इंसुलेटर
  - ❖ 25 केवी रेलवे ट्रैक्शन और 400 केवी तक एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए इंसुलेटर
- वीयर प्रतिरोधी सामग्री (सिरालीन)
  - ❖ ताप विद्युत स्टेशनों में वीयर प्रतिरोधी प्रयोग तथा विभिन्न अन्य प्रयोगों के लिए सिरामिक लाइनर्स

औद्योगिक तथा विशेष सिरामिक

- बॉयलर ड्रम जल स्तर अनुवीक्षण (भेल विज़न प्रणाली) में प्रयुक्त ईडब्ल्यूएलआई–इलेक्ट्रॉनिक जल स्तर संकेतक, क्रिसमस ट्री वाल्व के लिए सिरामिक और टंगस्टन कार्बाइड फलो बीन्स

कैपेसिटर्स

- पावर फैक्टर सुधार (मोटर कैपेसिटर्स) के लिए एच.टी. कैपेसिटर्स, 3.3 से 11 केवी डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक
- शंट, सीरीज और एसवीसी (स्टेटिक वीएआर कम्पनशेसन) हार्मोनिक फिल्टर और एचवीडीसी प्रयोगों के लिए एच.टी. कैपेसिटर्स
- सीवीटी के लिए कैपेसिटर डिवाइडर
- पीएलसीसी के लिए कपलिंग कैपेसिटर
- जेनरेटर और ट्रांसफॉर्मर के संरक्षण के लिए सर्ज कैपेसिटर
- ट्रैक्शन लोकोमोटिव के लिए रूफ कैपेसिटर

बुशिंग्स

- ट्रांसफॉर्मर प्रयोगों के लिए 52 से 400 केवी ओआईपी कंडेन्सर बुशिंग्स
- 25 केवी लोकोमोटिव बुशिंग्स
- केबल बॉक्स और वॉल बुशिंग्स जैसी विशेष प्रयोग बुशिंग्स

ऑन लोड टेप चेंजर्स (ओएलटीसी)

विद्युत ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, स्टेशन ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर आदि जैसे विभिन्न प्रयोगों के लिए ऑन लोड टैप चेंजर

- सिंगल/3 फ़ेज़ डिज़ाइन में 300 केवी, 1800 ए, 35 पोज़िशन तक के ऑनलोड टेप चेन्जर
- 400 केवी श्रेणी ट्रांसफॉर्मर तक के लिए ऑन लोड टैप चेंजर
- 300 केवी तक के लिए ऑफ सर्किट टैप स्विच

विद्युत मशीनें

एसी स्क्विरल केज, स्लिपरिंग, सिंक्रोनस मोटरों, बेरीएबल स्पीड मोटर्स, औद्योगिक अल्टरनेटरों तथा जोखिम क्षेत्रों के लिए मोटरों का उत्पादन नीचे वर्णित रेंज के अनुसार किया जाता है। विशेष प्रयोजनार्थ मशीनों का निर्माण अनुरोध पर किया जाता है।

- सुरक्षित क्षेत्र प्रयोग के लिए एसी मशीनें
  - ❖ इंडक्शन मोटरें
    - सिक्वरेल केज मोटर–150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू
    - स्लिपरिंग मोटर–150 केडब्ल्यू से 10000 केडब्ल्यू
  - ❖ सिंक्रोनस मोटरें
    - 1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू
  - ❖ वैरिएबल स्पीड मोटर
    - 150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू (स्क्वायरल केज मोटर
    - 1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू (सिंक्रोनस मोटर)
- जोखिमपूर्ण क्षेत्र में प्रयोगों के लिए एसी मशीनें (नियत गति अथवा वीएफडी के साथ)
  - ❖ फ्लेम प्रूफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटरें (ईएक्स 'डी')
    - 150 केडब्ल्यू से 1500 केडब्ल्यू
  - ❖ नॉन स्पार्किंग स्किविरेल केज इंडक्शन मोटर (ईएक्स 'एन')
    - 150 केडब्ल्यू से 4000 केडब्ल्यू (अनुरोध पर उच्चतर रेटिंग)
  - ❖ इन्क्रीज्ड सेफ्टी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर (ईएक्स 'ई')
    - 150 केडब्ल्यू से 4000 केडब्ल्यू (अनुरोध पर उच्चतर रेटिंग)
  - ❖ प्रेशराइज्ड मोटर (ईएक्स 'पी')
    - 150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू (स्क्वायरल केज मोटर)
    - 1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू (सिंक्रोनस मोटर)
- मिल ड्यूटी मोटर
  - ❖ स्पीड बेस स्पीड >150 आरपीएम के साथ 150 केडब्ल्यू से 5000 केडब्ल्यू

- इंडस्ट्रियल आल्टनेटर्स (स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन तथा डीजल इंजन चालित)
  - ❖ 3000 केवीए से 25,000 केवीए
- इंडक्शन जेनेरेटर्स
  - ❖ 300 केवीए से 6000 केवीए
- वोल्टेज फ्रिक्वेंसी और एनक्लोजर्स
  - ❖ वोल्टेज एसी–415 वो. से 13800 वो.
  - ❖ फ्रिक्वेंसी – 50 हार्टज और 60 हार्टज
  - ❖ एनक्लोजर – एसपीडीपी, टीईटीवी, सीएसीडब्ल्यू, सीएसीए और डक्ट वेंटिलेटेड
- 160 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 2–पोल गैस टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स
- 33 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 4–पोल गैस टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स
- 160 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 2–पोल स्टीम टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स
- 33 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 4–पोल स्टीम टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स

कंप्रेसर्स

- उर्वरक, पेट्रो–रसायन, पाइपलाइन और इस्पात उद्योग के लिए अपेक्षित लगभग सभी किस्मों के गैस प्रहस्तन के विभिन्न औद्योगिक प्रयोगों के लिए स्टीम टबाईन/गैस टबाईन/मोटर द्वारा चालित भिन्न–भिन्न आकार के अपकेंद्रिक कंप्रेसर्स; सीमा अधिकतम 350 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर तक का विकास दाब और 900,000 Nm^3/घंटा की क्षमता शामिल करती है।

कंट्रोल गियर

- **औद्योगिक कंट्रोल गियर**
  - ❖ ईएसपी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स
  - ❖ एल्टरनेटर्स एवं मोटर्स के लिए एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम
  - ❖ पीएलसी आधारित डिजिटल कंट्रोल सहित वृहद धारा रेक्टिफायर्स
  - ❖ डिजीटल एवीआर और नियंत्रक
  - ❖ इस्पात, अल्युमीनियम, सीमेंट, कागज़, रबड़, खनन, चीनी और पेट्रो–रसायन उद्योगों में प्रयोग के लिए कंट्रोल पैनल और क्यूबिकल्स
- **ऑयल रिग कंट्रोल्स**
  - ❖ एसी विद्युत नियंत्रण कक्ष
  - ❖ डीसी विद्युत नियंत्रण कक्ष
  - ❖ पावर पैक (डीजी सेट)
  - ❖ एसी कन्ट्रोल मॉड्यूल
  - ❖ डीसी कन्ट्रोल मॉड्यूल
  - ❖ ड्रिलर कन्सोल
- **कंटेक्टर्स**
  - ❖ 660 वोल्ट तक वोल्टेज के लिए एलटी एयर ब्रेक टाइप एसी
  - ❖ 600 वोल्ट तक वोल्टेज के लिए एलटी एयर ब्रेक टाइप डीसी कंटेक्टर्स
  - ❖ 11केवी तक वोल्टेज के लिए एचटी वैक्यूम टाइप एसी
- **ट्रैक्शन कंट्रोल गियर**
  - ❖ एसी इलेक्ट्रिक एवं डीज़ल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ईएमयू, डीईएमयू, डीईटीसी मेट्रो रेलवे और अन्य ट्रैक्शन प्रयोगों के लिए कंट्रोल गियर उपस्कर
  - ❖ ट्रैक्शन उपयोगों के लिए ईपी कंटैक्टर्स, ईएम कंटैक्टर्स, ईएम रिले और ईपी ऑफलोड स्विचेज, आइसोलेटिंग स्विच, रेसिस्टर्स, रेसिस्टर्स पैनल आदि
  - ❖ मास्टर्स कंट्रोलर्स
  - ❖ डायनेमिक ब्रेकिंग रेसिस्टर्स
  - ❖ कंट्रोल क्यूबिकल्स
  - ❖ डीई लोको के लिए एक्साइटेशन कन्ट्रोल एवं वोल्टेज रेग्युलेटर पेनल
  - ❖ रेक्टिफायर्स
  - ❖ ऑक्जिलियरी कन्वर्टर्स
- **कंट्रोल और रिले पैनल**
  - ❖ 400केवी तक की वोल्टेज के लिए ईएचवी पारेषण परियोजनाओं हेतु कंट्रोल और प्रोटेक्शन पैनल
  - ❖ सिक्रोनाईजिंग ट्रॉली/स्विंग पैनल
  - ❖ तापीय, न्यूक्लियर, हाइड्रो और संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र परियोजनाओं के लिए 600 मेगावाट तक बड़े जेनेरेटरों के लिए प्रोटेक्शन पैनल
  - ❖ एमवी स्विचगियर के लिए रिमोट कंट्रोल और रिले पैनर्ल
  - ❖ हाइड्रो सेट के लिए टर्बाइन गेज पैनल
  - ❖ आउटडोर–किस्म कंट्रोल पैनल और मार्शलिंग कियोस्क
  - ❖ रिमोट ट्रांसफॉर्मर टैप–चेंजर कंट्रोल पैनल
  - ❖ एलटी स्विचगीयर, स्कैप एवं थइरिस्टर पैनल

परिवहन उपस्कर

- **टैक्शन मशीनें**
  - ❖ सभी रेंज के लोको और ईएमयू के लिए एसी ट्रैक्शन मोटर
  - ❖ सभी रेंज के लोको और ईएमयू के लिए डीसी ट्रैक्शन मोटर
  - ❖ सभी रेंज के डीई लोको और ईएमयू के लिए एसी ट्रैक्शन एल्टरनेटर
  - ❖ 2000 केडब्ल्यू तक डीसी ट्रैक्शन जेनेरेटर

- ❖ सभी किस्म की आवश्यकताओं के लिए मोटर जेनरेटर सेट
- ❖ सभी किस्म की आवश्यकताओं के लिए ऑक्जिलियरी जेनरेटर और एक्सयूटर्स
- ❖ रेडिएटर फैन के लिए एडी करेंट क्लच
- ❖ डायनेमिक ब्रेकिंग प्रणाली के लिए डीसी ब्लोअर मोटर
- ❖ ट्रैक्शन ग्रेडगियर और पिनियन

- **परिवहन प्रणाली**
  - ❖ ट्रैक्शन प्रणालियां
  - ❖ शहरी परिवहन प्रणालियां
  - ❖ एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
  - ❖ एसी–डीसी दोहरा वोल्टता इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
  - ❖ डीजल–इलेक्ट्रिक एवं डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव
  - ❖ बैटरी चालित लोकोमोटिव
  - ❖ ओएचई रिकार्डिंग–सह–टेस्ट कार
  - ❖ बॉगीज
  - ❖ डायनेमिक ट्रैक स्टेबिलाइजर्स
  - ❖ वेल वैगन
  - ❖ रेल–सह–सड़क वाहन
  - ❖ यूटीलिटी वाहन
  - ❖ बैलास्ट क्लिनिंग मशीन

ऑयल फील्ड उपस्कर

ऑयल रिग –

- 9000 मी. तक की गहराई के लिए एसी–एससीआर तथा एसी तकनीक के साथ विविध प्रकार की तटीय ड्रिलिंग रिंग मैचिंग ड्रा वर्क्स एवं होईस्टिंग उपकरण के साथ वर्क ओवर रिग, मोबाईल रिग, हेली रिग, डेजर्ट रिग सहित :
  - ❖ मास्ट तथा उपसंरचना
  - ❖ घूर्णन उपकरण
  - ❖ पम्प सहित मड प्रणाली
  - ❖ पावर पैक और रिग इलेक्ट्रिक्स
  - ❖ रिग इंस्ट्रुमेंटेशन
  - ❖ रिग यूटिलिटी तथा सहायक उपकरण
  - ❖ बीएचईएल और गैर–बीएचईएल निर्मित ऑयल रिगों का पुनःमार्जन और उन्नयन
  - ❖ सभी अपेक्षित रेन्जों के लिए डीसी ऑइल रिग
  - ❖ सभी अपेक्षित रेन्जों के लिए ऑइल रिग ऑल्टर्नेटर

- **ऑयल फील्ड उपस्कर**
  - ❖ 15000 पीएसआई तक वेल हेड्स और क्रिसमस ट्रीज, मड लाइन सस्पेंशन, चोक और किल मेनीफोल्ड, सीबीएम वेलहेड्स डीएसपीएमएच– मनीफोल्ड असेम्बली, मड वाल्व, ईएसपी हेंगर्स, ब्लॉक टाईप क्रिसमिस ट्री
  - ❖ डायरेक्ट वाटर लेवल गेज

वितरित विद्युत उत्पादन और लघु हाइड्रो संयंत्र

- 600 किवा रेटिंग तक विंड इलेक्ट्रिक जेनरेटर
- 25 मेगावाट तक की स्टेशन क्षमता के लघु हाइड्रो विद्युत संयंत्र

रक्षा इलेक्ट्रानिक्स

- सिमफायर टैंकटिकल गनरी सिमुलेटर
- टैकटिकल गनरी प्रशिक्षण के लिए इन्फैंट्री विपन एफेक्ट्स सिमुलेटर
- इन्टेगरेटेड प्लेटफार्म मैनजमेंट सिस्टम (आईपीएमएस)
- शिप कन्ट्रोल प्रणाली

प्रणालियां और सेवाएं

- **विद्युत उत्पादन प्रणालियां**
  - ❖ टर्नकी विद्युत स्टेशन/ईपीसी संविदाएं
  - ❖ संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र
  - ❖ सह उत्पादन प्रणालियां
  - ❖ कैप्टिव विद्युत संयंत्र
  - ❖ विद्युत स्टेशनों का आधुनिकीकरण और नवीकरण और आरएलए अध्ययन
  - ❖ यूटीलिटियों के लिए सिमुलेटर्स सहित सॉफटवेयर पैकेज
  - ❖ ताप और जल विद्युत संयंत्रों के लिए कार्य निष्पादन विश्लेषण, नैदानिक और इष्टतमीकरण (पीएडीओ)
  - ❖ उद्यम परिसंपति प्रबंध प्रणाली (ईएएमएस)

सभी उपर्युक्त प्रणालियों के लिए उत्पादन, कमीशनिंग, समर्थन सेवाएं, अतिरिक्त पुर्जा प्रबंधन और परामर्शी सेवाएं

- **ट्रांसमिशन प्रणलियां**
  - ❖ सबस्टेशन/स्विचयार्ड
  - ❖ शंट और सीरीज कंपनसेशन प्रणलियां
  - ❖ विद्युत प्रणाली विश्लेषण और नियंत्रण
  - ❖ एचवीडीसी ट्रान्समिशन प्रणलियां

औद्योगिक प्रणालियां

- सिविल और संरचनात्मक, यांत्रिक, विद्युतीय कार्य तथा स्वचालन प्रणालियों सहित संपूर्ण कोयला प्रहस्तन संयंत्र और राख प्रहस्तन संयंत्र
- संपूर्ण माइन विंडर सिस्टम्स
- कच्ची सामग्रियों के प्रसंस्करण और सुगठित बनाने, लौह निर्माण, प्राथमिक और गौण इस्पात निर्माण लंबे उत्पादों तथा चिपटे उत्पादों दोनो के लिए मिल तथा प्रोसेस लाइनों जैसे कास्टर्स और स्टील निर्माण के लिए संपूर्ण इलेक्ट्रिक्स, ड्राइव्स, कंट्रोल और स्वचालन प्रणालियां
- इस्पात तथा अन्य उद्योगों के लिए सिविल और संरचात्मक, यांत्रिक, विद्युतीय और स्वचालन प्रणालियों सहित संपूर्ण कच्ची सामग्री प्रहस्तन प्रणाली
- आल्युमीनियम संयंत्रों के लिए अल्युमीनियम स्मेल्टर तथा प्रसंस्करण मिलो के लिए उच्च धारा रेक्टिफायर हेतु संपूर्ण इलेक्ट्रिक्स और स्वचालन प्रणाली
- स्वचालित भंडारण और पुनः प्राप्ति प्रणालियां (एएसआरएस)
- हाइड्रो विद्युत संयन्त्रों के लिए बैलेन्स ऑफ़ प्लान्ट्स (बीओपी)

भारत में बीएचईएल

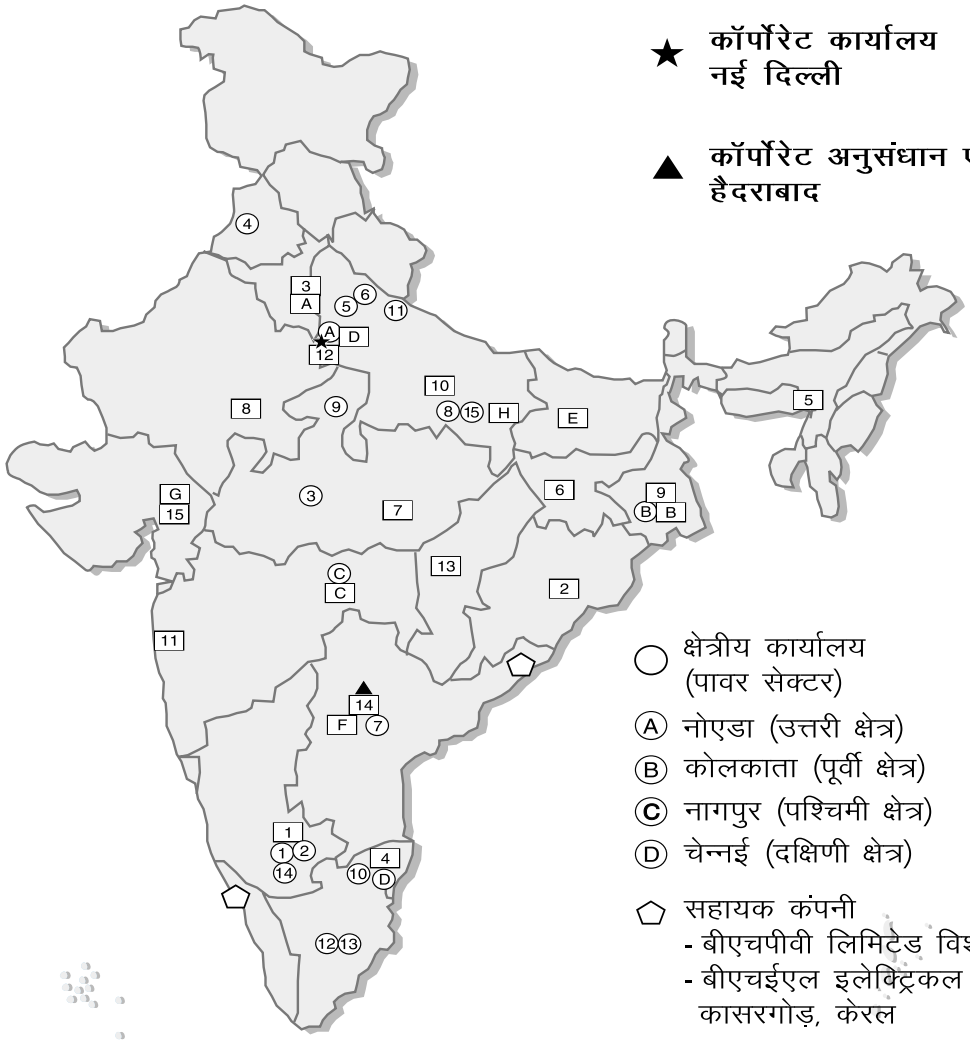

▭ व्यवसाय कार्यालय

1 बेंगलूरु
2 भुवनेशवर
3 चंडीगढ़
4 चेन्नई
5 गुवाहाटी
6 रॉची
7 जबलपुर
8 जयपुर
9 कोलकाता
10 लखनऊ
11 मुम्बई
12 नई दिल्ली
13 रायपुर
14 सिकन्दराबाद
15 वड़ोदरा

◯ विनिर्माण इकाईयां

⑭①② बेंगलूरु
③ भोपाल
④ गोइंदवाल
⑤⑥ हरिद्वार
⑦ हैदराबाद
⑮⑧ जगदीशपुर
⑨ झांसी
⑩ रानीपेट
⑪ रुद्रपुर
⑫⑬ तिरुचिरापल्ली

▭ सेवा केन्द्र

A चंडीगढ़
B कोलकाता
C नागपुर
D नोएडा
E पटना
F सिकन्दराबाद
G वड़ोदरा
H वाराणसी

वैश्विक व्यापार

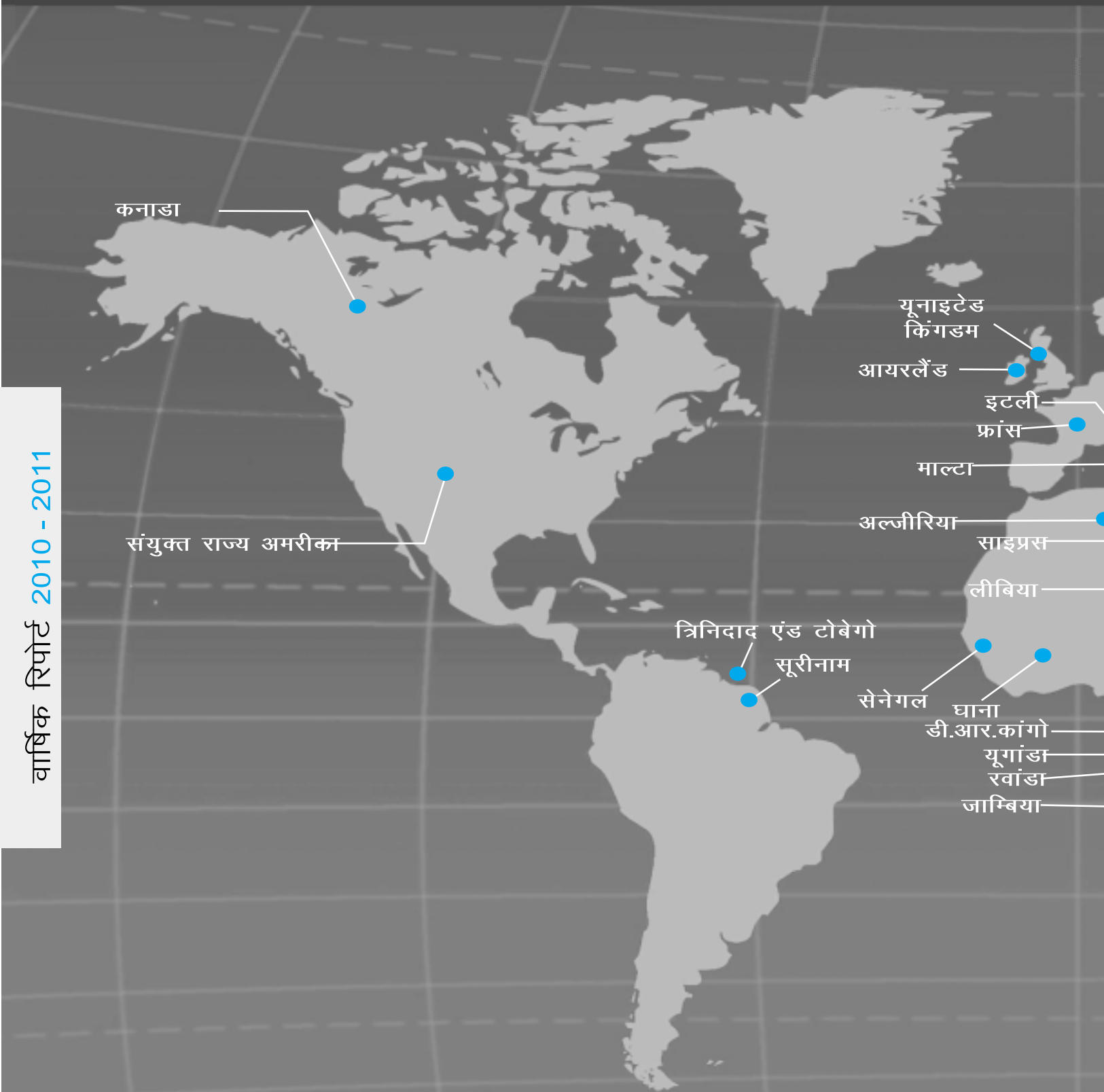
कनाडा
संयुक्त राज्य अमरीका
यूनाइटेड किंगडम
आयरलैंड
इटली
फ्रांस
माल्टा
अल्जीरिया
साइप्रस
लीबिया
त्रिनिदाद एंड टोबेगो
सूरीनाम
सेनेगल
घाना
डी.आर.कांगो
यूगांडा
रवांडा
जाम्बिया

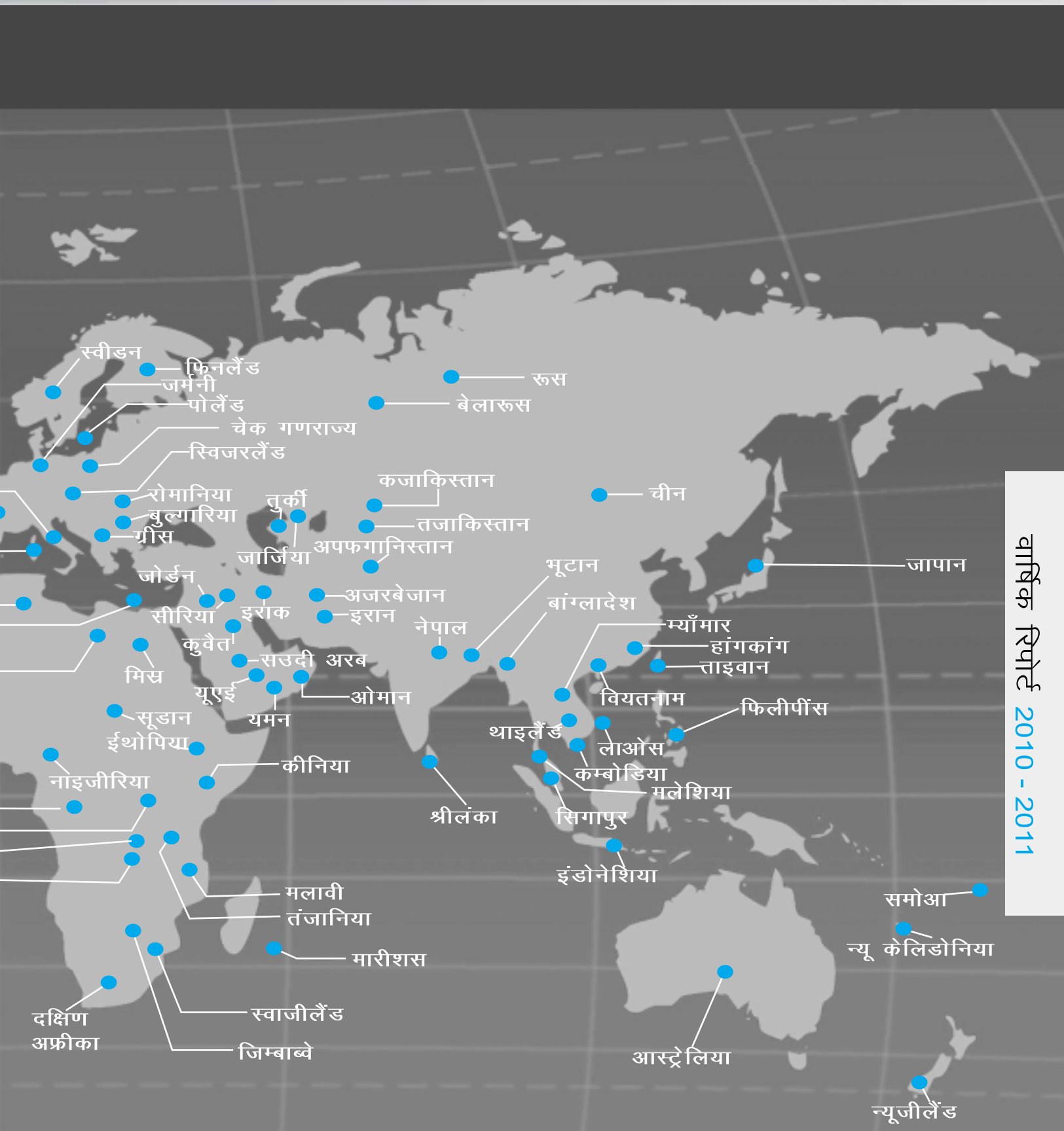
स्वीडन
फिनलैंड
जर्मनी
पोलैंड
रूस
बेलारूस
चेक गणराज्य
स्विजरलैंड
रोमानिया
बुल्गारिया
ग्रीस
तुर्की
जार्जिया
कजाकिस्तान
तजाकिस्तान
अपफगानिस्तान
चीन
जापान
भूटान
बांग्लादेश
नेपाल
जोर्डन
सीरिया
इराक
अजरबेजान
इरान
कुवैत
सउदी अरब
यूएई
ओमान
यमन
मिस्र
सूडान
ईथोपिया
नाइजीरिया
कीनिया
म्याँमार
हांगकांग
ताइवान
वियतनाम
फिलीपींस
थाइलैंड
लाओस
कम्बोडिया
मलेशिया
सिगापुर
श्रीलंका
इंडोनेशिया
मलावी
तंजानिया
मारीशस
स्वाजीलैंड
जिम्बाब्वे
दक्षिण अफ्रीका
समोआ
न्यू केलिडोनिया
आस्ट्रेलिया
न्यूजीलैंड

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 46वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 20 सितंबर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगीः–

सामान्य कार्य

1. दिनांक 31 मार्च, 2011 की यथास्थिति कंपनी के लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि तथा उसके साथ उस पर निदशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।

2. वर्ष 2010–11 के लिए लाभांश घोषित करना।

3. श्रीमती रेवा नैय्यर, जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रही हैं, उनके स्थान पर निदेशक नियुक्त करना।

4. श्री अनिल सचदेव जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, उनके स्थान पर निदेशक नियुक्त करना।

5. श्री अतुल सराया जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुनः नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, उनके स्थान पर निदेशक नियुक्त करना।

6. 2011–12 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना।

विशेष कार्य

7. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

   'संकल्प किया जाता है कि श्री त्रिम्बकदास एस. जँवर, जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसरण में दिनांक 12 नवम्बर, 2010 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं निदेशक से लिखित सूचना प्राप्त की है कि उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जिन्हें चक्रानुक्रम आधार पर सेवा निवृत किया जाना है।"

8. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि श्री एस. रवि, जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसरण में दिनांक 10 मार्च, 2010 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं निदेशक से लिखित सूचना प्राप्त की है कि उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जिन्हें चक्रानुक्रम आधार पर सेवानिवृत्त किया गया।

9. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि श्री अम्बुज शर्मा, जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसरण में दिनांक 15 मार्च, 2011 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं निदेशक से लिखित सूचना प्राप्त की है कि उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जिन्हें चक्रानुक्रम आधार पर सेवानिवृत्त किया जाता है।

10. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो अशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

    "सकंल्प किया जाता है कि श्री एम.के.दुबे, जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसरण में दिनांक 25 जून, 2011 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के उपबंधों के अनुसरण में स्वय निदेशक से लिखित सूचना प्राप्त की है कि उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्रारा नियुक्त किया जाता है जिन्हें चक्रानुक्रम आधार पर सेवानिवृत किया जाता है।

11. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो अशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

    "सकंल्प किया जाता है कि श्री पी.के.बाजपेयी जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के साथ पठित कंपनी की

अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसरण में दिनांक 1 जुलाई, 2011 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के उपबंधों के अनुसरण में स्वय निदेशक से लिखित सूचना प्राप्त की है कि उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्‌ारा नियुक्त किया जाता है जिन्हें चक्रानुक्रम आधार पर सेवानिवृत किया जाता है।

12 निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो अशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 94 तथा अन्य लागू प्रावधानों आदि कोई हैं तो (साविधिक अशोधनों और तत्साय लागू उनके पुनः अधिनियम सहित) और कम्पनी की अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद 32 के अनुसार तथा अन्य अनुमोदन, सहमति, अनुमति, रोक, किसी भी प्राधिकारी से जैसे भी आवश्यक हो, के अधीन कम्पनी के ₹ 10/– (दस रुपए) के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयरों को ₹ 2/–(दो रुपए) के अंकित मूल्य के पाँच (5) शेयरों में विभाजित किया है और इसके फलस्वरूप क्मपनी की 2000,00,00,000/– (₹ दो हज़ार करोड़) की प्राधिकृत पून्जी को, शून्य (दो रुपए) के प्रत्येक 1000,00,00,000 (₹ एक हज़ार करोड़) इक्विटी शेयर में इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली ''रिकॉर्ड तारीख'' से विभाजित किया जाएगा।

(ii) कम्पनी के इक्विटी शेयर के उप–विभाज, के अनुसार में वर्तमान रिकॉर्ड तारीख को 10/– प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रदत्त इक्विटी शेयर ''रिकॉर्ड तारीख'' से ₹ 2/– के प्रत्येक पूर्णप्रदत्त पाँच इक्विटी शेयरों में विभाजित कर दिया जाएगा।

(iii) 10/–रु. के एक इक्विटी शेयर के बदले प्रत्येक ₹ 2/–के पाँच नए इक्विटी शेयर एि जाएंगे और कम्पनी के उद्देश्यों एक अन्तर्नियमावली के अधीन होंगे और कम्पनी के प्रत्येक ₹ 10/– के वर्तमान पूर्णप्रदत्त इक्विटी शेयर के बराबर अधिकार होंगे और उप–विभाजित शेयरों के आं...के पश्चात घोषित किए जाने वाले किसी भी लाभांश में भागीदार के हकदार होंगे।

(iv) प्रत्यक्ष रूप में धारित इक्विटी शेयर पून्जी के संख्या में वर्तमान शेयर (रों) को रद्द करके उपर्युक्त रूप में इक्विटी शेयरों के उप–विभाजन के बाद कम्पनी के सदस्य द्वारा धारित इक्विटी शेयर के बदले नए शेयर सर्टिफ़िकेट जारी किए जाएंगे और यदि शेयर डीमैट फ़ॉर्म में धारित हैं तो उप–विभाजित इक्विटी शेयरों को वर्तमान धारित शेयरों के स्थान पर लाभार्थियों के डीमैट खाते में जमा कर दिए जाएंगे।

(v) कम्पनी के निदेशक बोर्ड (''बोर्ड जिसके अर्थ में यथागठित बोर्ड की समिति भी शामिल होगी'') को इसके द्वारा प्राधिकृत सभी ऐसे कार्य, विषय और दस्तावेज करने और बोर्ड में निहित सभी या किसी शक्ति को कम्पनी के किसी निदेशक (कों) या अधिकारी (यों) प्रत्यायोजित करने, कम्पनी के हित में उपर्युक्त कथित संकल्प को प्रभावी करने के लिए यथा–आवश्यक निर्देश देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, और इसमें आवश्यक फ़ॉर्म, कागज़ात, लिखित, करार एवं प्रलेख पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना तथा परम्परागत प्रतिनिधित्व एवं वॉरन्टी देना, इसके साथ आने वाली आवश्यक क्षतिपूर्ति काल जो, अपने विवेकाधिकार में समीचीन हो तथा किसी भी प्रदत्त, शंका, कठिनाई का समाधान करना, जो प्रस्तावित शेयरों के उपविभाज, के संख्या में उत्पन्न हुए हों, शामिल हैं।

(13) निम्लिलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

सामान्य संकल्प

संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 16 तथा अन्य लागू प्रावधानों यदि हैं तो, (किसी भी आशोधन तथा तत्समान लागू पुनः अधिनियम सहित) के अनुसरण में कम्पनी के उद्देश्य के **खंड V** में निम्नलिखित प्रतिस्थापन के द्वारा परिवर्तित किया जाता हैः–

''कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 2000,00,00,000/– (₹ दो हज़ार करोड़) है, जिसे प्रत्येक ₹ 2/– के शेयर में ₹ 1000,00,00,000 (₹ एक हज़ार करोड़) इक्विटी शेयरों को कम्पनी की अन्तर्नियमावली में दिए जाने गए अधिकारों, विशेषाधिकारों और शर्तों को रूप सन्लग्न करते हुए कम्पनी की पून्जी को बढ़ाने और घटाने तथा यथा–समय कई श्रमिकों में पून्जी को शेयरों को विभाजित करना। उनके साथ अधिमान, आस्थगन, गारंटीड अर्हता प्राप्त या विशेष अधिकार, गारंटीड अर्हता प्राप्त या विशेष अधिकार, विशेषाधिकारों और शर्तों को कम्पनी की अन्तर्नियमावली के अनुसार जोड़ना और कम्पनी की अन्तर्नियमावली में उल्लेखित रूप में किसी अधिकार, विशेषाधिकार या शर्त को परिवर्तित करना, आशोधित या शर्त को परिवर्तित करना, आशोधित करना, मिलाना या हटा लेने के अधीन विभाजित किया जाता है।''

(14) **विशेष संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना **''यह संकल्प किया जाता है''** कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 तथा अन्य लागू प्रावधानों आदि हैं तो (यथा समय लागू सांविधिक आशोधनों एवं उनके पुनः अधिनियम सहित) के अनुसरण में अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद 4–ए को परिवर्तित करके निम्नलिखित जोड़ा जाता हैः

''कम्पनी की ₹ 2000,00,00,000/–(₹ दो हज़ार करोड़) की अधिकृत शेयर पूंजी को प्रत्येक ₹ 2/– (₹ दो) के ₹ 1000,00,00,000 (एक हज़ार करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाता है।''

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
(आई.पी. सिंह)
कंपनी सचिव

नई दिल्ली
दिनाकः 12 अगस्त, 2011

टिप्पणियां

1. बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए हकदार सदस्य स्वयं अपने बदले बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत पूरा भरा गया प्रतिनिधि फार्म वार्षिक आम बैठक में निर्धारित समय के अड़तालीस घंटों (48 घंटों) पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। खाली प्रतिनिधि फार्म संलग्न है।

2. ऊपर यथानिर्धारित विषेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(3) के अनुसरण में संगत व्याख्यात्मक विवरण यहां इसके साथ संलग्न है।

3. नियुक्ति और पुनः नियुक्ति के प्रस्तावित प्रत्येक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध–2 के रूप में दिया गया है।

4. श्रीमती रेवा नैय्यर, सर्वश्री अनिल सचदेव और अतुल सराया निदेशक चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने पर स्वयं पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्ताव करेंगे। तथापि, उनकी नियुक्ति की शर्त के अनुसार श्रीमती रेवा नैय्यर, सर्वश्री अनिल सचदेव और अतुल सराया का कंपनी के निदेशकों के रूप में कार्यकाल क्रमशः 26.06.2012, 31.03.2012 तथा 30.11.2013 को समाप्त होगा।

5. सदस्यो का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां सदस्यों द्वारा अनुमोदित लाभांश के भुगतान, यदि कोई हो, के प्रयोजनार्थ दिनांक 12 अगस्त, 2011 से 19 अगस्त, 2011 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

6. सदस्यों को कंपनी को ईसीएस के माध्यम से प्रेषण करने में समर्थ बनाने के लिए विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फार्म (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया) में अपने इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस) का अधिदेश प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जाता है।

7. निदेशक मंडल ने वर्ष 2010–11 के दौरान अदा किए जा चुके 132.5 प्रतिशत (₹ 13.25 प्रति शेयर) प्रतिशत के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त, कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी पर 179 प्रतिशत (₹ 17.90 प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

8. दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, जब कंपनी की वार्षिक आम बैठक में स्वीकृत किया जाता है, सदस्यों द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अर्थात दिनांक 19 अक्तूबर, 2011 को अथवा उसके पूर्व उन शेयरधारकों, जिनका नाम :

क शेयरों के संबंध में एन एस डी एल/सी डी एस एल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार 11 अगस्त, 2011 को कारोबारी घंटो के बंद होने के समय शेयरों के लाभभोगी मालिक के नामों में इलैक्ट्रानिक मोड में रखा गया और

ख वास्तविक रूप में उन सभी वैद्य शेयरों के अन्तरण अनुरोधों को प्रभावी बनाने के पश्चात कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में है जो 11 अगस्त, 2011 को कारोबारी घंटों के बंद होने पर अथवा उससे पूर्व कम्पनी /आर टी ए के साथ दर्ज कराया गया।

9. यथासंशोधित कंपनी अधिनियम की धारा 205 ग के साथ पठित धारा 205क(5) के अनुसरण में लाभांष की राशि जो 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त/अदावाकृत रहती है, को केन्द्र सरकार की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करना अपेक्षित है। इसके बाद सदस्यों का उक्त राशि पर चाहे किसी भी प्रकार का दावा नहीं रहता। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2002–03 के लिए अंतिम लाभांश जो अदावाकृत रहता है, को उक्त खाते में दिनांक 26 अक्तूबर, 2011 को अंतरित किया जाना है और वर्ष 2003–04 से प्रारंभ होने वाले आगे के वर्षों के लिए उनको संबंधित तारीखों को अंतरित किया जाना है।

   सदस्यों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए अभी तक अपने अंतिम लाभांश का दावा/नकदीकरण नहीं किया है, निर्दिष्ट 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

10. सदस्य फार्म–2 ख (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया) में ऐसे किसी व्यक्ति को, जिनमें उनकी मृत्यु की दशा से कंपनी में उनके शेयर विहित होंगे, नामित करके कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 109क के अनुसार नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

11. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (8) (कक) के साथ पठित धारा 619 (2) के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त अथवा पुनः नियुक्त किए जाते हैं और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी दवारा नियत किया जाता है। कार्य की मात्रा में वृद्दि और विद्यमान मुद्रास्फीति पर विचार करने के बाद आम बैठक वर्ष 2011–12 के लिए लेखापरीक्षकों का उपयुक्त पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकती है।

12. किसी भी कॉर्पोरेट सदस्य को व्यक्तिगत रूप से केवल तभी उपस्थित समझा जाएगा अगर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 187 के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है अर्थात केवल तभी अगर कॉर्पोरेट सदस्य वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए मुख्तारनामा निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भेजता है।

13. सदस्यों के पते में किसी परिवर्तन को तत्काल अधिसूचित करने का अनुरोध किया जाता है,

    i. अपने इलेक्ट्रानिक शेयर खाते के संबंध में अपने निक्षेपागार भागीदार (डीपी) को, और

    ii. लाभांश वारंट की तत्काल और सुरक्षित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी फोलियो संख्या, बैंक का नाम और खाता संख्या बताते हुए अपने वास्तविक शेयरों, अगर कोई हो, के संबंध में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भेजें।

14. सदस्य, जो अमूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं, वे अपनी ग्राहक और डीपी आईडी संख्या लिखने का और जो वास्तविक रूप में शेयर धारित करते हैं, उनसे बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थिति पर्ची में अपनी फोलियो संख्या लिखने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, ऑडिटोरियम में प्रवेश स्थल पर काउंटर में उपलब्ध और उपस्थिति पर्ची से बदली जाने वाली प्रवेश पर्ची के आधार पर सख्ती से होगा।

15. सदस्यों से निम्नलिखित अनुरोध किया जाता है:

    i. बैठक के समय अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, सूचना और उपस्थिति पर्ची लाएं।

    ii. सभी पत्राचार में अपनी फोलियो संख्या/आईडी संख्या बताएं।

    iii. यह नोट कर लें कि सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के भीतर कोई ब्रीफकेस अथवा बैग ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

    iv. यह नोट कर लें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार वितरित नहीं होगा।

नदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
(आई.पी. सिंह)
कंपनी सचिव

नई दिल्ली
दिनाकः 12 अगस्त, 2011

सूचना का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ दिनांक 2011 की सूचना के मद सं. 7 से 9 में उल्लिखित कार्य से संबद्ध वास्तविक तथ्यों का वर्णन करता है।

मद संख्या 7

57 वर्षीय श्री. त्रिम्बकदास एस् जँवर, कला में स्नातक हैं और विधि ा में मास्टर्स डिग्री हेड हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार श्री त्रिम्बकदास एस् जँवर को 03 वर्ष की अवधि अर्थात 11.11.2013 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, दिनांक 12.11.2010 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर श्री. त्रिम्बकदास एस् जँवर कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करेंगे और पुनःनियुक्त किए जाने के पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अनुसार कंपनी ने कंपनी के निदेशक पद पर श्री. त्रिम्बकदास एस् जँवर की उम्मीदवारी के लिए ₹ 500 की जमा राशि के साथ एक सदस्य से प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त की है।

श्री. त्रिम्बकदास एस् जँवर को छोड़कर कंपनी के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई संबंध अथवा हित नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 8

52 वर्षीय श्री. एस रवि, इन्स्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ़ इंडिया के फ़ेलो सदस्य हैं। कॉमर्स में मास्टर्स डिग्रीधारक हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार श्री. एस. रवि को तीन वर्ष की अवधि अर्थात 09.03.2011 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, दिनांक 10.03.2011 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर श्री. एस. रवि कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करेंगे और नियुक्त किए जाने के पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अनुसार कंपनी ने कंपनी के निदेशक पद पर श्री. एस. रवि उम्मीदवारी के रूप में एक सदस्य से ₹ 500 की जमा राशि के साथ प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त की है।

श्री. एस. रवि को छोड़कर कंपनी के किसी भी निदेशक का संकल्प से संबंध अथवा हित नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 9

52 वर्षीय श्री. अम्बुज शर्मा, भारी उद्योग विभाग भारी उद्योग एवं

लोक उद्यम मन्त्रालय में संयुक्त सचिव हैं। भारत सरकार के निर्देशो के अनुसार श्री. अम्बंज शर्मा को दिनांक 15.03.2011 से कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर श्री. अम्बुज शर्मा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पदधारित करेंगे और नियुक्त किए जाने की पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अनुसार कंपनी ने कंपनी के निदेशक पद पर उनकी उम्मीदवारी के रूप में एक सदस्य से ₹ 500 की जमा राशि के साथ प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त की है।

श्री. अम्बुज शर्मा को छोड़कर कंपनी के किसी भी निदेशक का संकल्प से संबंध अथवा हित नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 10

58 वर्षीय श्री. एम. के. दुबे एमएसीटी (अब एमएएनआईटी), भोपाल से मेकेनिकल इन्जिनीयर स्नातक हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार श्री. एम. के. दुबे को 05 वर्ष की अवधि या अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेशों तक 25.06.2011 को कम्पनी को ऊपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हैं। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर श्री. एम. के. दुबे कम्पनी की अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद 67(पअ) के साथ पठिक कम्पनी अधिनियम की धारा 260 द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करेंगे और नियुक्त किए जाने के पात्र हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अवधि कम्पनी में कम्पनी के निदेशक पद पर श्री. एम. के. दुबे की उम्मीदवारी के लिए ₹ 500/–की जमा राशि के साथ एक सदस्य के प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त की है।

श्री. एम. के. दुबे को छोड़कर कम्पनी के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई सम्बन्ध या हित नहीं है।

मद संख्या 11

56 वर्षीय श्री. पी. के. बाजपेयी आईआईटी, कानपुर से बी. टेक. (मेकेनिकल), लीड्स विश्वविद्यालय (यूके) से एमबीए और इन्स्टिट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स ऑफ़ इन्डिया से एआईसीडब्ल्यू हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार श्री. बाजपेयी 01.07.2011 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कम्पनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर श्री. पी. के. बाजपेयी कम्पनी की अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पछित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 5 के द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करेंगे और नियुक्त किए जाने के पात्र हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी के निदेशक पर श्री. पी. के. बाजपेयी उम्मीदवारी के लिए एक सदस्य से ₹ 500/– की जमा राशि के साथ प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त की है।

श्री. पी. के. बाजपेयी को छोड़कर कम्पनी के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई संक्षेप या हित नहीं है।

निदेशक मन्डल संकल्प को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 12 से 14

बीएचईएल के इक्विटी शेयर बीएसई सेन्सेक्स और और एनएसई सीएनएक्स निफ़्टी का हिस्सा है और इनकी ट्रेडिंग दी जाती है। समाकित छोटे निवेशकों के लिए शेयर को खरीदने योग्य बनाने तथा शेयरधारिता का आधार बढ़ाने के लिए निदेशक मन्डल के अपनी 23 मार्च, 2011 को आयोजित बैठक में यह वान्छनीय माना कि कम्पनी के इक्विटी शेयर के वर्तमान अंकित मूल्य को ₹ 10/– प्रति शेयर से ₹ 2/– प्रति शेयर में उप–विभाजित (अंकित मूल्य का विभाजन) कर दिया जाए। यह उम्मीद की जाती है कि यदि शेयरों को उप–विभाजित किया जाता है तो इसके धारकों में वृद्धि होगी और बेहतर बाज़ार तथा इक्विटी मिलेगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि बीएचईएल के इक्विटी शेयर के वर्तमान अंकित मूल्य ₹ 10/ प्रति शेयर को प्रदत्त ₹ 2/– प्रत्येक पाँच इक्विटी शेयरों में उप–विभाजित रि दिया जाए। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 94 (1) (घ) के अलावा शेयरों को छोटी राशि में उप–विभाजित करने का प्रस्ताव मान्य हैं शेयरों का उप–विभाजन किए जाने पर कम्पनी मेमोरेन्डम ऑफ़ एसोसिएशन के **खंड V और कम्पनी की अन्तर्नियमावली अनुच्छेद 4–क में अनुकूल संशोधित करना अनिवार्य है।**

शेयरों के उप–विभाजन हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन होने पर, यदि शेयर प्रत्यक्ष रूप में धारित हैं तो ₹ 10/– प्रत्येक के अंकित मूल्य के पुराने शेयर सर्टिफ़िकेट रिकॉर्ड तारीख को रद्द किए जाएंगे और नए सर्टिफ़िकेट शेयरधारकों को भेजे जाएंगे। यदि शेयर डीमेटीरियलाइज़्ड रूप में है तो विभाजित शेयरों सेसीधे ही शेयरधारकों के डी–मैट खाते में वर्तमान शेयरें के स्थान पर रिकॉर्ड तारीख को जमा कर लिए जाएंगे।

कम्पनी का कोई भी निदेशक सिवाय उनकी शेयरधारिता की सीमा तक किसी भी रूप में इन संकल्पों से कोई सम्बन्ध या हित नहीं है।

कम्पनी का निदेशक मन्डल सन्लग्न नोटिस में उल्लेखित साधारण/विशेष संकल्पों को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफ़ारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

हस्ता./–
(आई. पी. सिंह)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली
दिनांक : 12 अगस्त, 2011

यहां से काटिए

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय, बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049

प्रतिनिधि फार्म

फोलियों / आईडी सं.

शेयरों की संख्या

मैं / हम.....

जिला.....

.....का / के

.....

.....उपयुक्त कंपनी का / के

सदस्य हूं / है और एतद्द्वारा.....जिला.....को अथवा.....

उनकी अनुपस्थिति में.....जिला.....को मेरे / हमारे प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता हूं / करते हैं, जो 20 सितम्बर, 2011 को आयोजित होने वाली 47वीं वार्षिक समान्य बैठक में मेरी / हमारी ओर से मतदान करेंगे।

30 पैसे का रसीदी टिकट चिपकाएं

टिप्पणियां : क) फार्म पर कंपनी में दर्ज हस्ताक्षर के अनुसार टिकट के ऊपर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
ख) यह फार्म बैठक के आयोजन से अड़तालीस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय, बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049

उपस्थिति पर्ची

दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को पूर्वाहन 10.00 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में आयोजित होने वाली
47 वीं वार्षिक आम बैठक

उपस्थित सदस्य का नाम (साफ अक्षरों में भरें)

फोलियो / आईडी सं.

धारित शेयरों की सं.

प्रतिनिधि का नाम

(साफ अक्षरों में भरें यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि भाग ले रहा हो)

मैं एततद्वारा 20 सितम्बर 2011 को आयोजित 47 वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थति दर्ज करता / करती हूं।

सदस्य / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(विधिवत भरी गई इस पर्ची को बैठक कक्ष में प्रवेश द्वार पर सौंपा जाए।)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय, बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049

प्रिय शेयरधारक/शेयरधारकों

संदर्भ : इलेक्ट्रानिक समाशोधन देयताएं (ईसीएस) राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन द्वारा लाभांश का भुगतान

यदि आपने पहले से हमारे रजिस्ट्रारों यानि मैसर्ज कार्वी कम्प्युटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड या निक्षेपागार सहभागी (डीमैट होल्डिंग के मामले में), को ईसीएस/बैंक लेखा विवरण प्रेषित नहीं किए है, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि नीचे दिए गए फॉर्मेट में उक्त विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि 20 सितंबर, 2011 को आयोजित होने वाली कंपनी की 47वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित होने वाले लाभांश का शीघ्र सुरक्षित एवं सही भुगतान किया जा सके।

कृप्या सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रारों/निक्षेपागार सहभागी को आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही हैं, क्यो कि उनमें कोई त्रुटि होने पर लाभांश की राशि गलत खाते में जमा हो जाएगी।

ईसीएस द्वारा और/अथवा नामोदिष्ट बैंक खातें में लाभांश का भुगतान, जो कि लाभांश वारंट पर लिखा होगा, लाभांश वारंट के कपटपूर्ण नकदीकरण को रोकने में सहायक होगा।

भवदीय

हस्ता/–
(आई. पी. सिंह)
कंपनी सचिव

पीएसः यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं तो अपने निक्षेपागार सहभागी को आपके बैंक खाता विवरणों/ईसीएस अधिदेश पर ध्यान देने का परामर्श दें।

एनईसीएस/ईसीएस अधिदेश/बैंक खाता विवरणों के लिए फार्म

मैं/हम.....एतदद्वारा बीएचईएल/अपने निक्षेपागार सहभागी को

❒ मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्न विवरण छापनें

❒ ईसीएस द्वारा बैंक खातें में मेरी लाभांश राशि जमा करने हेतु प्रधिकृत करता हूँ/करते हैं

(जो लागू न हो, कृपया उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियों सं.....डीपी आईडी सं..... ग्राहक खाता सं.....

बैंक खाते का विवरण :

क.	**बैंक का नाम**	:	.....
ख.	शाखा का नाम (केवल अधिदेश के लिए पता)	:	....
ग.	एमआईसीआर चैक में दिए गए बैंक और शाखा के 9 अंकों की कोड संख्या	:	.....
घ.	खाते का प्रकार (बचत/चालू)	:	.....
ड.	चैक बुक में दिए गए अनुसार खाता सं.	:	.....
च.	शेयरधारक का एसटीडी कोड एवं दूरभाष सं.	:	.....

यदि ईसीएस कार्यान्वित न हो सकी अथवा बैंक ईसीएस को किसी कारण से समाप्त कर देता है, तो मैं/कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगें।

प्रेषित करें:

मैसर्ज कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : बीएचईएल
17–24, विट्ठल राव नगर,
माधापुर, हैदराबाद–500081

.....
शेयरधारक के हस्ताक्षर

.कृप्या (i) अंकों की कोड सं. की यथार्थता के सत्यापन हेतु आपके उक्त लेखा से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी चैक या खाली रद्द किए गए चैक की प्रति और (ii) अपने **पैन कार्ड** की एक प्रति संलग्न करे।

यहां से काटिए

यहां से काटिए

फार्म 2 बी

(कृप्या कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र 1956 का नियम 4गगग और 5घ देखें

नामांकन फार्म

(व्यक्तिगत या संयुक्त रूप में आवेदन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा भरा जाएं)

मैं/हम.....एवं.....और.....भारत **हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड** के क्रमांक.....का/के शेयरधारक, नामांकन करना चाहता हूं/करते हैं तथा निम्न व्यक्ति (व्यक्तियों), जिसमें मेरी या जिनमें मेरी जिनमें हमारी मृत्यु होने पर अंतरण और/अथवा शेयरों से संबद्ध) देय राशि के सभी अधिकार निहित है, को नामित करता हूं/करते हैं।

नामिति/नामितियों के नाम एवं पता

नाम .....

पता .....

.....

जन्म तिथि* : .....

(*नामिति के नाबालिग होने के मामले में भरा जाएं)

** नामिति नाबालिग है, जिसका अभिभावक.....है

नाम व पता.....

.....

.....

(** यदि लागू न हों, तो हटा दिए जाएं)

हस्ताक्षर :.....

नाम :.....

पता :.....

दिनांक :.....

हस्ताक्षर :.....

नाम :.....

पता :.....

दिनांक :.....

हस्ताक्षर :.....

नाम :.....

हस्ताक्षर :.....

दिनांक : .....

दो गवाहों के पते, नाम एवं हस्ताक्षर

	नाम एवं पता	**तिथि सहित हस्ताक्षर**
1.		
2.		

निर्देश:

1. केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही नामांकन किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी ओर से एकल या संयुक्त रूप से शेयरों के लिए आवेदन किया हो या धारक हो। सोसायटी, न्यास, कॉर्पोरेट निकाय, साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा धारक सहित गैर–व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकते। यदि शेयर संयुक्त रूप से धारित किया जाता है तो सभी संयुक्त शेयरधारक नामांकन फार्म पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के तौर पर स्थान उपलब्ध कराया गया है। यदि संयुक्त धारक अधिक हैं, तो शेयरों के धारकों तथा गवाह के हस्ताक्षर के लिए अधिक शीटें प्रयोग में लाई जा सकती हैं।
2. शेयरों के धारक द्वारा नाबालिग को नामित किया जा सकता है तथा उस स्थिति में धारक द्वारा अभिभावक का नाम और पता दिया जाएगा।
3. न्यास, सोसायटी, कॉर्पोरेट निकाय साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता या मुख्तारनामा धारक नामिती नहीं होगा। अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तन के आधार पर नामिती हो सकता है।
4. शेयर के अंतरण पर नामांकन विखंडित हो जाता है।
5. वैध उत्तराधिकारी के विरुद्ध नामिती के पक्ष में शेयर का अंतरण कंपनी द्वारा वैध रूप से डिस्चार्ज किया जाएगा।
6. कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को नामांकन/नामांकन फार्म के संबंध में सूचना दो प्रतियों में देनी होगी, जो उसकी एक प्रति शेयरधारक को वापस करेगी/करेगा।
7. **यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर है तो कृपया अपने डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट को नामाकंन के विवरण की सूचना भेज दें।**

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

गोद लिया गांव अन्नेकी–1

तुतीकोरन साइट पर बालिका शिक्षा की पहल

गोद लिए गए गांव में खेल प्रतियोगिता

गांव के बच्चों के लिए शैक्षिक फिल्म शो

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में बीएचईएल द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर

बीएचईएल हरिद्वार द्वारा गोद लिए गए गांव में चिकित्सा जांच शिविर

संकल गांव, पीएसएसआर में चिकित्सा शिविर

गोद लिए गए गांव में नेत्र जांच शिविर

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इलाहाबाद बैंक
आंध्रा बैंक
एक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
सेंट्रल बैंक
सीआईटीआई बैंक एन. ए.
कॉरपोरेशन बैंक
डच बैंक ए जी
दी फेडरल बैंक लि.
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
इडियन बैंक
इंडसिंड बैंक
कोटेक महिन्द्रा बैंक लि.
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
पंजाब नेशनल बैंक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
स्टैट बैंक ऑफ हैदराबाद
स्टैट बैंक ऑफ ट्रावनकौर
सिंडिकेट बैंक
दि हांगकांग एण्ड शिंघाई बैंकिग कॉरपोरेशन लि.
दि रायल बैंक ऑफ स्कॉटलैण्ड एन. वी.
यूसीओ बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
विजया बैंक

शेयर अंतरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : **बीएचईएल**

दिल्ली का पता	:	105–108, अरुणाचल बिल्डिंग,
	:	19, बाराखम्बा रोड,
	:	नई दिल्ली – 110 001
	:	दूरभाष : 011–23324401, 43681700 / 01 / 02 / 21
	:	फैक्स : 011–23730743
	:	ई–मेल : ksbldelhi@karvy.com

हैदराबाद का पता
यूनिट : **बीएचईएल**

	:	17–24, विट्ठल राव नगर,
		माधापुर,
	:	हैदराबाद–500 081
दूरभाष	:	040–44655000
फैक्स	:	040–44655024
ई–मेल	:	madhusudhan@karvy.com
		einwards.ris@karvy.com
वैबसाइट	:	www.karvycomputersshare.com

लेखा परीक्षक

एस.एन. धवन एंड कं., नई दिल्ली

गांधी मिनोचा एंड कं., नई दिल्ली

चन्द्रन एंड रमन, चैन्नई

जवाहर एंड एसोसिएटस, हैदराबाद

मेहरोत्रा एंड मेहरोत्रा, कानपुर

फिलिपोस एंड कं. बैंगलूर

एस. एल. छाजेड़ एंड कं., भोपाल

लागत लेखापरीक्षक

के.एल. जयसिंह एंड कंपनी
(इलैक्ट्रिक मोटर्स, एचईपी भोपाल के लिए)

गिईस एंड कंपनी
(स्टील टयूब्स एंड पाईप्स एसएसटीपी तिरुचि के लिए)

लागत लेखा रिपोर्ट 2010–11

देय तिथि 27 सितम्बर, 2011

(2009–10, 19.08.2010 को फाइल की गई)

पंजीकृत कार्यालय

बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट,
नई दिल्ली–110049 (भारत)
फोन : 66337000 (15 लाइन्स)
फैक्स : 011–66337533
http://www.bhel.com

पॉवर	ट्रांसमिशन	उद्योग	परिवहन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	तेल एवं गैस

प्रगति को गति . . . जीवन को ज्योति

भारत के हर घर से जुड़ा

बी एच ई एल

BHEL

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110 049, भारत

वेबसाइट :**www.bhel.com**

Printed at Thomson Press